भारतीय रिजर्व बैंक
विनियमन विभाग
केंद्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 001

आरबीआई/गैबैविवि/2023-24/106
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 45/03.10.119/2023-24 अक्तूबर 19, 2023

(10 अक्तूबर 2024 को अद्यतन किया गया)
(21 मार्च 2024 को अद्यतन किया गया)
(10 नवंबर 2023 को अद्यतन किया गया)

मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार इस तरह से होने से रोकने के लिए जो निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में न हो या ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित में न हो, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जेए, 45के, 45एल और 45एम और और फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 (अधिनियम 2012 का 12) की धारा 31ए और धारा 6 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के निरसन के पश्चात मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 (निदेश), इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है , जारी करता है।

(जे. पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023

विनियमन विभाग

Contents

भाग I प्रस्तावना 4
अध्याय I प्रारंभिक 4
अध्याय II परिभाषाएँ 9
भाग II एनबीएफसी-बीएल के लिए लागू विनियम 15
अध्याय III पंजीकरण 16
अध्याय IV प्रूडेंशियल विनियम 18
अध्याय V विनियामक प्रतिबंध और सीमाएं 33
अध्याय VI अभिशासन मुद्दे 40
अध्याय VII उचित व्यवहार संहिता 43
अध्याय VIII विविध मुद्दे 53
भाग III एनबीएफसी- एमएल के लिए लागू विनियम 67
अध्याय IX प्रूडेंशियल विनियम 68
अध्याय X विनियामक प्रतिबंध और सीमाएं 84
अध्याय XI अभिशासन दिशानिर्देश 89
अध्याय XII विविध अनुदेश 93
भाग IV एनबीएफसी-यूएल के लिए लागू विनियम 95
अध्याय XIII प्रूडेंशियल विनियम 96
अध्याय XIV विनियामक प्रतिबंध और सीमाएं 101
अध्याय XV अभिशासन दिशा-निर्देश 107
अध्याय XVI संक्रमण पथ 108
भाग V एनबीएफसी-टीएल के लिए लागू विनियम 110
भाग VI गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी - एमएफआई) और अन्य एनबीएफसी के सूक्ष्म वित ऋण पर लागू विनिर्दिष्ट निदेश 111
भाग VII एनबीएफसी-फैक्टर और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 के तहत पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी पर लागू विशिष्ट निदेश 114
भाग VIII अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों *(आईडीएफ-एनबीएफसी)* पर लागू विशिष्ट निदेश 117
भाग IX अधीनस्थ 119
भाग X निदर्शन 120
भाग XI निरसन 124

अनुबंध I एनबीएफसी-यूएल के रूप में एनबीएफसी की पहचान के लिए अंक निर्धारण पध्दति 138
अनुबंध II एनबीएफसी द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन......................................142
अनुबंध III एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर मानदंड...147
अनुबंध IV वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनरुद्धारित करने के लिए रूपरेखा 184
अनुबंध V बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना...195
अनुबंध VI चलनिधि जोखिम प्रबंधन रुपरेखा पर दिशानिर्देश...201
अनुबंध VII वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – एनबीएफ़सी के खातों को टिप्पणियां 221
अनुबंध VIII एनबीएफसी की बैलेंस शीट की अनुसूची...239
अनुबंध IX लाभांश घोषित करने वाली एनबीएफसी के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप...............................243
अनुबंध X गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का डाटा..244
अनुबंध XI निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण 245
अनुबंध XII एनबीएफसी के प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के बारे में जानकारी........246
अनुबंध XIII एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश...251
अनुबंध XIV ऋण चूक अदला-बदली के लिए दिशानिदेश - उपयोगकर्ता के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 264
अनुबंध XV एनबीएफसी द्वारा एनसीडी (1 वर्ष से अधिक समय पर परिपक्वता) का प्राइवेट प्लेसमेंट पर दिशानिदेश 270
अनुबंध XVI बीमा में एनबीएफसी के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश...271
अनुबंध XVII हटाए गए 274
अनुबंध XVIII एनबीएफसी द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण पर दिशा-निर्देश......................275
अनुबंध XIX सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियों के बारे में जानकारी..............277
अनुबंध XX टि यर I पूंजी में शामि ल कि ए जाने की पात्रता हेतु बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) पर लागू नियम व शर्तें 278
अनुबंध XXI चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशानिर्देश.......................................282
अनुबंध XXII हटाए गए 291
अनुबंध XXIII एनबीएफसी के निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड 292
अनुबंध XXIV एनबीएफसी में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र के पारिश्रमिक पर दिशानिर्देश: न्यूनतम दायरा और कवरेज...302

अनुबंध XXV बड़े एक्सपोजर पर प्रतिलाभ 305
अनुबंध XXVI एनबीएफसी-एमएफआई के लिए स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) - मान्यता के लिए मानदंड 307
अनुबंध XXVII मुख्य तथ्य विवरण 309

भाग I
प्रस्तावना
अध्याय I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और दिशानिर्देश का प्रारंभ।

1.1 इन निदेशों को **मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023** कहा जाएगा।

1.2 उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. [1]स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत विनियमकीय ढांचा

2.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए उनके आकार, गतिविधि और अवधारित जोखिम के आधार पर नियामकीय संरचना में चार लेयर होंगी। सबसे निचली लेयर में एनबीएफसी को एनबीएफसी - बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल) के नाम से जाना जाएगा। मिडिल लेयर और अपर लेयर वाली एनबीएफसी को क्रमशः एनबीएफसी -मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) और एनबीएफसी -अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में जाना जाएगा । यह आशा की जाती है कि टॉप लेयर आदर्श रूप से खाली होगी और इसे एनबीएफसी - टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल) के रूप में जाना जाएगा।

विभिन्न लेयरों में शामिल एनबीएफसी का विवरण नीचे पैरा 1.2 से 1.6 तक में निर्धारित किया जाएगा:

2.2 बेस लेयर

बेस लेयर में (क) 1000 करोड़ रुपये की आस्ति आकार से कम वाली एनबीएफसी और (ख) निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित करने वाली एनबीएफसी को शामिल किया जाएगा - (i) एनबीएफसी-पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी 2 पी), (ii) एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए), (iii) गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफ़एचसी) और (iv) सार्वजनिक निधियों का उपयोग नहीं करने वाली एनबीएफसी और जिनका कोई ग्राहक इंटरफेस [2]नहीं है।

2.3 मिडिल लेयर

मिडिल लेयर में (क) किसी भी आस्ति आकार की जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी), (ख) 1000 करोड़ रुपये और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी और (ग) निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित करने वाली एनबीएफसी (i) स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी), (ii) संरचनात्मक ऋण निधि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी), (iii) मूल निवेश कंपनी (सीआईसीसी), (iv) आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) और (v) संरचनात्मक वित्त कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी)।

---
[1] 22 अक्तूबर के 2021 परिपत्र संख्या विवि.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22
[2] इन निदेशों में परिभाषित सार्वजनिक निधि और ग्राहक इंटरफेस।

2.4 अपर लेयर

अपर लेयर में वे सभी एनबीएफसी शामिल होंगे जिनकी पहचान विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा इस निदेश के अनुबंध I में प्रदान किए गए मापदंडों और स्कोरिंग पद्धति के आधार पर बढ़ी हुई नियामक आवश्यकता के अनुरूप की गई है । किसी अन्य कारक के होते हुए भी उनके आस्ति आकार के अनुसार शीर्ष दस पात्र एनबीएफसी हमेशा अपर लेयर में शामिल होंगे ।

2.5 टॉप लेयर

टॉप लेयर आदर्श स्थिति में खाली रहेगी। इस लेयर में एनबीएफ़सी शामिल हो सकती हैं यदि रिज़र्व बैंक की याद राय है कि टॉप लेयर में विशिष्ट एनबीएफसी से संभावित प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ऐसी एनबीएफसी अपर लेयर से टॉप लेयर में जाएंगी।

2.6 विशिष्ट गतिविधियों को संपादित करने वाले एनबीएफसी का वर्गीकरण

चूंकि नियामक संरचना में स्केल आधारित और गतिविधि आधारित विनियमन की परिकल्पना की गई है, इसलिए एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित निर्देश लागू होंगे

2.6.1 एनबीएफसी-पी 2पी, एनबीएफसी-एए, एनओएफएचसी और सार्वजनिक निधि तथा ग्राहक इंटरफेस से रहित एनबीएफसी हमेशा नियामक संरचना के बेस लेयर में रहेंगे।

2.6.2 एनबीएफसी-डी, सीआईसी, आईएफसी और एचएफसी को स्थिति के अनुसार मिडिल लेयर या अपर लेयर (और बेस लेयर में नहीं) में शामिल किया जाएगा । एसपीडी और आईडीएफ-एनबीएफसी हमेशा मिडिल लेयर में रहेंगे ।

2.6.3 शेष एनबीएफसी, जैसे निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई), एनबीएफसी-फैक्टर्स और बंधक गारंटी कंपनियां (एनबीएफसी-एमजीसी) स्केल आधारित नियामक ढांचे के मापदंडों के आधार पर नियामकीय संरचना में किसी भी लेयर में शामिल की जा सकती हैं।

2.6.4 सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को स्थिति के अनुसार बेस लेयर या मिडिल लेयर में रखा जाएगा । उन्हें अगली सूचना तक अपर लेयर में नहीं रखा जाएगा।

2.7 एनबीएफसी-एनडी, एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी के संदर्भ

01 अक्टूबर, 2022 से, एनबीएफसी-एनडी के सभी संदर्भों का अर्थ एनबीएफसी-बीएल होगा और एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई के सभी संदर्भों का तात्पर्य स्थिति2 के अनुसार एनबीएफसी-एमएल या एनबीएफसी-यूएल होगा[3] ।

2.8 एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण

2.8.1 एनबीएफसी जो एक सामान्य समूह का हिस्सा हैं या प्रमोटरों के एक सामान्य समूह द्वारा बनाई गई हैं, को एकल आधार पर नहीं देखा जाएगा। एक समूह की सभी एनबीएफसी [4]की कुल आस्तियों को मिडिल लेयर में उनके वर्गीकरण के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए समेकित किया जाएगा।

2.8.2 यदि समूह की समेकित आस्ति (उक्त पैरा 2.8.1 के अनुसार समेकन) का आकार ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है, तब प्रत्येक निवेश और साख कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी), माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी-एमएफआई), एनबीएफसी-फैक्टर और बंधक गारंटी समूह में मौजूद कंपनी (एनबीएफसी-एमजीसी) को मिडिल लेयर में एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और परिणामस्वरूप, मिडिल लेयर पर लागू नियम उन पर लागू होंगे। तथापि, समूह के भीतर एनबीएफसी-डी यदि कोई हो, को मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के तहत विनियमित किया जाएगा। निदर्शी उदाहरण इस परिपत्र के पैराग्राफ 136 में दिए गए हैं।

2.8.3 सांविधिक लेखा परीक्षकों को हर साल समूह की सभी एनबीएफसी के आस्ति आकार (31 मार्च तक) को प्रमाणित करना आवश्यक है। प्रमाणपत्र रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफसी पंजीकृत हैं।

2.8.4 इस पैरा 2.8 में निहित प्रावधान एनबीएफसी को अपर लेयर में वर्गीकृत करने के लिए लागू नहीं होंगे।

2.9 एनबीएफसी-एमएल स्थिति तय करने के लिए मानदंड

2.9.1 एक बार जब कोई एनबीएफसी ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक की परिसंपत्ति के आकार तक पहुंच जाती है, तो अंतिम अंतिम तुलनपत्र की तारीख तक ऐसी परिसंपत्ति न होने के बावजूद, यह इन निदेशों की **भाग III** के अनुसार नियामक आवश्यकताओं के अधीन होगा। ऐसी सभी जमा न स्वीकार करने वाले एनबीएफसी को समय-समय पर एनबीएफसी-एमएल को, जब भी वे ₹1,000 करोड़ की परिसंपत्ति प्राप्त करते हैं, जारी किए गए विनियमों/निदेशों का पालन करना होगा चाहे जिस भी तारीख को वे यह परिसंपत्ति प्राप्त कर लें।

---

[3] मौजूदा एनबीएफसी-एनडी-एसआई जिनका आस्ति आकार 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक है, लेकिन 1000 करोड़ रुपये से कम (मिडिल लेयर में अनिवार्य रूप से विशेषता वाले एनबीएफ़सी को छोड़कर) है को एनबीएफसी-बीएल के रूप में जाना जाएगा।

[4] एनबीएफसी-पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी और एनबीएफसी बिना पब्लिक फंड और कस्टमर इंटरफेस सहित ऐसे एनबीएफसी शामिल हैं जो हमेशा बेस लेयर में रहेंगे।

2.9.2 गतिशील माहौल में, एनबीएफसी की परिसंपत्ति का आकार किसी दिए गए महीने में ₹1,000 करोड़ से नीचे गिर सकता है, जो अस्थायी उतार-चढ़ाव के कारण हो सकता है, न कि वास्तविक आकार में कमी के कारण। ऐसे मामले में एनबीएफसी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखेगी और एनबीएफसी-एमएल पर लागू मौजूदा निदेशों का अनुपालन करेगी, जब तक कि वह अपनी अगली लेखापरिक्षित बैलेंस शीट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न कर दे और रिज़र्व बैंक से उन्हें इस संबंध में कोई विशिष्ट छूट न मिल जाए।

3. एनबीएफसी की श्रेणियों के अनुसार प्रयोज्यता

3.1 उक्त निदेश के प्रावधान निम्नांकित पर लागू होंगे:

3.1.1 प्रत्येक एनबीएफसी-डी भारिबैं अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है;

3.1.2 प्रत्येक एनबीएफसी-आईसीसी भारिबैं अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है;

3.1.3 फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत प्रत्येक एनबीएफसी-फैक्टर और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत प्रत्येक एनबीएफसी-आईसीसी;

3.1.4 प्रत्येक एनबीएफसी-एमएफआई जो भारिबैं अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकृत है;

3.1.5 प्रत्येक एनबीएफसी-आईएफसी जो भारिबैं अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकृत है;

3.1.6 प्रत्येक आईडीएफ-एनबीएफसी भारिबैं अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है।

3.2 ये निदेश कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम 18) की धारा 2 के खंड (45) में दी गई परिभाषा के अनुसार सरकारी गैर बैंकिंग कंपनियों पर लागू होंगे।

3.3 एनबीएफसी की विशिष्ट श्रेणी यथा एनबीएफसी-फैक्टर, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 के तहत पंजीकृत एनबीएफसी- आईसीसी, आईडीएफ-एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए लागू विशेष निर्देश इस निदेश के संबंधित भागों में दिए गए हैं। संबंधित भागों में एनबीएफसी की विशिष्ट श्रेणियों के लिए निहित अनुदेश इन निदेशों में निहित संगत अनुदेशों के अतिरिक्त हैं और उनके प्रतिस्थापन में नहीं हैं।

3.4 अध्याय IV, अध्याय V, पैरा 4.1.1, 45, 66 और 67 मे दिए गए निर्देश एनबीएफसी पर लागू नहीं होंगे जो सार्वजनिक निधि का लाभ नहीं उठा रहे हैं और जिनके पास कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं है।

3.5 वे एनबीएफसी जो सार्वजनिक निधि का लाभ उठा रहे हैं लेकिन उनके पास कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं है, उन्हें पैराग्राफ 4.1.1, 45, 66 और 67 की परियोजना से छूट दी गई है।

3.6 एनबीएफ़सी- बीएल जिनके पास ग्राहक इंटरफेस है, लेकिन सार्वजनिक निधि का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें अध्याय IV और अध्याय V की योजना से छूट दी गई है।

4. विनियमन विभाग द्वारा जारी अन्य निदेशों की प्रयोज्यता

4.1 एनबीएफसी निम्नलिखित निदेशों में निर्धारित अनुसार लागू विनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी:

4.1.1 मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016, समय-समय पर संशोधित।

4.1.2 मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021, समय-समय पर संशोधित।

4.1.3 मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021, समय-समय पर संशोधित।

4.1.4 मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022, समय-समय पर संशोधित।

4.1.5 मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022, समय-समय पर संशोधित।

4.1.6 एनबीएफसी, समय-समय पर संशोधित, 30 अप्रैल, 2024 के 'परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शी नोट' का उपयोग कर सकते हैं।

4.2 ये निदेश रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी नियमों को समेकित करते हैं। रिज़र्व बैंक के किसी अन्य विभाग द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निदेश /विनिर्देश, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं, का पालन किया जाएगा।

4.3 नीचे उल्लिखित एनबीएफसी की श्रेणियां उन्हें नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों के अधीन होंगी, जो निम्नानुसार हैं:

4.3.1 एनबीएफसी-पी2पी - मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017, समय-समय पर संशोधित।

4.3.2 एनबीएफसी-एए - मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016, समय-समय पर संशोधित।

4.3.3 सीआईसी - मास्टर निदेश - कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, समय-समय पर संशोधित।

4.3.4 एसपीडी - मास्टर निदेश - स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016, समय-समय पर संशोधित।

4.3.5 एमजीसी - मास्टर निदेश - बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, समय-समय पर संशोधित।

4.3.6 एचएफसी - मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021, समय-समय पर संशोधित।

अध्याय II
परिभाषाएँ

5. परिभाषाएँ

5.1 इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

5.1.1 "विघटित मूल्य (break-up value)" का अर्थ है इक्विटी पूंजी तथा आरक्षित निधि, जिसे अमूर्त परिसंपत्तियों एवं पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि के रूप में घटाया गया है, व निवेशिती (इनवेस्टी) कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया है**;**

5.1.2 "वहन लागत (carrying cost)" का अर्थ है परिसंपत्तियों का बही मूल्य और उस पर उपचित ब्याज किंतु जो प्राप्त न हुआ हो;

5.1.3 कंपनी' का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधान के तहत पंजीकृत कोई कंपनी;

5.1.4 ग्रुप में कंपनी अर्थात, किसी निम्नलिखित संबंध के माध्यम से दो अथवा दो से अधिक संस्थाओं का एक दूसरे के साथ संबंध-व्यवस्था : सहायक – मूल (एएस 21 के नियमानुसार वर्णित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के नियमानुसार वर्णित), सहयोगी (एएस 23 के नियमानुसार वर्णित), प्रोमोटर-प्रोमोटी, सूची बद्ध कंपनियों के लिए (सेबी द्वारा उपलब्ध कराया गया (शेयरों का अधिग्रहण तथा कब्जा) विनियमन 1997 के अनुसार), संबंधित पार्टी (एएस 23 के नियमानुसार वर्णित), कॉमन ब्रॉड नाम तथा 20% और उससे अधिक इक्विटी शेयर में निवेश;

5.1.5 "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियमन 2 के उप विनियमन (1) खंड (इ) में दिया गया है;

5.1.6 "वर्तमान निवेश (current investment)" अर्थात ऐसा निवेश जिसे तुरंत भुनाया जा सके और निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि तक धारित न किए जाने के लिए हो;

5.1.7 "ग्राहक इंटरफेस" अर्थात कारोबार गतिविधि करते समय एनबीएफसी और इसके ग्राहकों के बीच बातचीत।

5.1.8 लाभांश भुगतान अनुपात, जिस वित्तीय वर्ष के लाभांश प्रस्तावित है उस वित्तीय वर्ष में देय लाभांश की राशि और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार नि वल लाभ के बीच का अनुपात है। प्रस्तावित लाभांश में इक्विटी शेयरों और टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर पर लाभांश शामिल होंगे। यदि प्रासंगिक अवधि के लिए नि वल लाभ में कोई विशेष और/या असाधारण लाभ/आय शामिल है या वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा योग्य हैं ('मामले पर जोर' सहित) जो निवल लाभ के अधिक विवरण को इंगित करता है, लाभांश भुगतान अनुपात का निर्धारण करते समय इसे निवल लाभ से घटा दिया जाएगा।

5.1.9 ;"अर्जन मूल्य" का अर्थ है इक्विटी शेयरों का वह मूल्य जिसकी गणना करोत्तर लाभों के औसत तथा अधिमानी लाभांश को घटाते हुए तथा असाधारण एवं गैर-आवर्ती मदों को समायोजित करते हुए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के

लिए की गई हो और उसे निवेशिती कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया हो तथा जिसे निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया गया होः

(ए) प्रमुखतः विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत

(बी) प्रमुखतः व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और

(सी) एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी : यदि निवेशिती कंपनी घाटे वाली कंपनी है तो अर्जन मूल्य शून्य पर लिया जाएगा;

5.1.10 "उचित मूल्य" का अर्थ है अर्जन मूल्य और विघटित मूल्य का औसत

5.1.11 “संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह" का अर्थ दो या दो से अधिक (प्राकृतिक या कानूनी) व्यक्ति हैं, जो निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा करते हैं:

(i) नियंत्रण संबंध: एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे (रों) पर नियंत्रण होता है, या ऐसे व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष के सामान्य नियंत्रण में होते हैं (इस पर ध्यान दिए बिना कि एनबीएफसी का तीसरे पक्ष को एक्सपोजर है या नहीं)। नियंत्रण संबंध मानदंड स्वत: संतुष्ट माने जाएंगे यदि एक इकाई के पास दूसरी इकाई के 50 प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार होते हैं;

(ii) आर्थिक अंतर निर्भरता: आर्थिक अन्योन्याश्रयता के आधार पर संबंध स्थापित करने में एनबीएफसी-यूएल को कम से कम निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करना चाहिए:

(a) जहां एक प्रतिपक्षकार की सकल प्राप्तियों या सकल व्यय का 50% या अधिक (वार्षिक आधार पर) दूसरे प्रतिपक्षकार के साथ लेनदेन से प्राप्त होता है;

(b) जहां एक प्रतिपक्षकार ने दूसरे प्रतिपक्षकार के एक्सपोजर की पूरी या आंशिक गारंटी दी है, या अन्य माध्यमों से उत्तरदायी है, और एक्सपोजर इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई दावा होता है तो गारंटर के चूक करने की संभावना है;

(c) जहां एक प्रतिपक्षकार के उत्पादन/उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरे प्रतिपक्षकार को बेचा जाता है, जिसे आसानी से अन्य ग्राहकों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है;

(d) जब दोनों प्रतिपक्षकारों के ऋणों को चुकाने के लिए निधि का अपेक्षित स्रोत समान हो और किसी भी प्रतिपक्षकार के पास आय का कोई अन्य स्वतंत्र स्रोत न हो जिससे ऋण अदा किया जा सके और पूरी तरह से चुकाया जा सके;

(e) जहां यह संभावना हो कि एक प्रतिपक्षकार की वित्तीय समस्याएं अन्य प्रतिपक्षकारों के लिए देयताओं के पूर्ण और समय पर पुनर्भुगतान के मामले में कठिनाइयों का कारण बनेंगी;

(f) जहां एक प्रतिपक्षकार का दिवाला या चूक दूसरे पक्ष के दिवालियेपन या चूक से संबद्ध होने की संभावना है;

(g) जब दो या दो से अधिक प्रतिपक्षकार अपने अधिकांश वित्त पोषण के लिए एक ही स्रोत पर भरोसा करते हैं और, समान प्रदाता की चूक की स्थिति में, वैकल्पिक प्रदाता नहीं मिल पाता है - इस मामले में, एक ही मुख्य निधि स्रोत पर एकतरफा या दोतरफा निर्भरता के कारण एक प्रतिपक्षकार की निधीयन संबंधी समस्याएं दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं।

(h) ऐसे मामलों से बचने के लिए जहां आर्थिक अन्योन्याश्रितताओं की गहन जांच एक्सपोजर के आकार के अनुपात में नहीं होगी, एनबीएफसी-यूएल से उन सभी मामलों में आर्थिक अन्योन्याश्रयता के आधार पर संभावित संबद्ध प्रतिपक्षकारों की पहचान करने की अपेक्षा की जाती है, जहां सभी एक्सपोजर का योग एक वैयक्तिक प्रतिपक्षकार पात्र पूंजी आधार के 5% से अधिक है, और अन्य मामलों में ऐसा नहीं है।

5.1.12 "संमिश्र ऋण (hybrid debt)" का अर्थ है ऐसा पूंजीगत लिखत जिसमें इक्विटी तथा ऋण की कतिपय विशेषताएं हों;

5.1.13 आईडीएफ़-एनबीएफ़सी का मतलब है जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली एनबीएफ़सी जिसको – (i) प्रारंभ होने के बाद परिचालन तिथि (सीओडी) वाली उन बुनियादी परियोजनाओं को पुनर्वित्त करने जिन्होंने कम से कम एक वर्ष का संतोषजनक वाणिज्यिक संचालन पूरा कर लिया है; और (ii) प्रत्यक्ष ऋणदाता के रूप में टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) परियोजनाओं के वित्तपोषण की अनुमति है।

5.1.14 'अवसंरचना ऋण' का अर्थ है किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा मीयादी ऋण, एक परियोजना वित्त पैकेज के रूप में अधिग्रहित परियोजना कंपनी में बॉण्ड/डिबेंचर/अधिमान शेयर/इक्विटी शेयर के लिए परियोजना ऋण के रूप में उधारकर्ता को इसप्रकार दिया जाना कि सदस्यता राशि "अग्रिम राशि के रूप में हो" अथवा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचितअवसंरचना उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर के लिए लंबी अवधि के लिए निधियन सुविधा के रूप में हो।

5.1.15 बृहद एक्सपोजर" ("एलई") का अर्थ है किसी एनबीएफसी-यूएल के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग, जिसकी प्रतिपक्षकार और/या संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के लिए, इन अनुदेशों के पैराग्राफ 110.6 के अनुसार गणना की जाती है, बशर्ते यदि यह एनबीएफसी-यूएल के पात्र पूंजी आधार के बराबर है या 10 प्रतिशत से अधिक है।

5.1.16 "दीर्घावधि निवेश" का अर्थ है वर्तमान निवेश से इतर निवेश;

5.1.17 "प्रमुख शेयरधारक" शब्द का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी का 10% या अधिक या प्रदत्त शेयरों में पांच करोड़ रुपए, जो भी कम हो, धारण करना होगा।

5.1.18 "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - फैक्टर (एनबीएफसी-फैक्टर)" का अर्थ है एक ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (एफ) की परिभाषा के अनुसार हो, जिसका प्राथमिक कारोबार इन निर्देशों के पैराग्राफ 123 की परिभाषा के अनुसार हो और जिसे फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

5.1.19 "निवेश और ऋण कंपनी- (एनबीएफसी-आईसीसी)"का तात्पर्य है आस्ति वित्त के रूप में अर्थात ऋण अथवा अग्रिम अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य को किसी गतिविधि को संचालित करने और प्रतिभूति प्रापण के लिए वित्त प्रदान करने का प्रमुख कारोबार करने वाली कोई ऐसी कंपनी जो एक वित्तीय संस्था हो बैंक के मास्टर निदेश में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई अन्य प्रकार की एनबीएफसी नहीं।

5.1.20 "अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्त कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी)" का अर्थ उस जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है जो अपनी कुल परिसंपत्तियों के न्यूनतम 75% को इंफ्रास्ट्रक्चर ऋणों में नियोजन करती हो ।

5.1.21 "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई)": का अर्थ है जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसने अपनी कुल परिसंपत्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत "सूक्ष्म वित्त ऋण" के लिए लगाया है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022 के तहत परिभाषित किया गया है।

5.1.22 "निवल परिसंपत्ति मूल्य" का अर्थ है किसी खास योजना के संबंध में संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित अद्यतन निवल परिसंपत्ति मूल्य;

5.1.23 "निवल बही मूल्य" का अर्थ है

(i) किराया खरीद परिसंपत्ति के मामले में, अतिदेयों तथा प्राप्य भावी किस्तों की कुल राशि, जिनमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों की रकम घटाई गई हो तथा इन निदेशों के पैराग्राफ 15.2 के प्रावधानों के अनुसार आगे और घटाई गई हो;

(ii) पट्टाकृत परिसंपत्ति के मामले में, प्राप्य राशि के रूप में लेखाकृत पट्टे के अतिदेय किरायों के पूंजीकृत अंश की कुल रकम और पट्टे की परिसंपत्ति का ह्रासित बही मूल्य जिसे पट्टा समायोजन खाते की रकम में समायोजित किया गया है।

5.1.24 गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) अर्थात बैंक द्वारा जारी "**निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश**" में संदर्भित जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली एनबीएफसी से है जो लागू विनियामक आदेशों के तहत अनुमत सीमा तक, बैंकिंग कंपनी अथवा इस समूह की अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं, जो चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय विनियामक द्वारा विनियमित हो, के शेयर पर अधिकारी होगी।

5.1.25 "स्वाधिकृत निधि" से तात्पर्य है:

(i) चुकता इक्विटी पूंजी,

(ii) अधिमानी शेयर जो अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तनीय हों,

(iii) मुक्त आरक्षित निधियां,

(iv) शेयर प्रीमियम खाते में शेष और

(v) पूंजीगत आरक्षित निधि जो परिसंपत्ति के बिक्री आगमों से होनेवाले अधिशेष को दर्शाती है, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधियों को छोड़कर, और निम्नलिखित को घटाकर

(vi) संचित हानि राशि,

(vi) अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य और

(viii) आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो;

5.1.26 इन निदेशों के प्रयोजन के लिए "जनता की जमाराशि" का अर्थ मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया अर्थ होगा।

5.1.27 "सार्वजनिक निधि" जनता की जमाराशि के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुटाया गया राशि, अंतर कार्पोरेट बॉण्ड, बैंक फाइनेंस तथा वाणिज्यिक पत्र, ऋण पत्र आदि के माध्यम से बाह्य स्रोतों से जुटाई गई सभी प्रकार की निधि शामिल है, किंतु जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की समावधि तक के लिए अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय लिखतों द्वारा जारी निधि इसमें शामिल नहीं है।

5.1.28 आरबीआई अधिनियम, 1934" का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) से है।

5.1.29 "रिश्तेदार" शब्द का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77) के तहत दिया गया है।

5.1.30 "रिज़र्व बैंक" का तात्पर्य आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अंतर्गत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक से है।

5.1.31 "वरिष्ठ अधिकारी" शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत "वरिष्ठ प्रबंधन" का है।

5.1.32 "गौण ऋण" का अर्थ है पूर्णतः चुकता लिखत, जो गैर-जमानती होता है और अन्य ऋणदाता के दावों के अधीन होता है और प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा एनबीएफसी के पर्यवेक्षी प्राधिकारी की सहमति के बिना विमोच्य नहीं होता है। ऐसे लिखत का बही मूल्य निम्नानुसार पुनर्भुनाई के अधीन होगाः

लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि	बट्टा दर
एक वर्ष तक	100%
एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष तक	80%
दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक	60%
तीन वर्ष से अधिक किंतु चार वर्ष तक	40%
चार वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक	20%

ऐसी भुनाई का मूल्य टियर-। पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक न हो;

5.1.33 "पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता, जिस पर अदा की गई रकम कंपनी की चुकता पूंजी अथवा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है;

5.1.34 एनबीएफसी के लिए "टियर-I पूंजी" (एनबीएफसी-बीएल के अतिरिक्त) का अर्थ निम्न का योग है :

(i) ऐसी स्वाधिकृत निधि में से अन्य एनबीएफसी के शेयरों और किराया खरीद तथा किए गए पट्टा वित्तपोषण एवं सहायक कंपनियों तथा उसी समूह की कंपनियों में रखी जमाराशियों सहित शेयरों, डिबेंचरों, बाण्डों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक निवेश, सकल रूप में, घटाया गया है; और

(ii) जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए गए शाश्वत ऋण लिखत, इस सीमा तक कि यह पिछले लेखा वर्ष के 31 मार्च को ऐसी कंपनी की कुल टियर 1 पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

नोट – एनबीएफसी-बीएल अपनी टियर 1 पूंजी में शाश्वत ऋण उपकरणों को शामिल करने के लिए पात्र नहीं हैं।

5.1.35 "टियर -II पूंजी" में निम्नलिखित शामिल हैः

(i) उनसे इतर अधिमानी (प्रीफरेंस) शेयर जो इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;

(ii) 55 प्रतिशत की भुनाई /घटी दर पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि;

(iii) सामान्य प्रावधान (मानक आस्तियों सहित) एवं उस सीमा तक हानि आरक्षित निधि जो किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा उसमें ज्ञातव्य संभावित हानि के कारण नहीं है और ये अप्रत्याशित हानि की पूर्ति के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहती हैं;

(iv) संमिश्र (हाइब्रिड) ऋण पूंजी लिखत;

(v) गौण ऋण; और

(vi) जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए शाश्वत ऋण लिखत जो टियर 1 पूंजी के लिए अर्हता प्राप्त राशि से अधिक हैं;

जहां तक कुल मिलाकर टियर 1 पूंजी से अधिक नहीं है।

नोट – एनबीएफसी-बीएल अपनी टियर 2 पूंजी में शाश्वत ऋण लिखतों को शामिल करने के लिए पात्र नहीं हैं।

5.2 इन निदेशों में जिस शब्द या अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आरबीआई अधिनियम, 1934 में परिभाषित है, का आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत उन्हें दिया गया अर्थ माना जाएगा। कोई भी शब्द या भाव आरबीआई अधिनियम, 1934 में परिभाषित नहीं किया गया हो तो उसका अर्थ फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 के तहत उसे दिया गया अर्थ माना जाएगा। इन निदेशों में प्रयुक्त कोई भी शब्द या भाव यदि इस निदेश या आरबीआई अधिनियम, 1934 या फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 या रिज़र्व बैंक बैंक द्वारा जारी किए गए निदेश में से किसी में परिभाषित नहीं किया गया हो तो उसका अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), जो भी मामला हो, के तहत उसे दिया गया अर्थ माना जाएगा।

भाग II
एनबीएफसी-बीएल के लिए लागू विनियम

अध्याय III
पंजीकरण

5A. मुख्य व्यवसाय

कोई भी कंपनी जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45आई(सी) के साथ धारा 45आई(एफ) में परिभाषित मुख्य व्यवसाय के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय करती है, उसे एनबीएफसी माना जाएगा और उसे अधिनियम की धारा 45आईए के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होगी। आरबीआई अधिनियम, 1934 में मुख्य व्यवसाय शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, किसी कंपनी को एनबीएफसी के रूप में पहचानने के लिए, 08 अप्रैल, 1999 की प्रेस विज्ञप्ति 1998-99/1269 में निर्धारित मुख्य व्यवसाय मानदंड का संदर्भ दिया जाएगा, जो कंपनी की अंतिम ऑडिट की गई बैलेंस शीट से प्रमाणित परिसंपत्तियों और आय पैटर्न दोनों पर विचार करता है, और यह निम्नानुसार है:

किसी कंपनी को NBFC माना जाएगा, यदि उसकी वित्तीय परिसंपत्तियाँ उसकी कुल परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा शुद्ध) के 50 प्रतिशत से अधिक हैं और वित्तीय परिसंपत्तियों से आय उसकी सकल आय के 50 प्रतिशत से अधिक है। किसी कंपनी के मुख्य व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए इन दोनों परीक्षणों को निर्धारक कारक के रूप में संतुष्ट किया जाना आवश्यक है।

6 निवल स्वाधिकृत निधि

6.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 –आईए, उप-धारा (1) खंड (बी) की शक्तियों और इस संबंध में प्रदत्त समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक, इसके द्वारा निवल स्वाधिकृत निधि(एनओएफ़) को रुपए दस करोड़ निर्दिष्ट करता है जो एनबीएफसी-आईसीसी, एनबीएफसी-एमएफआई और एनबीएफसी-फैक्टर को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने या जारी रखने हेतु आवश्यक होगा। एनबीएफसी-पी2पी, एनबीएफसी-एए और सार्वजनिक निधियों का लाभ न उठाने वाली तथा ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी के लिए एनओएफ 2 करोड़ रुपये होगा। एनबीएफसी-आईएफसी और आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए एनओएफ 300 करोड़ रुपये होगा।

6.2 मौजूदा एनबीएफसी, जैसे एनबीएफसी-आईसीसी, एनबीएफसी-एमएफआई[5] और एनबीएफसी-फैक्टर के लिए 10 करोड़ रुपये का एनओएफ हासिल करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी पथ प्रदान किया गया है:

एनबीएफसी	वर्तमान एनओएफ़	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2027 तक
एनबीएफ़सी-आईसीसी	₹2 करोड़	₹5 crore	₹10 करोड़

[5] यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत एनबीएफसी के लिए एनओएफ आवश्यकता में कोई अंतर नहीं होगा।

एनबीएफ़सी-एमएफ़आई	₹5 करोड़ (उत्तर पूर्व क्षेत्र में ₹2 करोड़)	₹7 करोड़ (उत्तर पूर्व क्षेत्र में ₹5 करोड़)	₹10 करोड़
एनबीएफसी-फैक्टर्स	₹5 करोड़	₹7 करोड़	₹10 करोड़

6.3 निर्धारित समय अवधि के भीतर निर्धारित स्तर को प्राप्त करने में असफल होने पर ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण प्रमाण अपने पास रखने के लिए पात्र नहीं होगी।

7 वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश – एनबीएफसी की एनओएफ की गणना

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के अनुसार, एनओएफ पर पहुंचने के लिए सहायक, उसी समूह की कंपनियों और अन्य एनबीएफसी को चुकता इक्विटी पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों के कुल 10 प्रतिशत से अधिक निवेश/ऋण/एक्सपोजर की कटौती की जाती है। एनओएफ आंकड़े पर पहुंचने के संदर्भ में, एनबीएफसी द्वारा एक ही समूह की संस्थाओं में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के माध्यम से किए गए निवेश को समान माना जाएगा, बशर्ते एआईएफ (कंपनी के रूप में) में निधि एनबीएफसी से 50 प्रतिशत या उससे अधिक की सीमा तक आया हो; या जहां एआईएफ (ट्रस्ट के रूप में) के मामले में लाभकारी मालिक एनबीएफसी है और ट्रस्ट में 50 प्रतिशत निधि एनबीएफसी से आया है। इस उद्देश्य के लिए" लाभार्थी स्वामित्व" का अर्थ होगा ट्रस्ट में निर्णय लेने एंव प्रभावित करने की शक्ति एंव क्षमता रखने वाला तथा ट्रस्ट की गतिविधियों के बाहर से उत्पन्न होने वाले लाभ का लाभार्थी होना। एनओएफ तक पहुंच बनाने के लिए, आकार से पहले सार होगा।

8 [6]एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से निवेश

एफएटीएफ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफसी में निवेश को एफएटीएफ अनुपालित[7] क्षेत्राधिकारों से एनबीएफसी में निवेश के समान नहीं माना जाएगा। एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से अथवा उसके माध्यम से नए निवेशकों को, चाहे वह मौजूदा एनबीएफ़सी हो अथवा पंजीकरण प्रमाणीकरण (COR) की मांग करने वाली कंपनियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निवेशिती में लागू लेखांकन मानकों में दी गई परिभाषानुसार 'पर्याप्त प्रभाव' प्राप्त नहीं करने देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ऐसे क्षेत्रों से नए निवेशक (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष) सकल रूप में एनबीएफ़सी के वोटिंग अधिकार (संभावित वोटिंग अधिकार सहित[8]) के 20 प्रतिशत की सीमा से कम होने चाहिए।

[6] 12 फरवरी 2021 के परिपत्र संख्या विवि.केंका.एलआईसी.कंपरि.सं.119/03.10.001/2020-21

[7] वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है: i) कार्रवाई के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार, और ii) बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्राधिकार । ऐसा क्षेत्राधिकार, जिसका नाम उपरोक्त दो सूचियों में शामिल नहीं है, को एफएटीएफ अनुपालित क्षेत्राधिकार माना जाएगा।

[8] संभावित मतदान शक्ति ऐसे लिखतों से उत्पन्न हो सकती है, जो इक्विटी में परिवर्तनीय हैं, आकस्मिक मताधिकार वाले अन्य लिखत, संविदात्मक व्यवस्थाएं, आदि जो भविष्य में निवेशकों को मताधिकार (आकस्मिक मताधिकार सहित) प्रदान करते हैं । ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एफएटीएफ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से नए निवेश (i) मौजूदा मतदान शक्तियों के 20 प्रतिशत और (ii) संभावित मताधिकार को मूर्त रूप देने वाले मौजूदा और संभावित मतदान शक्तियों के 20 प्रतिशत दोनों से कम हैं ।

अध्याय IV
प्रूडेंशियल विनियम

9.1 लीवरेज़ अनुपात- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई और एनबीएफसी-एमएल और ऊपर के अतिरिक्त) पर लागू किसी भी लीवरेज़ अनुपात किसी भी समय 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी: लिवरेज़ अनुपात अर्थात कुल वाह्य देयताएं/स्वाधिकृत निधियां।

9.2 टियर-I पूंजी- ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (इस तरह के ऋण उनकी वित्तीय आस्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक हो) के संबंध में जो प्राथमिक तौर पर सोने के आभुषण के बदले उधार देने में लगे हुए हैं; ऐसी कंपनियों को न्यूनतम टियर I पूंजी उसके तुलन पत्र की समग्र जोखिम भारित आस्तियों और तुलन पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य का 12 प्रतिशत आरक्षित करना होगा। पूंजी पर्याप्तता के लिए तुलनपत्र की परिसंपत्तियों और तुलनपत्र से इतर परिसंपत्तियों के साथ व्यवहार पैराग्राफ 84 और 85 में प्रदान किया गया है। ये एनबीएफसी पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं के व्यवहार पर निर्देशों के पैराग्राफ 86 में प्रावधानों का भी पालन करेंगे।

10 [9]लेखांकन मानक

एनबीएफसी जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को लागू करने की आवश्यकता है, वे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करेंगे और इन निदेशों के अनुबंध II में निर्दिष्ट नियामक मार्गदर्शन का पालन करेंगे। प्रकटीकरण इन निदेशों में निर्दिष्ट खातों के लिए नोट्स की आवश्यकताएं लागू रहेंगी। अन्य एनबीएफसी अधिसूचित लेखा मानकों (एएस) की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी जहां तक वे इनमें से किसी भी निर्देश के साथ असंगत नहीं हैं।

11. निवेशों का लेखांकन

11.1 मूल्यांकन के उद्देश्य से, उद्धृत चालू निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों के समूह में रखा जाएगा, अर्थात्

(i) इक्विटी शेयर,

(ii) अधिमानी शेयर,

(iii) डिबेंचर और बाण्ड,

(iv) खज़ाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां,

(v) पारस्परिक निधियों की यूनिटें, और

(vi) अन्य।

---

[9] 13 मार्च 2020 के परिपत्र विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 और 24 जुलाई 2020 के परिपत्र विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.116/22.10.106/2020-21

11.2 प्रत्येक श्रेणी हेतु उद्धृत चालू निवेश का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। इस प्रयोजन से, प्रत्येक श्रेणी का निवेश शेयर-वार देखा जाएगा और प्रत्येक श्रेणी के सभी निवेशों की लागत एवं बाजार मूल्य को एकीकृत किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से कम है, तो निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा अथवा लाभ-हानि खाते में उसे प्रभारित किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से अधिक है, तो निवल वृद्धि को नजरअंदाज किया जाएगा। एक श्रेणी के निवेश के मूल्यह्रास को अन्य श्रेणी की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

11.3 चालू निवेशों के रूप में अनुद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अलग-अलग मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। तथापि, एनबीएफसी, आवश्यक समझने पर, शेयरों के अलग-अलग मूल्य के स्थान पर उचित मूल्य रख सकती हैं। जहां निवेश प्राप्त कंपनी के पिछले दो वर्ष के तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन एक रुपए मात्र पर किया जाएगा।

11.4 चालू निवेशों की प्रकृति के अनुद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा।

11.5 अनुद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी गारंटीकृत बाण्डों में निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

11.6 पारस्परिक निधि की यूनिटों में चालू स्वरूप के अनुद्धृत निवेशों का मूल्यांकन पारस्परिक निधि द्वारा प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाएगा।

11.7 वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

11.8 दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से अनुद्धृत डिबेंचरों को मीयादी ऋण के रूप में अथवा अन्य ऋण सुविधाओं के रूप में माना जाएगा जो इस प्रकार के डिबेंचरों की अवधि पर निर्भर करेगा।

12 आय निर्धारण

12.1 आय निर्धारण मान्यताप्राप्त लेखा सिद्धांतों पर आधारित होगा।

12.2 ब्याज/बट्टा/किराया- प्रभार /पट्टा किराया सहित आय अथवा एनपीए पर किसी अन्य प्रभार को गणना में तभी लिया जाएगा जब वह वास्तव में प्राप्त हो गया हो। ऐसी कोई भी आय जिसकी गणना परिसंपत्ति के अनर्जक बनने से पहले कर ली गई हो और वसूली न गई हो तो उसे उसमें से घटा दिया जाएगा।

12.3 ऐसे ऋणों के मामलों में जहां ब्याज की अदायगी के लिए अधिस्थगन प्रदान किया गया है, ब्याज आय को उन खातों के लिए उपचय आधार पर मान्यता दी जा सकती है जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी है। एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल के लिए, इसका मूल्यांकन परिपत्र 'तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान

के लिए विवेकपूर्ण ढांचा' दिनांक 7 जून, 2019 के अनुबंध -1 के पैराग्राफ 1 में प्रदान की गई 'पुनर्रचना ' की परिभाषा के खिलाफ किया जाएगा।

12.4 यदि ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन के साथ ऋण (ऋण की मंजूरी के समय अनुमत) अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद एनपीए बन जाता हैं तो ऐसी अधिस्थगन अवधि के दौरान उपचित ब्याज से संबन्धित पूंजीकृत ब्याज को पलटने की आवश्यकता नहीं है।

13 निवेशों से प्राप्त आय

13.1 कंपनी निकायों के शेयरों और म्युचुअल निधियों की यूनिटों के लाभांश से होने वाली आय की गणना नकदी के आधार पर की जाएगी;

बशर्ते कि कंपनी निकाय द्वारा अपने वार्षिक आम बैठक में इस प्रकार के लाभांश घोषित किए जाने पर कंपनी निकायों के शेयरों पर लाभांश से होने वाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाएगी और एनबीएफसी का भुगतान प्राप्त करने से संबंधित अधिकार साबित हो जाए।

13.2 कंपनी निकायों के बाण्डों एवं डिबेंचरों तथा सरकारी प्रतिभूतियों/बाण्डें से होनेवाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाए

बशर्ते इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व-निर्धारित हो और ब्याज का भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो और वह बकाया पर न हो।

13.3 कंपनी निकायों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों से होने वाली आय, ब्याज भुगतान और मूलधन की चुकौती जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हो, उसकी गणना उपचय के आधार पर की जाए।

14. आस्ति वर्गीकरण

निम्नानुसार आस्ति वर्गीकरण मानदंड सभी 'लागू' एनबीएफ़सी पर लागू होंगे (अर्थात एनबीएफसी-एमएल और उस से ऊपर एवं एनबीएफ़सी-एमएफ़आई के सूक्ष्म वित्त ऋण को छोडकर):

लागू एनबीएफसी, स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋण की कमियों (क्रेडिट वीकनेस) की डिग्री एवं वसूली हेतु संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, पट्टा/किराया खरीद आस्तियां, ऋण और अग्रिमों तथा किसी अन्य प्रकार के ऋण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करें, अर्थात्

(i) मानक परिसंपत्तियां/आस्तियां,

(ii) अवमानक परिसंपत्तियां/आस्तियां,

(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां/आस्तियां, और

(iv) हानि वाली परिसंपत्तियां/आस्तियां।

उपर्युक्त परिसंपत्तियों की श्रेणी, मात्र पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण इनको अपग्रेड (उन्नयन) नहीं किया जाएगा, जब तक परिसंपत्तियां अनर्जक अपग्रेडेशन (उन्नयन) के लिए अपेक्षित शर्तें पूरा नहीं करती हो ।

14.1.1 "मानक परिसंपत्ति" का अर्थ ऐसी परिसंपत्ति है जिसकी चुकौती या मूल रकम या ब्याज के भुगतान में कोई चूक न हुई हो और जिसमें किसी प्रकार की समस्या न हो और न ही उस कारोबार के सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम हो;

14.1.2 "अवमानक परिसंपत्ति" का अर्थ हैः

(i) ऐसी परिसंपत्ति जिसे अधिक-से-अधिक 18 महीने की अवधि के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

(ii) ऐसी परिसंपत्ति जिसके ब्याज और/अथवा मूलधन से संबंधित करार की शर्तों का परिचालन शुरू होने के बाद पुनः सौदाकृत अथवा पुनर्निर्धारित अथवा पुनर्संरचनाकृत शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक पुनः सौदा किया गया हो अथवा शर्तें पुनर्निर्धारित अथवा शर्तों की पुनर्संरचना की गई होः

बशर्ते अवमानक परिसंपत्ति के रूप में आधारिकसंरचना ऋण का वर्गीकरण निदेशों के पैराग्राफ 17 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;

14.1.3 "संदिग्ध परिसंपत्ति**"** का अर्थ है**:**

(i) मियादी ऋण**,** या

(ii) पट्टा परिसंपत्ति**,** या

(iii) किराया खरीद परिसंपत्ति**,** या

(iv) कोई अन्य परिसंपत्ति**,**

जो 18 माह से अधिक समय के लिए अवमानक परिसंपत्ति रहती है**;**

14.1.4 "हानि वाली परिसंपत्ति" का अर्थ हैः

(i) ऐसी परिसंपत्ति जिसे एनबीएफसी द्वारा अथवा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अथवा एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान बैंक द्वारा हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में उस सीमा तक पहचाना गया है और जिस सीमा तक एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते नहीं डाला गया है; और

(ii) ऐसी परिसंपत्ति जो प्रतिभूति मूल्य में या तो क्षरण के कारण अथवा प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा उधारकर्ता के धोखाधड़ी पूर्ण कृत्य या चूक के कारण वसूल न हो पाने की संभावित खतरे से (विपरीत रूप से) प्रभावित हो;

14.2 एनपीए वर्गीकरण- मौजूदा एनपीए वर्गीकरण मानदंड एनबीएफसी की सभी श्रेणियों के लिए 90 दिनों से अधिक की अतिदेय अवधि में बदल गया है। बेस लेयर में एनबीएफसी को 90 दिनों के एनपीए मानक का पालन करने के लिए एक समय सीमा प्रदान किया गया है–

एनपीए मानदंड	समय-सीमा
>150 दिन अतिदेय अवधि	31 मार्च, 2024 तक
>120 दिन अतिदेय अवधि	31 मार्च, 2025 तक
> 90 दिन	31 मार्च, 2026 तक

व्याख्या: उक्त समय-सीमा ऐसे एनबीएफसी पर लागू नहीं होगा जिनसे पहले से ही 90 दिन के एनपीए मानक का पालन करना आवश्यक है।

14.3 लागू एनबीएफ़सी के लिए "अनर्जक परिसंपत्ति" (एनपीए) का अर्थ हैः

(i) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर ब्याज 180 दिनों से अधिक समय से बकाया हो;

(ii) अदत्त ब्याज-सहित ऐसा मीयादी ऋण, जिसकी किस्त छह या उससे अधिक महीने से बकाया हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम 180 दिनों से अधिक समय से बकाया हो;

(iii) ऐसा मांग अथवा सूचना ऋण, जो मांग या सूचना की तारीख से छह महीने या उससे अधिक समय से बकाया हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम 180 दिनों से अधिक समय से बकाया हो;

(iv) ऐसा बिल जो 180 दिनों से अधिक समय से बकाया हो;

(v) अल्पावधि ऋण/अग्रिम के रूप में 'अन्य चालू परिसंपत्तियां' शीर्ष के अंतर्गत कर्ज से संबधित ब्याज अथवा प्राप्य राशि से होने वाली आय, जो 180 दिनों से अधिक समय से बकाया हो;

(vi) परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गई सेवाओं के लिए अथवा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई बकाया, जो 180 दिनों से अधिक समय से बकाया हो;

(vii) पट्टा किराया और किराया खरीद किस्त, जो 180 दिनों से अधिक समय से बकाया हो;

(viii) ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में (खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित), एक ही उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाओं (उपचित ब्याज-सहित) के अंतर्गत शेष बकाया राशि जब उक्त ऋण सुविधाओं में से कोई एक अनर्जक परिसंपत्ति बन जाए:

बशर्ते पट्टा और किराया खरीद लेनदेन के मामले में, एनबीएफसी ऐसे प्रत्येक खाते को उसकी वसूली की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करें;

14.4 [10]लागू एनबीएफसी पर निम्नलिखित लागू होंगे

14.4.1 यदि एनबीएफसी द्वारा निर्धारित नियत तिथि पर किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस राशि को अतिदेय माना जाना चाहिए। ऋण की अदायगी, पुनर्भुगतान की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज का अलग-अलग विवरण, एसएमए/एनपीए वर्गीकरण तिथियों के उदाहरण आदि ऋण समझौतों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे और ऋण

[10] 12 नवंबर, 2021 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 और 15 फरवरी, 2022 के परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2021-22

स्वीकृति के समय और बाद में होने वाले परिवर्तनों, यदि कोई हो, के समय भी उधारकर्ता को ऋण की पूर्ण अदायगी तक मंजूरी की शर्तों/ऋण करारों से अवगत कराया जाएगा । मूलधन और/या ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन वाली ऋण सुविधाओं के मामलों में, पुनर्भुगतान शुरू करने की विशिष्ट तिथि भी ऋण करारों में निर्दिष्ट की जाएगी। मौजूदा ऋणों के मामले में, तथापि, इन निर्देशों का अनुपालन ऐसे ऋणों ऋणों के नवीकरण/समीक्षा होने पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा जब भी।

14.4.2 एनबीएफसी ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव को तत्काल चूक पर पहचानेंगी और ऐसी आस्तियों को नीचे विनिदष्ट श्रेणियों के अनुसार विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करेंगी

एसएमए उप श्रेणियां	**वर्गीकरण का आधार - लधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि पूरी तरह से या आंशिक रूप से अतिदेय**
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 180 दिनों तक

नोट: एसएमए-2 की अवधि को पैराग्राफ 14.2 में उल्लिखित समय-सीमा के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

14.4.3 उधारकर्ता खातों के एसएमए वर्गीकरण संबंधी उपर्युक्त निर्देश खुदरा ऋण सहित सभी ऋणों पर लागू होते हैं, चाहे ऋण देने वाली संस्था के एक्सपोजर का आकार(साइज़) कुछ भी हो।

14.4.4 उधारकर्ता खातों को ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा नियत तिथि पर अपनी कारोबार की समाप्ति की प्रक्रियाओं के अंतर्गत अतिदेय के रूप में चिन्हित किया जाएगा, चाहे ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन समय कुछ भी हो । इसी प्रकार, उधारकर्ता खातों का वर्गीकरण एसएमए और एनपीए के रूप में संबंधित तिथि पर कारोबार की समाप्ति के अंतर्गत किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण की तिथि समाप्ति प्रक्रिया चलायी जाने वाली संबन्धित कैलेंडर तिथि होगी। दूसरे शब्दों में, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में किसी खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को प्रतिबिंबित करेगी। इसके लिए उदाहरण इन निदेशों के पैराग्राफ 137 में दिए गए हैं।

14.4.5 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन के पूरे बकाया राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही 'मानक' आस्ति के रूप में उन्नयित किया जा सकता है। एक से अधिक ऋण सुविधा रखने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, सभी ऋण सुविधाओं से संबंधित ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया के पुनर्भुगतान पर ही ऋण खातों को एनपीए से मानक आस्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा। पुनर्गठन, वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तिथि (डीसीसीओ) की गैर-प्राप्ति, आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन के संबंध में ऐसे मामलों के लिए निर्दिष्ट निर्देश लागू होते रहेंगे।

14.5.6 एसएमए/ एनपीए पर उपभोक्ता शिक्षा

उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, एनबीएफसी अतिदेय की तिथि की अवधारणाएं, एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन, दिन के अंत की प्रक्रिया के विशिष्ट संदर्भ सहित उदाहरणों से समझाते हुए उपभोक्ता

शिक्षण साहित्य को अपनी वेबसाइटों पर रखेंगी । ऋण देने वाली संस्थाएं पोस्टर और/या अन्य उपयुक्त माध्यमों से ऐसी उपभोक्ता शिक्षण साहित्य को अपनी शाखाओं में प्रदर्शित करने पर भी विचार कर सकती हैं । इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके अग्रपंक्ति (फ्रंट लाइन) अधिकारी ऋणों की स्वीकृति/वितरण/नवीकरण के समय उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋणों के संबंध में इन सभी अवधारणाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करें।

15 प्रावधानीकरण अपेक्षाएं

सभी एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई के सूक्ष्म वित्त ऋण को छोडकर) पर निम्नानुसार प्रावधानीकरण अपेक्षाएं लागू होंगी।

एनबीएफसी, किसी खाते के अनर्जक हो जाने, उसके अनर्जक हो जाने के बीच लगने वाले समय, जमानत राशि की वसूली तथा उस समय में प्रभारित जमानती राशि के मूल्य में हुए क्षरण को ध्यान में रखकर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तियों के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेंगी।

15.1 खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋण, अग्रिम और अन्य ऋण सुविधाएं

खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगाः

<table>
<tr><td>हानिवाली परिसंपत्तियां</td><td colspan="2">समस्त परिसंपत्ति बट्टे खाते डाली जाएगी।यदि किसी कारण से परिसंपत्तियोंको बहियों में बने रहने दिया जाता है तो बकाया के लिए 100% प्रावधान किया जाए;</td></tr>
<tr><td rowspan="6">संदिग्ध परिसंपत्तियां</td><td colspan="2">(ए) अग्रिम के उस भाग के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा जो उस जमानत के वसूलीयोग्य मूल्य से पूरा नहीं होता है जिसका एनबीएफसी के पास वैध उपाय है। वसूली योग्य मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया जाना है;</td></tr>
<tr><td colspan="2">बी) उपर्युक्त मद (ए) के साथ-साथ, परिसंपत्ति के संदिग्ध बने रहने की अवधि को देखते हुए जमानती भाग के 20% से 50% तक के लिए (अर्थात् बकाया का आकलित वसूली योग्य मूल्य) निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाएगाः</td></tr>
<tr><td>जिस अवधि तक परिसंपत्ति को संदिग्ध माना गया</td><td>प्रावधान का प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>एक वर्ष तक</td><td>20</td></tr>
<tr><td>एक से तीन वर्ष तक</td><td>30</td></tr>
<tr><td>तीन वर्ष से अधिक</td><td>50</td></tr>
<tr><td>अवमानक परिसंपत्तियां</td><td colspan="2">कुल बकाया का 10% का सामान्य प्रावधान किया जाएगा।</td></tr>
</table>

15.2 पट्टा और किराया खरीद परिसंपत्तियां- किराया खरीद और पट्टेवाली परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगाः

15.2.1 **किराया खरीद परिसंपत्तियां**: किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, कुल बकाया (बकाया और भविष्य की किस्तों को मिलाकर) को निम्नानुसार घटाकर प्रावधान किया जाएगा

(i) लाभ-हानि खाता में वित्त प्रभार जमा नहीं करके और अपरिपक्व वित्त प्रभार के रूप में आगे ले जा करके; तथा

(ii) विचाराधीन अंन्डरलाईन (अंतर्निहित) परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य से ।

व्याख्या : इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए,

(i) परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य की गणना आनुमानिक (नोशनल) आधार पर परिसंपत्ति की मूल लागत में सीधे क्रम पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) से *20* प्रतिशत प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की दर से घटाकर की जाएगी; और

(ii) पुरानी परिसंपत्तियों के मामले में, मूल लागत वह लागत होगी जो उस परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई वास्तविक लागत होगी।

15.2.2 **किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों हेतु अतिरिक्त प्रावधान**

किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया जाएगाः

(ए) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने तक बकाया हो	शून्य
(बी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने से अधिक किंतु 24 महीने तक बकाया हो	निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत
(सी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 24 महीने से अधिक किंतु 36 महीने तक बकाया हो	निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत
(डी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 36 महीने से अधिक किंतु 48 महीने तक बकाया हो	निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत
(ई) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 48 महीने से अधिक समय से बकाया हो	निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत

15.2.3 किराया खरीद/पट्टाकृत परिसंपत्ति की अंतिम किस्त की नियत *समाप्ति* तारीख से 12 महीने का समय समाप्त हो जाने पर समस्त निवल बही मूल्य का पूरा प्रावधान किया जाएगा।

टिप्पणी

(1) किराया खरीद करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में रखी गई जमानत राशि/मार्जिन राशि अथवा जमानती राशि को यदि करार के अंतर्गत समान मासिक किस्तें निर्धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया गया है, तो उसे उक्त खण्ड (i) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में से घटाया जाए। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी भी जमानत राशि को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में जमानत के तौर पर रखी गई राशि तथा पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी जमानत का मूल्य, दोनों को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि एनपीए के लिए आय का निर्धारण और प्रावधानीकरण, विवेकपूर्ण मानदण्डों के दो अलग पहलू हैं और मानदंडों के अनुसार कुल बकायों के एनपीए पर प्रावधान करने की आवश्यकता है साथ ही संदर्भाधीन पट्टाकृत परिसंपत्ति के ह्रासित बही मूल्य का, पट्टा समायोजन खाते में शेषराशि को, यदि कोई हो, समायोजित करने के बाद, प्रावधान किया जाएगा। तथ्य यह कि एनपीए पर आय का निर्धारण नहीं किया गया है, प्रावधान न करने के कारण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) इन निदेशों के पैराग्राफ 14.1.2 के खंड (ii) में संदर्भित परिसंपत्ति जिसके लिए पुनः बातचीत (रिनिगोशिएट) की गई अथवा जिसे पुनर्निर्धारित किया गया, अवमानक परिसंपत्ति मानी जाएगी अथवा यह उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिस श्रेणी में वह *रिनिगोशियशन* अथवा पुनर्निर्धारण के पूर्व , जैसा भी मामला हो, संदिग्ध अथवा हानिवाली परिसंपत्ति के रूप में थी। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए यथा लागू प्रावधान तब तक किया जाता रहेगा जब तक यह उन्नत श्रेणी में न बदल जाए।

(5) पैराग्राफ 27.1.2 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा तुलनपत्र तैयार किया जाए।

(6) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद लिखे गए सभी वित्तीय पट्टों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों पर लागू प्रावधान *अपेक्षाएं* उन पर भी लागू होंगे।

16. **मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण** (एनबीएफसी-एमएल को छोडकर)

प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को मानक आस्तियों के बकाया का 0.25 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा जिसकी गणना निवल एनपीए के लिए नहीं की जाएगी। मानक आस्तियों के प्रति किया गया प्रावधान को समग्र अग्रिम से नेटेड नहीं किया जाएगा किंतु तुलन पत्र में मानक आस्तियों के प्रति अलग "आकस्मिक प्रावधान" के रूप में दर्शाया जाएगा।

17. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं

कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं के लिए, अनुबंध III के पैराग्राफ 3 में दिए गए अनुदेश सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे। इसके अलावा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) के स्थगन पर बैंकों को जारी दिशानिर्देश परिपत्र 'अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानों पर विवेकपूर्ण मानदंड – कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं' दिनांक 07 फरवरी, 2020 को सभी एनबीएफसी के लिए यथोचित परिवर्तनों के साथ बढ़ा दिए गए हैं।

18. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा

सभी एनबीएफसी-डी और ₹500 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार की सभी जमा न लेने वाली एनबीएफसी को समय-समय पर संशोधित 07 जून, 2019 के परिपत्र '**दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा**' द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उसी परिपत्र के पैराग्राफ 6 के संदर्भ में, एसएमए श्रेणियों के वर्गीकरण का आधार इन निर्देशों के पैराग्राफ 87.2.2 में निर्दिष्ट होगा।

19. [11]**समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा**

सभी एनबीएफसी समय-समय पर यथा संशोधित 08 जून, 2023 के परिपत्र '**समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा**' में निहित निर्देशों का पालन करेंगे।

20. **प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में एनबीएफसी द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अक्तूबर 2018 के '**मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018'** समय-समय पर संशोधित ,द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश जारी किये है। ये दिशा-निर्देश, यथोचित परिवर्तनों के साथ, सभी एनबीएफसी पर उपयुक्त राहत उपायों के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा, यथा जिला परामर्शदात्री समिति /राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, द्वारा निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रो में लागू होंगे।

21. असहयोगी उधारकर्ताओं

21.1 सभी एनबीएफसी-फैक्टर, एनबीएफसी-डी, ₹500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आकार की सभी जमा न लेने वाली एनबीएफसी (अधिसूचित एनबीएफसी) को "असहयोगी उधारकर्ताओं" की पहचान करना चाहिए। एक "असहयोगी उधारकर्ता" को इस रूप में वर्णन किया जा सकता है कि 2 अनुस्मारक के बाद भी उधारदाता द्वारा अपेक्षित आवश्यक सूचना नहीं प्रदान करने वाला अथवा मंजूरी के शर्तों के अनुसार प्रतिभूतियों आदि तक पहुंच बनाने से मना करने वाला, अथवा निर्धारित समयावधि के अंदर ऋण करार के अन्य नियम का पालन नहीं करने वाला या एनबीएफसी के साथ पुनर्भुगतान के मामलें में विचारविमर्श में प्रतिपक्षी /उदासीन अथवा इनकार का रूख रखने वाला अथवा कुछ समाधान क्षितिज पर झुठा वादा करके समय से खेलने वाला या ऐसे ऋण ऋणदाता के हित में समय के संकल्प को विफल करने के लिए मुकदमेबाजी के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण रणनीति बनाने वाला। उधारकर्ताओं को उनका नाम असहयोगी उधारकर्ता के रूप में रिपोर्ट करने से पूर्व उन्हें अपना मत स्पष्ट करने के लिए 30 दिनों का समयावधि दिया जाएगा।

21.2 उधारदाताओं के वास्तविक समाधान/वसूली के प्रयास में उधारकर्ताओं/चूककर्ताओं का असहयोगी तथा अनुचित बनने को हतोत्साहित करने के लिए, एनबीएफसी को उधारकर्ताओं को उचित सूचना देना चाहिए तथा यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तब ऐसे उधारकर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाए। अधिसूचित एनबीएफसी द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं के वर्गीकरण का रिपोर्ट सीआरआईएलसी किया जाए। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी को ऐसे उधारकर्ताओं के नए ऋण/एक्सपोजर सहित ऐसे प्रोमोटर्स/निदेशक द्वारा प्रायोजित अन्य कंपनी के नए ऋण/एक्सपोजर के लिए भी अथवा ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड में इस असहयोगी उधारकर्ता का

[11] 08 जून 2023 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24

निदेशक कोई प्रोमोटर्स/निदेशक हो, के के संबंध में उच्च/त्वरित प्रावधानीकरण, जैसा कि अनुबंध IV के पैराग्राफ 1.2.1 में उल्लेख किया गया है, करना होगा। यह प्रावधानीकरण ऐसे मामलों पर लागू होगा जहां दर 5% का है तथा मानक खाता और त्वरित प्रावधानीकरण किया गया हो यदि यह एनपीए होतो। चूंकि ऐसे असहयोगी उधारकर्ता का एक्सपोजर पर अपेक्षित हानि उच्च होने की संभावना है अत: इस प्रकार का विवेकपूर्ण उपाय किया जाए।

22. अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए मानदंड

₹500 करोड़ से कम की आस्ति आकार की सभी जमा न लेने वाली एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए मानदंड अनुबंध III में निर्धारित किए गए हैं ।

23. बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

₹500 करोड़ से कम की आस्ति आकार की सभी जमा न लेने वाली एनबीएफसी द्वारा बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना के लिए मानदंड, अनुबंध V में निर्धारित किए गए हैं ।

24. परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तपोषण

24.1 ₹500 करोड़ से कम की आस्ति आकार की सभी जमा न लेने वाली एनबीएफसी अन्य उधारदाताओं के साथ पूर्व-निर्धारित समझौते के बिना किसी मौजूदा बुनियादी संरचना या अन्य परियोजना ऋण को अंतरण वित्तपोषण (टेक-आउट फिनान्सिंग) के जरिए पुनर्वित्त प्रदान करते हैं तथा दीर्घतर चुकौती अवधि निर्धारित करते हैं तो उसे पुनर्रचना नहीं माना जाएगा बशर्ते:

(i) ऐसे ऋण मौजूदा उधारदाताओं की बहियों में 'मानक' होने चाहिए तथा अतीत में उनकी पुनर्रचना न हुई हो;

(ii)ऐसे ऋण मुख्यतया (मूल्य के आधार पर बकाया ऋण के 50% से अधिक) मौजूदा वित्तीय उधारदाताओं से अधिग्रहीत होने चाहिए; और

(iii)चुकौती की अवधि का निर्धारण परियोजना के जीवन चक्र और परियोजना से नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए किया गया हो।

24.2 मौजूदा परियोजनागत ऋण, जिनमें सभी संस्थागत उधारदाताओं का कुल ऋण न्यूनतम ₹1,000 करोड़ है, ऐसे ऋणों का अन्य उधारदाताओं के साथ कोई पूर्व निर्धारित समझौते के बिना भी ₹500 करोड़ से कम की आस्ति आकार की सभी जमा न लेने वाली एनबीएफसी पूर्ण अथवा आंशिक पुनर्वित्तयन कर सकती है और उसकी चुकौती अवधि बढा सकती है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की स्थिति में इसे मौजूदा और नए उधारदाताओं के खातों में रिस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा:

(i)वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने की तिथि (डीसीसीओ) प्राप्त होने के बाद परियोजना द्वारा वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया गया हो;

(ii) पुनर्भुगतान की अवधि परियोजना के जीवन-चक्र और परियोजना से नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए तय किया गया हो और मौजूदा तथा नए उधारदाताओं के बोर्ड परियोजना की व्यवहार्यता से संतुष्ट हों। साथ ही, पुनर्भुगतान की कुल अवधि परियोजना की आरंभिक आर्थिक जीवनावधि/ पीपीपी परियोजनाओं के मामले में रियायत अवधि के 85% से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iii) ऐसा ऋण पुनर्वित्तीयन के समय मौजूदा उधारदाताओं की बहियों में 'मानक' होना चाहिए;

(iv) आंशिक टेक-आउट की स्थिति में ऋण का एक बड़ा हिस्सा (मूल्य की दृष्टि से बकाया ऋण के 25% से अधिक की राशि) मौजूदा वित्तपोषण उधारदाताओं से नए उधारदाताओं के एक समूह द्वारा ले लिया जाना चाहिए; और

(v) परियोजनागत ऋण के मौजूदा ऋण-इक्विटी अनुपात और कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात (डीएससीआर) को एनबीएफसी के लिए स्वीकार्य बनाने हेतु, आवश्यकता पड़ने पर, ऋण को कम करने के लिए संस्थापकों द्वारा अतिरिक्त इक्विटी लाया जाना चाहिए।

24.3 किसी ऋणदाता द्वारा परियोजना के लिए केवल कार्यशील पूंजी का वित्त पोषण किए जाने की स्थिति में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उसे परियोजना मीयादी ऋण के एक हिस्से को लिए जाने के लिए 'नया ऋणदाता' माना जाएगा।

24.4 उपर्युक्त सुविधा मौजूदा परियोजना ऋणों के संपूर्ण जीवन काल के दौरान केवल एक बार के लिए उपलब्ध की जा सकेगी।

25. वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुन:सुधार के लिए फ्रेमवर्क

दिशानिदेश के अनुबंध IV में दिया गया अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का पुन:सुधार करने के लिए फ्रेमवर्क व्यवस्था ₹ ₹500 करोड़ से कम की आस्ति आकार की सभी जमा न लेने वाली एनबीएफसी पर लागू होगी। रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग ने अपने दिनांक 21 अक्तूबर 2014, के परिपत्र 'अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा – संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा', 22 दिसंबर 2014 के असहयोगी उधारकर्ता, जून 8, 2015 के **कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना**, सितंबर 24, 2015 के अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा – संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा और फरवरी 25, 2016 के 'अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करना – विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा' द्वारा इस फ्रेमवर्क में संशोधन किए

हैं। ये संशोधन ₹500 करोड़ से कम की आस्ति आकार की सभी जमा न लेने वाली एनबीएफ़सी पर यथारूप लागू होंगे ।

टिप्पणी: पैराग्राफ 22 से 25 के तहत दिए गए अनुदेश केवल ₹500 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी पर लागू होते हैं और इसलिए, ये अनुदेश एनबीएफसी-एमएल और उससे ऊपर के आस्ति आकार पर लागू नहीं होते हैं।

26. चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के लिए दिशानिर्देश

एनबीएफसी जिनके पास, उनकी पिछली लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार, ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार है, इन निदेशों के **अनुबंध VI** में दिये विवरण के अनुसार चलनिधि जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों के सेट का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तथापि ये दिशानिर्देश टाइप -1[12] एनबीएफ़सी , एनओएफएचसी और एसपीडी पर लागू नहीं होंगे। प्रत्येक एनबीएफसी के बोर्ड का दायित्व होगा कि वह इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी से अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, पर्यवेक्षी पुनरीक्षण के अधीन होंगे। इसके अलावा, विवेकपूर्ण मामले के रूप में, अन्य सभी एनबीएफसी को भी स्वैच्छिक आधार पर चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी इन दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

27. वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण –खातों को टिप्पणियां

एनबीएफसी को मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों, लागू लेखा मानकों, कानूनों और विनियमों के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करना आवश्यक है।

27.1.1 एनबीएफसी अपने तुलनपत्र में अलग से इन निदेशों के अनुसार किए गए प्रावधानों को आय अथवा परिसंपत्तियों के मूल्य से घटाए बिना प्रकट करेंगी।

27.1.2 प्रावधानों का उल्लेख विशेष रूप से निम्नलिखित पृथक खाता शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगाः

- (i) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; तथा
- (ii) निवेशों में मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान।

27.1.3 इन प्रावधानों को एनबीएफसी द्वारा धारित सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि, यदि कोई हो, से समायोजित नहीं किया जाएगा।

27.1.4 इन प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि खाता में नामे डाला जाएगा। सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि शीर्ष के अंतर्गत धारित अधिशेष प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ उन्हें समायोजित किए बिना पुनरांकित किया जाए।

---

[12] टाइप 1-एनबीएफ़सी-एनडी की परिभाषा 17 जून 2016 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

27.2 एनबीएफसी को जो अतिरिक्त प्रकटीकरण किया जाना है, उन्हें अनुबंध VII के भाग I में उल्लिखित किया गया है।

27.3 अनुबंध VII में उल्लिखित प्रकटीकरण अन्य कानूनों, विनियमों, या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के तहत निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं और प्रतिस्थापन में नहीं हैं। न्यूनतम आवश्यक से अधिक व्यापक प्रकटीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, खासकर यदि ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय स्थिति और कार्यनिष्पादन को समझने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करते हैं।

27.4 अनुबंध VII विशिष्ट एनबीएफसी लेयरों के लिए विशिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट करता है। यह नोट करें कि एनबीएफसी की निचली लेयरों पर लागू प्रकटीकरण अपेक्षाएं उच्चतर स्तर की एनबीएफसी पर लागू होंगी। अनुबंध VII मे निर्देशित प्रकटीकरण अपेक्षाएं 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष और उसके बाद के वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए प्रभावी होंगे।

28 मांग/सूचना ऋण से संबंधित नीति की आवश्यकता

28.1 मांग/सूचना ऋण दे रही/देने का इरादा रखने वाली प्रत्येक एनबीएफसी के निदेशक मण्डल को कंपनी के लिए एक नीति तैयार करनी होगी और उसे कार्यान्वित करना होगा;

28.2 इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों का निर्धारण किया जाएगाः

(i) एक अंतिम तारीख जिसके भीतर मांग अथवा सूचना ऋण की चुकौती की मांग की जा सकेगी या सूचना भेजी जा सकेगी;

(ii) मांग अथवा सूचना ऋण की मंजूरी देते समय, यदि ऐसे ऋणों को वापस करने अथवा वापसी की सूचना देने हेतु अंतिम तारीख ऋण की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष बाद की निर्धारित की गई है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी लिखित रूप में उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(iii) ब्याज की दर जो ऐसे ऋणों पर देय होगी;

(iv) इन ऋणों पर यथानिर्धारित ब्याज या तो मासिक अथवा तिमाही अंतराल पर देय होगा;

(v) मांग अथवा सूचना ऋण मंजूर करते समय, यदि कोई ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है अथवा यदि किसी अवधि के लिए ऋण स्थगन (मोरेटोरियम) किया गया है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(vi) ऋण के निष्पादन की समीक्षा हेतु एक अंतिम तारीख का निर्धारण, जो ऋण मंजूरी की तारीख से छह महीने से अधिक न हो;

(vii) इन मांग अथवा सूचना ऋणों को तब तक नवीकृत नहीं किया जाएगा जब तक आवधिक समीक्षा से यह पता न चले कि मंजूरी की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जा रहा है।

29. निवेशों का लेखांकन

29.1 प्रत्येक एनबीएफसी का निदेशक मण्डल कंपनी के लिए अपनी निवेश नीति तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा;

29.2 निवेश नीति में कंपनी का मण्डल निवेश को चालू तथा दीर्घावधि निवेश में वर्गीकृत करने से संबंधित मानदण्ड का उल्लेख करेगा;

29.3 प्रत्येक निवेश करते समय प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को चालू एवं दीर्घावधि में वर्गीकृत किया जाएगा;

29.4 अंतर-श्रेणी अंतरण के संबंध में;

(i) तदर्थ आधार पर कोई अंतरण नहीं होगा;

(ii) आवश्यक होने पर, ऐसे अंतरण, निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अंतर-श्रेणी अंतरण प्रत्येक छमाही के प्रारंभ में ही 01 अप्रैल अथवा 01 अक्तूबर को किया जाएगा;

(iii) निवेश को चालू से दीर्घावधि एवं दीर्घावधि से चालू श्रेणी में बही मूल्य पर अथवा बाजार मूल्य पर जो भी कम हो, शेयरवार (स्क्रीप-वार) अंतरित किया जाएगा;

(iv) यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो प्रत्येक शेयर (स्क्रीप) में उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा और यदि कोई मूल्यवृद्धि होती है तो उसे नज़रअंदाज़ किया जाएगा;

(v) ऐसी अंतर-श्रेणी अंतरण के समय, यहां तक कि एक ही श्रेणी के शेयरों के मामले में भी किसी एक शेयर का मूल्यह्रास अन्य शेयर की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा,

30 लेखा वर्ष

30.1 प्रत्येक एनबीएफसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी। जब कभी कोई एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख बढ़ाने का इरादा करती है, तो इसके लिए उसे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए

30.2 इसके अतिरिक्त, उन मामलों में भी जिनमें बैंक तथा कंपनी रजिस्ट्रार ने समय बढ़ाने की मंजूरी दी है, एनबीएफसी वर्ष के 31 मार्च को एक प्रोफार्मा तुलनपत्र (बिना लेखा परीक्षित) और उक्त तारीख को देय सांविधिक विवरणियां बैंक को प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तुलन पत्र की तारीख से 03 माह के अंदर उसे अंतिम रूप दे देगी।

31. तुलनपत्र की अनुसूची

प्रत्येक एनबीएफसी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित अपने तुलनपत्र के साथ, अनुबंध VIII में दी गई अनुसूची में ब्योरे संलग्न करेगी।

अध्याय V
विनियामक प्रतिबंध और सीमाएं

32. एनबीएफसी के लिए ऋण/निवेश संकेंद्रण के मानदंड

एनओएफएचसी द्वारा धारित एनबीएफसी को निम्नलिखित नहीं करना है

(i) संबंद्ध अथवा एनओएफएचसी के किसी प्रोमोटर्स/ प्रोमोटर समूह संस्था अथवा प्रोमोटर्स ग्रूप के साथ अथवा एनओएफएचसी के साथ व्यक्तिगत संबंद्ध एक्सपोजर (इक्विटी में निवेश/डेट पूंजी लिखत सहित निवेश तथा क्रेडिट) में भाग लेना नहीं चाहिए।

(ii) एनओएफएचसी के तहत किसी वित्तीय संस्था के इक्विटी/डेट पूंजी लिखत में निवेश नहीं करना है।

(iii) अन्य एनओएफएचसी के इक्विटी लिखतों में निवेश नहीं करना है।

व्याख्या: इस पैराग्राफ में अभिव्यक्त ' प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के लिए प्रयोजनों का अर्थ, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 22 फरवरी 2013 के "निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश" के अनुबंध-I में निहित उस अभिप्राय में उन लोगो के लिए निर्दिष्ट अर्थ से है।

32A [13] एकल उधारकर्ता/पार्टी और उधारकर्ताओं के एकल समूह/पार्टियों दोनों के लिए क्रेडिट/निवेश सकेन्द्रन सीमा हेतु एनबीएफसी-बीएल आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगा। एक्सपोज़र की गणना एनबीएफसी-एमएल के समान तर्ज पर होगी जैसा कि इस परिपत्र के पैराग्राफ 91 में उल्लेख किया गया है।

32B [14]सी. ऋण मानकों को मज़बूत करना

(1) एनबीएफसी उपभोक्ता ऋण के लिए अपनी मौजूदा क्षेत्रीय एक्सपोजर सीमाओं की समीक्षा करेंगे और यदि ऐसी सीमाएँ पहले से नहीं हैं, तो विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में उपभोक्ता ऋण के तहत विभिन्न उप-खंडों (जैसा कि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए) के संबंध में बोर्ड अनुमोदित सीमाएं लागू करेंगे। विशेष रूप से, सभी असुरक्षित उपभोक्ता क्रेडिट एक्सपोजर के लिए सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। ऐसी निर्धारित सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा और जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निरंतर आधार पर उनकी निगरानी की जाएगी। सभी एनबीएफसी जल्द से जल्द इन प्रावधानों का पालन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन किसी भी तरह उन्हें 29 फरवरी, 2024 से पहले लागू करेंगे।

(2) क्रेडिट मूल्यांकन, विवेकपूर्ण सीमा और एक्सपोजर उद्देश्यों के लिए एनबीएफसी द्वारा दिए गए वे सभी टॉप-अप ऋण असुरक्षित ऋण माने जाएँगे; जो स्वाभाविक रूप से अव्मुल्यित होने वाली चल परिसंपत्तियों, जैसे वाहन, के आधार पर दिए जाते हैं।

---

[13] 15 जनवरी 2024 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24

[14] 16 नवंबर 2023 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24

32C. [15]वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश

(1) एनबीएफसी द्वारा अपने नियमित निवेश परिचालन के अंतर्गत एआईएफ की इकाइयों में निवेश किया जाता है। इस संदर्भ मे, एआईएफ से जुड़े एनबीएफसी के कुछ ऐसे लेन-देन में विनियामकीय चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। इन लेन-देन के द्वारा एनबीएफसी अपने उधारकर्ताओं के प्रत्यक्ष ऋण एक्सपोजर को एआईएफ की इकाइयों में निवेश के माध्यम से अप्रत्यक्ष एक्सपोजर के साथ, प्रतिस्थापित करती है। इस मार्ग के माध्यम से ऋणों के संभावित एवरग्रीनिंगसे संबंधित प्रसंगो के समाधान के लिए, निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

(i) एनबीएफसी द्वारा एआईएफ की किसी भी ऐसी स्कीम में निवेश नहीं किया जाना चाहिए जिसमें उसकी ऋणी कंपनी में उस एआईएफ की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधोगामी (डाउनस्ट्रीम) निवेश हो। ऐसे अधोगामी (डाउनस्ट्रीम) निवेश में आरई की ऋणी कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश शामिल नहीं होगा तथापि इसमें हाइब्रिड लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट्स) में निवेश सहित अन्य सभी निवेश शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, ऋणी कंपनी का मतलब ऐसी किसी भी कंपनी से होगा, जिस मे एनबीएफसी का वर्तमान में या पिछले 12 महीनों के दौरान कभी भी ऋण या निवेश एक्सपोजर था।

(ii) यदि कोई एआईएफ स्कीम, जिसमें एनबीएफसी पहले से ही एक निवेशक है, ऐसी किसी ऋणी कंपनी में बाद में डाउनस्ट्रीम निवेश करती है, तो एनबीएफसी को एआईएफ द्वारा ऐसे डाउनस्ट्रीम निवेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्कीम में अपना निवेश समाप्त करना होगा। इस मामले में एआईएफ़ को उचित रूप से सूचित करने की व्यवस्था एनबीएफसी द्वारा तुरंत की जानी चाहिए।

(iii) यदि एनबीएफसी उपर्युक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निवेश को समाप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें ऐसे निवेश पर 100 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा। प्रावधान (प्रोविजिनिंग) एआईएफ स्कीम में आरई द्वारा निवेश की उस सीमा तक ही आवश्यक होगा, जिसे एआईएफ द्वारा आगे ऋणी कंपनी में निवेश किया जाता है, और ना कि एआईएफ योजना में आरई के संपूर्ण निवेश पर।

(2) इसके अलावा, 'प्राथमिकता वितरण मॉडल' के साथ की एआईएफ स्कीम के अधीनस्थ इकाइयों में, एनबीएफसी द्वारा निवेश, एनबीएफसी के पूंजीगत निधि से पूर्ण कटौती के अधीन होगा। यह कटौती टियर-1 और टियर-2 दोनों पूंजीगत निधिसे पूंजी में प्रस्तावित कटौती समान रूप से होगी। ये निर्देश केवल उन मामलों में लागू होगा जहां एनबीएफसी की ऋणी कंपनी में एआईएफ का कोई डाउनस्ट्रीम निवेश नहीं है। यदि एनबीएफसी ने एआईएफ स्कीम की अधीनस्थ इकाइयों में निवेश किया है, जिसमें ऋणी कंपनी का डाउनस्ट्रीम एक्सपोजर भी है, तब एनबीएफसी को इस निदेश के पैराग्राफ 32C(1) का अनुपालन करना होगा।

[15] 19 दिसंबर, 2023 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.58/21.04.048/2023-24 और 27 मार्च, 2024 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2023-24

स्पष्टीकरण: 'प्राथमिकता वितरण मॉडल' का वही अर्थ होगा जो सेबी के दिनांक 23 नवंबर 2022 के परिपत्र सेबी/एचओ/एएफ़डी-1/पीओडी/पी/सीआईआर /2022/157 में निर्दिष्ट है। इसके अलावा, एआईएफ स्कीम की अधीनस्थ इकाइयों में निवेश के संदर्भ में प्रायोजक इकाइयों की प्रकृति में निवेश सहित सभी प्रकार के अधीनस्थ जोखिम शामिल हैं।

(3) फंड ऑफ फंड्स अथवा म्यूच्युअल फंड जैसे मध्यस्थों के माध्यम से एआईएफ में एनबीएफसी द्वारा निवेश इन निदेशो के पैराग्राफ 32C के दायरे में शामिल नहीं है।

33. एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा

एनबीएफसी लाभांश घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे:

33.1 निदेशक मंडल लाभांश के प्रस्तावों पर विचार करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखेगा:

(i) गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर रिज़र्व बैंक (एचएफसी के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक - एनएचबी) के पर्यवेक्षी निष्कर्ष;

(ii) वित्तीय विवरण संबंधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शर्तें; और

(iii) एनबीएफसी की दीर्घकालिक विकास योजनाएं।

33.2 केवल एनबीएफसी जो निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लाभांश घोषित करेंगे:

(i) एनबीएफसी पिछले तीन वित्तीय वर्षों[16], जिसमें जिस वित्तीय वर्ष लिए लाभांश प्रस्तावित है वह शामिल हैं, में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम विनियामकीय पूंजी आवश्यकता (लीवरेज़ अनुपात, जहां लागू हो) को पूरा करना होगा।

(ii) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में निवल एनपीए अनुपात 6 प्रतिशत से कम होगा, जिसमें वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति भी शामिल है जिसके लिए लाभांश घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झग के प्रावधानों का पालन करेंगे।

(iv) एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा। रिज़र्व बैंक ने लाभांश की घोषणा पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया होना चाहिए।

33.3 एनबीएफसी जो ऊपर पैराग्राफ 33.2 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, 50 प्रतिशत के लाभांश भुगतान अनुपात तक लाभांश घोषित कर सकते हैं। पात्र एनबीएफसी जो सार्वजनिक धन स्वीकार नहीं करते हैं और जिनके पास कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है के लिए लाभांश भुगतान अनुपात पर कोई कोई उच्चतम सीमा निर्दिष्ट नहीं होगी।

---

[16] जहां एक एनबीएफसी तीन वित्तीय वर्षों से कम समय से अस्तित्व में है, यह पंजीकरण के बाद से होगा।

33.4 ऐसे एनबीएफसी जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए उपरोक्त पूंजी अनुपात (जहां लागू हो, लीवरेज़ अनुपात सहित) और/या उपरोक्त निवल एनपीए अनुपात आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, लाभांश भुगतान अनुपात पर 10 प्रतिशत की सीमा के अधीन, लाभांश घोषित करने के लिए पात्र हो सकता है, बशर्ते एनबीएफसी निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करता है:

(i) जिस वित्तीय वर्ष में लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव करता है, उस वित्तीय वर्ष में लागू विनियामकीय पूंजी (जहां लागू हो, लीवरेज़ अनुपात)आवश्यकता को पूरा करता है; तथा

(ii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 4 प्रतिशत से कम का निवल एनपीए है।

33.5 बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल लाभांश इन दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक न हो। लाभांश की घोषणा पर रिज़र्व बैंक अस्थायी छूट के किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

33.6 लाभांश घोषित करने वाले एनबीएफसी (एनबीएफसी-बीएल के अलावा अन्य), वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के विवरण अनुबंध IX में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। लाभांश की घोषणा के बाद रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय/ राष्ट्रीय आवास बैंक के पर्यवेक्षण विभाग, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह पंजीकृत है, को एक पखवाड़े के भीतर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

34. आईपीओ निधीयन पर अधिकतम सीमा

प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के लिए अभिदान के वित्तपोषण के लिए प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रुपये की सीमा होगी। एनबीएफसी अधिक परिमित सीमाएं तय कर सकते हैं ।

35. एनबीएफसी के अपने शेयरों के बदले ऋण वर्जित किया जाना

कोई भी एनबीएफसी अपने ही शेयरों के लिए ऋण नहीं देगी।

36. शेयर प्रतिभूति के बदले ऋण

सूची बद्ध शेयर की जमानत पर ऋण कारोबार करने वाली 100 करोड़ और अधिक की परिसंपत्ति वाली एनबीएफस,

(i) शेयरों की संपार्श्विक जमानत के बदले मंजूर ऋण का 50% मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात बनाये रखना होगा। हमेशा 50% एलटीवी अनुपात बनाये रखना होगा। शेयरों के बदले ऋण मंजूरी के लिए 50% मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात बनाये रखना होगा। शेयर मूल्य में उतार चढाव के कारण यदि किसी भी समय एलटीवी अनुपात का 50% से कम होता है तो 7 कार्यदिवस के अंदर उसे ठीक कर लेना होगा।

(ii) ऐसे मामलों में जहां पूंजी बाजार में निवेश के लिए ऋण लिया गया है उस संबंध में ₹ 5 लाख से अधिक ऋण मूल्य के लिए संपार्श्विक जमानत के रूप में केवल ग्रूप 1 प्रतिभूतियों को स्वीकार किया जाए (सेबी द्वारा जारी तथा समय समय पर संशोधित 11 मार्च 2003 का एसएमडी/नीति/परि-9/ 2003 में विनिर्दिष्ट) बशर्ते इसकी समीक्षा रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी।

(iii) ऋण प्राप्ति के लिए उधारकर्ताओं द्वारा उनके हित में गिरवी रखे गए शेयरों के संबंध में सूचना प्रत्येक तिमाही को **अनुबंध X** में विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को ऑन लाइन रिपोर्टिंग की जाए।

37. एकल उत्पाद (स्वर्ण आभूषण) के जमानत पर ऋण प्रदान करना

37.1.1 सभी एनबीएफसी को

(i) स्वर्ण आभूषण की संपार्श्विक जमानत के बदले स्वीकृत ऋण के लिए एलटीवी अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए"

बशर्ते कि अधिकतम अनुमत ऋण राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से आभूषणों का मूल्य केवल उसमें निहित स्वर्ण के आंतरिक मूल्य पर निर्धारित किया जाए तथा इसमें अन्य लागत घटकों को शामिल नहीं किया निम्नांकित पैराग्राफ 37.3 में निहित बातों के अनुसार सोने की आंतरिक मूल्य की गणना की जाए।

(ii) अपने तुलन पत्र के कुल परिसंपत्ति में ऐसे ऋणों के प्रतिशत का उल्लेख करना होगा।

37.1.2 एनबीएफसी बुलियन/अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड) तथा सोने के सिक्कों के बदले कोई ऋण मंजूर नहीं करेंगी। अपरिष्कृत सोना (प्राइमरी गोल्ड), स्वर्ण बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इकाइयों (ईटीएफ) और सोना म्युचुअल फंड की यूनिटों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी द्वारा कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा।

37.2 स्वर्ण के स्वामित्व का सत्यापन

37.2.1 उधारकर्ता द्वारा एक बार अथवा संचयी तौर पर 20 ग्राम से अधिक स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लेने के मामले में, एनबीएफसी को आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन कर उसे अपने अभिलेख में रखना होगा। गिरवी रखे आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन के लिए मूल रसीद की आवश्यकता नहीं है किंतु एक उचित दस्तावेज़ बनाना होगा जिससे स्वामित्व निर्धारित हो सके, विशेषकर जहां उधारकर्ता द्वारा एक बार अथवा संचयी तौर पर 20 ग्राम से अधिक स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लेने के किसी और प्रत्येक मामले में।

37.2.2 एनबीएफसी को इस संबंध में अपने बोर्ड से अनुमोदित समग्र ऋण नीति पर स्पष्ट नीति निदेश रखना होगा।

37.3 गिरवी के रूप रखे गए स्वर्ण मूल्य का मानकीकरण - एलटीवी अनुपात की गणना करने के लिए

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गिरवी के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषणों मूल्य निम्नलिखित पद्धति से निकाला जाए

37.3.1 एनबीएफसी द्वारा गिरवी के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषणों का मूल्य निर्धारण बंबई बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) द्वारा 22 कैरेट सोने के लिए पूर्व के 30 दिनों की क्लोजिंग कीमत का औसत होगा □अथवा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित स्वर्ण मूल्य डाटा का भी उपयोग कर सकती है।

37.3.2 यदि सोने की शुद्धता 22 कैरेट से कम होती है तो एनबीएफसी को इसे 22 कैरेट की कीमत के समान इसका रूपांतरण करना होगा और सोने का सही वजन बताना होगा। अन्य शब्दों में, कम शुद्धता वाले स्वर्ण आभूषणों की कीमत अनुपात में तय करना होगा।

37.3.3 गिरवी के रूप में सोने को स्वीकार करते समय, एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को अपने पत्र शीर्ष में सोने की परख, शुद्धता (कैरेट के रूप में) तथा वज़न के संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा।

37.3.4 एनबीएफसी को मोचन पर विवाद से स्वंय की रक्षा के लिए चेतावनी को शामिल करना होगा, परंतु शुद्धता का प्रमाणपत्र अधिकतम अनुमत ऋण राशि तथा नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य दोनो के निर्धारण के लिए लागू होगा।

37.4 नीलामी

37.4.1 गिरवी रखे गये स्वर्ण आभूषणों की नीलामी उसी शहर अथवा तालुका में आयोजित की जाए जिस शहर अथवा तालुका में ऋण देने वाली शाखा स्थित है। एनबीएफ़सी विभिन्न शाखाओं से स्वर्ण आभूषणों को जिला स्तर पर एकट्ठा करके संबन्धित जिले के किसी स्थान पर नीलामी कर सकती है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया गया हो:

(i) पहली नीलामी असफल रही है

(ii) एनबीएफ़सी यह सुनिश्चित करेगी कि नीलामी के संबंध में लागू सभी अन्य निर्देशों (पूर्व सूचना, आरक्षित मूल्य, अपेक्षित दूरी, प्रकटन इत्यादि) का अनुपालन किया गया है।

37.4.2 स्वर्ण की नीलामी करते समय एनबीएफसी के पास गिरवी रखे गए आभूषणों के आरक्षित मूल्य की घोषणा करनी होगी। गिरवी रखे गये स्वर्ण आभूषणों की आरक्षित मूल्य बंबई बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) द्वारा 22 कैरेट सोने के लिए पूर्व के 30 दिनों की क्लोजिंग कीमत अथवा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित स्वर्ण मूल्य डाटा का 85% से कम नहीं होना चाहिए तथा कैरेट के संबंध में कम शुद्धता वाले आभूषणों के मूल्य को अनुपात में कम किया जाए।

37.4.3 एनबीएफसी के लिए यह अनिवार्य होगा कि नीलामी से प्राप्त मूल्य तथा बकाया बकाया का पूर्ण विवरण देना होगा तथा समायोजन करने पर यदि कोई राशि ऋण से अधिक और उपर होती है तो उसका भुगतान उधारकर्ता को करना होगा।

37.4.4 एनबीएफसी को अपने वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण खातों की संख्या, बकाया राशि, मूल्य प्राप्ति तथा नीलामी में क्या उसकी किसी सहायक कंपनी ने भाग लिया था आदि सहित किये गये नीलामी का विवरण के संबंध में घोषणा अनिवार्य रूप से करना होगा।

37.5 स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनायी जाने वाली सुरक्षा और सुरक्षा उपाय

37.5.1 स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण देने का कारोबार करने वाली एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनकी प्रत्येक शाखाओं में जहां स्वर्ण जमानत स्वीकार की जाती है वहां सुरक्षित तिजोरी तथा कार्यशील डिपाजिट वॉल्ट के प्रति पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सहित आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध है। यह उधारकर्ताओं के लिए सुविधा तथा जमानत के रूप में स्वीकृत स्वर्ण के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा।

37.5.2 स्वर्ण आभूषणों की पर्याप्त सुरक्षा तथा तिजोरी सहित स्टोरेज की उपयुक्त व्यवस्था के बिना कोई नई शाखा/एं नही खोली जाएंगी।

37.6 एक हजार से अधिक संख्या में शाखाएं खोलना

ऐसी एनबीएफसी जो स्वर्ण आभुषणों के संपार्श्विक पर उधार देने का कारोबार करती हैं वैसी एनबीएफसी के लिए 1000 से अधिक शाखाएं खोलने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। तथापि, पहले से ही 1000 से अधिक शाखाओं वाली एनबीएफसी को अतिरिक्त शाखा विस्तार के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों के लिए न्यूनतम सुरक्षा सुविधा तथा स्वर्ण आभूषणों के लिए स्टोरेज सुविधा के बिना किसी नई शाखा को खोलने की अनुमति नहीं है।

अध्याय VI
अभिशासन मुद्दे

38. बोर्ड का अनुभव

एनबीएफसी के मामलों के प्रबंधन में पेशेवर अनुभव की आवश्यकता को देखते हुए, कम से कम एक निदेशक के पास बैंक/एनबीएफसी में काम करने का प्रासंगिक अनुभव होगा।

39. जोखिम प्रबंधन समिति

इस उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से कि बोर्ड जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सके, एनबीएफसी बोर्ड अथवा कार्यकारी स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन करेगी। आरएमसी चलनिधि जोखिम सहित एनबीएफसी के सामने आने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी और यह बोर्ड को रिपोर्ट करेगी।

40. निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण

एनबीएफसी के पास निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों और उन संस्थाओं को जहां निदेशकों या उनके रिश्तेदारों की बड़ी हिस्सेदारी है, को ऋण देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में एक सीमा शामिल होगी जिसके आगे उपर्युक्त व्यक्तियों को ऋण की सूचना बोर्ड को दी जाएगी। इसके अलावा, एनबीएफसी अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में **अनुबंध XI** में दिए गए टेम्पलेट के अनुसार ऐसे स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों की कुल राशि का खुलासा करेंगे।

41. सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति

एनबीएफसी, दिनांक अप्रैल 27, 2021 के परिपत्र 'वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश', समय-समय पर संशोधित, के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगी। हालाँकि, ₹1,000 करोड़ से कम की आस्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकारने वाली एनबीएफसी के पास अपनी मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखने का विकल्प है।

42. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण का अधिग्रहण / अंतरण

42.1.1 एनबीएफसी को निम्नलिखित बातों के लिए रिज़र्व बैंक की लिखित रूप से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी:

(i) एनबीएफसी का नियंत्रण लेना या अधिग्रहण अधिग्रहण करना, जिससे प्रबंधन में परिवर्तन हो या न हो;

(ii) एनबीएफसी की शेयर धारिता में परिवर्तन जिसमें समयानुसार हुई वृद्धि भी शामिल है, जिसका नतीजा एनबीएफ़सी की चुकता इक्विटी पूंजी की हिस्सेदारी के 26 प्रतिशत या अधिक का अधिग्रहण /अंतरण के रूप में होता हो।

किंतु शेयर की पुनर्खरीद/ किसी सक्षम न्यायालय के अनुमोदन से पूंजी में कमी के कारण शेयरहोल्डिंग 26% से कम हो रहा है तो ऐसे मामले में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसे एक महीने में रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाना चाहिए;

(iii) एनबीएफ़सी के प्रबंधन में कोई भी बदलाव, जिसमे स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 से अधिक प्रतिशत निदेशकों में परिवर्तन हो,

किंतु निदेशकों की सेवानिवृत्ति पर रोटेशन से फिर से निर्वाचित होने के मामले में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

42.1.2. पैराग्राफ 42.1.1 के होते हुए भी एनबीएफ़सी उनके निदेशकों / प्रबंधन में कोई बदलाव होने पर परिवर्तन रिज़र्व बैंक को सूचित करना जारी रखेगी।

42.2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण का अधिग्रहण / अंतरण के लिए आवेदन

42.2.1 एनबीएफ़सी को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनी के लेटर हेड में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा:

(i) प्रस्तावित निदेशकों /शेयरधारकों के बारे में जानकारी अनुबंध XII के अनुसार;

(ii) एनबीएफ़सी के शेयरों के अधिग्रहण करने वाले प्रस्तावित शेयरधारकों के धन के स्रोत;

(iii) प्रस्तावित निदेशकों / शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि वे जमा-राशियां स्वीकार करने वाले किसी भी अनिगमित निकाय के साथ संबद्ध नहीं हैं;

(iv) प्रस्तावित निदेशकों / शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि वे ऐसी किसी भी कंपनी के साथ संबद्ध नहीं हैं जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन रिज़र्व बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(v) प्रस्तावित निदेशकों / शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला जिसमे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध भी शामिल है, नहीं है; तथा

(vi) प्रस्तावित निदेशकों / शेयरधारकों पर बैंकर्स की रिपोर्ट।

42.2.2 इस संबंध में आवेदन रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफ़सी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है ।

42.3 नियंत्रण / प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता

42.3.1 शेयरों की बिक्री, या शेयरों की बिक्री द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण, या नियंत्रण का हस्तांतरण, चाहे वह शेयरों की बिक्री के बिना या सहित हो, के लिए कम से कम 30 दिनों की एक सार्वजनिक नोटिस पहले दी जाएगी। इस तरह की सार्वजनिक नोटिस रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद द्वारा और अन्य पार्टी द्वारा या संबंधित पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाएगी।

42.3.2 सार्वजनिक नोटिस में बेचने के या स्वामित्व / नियंत्रण हस्तांतरण के इरादे, अंतरिती के ब्यौरे और इस तरह की बिक्री या स्वामित्व / नियंत्रण के हस्तांतरण के कारणों का उल्लेख होगा। इस नोटिस को कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय और एक अग्रणी स्थानीय भाषा के अखबार (पंजीकृत कार्यालय की जगह को कवर करने वाला) में प्रकाशित किया जाएगा।

42.4 [17]एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश

एनबीएफसी इन निदेशों के पैराग्राफ 8 में यथा विनिर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगी।

43. एनबीएफसी द्वारा शाखा/कार्यालय बन्द करने के संबंध में सार्वजनिक नोटिस पहले जारी करना

एनबीएफसी द्वारा किसी शाखा/कार्यालय को बंद करने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व कम से कम एक अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा प्रादेशिक भाषा के एक अग्रणी समाचार पत्र (जिसके प्रसार क्षेत्र में शाखा /कार्यालय आता हो) में जमाकर्ताओं, आदि की सेवा के लिए किए गए प्रबंध की सूचना दी जाए।

44. निदेशकों, लेखा परीक्षकों आदि के पता में परिवर्तन संबंधी सूचना की प्रस्तुति

प्रत्येक एनबीएफसी निम्नलिखित में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की सूचना एक माह के भीतर देगीः

(i) पंजीकृत/कंपनी (कार्पोरेट) कार्यालय के डाक का पूरा पता, टेलीफोन नं. तथा फैक्स नंबर;

(ii) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा आवासीय पते;

(iii) उसके प्रधान अधिकारियों के नाम एवं पदनाम;

(iv) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम तथा उनके कार्यालय के पते;

(v) कंपनी की ओर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने।

वह यह सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह पंजीकृत है, को देगी ।

[17] 12 फरवरी 2021 के परिपत्र एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में निवेश

अध्याय VII
उचित व्यवहार संहिता

45. उचित व्यवहार संहिता

एनबीएफसी जिनके पास ग्राहक इंटरफ़ेस है को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अपनाना होगा:

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, '**व्यक्तिगत ऋण**' शब्द का वही अर्थ होगा जो 04 जनवरी 2018 को "एक्सबीआरएल विवरणी – बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत बनाना" पर जारी परिपत्र के अनुबंध में परिभाषित किया गया है।

45.1 ऋण आवेदन पत्र और उनको प्रोसेस करना

45.1.1 उधारकर्ता के लिए सभी संसूचनायें स्थानीय भाषा अथवा उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होनी चाहिए।

45.1.2 ऋण आवेदन पत्र में वह आवश्यक सूचना होनी चाहिए, जिससे उधारकर्ता का हित प्रभावित होता हो ताकि अन्य एनबीएफसी द्वारा प्रस्तावित शर्तों की अर्थपूर्ण तुलना की जा सके और उधारकर्ता पूरी जानकारी से अवगत होकर निर्णय ले सके। ऋण के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों का उल्लेख ऋण-आवेदन फार्म में होना चाहिए।

45.1.3 एनबीएफसी एक ऐसी प्रणाली विकसित करें, जिससे सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति रसीद (पावती) दी जा सके। उक्त पावती में वरीयत: उस समयावधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत ऋण आवेदनों का निपटान कर दिया जाएगा।

45.2 ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें एवं ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण

45.2.1 एनबीएफसी को उधारकर्ता को मंजूरी पत्र या मंजूर किए गए ऋण की राशि लिखित रूप में, अन्य प्रकार से, ऋण की शर्तां के साथ, जिसमें वार्षिक आधार पर ब्याज की दर तथा उसे लागू करने का तरीका भी दिया हो, सूचित करनी चाहिए और उधारकर्ता द्वारा इन शर्तों की स्वीकृति को अपने अभिलेख में रखना चाहिए। जैसा कि एनबीएफसी के विरूद्ध सामान्यत: अधिक ब्याज /दण्ड ब्याज लगाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है, अत: एनबीएफसी ऋण करार पत्र में विलम्ब चुकौती के लिए लगाये जाने वाले ब्याज दण्ड का उल्लेख बडे अक्षरों में करें।

45.2.2 कुछ मामलों में ऋण मंजूरी के समय उधारकर्ता को ब्याज दर सहित ऋण की शर्तों की पूर्ण जानकारी नहीं होती है या तो ऐसा इसलिए होता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इसके ब्योरे न देती हों या उधाकर्ता के पास विस्तृत ऋण करार को पढ़ने का समय न रहा हो। ऋण कारार या उसमें उल्लिखित संलग्नकों की प्रतिलिपि उपलब्ध न कराना अनुचित व्यवहार है और इससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा उधारकर्ता के बीच ऋण मंजूरी की शर्तों के संबंध में विवाद हो सकता है। अस्तु एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वे ऋण की मंजूरी देते समय/ऋण वितरण के समय उधारकर्ता द्वारा समझा गया, ऋण-करार एवं उसमें उल्लिखित सभी संलग्नकों की प्रतिलिपि सभी उधारकर्ता को अनिवार्यत: उपलब्ध कराएं।

45.2.3 एनबीएफसी को समय-समय पर संशोधित 15 अप्रैल, 2024 के '**ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)**' पर परिपत्र में निहित निर्देशों का पालन करना होगा (परिपत्र में दिए गए केएफएस का प्रारूप अनुबंध XXVII में शामिल है)।

45.3 [18]ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

45.3.1 उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

45.3.2 एनबीएफसी द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

45.3.3 एनबीएफसी को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

45.3.4 दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

45.3.5 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

45.3.6 दंडात्मक शुल्क की मात्रा और कारण एनबीएफसी द्वारा ग्राहकों को ऋण समझौते और लागू होने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम तथा शर्तों / मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, इसके अलावा एनबीएफसी की वेबसाइट पर भी ब्याज दरों और सेवा शुल्कों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा।

45.3.7 जब भी उधारकर्ताओं को ऋण के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का पालन न करने के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं, तो लागू दंडात्मक शुल्क के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, दंडात्मक शुल्क लगाने के किसी भी घटना और उसके कारण को भी सूचित किया जाएगा।

45.3.8 पैराग्राफ 45.3 में दिये अनुदेश 1 अप्रैल 2024[19] से लिए गए सभी नए ऋणों के संबंध में लागू किए जाएं। एनबीएफसी द्वारा अपने नीतिगत ढांचे में उचित संशोधन किया जाए और प्रभावी तिथि से प्राप्त/नवीनीकृत किए गए

---

[18] 18 अगस्त 2023 के परिपत्र विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24.

[19] 18 अगस्त 2023 के परिपत्र विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24.

सभी नए ऋणों के संबंध में उक्त अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मौजूदा ऋणों के मामले में, नई दंडात्मक शुल्क व्यवस्था पर स्विचओवर 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद पड़ने वाली अगली समीक्षा/नवीकरण तिथि[19] पर, किन्तु 30 जून 2024 से पहले, सुनिश्चित किया जाएगा।

45.4 नियम और शर्तों में परिवर्तन सहित ऋणों का वितरण

45.4.1 एनबीएफसी को, वितरण अनुसूची, ब्याज दरों, सेवा प्रभारों, अवधिपूर्व भुगतान प्रभारों आादि सहित शर्तों में कोई परिवर्तन होने पर उसकी सूचना उधारकर्ता को, स्थानीय भाषा अथवा उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानी भाषा में देनी चाहिए। गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियां यह भी सुनिश्चित करें कि ब्याज दरों और प्रभारों में हुए परिवर्तन केवल बाद की तारीख से लागू होंगी। इस संबंध में ऋण करार में समुचित शर्त शामिल की जाए ।

45.4.2 ऋण वापस लेने/ भुगतान में तेजी लाने या करार के निष्पादन में तेजी लाने का निर्णय ऋण करार की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

45.4.3 एनबीएफसी को सभी देय राशियों की चुकौती होने पर या ऋण की बकाया राशि की वसूली हो जाने पर एनबीएफसी के उधारकर्ता के विरूद्ध किसी अन्य दावे के न्यायसंगत अधिकार या ग्रहणाधिकार को छोड़कर, सभी जमानत स्वरूप रखे गए दस्तावेज वापस दे देने चाहिए। ऐसे समायोजन के यदि किसी अधिकार का, इस्तेमाल किया जाना है तो उसके लिए शेष दावों के बारे में पूरे विवरण के साथ उधार लेने वालों को नोटिस देना होगा और उन दशाओं की सूचना देनी होगी जिनके अंतगर्त गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी को संगत दावा न सुलझाए जाने/ भुगतान न करने तक उस/उन दस्तावेजों को रोके रहने का अधिकार है।

45.5 [20]जिम्मेदार उधार आचरण – वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेज़ मुक्त करना

यह देखा गया है कि एनबीएफसी ऐसे चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को मुक्त करने में अलग-अलग प्रथाओं का पालन करते हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं। उधारकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने और एनबीएफसी के बीच जिम्मेदार उधार आचरण को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं:

45.5.1 चल/अचल संपत्ति के दस्तावेज़ मुक्त करना

(i) ऋण खाते के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर एनबीएफसी द्वारा सभी मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को मुक्त किया जाएगा और किसी भी रजिस्ट्री में पंजीकृत चार्ज हटा दिया जाएगा।

---

[20] 13 सितम्बर 2023 के परिपत्र विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2023-24

(ii) उधारकर्ता को उसकी पसंद के अनुसार मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को या तो उस बैंकिंग आउटलेट/शाखा जहां ऋण खाता संचालित किया गया था या एनबीएफसी के किसी अन्य कार्यालय, जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं, से प्राप्त करने (वापस लेने) का विकल्प दिया जाएगा ।

(iii) प्रभावी तिथि को या उसके बाद जारी किए गए ऋण स्वीकृति पत्रों में मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी की समयसीमा और स्थान का उल्लेख किया जाएगा।

(iv) एकमात्र उधारकर्ता या संयुक्त उधारकर्ताओं की मृत्यु की आकस्मिक घटना के मामले का निपटान करने के लिए, कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी के लिए एनबीएफसी के पास एक सुपरिभाषित निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया को ग्राहक जानकारी के लिए अन्य समान नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ एनबीएफसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

45.5.2 चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को मुक्त करने में देरी के लिए मुआवजा

(i) ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद 30 दिनों के भीतर मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को मुक्त करने में या संबंधित रजिस्ट्री के साथ चार्ज संतुष्टि फॉर्म दाखिल करने में विफल रहने के मामले में, एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को इस तरह की देरी के कारणों के बारे में बताया जाएगा। ऐसे मामले में जहां देरी आरई के कारण होती है, तब एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹5,000/- की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

(ii) मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों के, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, खो जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की डुप्लिकेट/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और उपर्युक्त पैरा 6 में बताए अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के अलावा, संबंधित लागत भी वहन किया जाएगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में, एनबीएफसी को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा और विलंबित अवधि के जुर्माने की गणना उसके बाद (यानी, 60 दिनों की कुल अवधि के बाद) की जाएगी ।

(iii) इन निर्देशों के तहत प्रदान किया गया मुआवजा किसी भी लागू कानून के अनुसार किसी भी अन्य मुआवजे को प्राप्त करने के उधारकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

45.5.3 प्रयोज्यता

पैराग्राफ 45.5 मे दिए निर्देश उन सभी मामलों पर लागू होंगे जहां मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों का निर्मोचन 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद होने वाली है।

45.6 [21]समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

45.6.1 ईएमआई आधारित अस्थायी दर वाले व्यक्तिगत ऋणों की स्वीकृति प्रदान करते समय, एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण की अवधि के दौरान बाहरी बेंचमार्क दर में संभावित वृद्धि के परिदृश्य में अवधि बढ़ाने और/या ईएमआई में वृद्धि के लिए पर्याप्त हेडरूम/मार्जिन उपलब्ध है। हालाँकि, ईएमआई आधारित अस्थायी दर वाले व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में, बढ़ती ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए, उधारकर्ताओं के साथ उचित पत्र व्यवहार और/या सहमति के बिना ऋण की अवधि बढ़ाने और/या ईएमआई राशि में वृद्धि से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन चिंताओं के समाधान के लिए, एनबीएफसी को कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उचित नीति ढांचा तैयार करने हेतु सूचित किया जाता है:

(i) मंजूरी के समय, एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं को ऋण पर बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव के कारण ईएमआई और/या अवधि अथवा दोनों में होने वाले सभी संभावित प्रभावों के संबंध में स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा। इसके बाद, उपर्युक्त के कारण ईएमआई/अवधि अथवा दोनों में कोई भी वृद्धि होती है तो उक्त के संबंध में उधारकर्ता को उचित माध्यमों से तुरंत सूचित करना होगा।

(ii) ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के समय, एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एक निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट किया जाए कि उधारकर्ता को ऋण की अवधि के दौरान कितनी बार स्विच करने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) उधारकर्ताओं को (i) ईएमआई में वृद्धि या अवधि में वृद्धि या दोनों विकल्पों के संयोजन के लिए; और, (ii) ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय, या तो आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करने का विकल्प चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। पुरोबंध शुल्क/पूर्व-भुगतान जुर्माना लगाना वर्तमान निर्देशों के अधीन होगा।

(iv) ऋणों को अस्थायी दर से निश्चित दर पर स्विच करने के लिए सभी लागू शुल्क और उक्त विकल्पों के प्रयोग के लिए प्रासंगिक कोई अन्य सेवा शुल्क/प्रशासनिक लागत मंजूरी पत्र में और समय-समय पर एनबीएफसी द्वारा ऐसे शुल्कों/लागतों के संशोधन के समय भी पारदर्शी रूप से प्रकट किया जाए।

(v) एनबीएफसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्थायी दर के मामले में अवधि बढ़ने से नकारात्मक परिशोधन (निगेटिव अमोर्टिजेसन) न हो।

---

[21] 18 अगस्त 2023 के परिपत्र विवि.एमसीएस.आरईसी.32/01.01.003/2023-24

(vi) एनबीएफसी द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में उचित माध्यमों से उधारकर्ताओं के लिए एक विवरण साझा / सुलभ कराया जाएगा, जिसमें न्यूनतम, अब तक वसूल किए गए मूलधन और ब्याज, ईएमआई राशि, शेष ईएमआई की संख्या और ऋण की पूरी अवधि के लिए वार्षिक ब्याज दर / वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की गणना होगी। एनबीएफसी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त विवरण सरल हों और उधारकर्ता इन्हें आसानी से समझ सकें।

45.6.2 समान मासिक किस्त वाले ऋणों के अलावा, ये अनुदेश, यथोचित परिवर्तनों के साथ, विभिन्न आवधिकों के सभी समान किस्त आधारित ऋणों पर भी लागू होंगे।

45.6.3 एनबीएफसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पैराग्राफ 45.6 में दिए अनुदेश मौजूदा और साथ ही नए ऋणों पर 31 दिसंबर 2023 तक उपयुक्त रूप से लागू किए जाएं। सभी मौजूदा उधारकर्ताओं को उचित माध्यमों से एक सूचना भेजी जाए, जिसमें उन्हें उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दी जाएगी।

45.7 सामान्य

45.7.1 एनबीएफसी को उन प्रयोजनों को छोड़कर, जिनका ऋण करार की शर्तों में उल्लेख है, (जब तक उधारकर्ता द्वारा पहले प्रकट नहीं की गई कोई नई सूचना उधार देने वाली कंपनी की जानकारी में आई हो), उधार लेने के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

45.7.2 उधारकर्ता से उधार-खाते को अंतरित करने का अनुरोध प्राप्त होने पर, उसकी सहमति या असहमति जैसे एनबीएफसी की आपत्ति यदि कोई हो तो, ऐसे अनुरोध प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर उधारकर्ता को सूचित की जानी चाहिए। ऐसा अंतरण कानून के अनुरूप और पारदर्शी संविदागत शर्तों के अनुसार होगा ।

45.7.3 ऋण की वसूली के मामले में एनबीएफसी द्वारा अनुचित रूप से परेशान करने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए जैसे-ऋणों की वसूली हेतु उधारकर्ता को निरंतर असमय परेशान करना, मारपीट करने का भय दिखाना, आदि । जैसा कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के संबंध में भी ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त होती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों से साथ व्यवहार करने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है।

45.7.4 ग्राहक संरक्षण के लिए कतिपय उपायों तथा बैंको और एनबीएफसी के उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न ऋणों का पूर्वभुगतान के संबंध में एकरूपता लाने के लिए, एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वैयक्तिक उधारकर्ताओं को, सहबाध्याताधारी (ओं) के साथ या बिना, मंजूर सभी अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/अवधिपूर्व चुकौती अर्थदंड नहीं लगाया जाए।

45.8 निदेशक मंडल का दायित्व

45.8.1 एनबीएफसी के निदेशक मंडल को इस संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए संगठन/संस्था के अंदर उचित शिकायत निवारण प्रकिया भी बनानी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए उधार

देने वाली संस्था के कार्यकर्ताओं के निर्णयों से उत्पन्न सभी विवादों की कम से कम अगले उच्चस्तर पर सुनवाई हो और निपटारा हो।

45.8.2 निदेशक मंडल को उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंध तंत्र के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की कार्यप्रणाली की आवधिक रूप से समीक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी समीक्षाओं की, निदेशक मंडल द्वारा यथानिर्धारित, नियमित अंतरालों पर एक समेकित रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

45.9 रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) के अंतर्गत आने वाली एनबीएफसी उक्त योजना के तहत दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेंगी।

45.10 उचित व्यवहार संहिता संप्रेषित करने का माध्यम और भाषा

सभी एनबीएफसी को यहां ऊपर दिए गए दिशा -निर्देशों के आधार पर उचित व्यवहार संहिता (जो कि विशेष रूप से स्थानी भाषा में या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में) तैयार करके बोर्ड के अनुमोदन से कार्यान्वित कर दी जानी चाहिए। एनबीएफसी को उक्त उचित व्यवहार संहिता का प्रारूप तैयार करने, उक्त दिशा-निर्देशों की व्याप्ति (स्कोप) बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी परंतु वे उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की निहित मूल भावना का त्याग नहीं करेंगी। उक्त उचित व्यवहार संहिता, विभिन्न दावा धारकों की सूचना के लिए एनबीएफसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर, उपलब्ध कराई जाए।

45.11 एनबीएफसी द्वारा अत्यधिक ब्याज लेने/चार्ज करने के संबंध में नियम

45.11.1 प्रत्येक एनबीएफसी की निदेशक बोर्ड, निधियों की लागत, मार्जिन तथा जोखिम प्रीमियम, आदि जैसे संगत कारकों को शामिल करते हुए ब्याज दर मॉडल अपनाएगा और ऋणों तथा अग्रिमों पर लगाये जाने वाला ब्याज दरों का निर्धारण करेगा। भिन्न-भिन्न श्रेणी के उधारकर्ताओं पर लगाये जाने वाला ब्याज दरों एवं जोखिमों का श्रेणीकरण के रुख तथा भिन्न ब्याज दरें प्रभारित करने संबंधी युक्तियुक्तता को उधारकर्ताओं या ग्राहकों के आवेदन पत्र में दिखाना होगा व ऋण/अग्रिम के स्वीकृति पत्र में इन्हें स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा।

45.11.2 ब्याज दरों एवं जोखिमों के श्रेणीकरण के रुख को युक्तियुक्तता सहित कंपनी की वेबसाइट पर या संगत समाचार पत्र में प्रकाशित कर उपलब्ध कराया जाएगा। ब्याज दर में जब भी बदलाव होगा, वेबसाइट या समाचारपत्र में प्रकाशित ऐसी सामग्री को भी तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।

45.11.3 ब्याज की दर वार्षिक दर के रूप में दिखाई जाएगी ताकि उधारकर्ता यह जान सके कि उनसे ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दर क्या होगी।

45.12 एनबीएफसी द्वारा अत्यधिक ब्याज लेने/चार्ज करने के संबंध में शिकायतें

45.12.1 एनबीएफसी द्वारा कतिपय ऋणों व अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज/ प्रभार (चार्ज) लेने के संबंध में रिज़र्व बैंक को अनेक शिकायतें मिल रही हैं। यद्यपि, ब्याज दरें रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं की जाती हैं तथापि, कतिपय स्तर(लेवल) से ज्यादा ब्याज वसूलना अत्यधिक ब्याज दर के रूप में देखा जा सकता है। उन्हें सतत रूप से न तो जारी रखा जा सकता है और न ही ऐसा करना सामान्य वित्तीय व्यवहार के अनुरूप है।

45.12.2 अत:, एनबीएफसी के निदेशक बोर्डों को सूचित किया जाता है कि वे ब्याज दरों, प्रोसेसिंग तथा अन्य चार्जेज़ के निर्धारण के संबंध में उचित आंतरिक सिद्धांत एवं प्रक्रिया बनाकर लागू करें। इस संबंध में उचित व्यवहार संहिता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए जिसमें ऋण की शर्तों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कहा गया है।

45.13 एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित वाहनों को पुन: कब्जे (repossession) में लेने के संबंध में स्पष्टीकरण

45.13.1 एनबीएफसी द्वारा 'पुन: कब्जे में लेने की शर्त' उधारकर्ताओं के साथ की जाने वाली संविदा/ किए जाने वाले करार का अंग होना चाहिए जो विधिक रूप से प्रवर्तनीय हो। इस बारे में पारदर्शिता के लिए संविदा / ऋण करार की शर्तों के संबंध में इन प्रावधान को भी शामिल किया जाए

(i) प्रतिभूति को कब्जे में लेने से पूर्व नोटिस - अवधि,

(ii) परिस्थितियाँ जिनमें नोटिस अवधि से छूट दी जा सकती हो,

(iii) प्रतिभूति को कब्जे में लेने की प्रणाली,

(iv) संपत्ति की बिक्री /नीलामी से पूर्व उधारकर्ता को चुकौती करने का अंतिम मौका देने संबंधी प्रावधान,

(v) उधारकर्ता को पुन: कब्जा देने की प्रणाली और

(vi) संपत्ति की बिक्री/नीलामी की प्रणाली

45.13.2 उधारकर्ता को ऐसी शर्तों की एक प्रति अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए। एनबीएफसी ऋण करार की प्रति तथा ऋण करार में उद्धृत सभी अनुलग्नको, जो ऐसी संविदा/ऋण करार का महत्त्वपूर्ण अंग हों, की एक-एक प्रति सभी उधारकर्ताओं को ऋणों की स्वीकृति देते /का वितरण करते समय उपलब्ध कराएं।

45.14 स्वर्ण आभूषण की संपार्श्विक जमानत के बदले ऋण:

स्वर्ण आभूषणों के बदले व्यक्तियों को ऋण देते समय, एनबीएफसी उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश अपनाएं:-

45.14.1 स्वर्ण के बदले ऋण हेतु उन्हें बोर्ड से अनुमोदित नीति के साथ साथ निम्नलिखित को कवर करना होगा:

(i) रिज़र्व बैंक का अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश का पालन हेतु पर्याप्त कदम उठाये जाए तथा ग्राहक को कोई ऋण मंजूर करने के संबंध में समुचित सावधानी बरतनी चाहिए,

(ii) प्राप्त आभूषण के लिए उचित परख प्रक्रिया का पालन किया जाए,

(iii) स्वर्ण आभूषण के स्वामित्व को आंतरिक प्रणाली से संतुष्टि हो,

(iv) नीति में आभूषण को सेफ कस्टडी में रखने के लिए प्रर्याप्त व्यव्स्था, चालू (ऑन गोइंग)आधार पर समीक्षा प्रणाली, संबंधित स्टॉफ का प्रशिक्षण तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आवधिक निरीक्षण को शामिल किया जाए ताकि प्रक्रिया का भी गहन अनुपालन किया जा सके। नीति के अनुसार, स्वर्ण का संपार्श्विक जमानत के बदले ऋण का विस्तार शाखाओं द्वारा नहीं किया जाएगा जिसके पास आभूषण को रखने की उचित सुविधा नहीं है,

(v) संपार्श्विक के बदले स्वीकर किया गए आभूषण का समुचित बीमा किया गया हो,

(vi) गैर चुकौती के मामलों में आभूषण की नीलामी के संबंध में बोर्ड से अनुमोदित नीति पारदर्शी होनी चाहिए तथा नीलामी की तारीख के पूर्व उधारकर्ता को पर्याप्त सूचना दिया जाना चाहिए। नीलामी में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया जाए। ब्याज के संबंध में कोई विवाद नहीं होना चाहिए तथा नीलामी प्रक्रिया में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि नीलामी के दौरान ग्रूप कंपनी तथा संबंधित संस्थाओं के साथ सभी लेन देन में युक्ति युक्त रूप से दूरी (arm’s length relationship)रखी गयी है,

(vii) सार्वजनिक के लिए नीलामी की घोषणा का विज्ञापन कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र, एक स्थानीय भाषा का तथा दूसरा राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र में जारी किया जाए।

(vii) नीति के अनुसार सम्पन्न नीलामी में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को स्वयं भाग नहीं लेना है,

(ix) गिरवी रखे गए सोने की निमाली केवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीलामीकर्ताओं के माध्यम से किया जाए।

(x) नीति में मोबलाईजेशन, निष्पादन तथा अनुमोदन के कार्य को अलग करने के साथ धोखा धडी के मामलों से निपटान की प्रणाली तथा प्रक्रिया को भी शामिल किया जाए।

45.14.2 ऋण करार में नीलामी प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाए:

45.14.3 अन्य अनुदेश

(i) संपार्श्विक सोने पर एनबीएफसी वित्तपोषण के समग्र उधारकर्ता को सभी `5 लाख से ऊपर के लेनदेन के लिए पैन कार्ड की प्रति देने के लिए कहें।

(ii) सभी शाखाओं के प्रलेखीकरण का मानकी करण होना चाहिए।

(iii) एनबीएफसी गलतफहमी पैदा करने वाला विज्ञापन जारी नहीं करेगा जैसे कि 2-3 मिनट में ऋण की उपलब्धता का दावा।

45.15 एनबीएफसी द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग /दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना

एनबीएफसी द्वारा उत्पाद तथा ऋणों सहित सुविधाएं देने में शारीरिक रूप से विकलांग /दृष्टिहीन आवेदकों के साथ शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव न किया जाए। एनबीएफसी की सभी शाखाएं विभिन्न कारोबारी सुविधाओं

का लाभ ऐसे लोगों को देने में हर संभव सहायता करें. एनबीएफसी अपने सभी कर्मचारियों के लिए चलाये जाने वाले विभिन्न स्तरीय कार्यक्रमों में, एक उचित माड्यूल शामिल करें जिसमें शरीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कानूनी तथा अंतराष्ट्रीय कन्वेंश, द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का अधिकार गारेंटी शामिल हो। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा स्थापित शिकायत निवारण पद्धति के तहत शारीरिक रूप से विकंलांग व्यक्तियों के शिकायत का निवारण किया जा रहा है।

अध्याय VIII
विविध मुद्दे

46. एनबीएफसी द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना

इस अध्याय में दिये गए ये निदेश विदेश में निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी निदेशों के अतिरिक्त होंगे।

46.1 एनबीएफसी द्वारा विदेश में शाखा /सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या निवेश के मामले में रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लेनी होगी। रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विदेश में सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या किसी विदेशी संस्था में निवेश नहीं कर सकता। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एनबीएफसी के आवेदन पर क्रमशः पैरा 46.2 और 46.3 इन निदेशों में निर्धारित सामान्य और विशिष्ट शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा।

46.2 सामान्य शर्तें

(i) गैर वित्तीय सेवाएं क्षेत्र में निवेश की अनुमति नहीं है।

(ii) फेमा (एफईएमए) के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों या सेक्टोरल निधियों में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।

(iii) केवल उन संस्थाओं में निवेश की अनुमति है जिसके कोर गतिविधियों का विनियमन स्थानीय (होस्ट) अधिकार क्षेत्र के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा किया जाता हो।

(iv) समग्र विदेशी निवेश निवल स्वाधिक निधियों के 100% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी एक विदेशी संस्था में, उसकी निचली सहायक कंपनियों सहित, इक्विटी या निधि आधारित प्रतिबद्धता निवेश के माध्यम से निवेश , एनबीएफसी के स्वामित्व निधि का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(v) विदेशी निवेश में बहु स्तरीय, क्रास क्षेत्राधिकार संरचना शामिल नहीं होना चाहिए तथा अधिक से अधिक मात्र एक मध्यवर्ती धारक संस्था को अनुमति दी जाएगी;

(vi) विदेश में सहायक कंपनी में निवेश करने के बाद, एनबीएफसी का सीआरएआर लीवरेज निर्धारित विनियामक स्तर से कम नहीं होना चाहिए ।

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए में निर्धारित स्पष्टिकरण के अनुरूप एनबीएफसी को प्रस्तावित विदेशी सहायक कंपनी/ विदेश में निवेश करने के बाद आवश्यक निवल स्वाधिक निधियों का स्तर बरकरार रखना होगा ।

(viii) एनबीएफसी का निवल अनर्जक आस्तियों का स्तर निवल अग्रिम के 5%से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ix) एनबीएफसी को पिछले तीन वर्षो में लाभ अर्जित किया होना चाहिए तथा इस अवधि के दौरान उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक होना चाहिए।

(x) एनबीएफसी को समय समय पर जारी फेमा 1999 विनियम का अनुपालन करना होगा।

(xi) एनबीएफसी का विनियामकीय अनुपालन तथा सार्वजनिक जमाराशि संबंधी सेवा, यदि जमाराशि रखी हो, संतोषजनक होना चाहिए।

(xii) एनबीएफसी को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियम का पालन करना होगा ।

(xiii) विदेश में विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की स्थापना या विदेश में अधिग्रहण को विदेशी संस्था में निवेश के प्रतिशत के आधार पर विदेश में सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम में निवेश / विदेश में निवेश माना जाएगा;

(xiv) एनबीएफसी को सांविधिक लेखा परीक्षक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया हो कि उसने विदेश में निवेश के लिए इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सभी नियमों का पूर्ण अनुपालन इसके द्वारा किया गया है, रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जहां वह पंजीकृत है।

(xv) यदि रिज़र्व बैंक के संज्ञान में कोई प्रतिकूल बात आती है तो स्वीकृत अनुमति को वापस ले लिया जाएगा। विदेश में निवेश हेतु सभी स्वीकृतियां इस शर्त के अधीन हैं।

46.3 विशेष शर्तें

46.3.1 विदेश में शाखा खोलना

सामान्य नीति के अनुसार, एनबीएफसी को विदेश में शाखा खोलने की अनुमति नहीं है। तथापि एनबीएफसी, जिन्होंने वित्तीय कारोबार गतिविधियों के लिए पहले से ही विदेश में शाखा (शाखाएं) खोल रखी हैं, को संशोधित दिशानिर्देश के अनुपालन के आधार पर, यथा लागू, परिचालन जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

46.3.2 विदेश में सहायक कंपनी खोलना

एनबीएफसी द्वारा विदेश में सहायक कंपनी खोलने के मामले में उक्त निर्धारित सभी शर्तें लागू होंगीं। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया अनापत्ति प्रमाण पत्र विदेशी नियामकों की अनुमोदन प्रक्रिया से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निर्धारित शर्तें हैं जो कि सभी एनबीएफसी पर लागू है:

(i) विदेश में सहायक कंपनी खोलने के मामले में, मूल एनबीएफसी को ऐसी सहायक कंपनियों को या उनकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्निहित गारेंटी देने की अनुमति नहीं है।

(ii) विदेशी सहायक कंपनी को भारत के किसी भी संस्थान से चुकौती आश्वासन पत्र के लिए अनुरोध की अनुमति नहीं है।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित विदेशी संस्था में एनबीएफसी की देनदारी उसके इक्विटी या सहायक कंपनी के निधि आधारित प्रतिबद्धता तक सीमित है।

(iv) विदेश में स्थापित की जाने वाली सहायक कंपनी मुखौटा (Shell) कंपनी नहीं होगी अर्थात "कंपनी का गठन किया गया है किंतु उसकी कोई विशिष्ट परिसंपत्ति या परिचालन नहीं है" तथापि वित्तीय सलाहकार तथा परामर्श सेवा का

कारोबार करने वाली ऎसी कंपनी जिसमें महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति नहीं है, उन्हें मुखौटा (Shell) कंपनी के रूप में नहीं माना जाएगा।

(v) एनबीएफसी द्वारा विदेश में स्थापित की वाली सहायक कंपनी का प्रयोग भारत में भारतीय परिचालन के लिए परिसंपत्ति बनाने के लिए संसाधन बनाने वाले संस्थान के रूप में प्रयोग नहीं किया जाए।

(vi) इन प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, मूल एनबीएफसी को विदेश में स्थापित सहायक कंपनी से उनके द्वारा किये जाने वाले कारोबार संबंधी आवधिक रिपोर्ट/ लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना होगा तथा उसे रिज़र्व बैंक तथा बैंक के निरीक्षण अधिकारियों को उपलब्ध करना होगा;

(vii) यदि सहायक कंपनी द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जा रहा है या रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है तब विदेश में सहायक कंपनी की स्थापना के लिए दी गई अनुमति की समीक्षा की जाएगी / उसे वापस लिया जा सकता है।

(viii) किसी एनबीएफसी को विदेश में सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि सहायक कंपनी अपने तुलन पत्र में यह प्रकट करें कि प्रस्तावित विदेशी संस्था में मूल संस्था की देनदारी उसके इक्विटी या या सहायक संस्था के प्रति या निधि आधारित प्रतिबद्धता तक होगी;

(ix) विदेशी सहायक कंपनी का सभी परिचालन मेजबान देश के विनियामक क्षेत्र के अधीन होगा।

46.3.3 विदेशों में संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनी के अतिरिक्त विदेश में निवेश पर भी वही दिशा निर्देश लागू होंगे जो सहायक कंपनी के लिए लागू हैं।

46.3.4 एनबीएफसी द्वारा विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

(i) संपर्क कार्य, बाजार अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य हेतु प्रतिनिधि कार्यालय विदेश में खोला जा सकता है किंतु मेजबान देश के विनियमन के अधीन आने वाले कार्यों को छोड़कर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा जिसमें निधि परिव्यय शामिल हो। चूँकि ऐसे कार्यालय संपर्क कार्य के अतिरिक्त किसी और कार्य में शामिल नहीं होंगे अत: उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) मूल एनबीएफसी को विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय से उसके कारोबार संबंधी आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। यदि प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जाता है या रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं होती है उनको कार्य के लिए प्रदान की गई अनुमति की समीक्षा की जाएगी/उसे निरस्त किया जा सकता है।

47. एनबीएफसी की गतिविधियों का स्वचालित मार्ग से विस्तार

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से स्थापित एनबीएफसी को केवल उन्हीं गतिविधियों को करने की अनुमति होगी जो स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अनुमत हैं। उनसे भिन्न किसी अन्य गतिविधि को करने से पहले उसे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन लेने की जरूरत होगी। इसी प्रकार यदि किसी कंपनी को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश की अनुमति मिली है (जैसे साफ्टवेयर) और बाद में वह गैर बैंकिंग वित्तीय

कंपनी क्षेत्र में काम करना चाहती है तो उसे लागू न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों और अन्य विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।

48. एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग के लिए जोखिमों का प्रबंधन और आचार संहिता- एनबीएफसी अपने वर्तमान आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का स्व-मूल्यांकन करेंगे और इसे अनुबंध XIII में दिये गए निर्देशों के अनुसार करेंगे।

49. [22]डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश

एनबीएफसी 15 अप्रैल 2024 के 'ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)' पर परिपत्र के साथ पठित 02 सितंबर, 2022 के परिपत्र 'डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश' में निहित निर्देशों का पालन करेंगे।

50. [23]डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश

एनबीएफसी 08 जून, 2023 के, समय-समय पर यथा संशोधित, परिपत्र **डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश** में निहित निर्देशों का पालन करेंगे।

51. [24]डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन

51.1 वित्तीय क्षेत्र में खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट रहित ऋण देने का दावा करने वाले कई डिजिटल प्लेटफॉर्म उभरे हैं। एनबीएफसी भी अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रयोग करते देखे जाते हैं। इसके अलावा, कुछ एनबीएफसी को रिजर्व बैंक के साथ 'केवल-डिजिटल' ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में पंजीकृत किया गया है जबकि कुछ एनबीएफसी ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल और पारंपरिक दोनों चैनलों पर काम करने के लिए पंजीकृत हैं। इस प्रकार एनबीएफसी को या तो सीधे अपने डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से या आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण देते देखा जाता है। ऋण देने वाले प्लेटफार्म बैकएंड पर एनबीएफसी के नाम का खुलासा किए बिना स्वयं को ऋणदाता के रूप में चित्रित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक विनियामक ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाल के दिनों में, ऋण प्लेटफार्मों के विरुद्ध कई शिकायतें पाई गई हैं जो मुख्य रूप से अत्यधिक ब्याज दरों, ब्याज की गणना करने के लिए गैर-पारदर्शी तरीकों, कठोर वसूली उपायों, व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत उपयोग और बुरे व्यवहार से संबंधित हैं।

[22] 02 सितंबर 2022 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23

[23] 08 जून, 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24

[24] 24 जून 2020 के परिपत्र विवि.गैबैंविक(नीवि).कंपरि.सं. 112/03.10.001/2019-20

51.2 यद्यपि ऋण मध्यस्थता में डिजिटल वितरण एक स्वागत योग्य उपलब्धि है, लेकिन लेनदेन की पारदर्शिता न होने और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार संहिता आदि पर एनबीएफसी को जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए, यह दोहराया जाता है कि, एनबीएफसी को, चाहे वे अपने डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से या आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण देते हों, को अनिवार्य रूप से उचित व्यवहार संहिता के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करना चाहिए। उन्हें वित्तीय सेवाओं और आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर जारी विनियामकीय निर्देशों का भी सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए।

51.3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एनबीएफसी द्वारा किसी भी गतिविधि को आउटसोर्स करने से उनके दायित्वों में कमी नहीं आती है, क्योंकि विनियामक निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी केवल उनके पास है। एनबीएफसी जहां कहीं भी डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों को अपने एजेंट के रूप में उधारकर्ताओं को ऋण देने और/या बकाया वसूलने के लिए शामिल करते हैं, उन्हें निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:

(i) एजेंट के रूप में लगे डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों के नाम एनबीएफसी की वेबसाइट पर बताए जाएंगे।

(ii) एजेंट के रूप में कार्य कर रहे डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों को यह निर्देश दिया जाए कि वे ग्राहकों से संवाद करते समय पहले ही बता दें कि वे किस एनबीएफसी जुड़े हैं।

(iii) स्वीकृति के तुरंत बाद लेकिन ऋण करार के निष्पादन से पहले, संबंधित बैंक/एनबीएफसी के लेटर हेड पर उधारकर्ता को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

(iv) ऋण समझौते में उद्धृत सभी संलग्नकों की एक-एक प्रति सहित ऋण समझौते की एक प्रति ऋण की स्वीकृति/वितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को प्रस्तुत की जाएगी।

(v) बैंकों/एनबीएफसी द्वारा लगाए गए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्मों पर प्रभावी देखरेख और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

(vi) शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता लाने की दिशा में पर्याप्त प्रयास किए जाएंगे।

51.4 एनबीएफसी (जिसमें 'केवल-डिजिटल' अथवा डिजिटल और पारंपरिक दोनों चैनलों पर ऋण देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी सहित) द्वारा इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

52. ऋण चूक अदला-बदली- उपयोगकर्ता के रूप में एनबीएफसी

52.1 एनबीएफसी केवल सीडीएस बाजार में उपयोग कर्ता के रूप में भाग लेंगी। उपयोग कर्ता के रूप में, उनको केवल उनके द्वारा धारण किये गये कार्पोरेट बांडो के संबंध में ऋण जोखिम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण सुरक्षा खरीदने की अनुमति दी जायेगी। उनको सुरक्षा की बिक्री करने की अनुमति नहीं होंगी। अतः उनको सीडीएस संविदाओं में खरीद से अधिक बिक्री (शॉर्ट पोजीशन) की अनुमति नहीं होंगी। मूल प्रतिपक्षों के साथ छुटकारा पाते हुए

उनके खुलकर [अनवाइंड] या पूर्वाधिकार बांडों के खरीददार के पक्ष में अंतरित करके वे सीडीएस की खरीद की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।

52.2 उक्त सभी प्रावधानों के अनुपालन के अलावा, उपयोगकर्ता के रूप में एनबीएफसी संलग्न दिशानिदेशों सहित सीडीएस के लिए **अनुबंध XIV** में दिये गए परिचालनात्मक आवश्यकाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

53. करेंसी फ्यूचर्स में सहभागिता

एनबीएफ़सी को केवल अपनी अंतर्निहित विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के उद्देश्य के लिए, ग्राहकों के रूप में, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त नामित करेंसी फ्यूचर एक्सचेंजों में भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) के इस मामले में दिशा-निर्देशों के अधीन में भाग ले सकते हैं। सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मुद्रा वायदा बाजार में किए गए लेनदेन का संबंधित बैलेंस शीट में प्रकटीकरण किया जाए ।

54. ब्याज दर संबंधी भावी सौदे (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)

एनबीएफ़सी, 26 जून 2019 के **रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019**, समय-समय पर यथा संशोधित, में निहित निर्देशों के अनुपालन में, अपने अंतर्भूत जोखिमों की हेजिंग के लिए सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त एवं नामित आईआरएफ एक्सचेंजों में ग्राहक के रूप में भाग ले सकती हैं। ब्याज दर संबंधी भावी सौदों के लिए एक्सचेंजों में भाग लेने वाली एनबीएफ़सी ऐसे आंकड़े छमाही आधार पर, संबंधित छमाही की समाप्ति के बाद एक माह में रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को संलग्न फार्मेट में प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता हो।

55. सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

एनबीएफसी रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमत अपने गिल्ट खाते या अपने डीमैट खाते या किसी अन्य खाते के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन करेंगी।

56. सरकारी प्रतिभूति लेन-देनों से संबंधित परिचालन अनुदेश

सभी एनबीएफ़सी को अनुदेश दिया जाता है कि वे समय समय पर संशोधित 29 मार्च 2004 के परिपत्र आइडीएमडी.पीडीआरएस.05/10.02.01/2003-04, 11 मई 2005 का आईडीएमडी. पीडीआरएस.4777, 4779 तथा जुलाई 24, 2018 का पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें।

57. कार्पोरेट बांड लेनदेनों के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफार्म

एनबीएफ़सी ओवर दि काउंटर मार्केट में सेकंडरी बाजार में किए गए कारपोरेट बांड लेनदेनों को लेनदेन के 15 मिनट के भीतर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स-एसएक्स) पर रिपोर्ट करें। इस संबंध में, समय-समय पर यथा संशोधित, 24 फरवरी 2014 के परिपत्र ‘FIMMDA’s Trade Reporting and Confirmation

platform for OTC transactions in Corporate Bonds and Securitized Debt Instruments' के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

58. एनबीएफ़सी द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से धनराशि जुटाना

सभी एनबीएफ़सी से अपेक्षित है कि अपरिवर्तनीय –डिबेंचर्स (एनसीडी) के प्राइवेट प्लेसमेंट पर अनुबंध XV में दिए गए दिशानिदेशों का अनुपालन करें। यह नोट किया जाए कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इसके तहत जारी नियम वहां लागू होंगे जहां विरोधाभास नहीं है।

59. बीमा कारोबार में प्रवेश

59.1 बीमा कारोबार में प्रवेश के लिए एनबीएफ़सी आवश्यक विवरण के साथ उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफ़सी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को करना होगा।

59.2 एनबीएफ़सी बीमा एजेंसी कारोबार, शुल्क के आधार पर और जोखिम भागीदारी के बिना, कतिपय पात्रता शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक की मंजूरी के बिना कर सकती है।

59.3 विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध XVI में दिए गए हैं।

60. हटाया गया। [25]

61. म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण

रिज़र्व बैंक से पंजीकृत एनबीएफ़सी को म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण की अनुमति है बशर्ते वे सेबी के दिशानिदेशों/विनियम का पालन करें तथा म्यूच्युअल फंड उत्पाद के वितरण के लिए आचार संहिता का पालन करें। विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध XVIII में दिए गए हैं।

62. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी की मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)के तहत सब-ऐजेंट (उप –अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति

एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति के बगैर एमटीएसएस के तहत सब-ऐजेंट (उप-अभिकर्ता) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी ऐसी गतिविधियां नहीं करेंगी।

63. राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

एनबीएफसी-बीएल को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आनेवाली राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के लिये पीओपी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

---

[25] 07 मार्च 2024 के परिपत्र विवि.आरएयूजी.एयूटी.आरईसी.सं.81/24.01.041/2023-24

64. एनबीएफसी द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का प्रावधान

सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करना एक शुल्क आधारित सेवा है तथा इसकी गणना एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले वित्तीय कारोबार के रूप में नहीं किया जायेगा।ऐसी एनबीएफसी जो सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करती हों अथवा इसे प्रदान करने की इच्छा रखती हों, वे अपने ग्राहकों को यह स्पष्ट करें कि यह गतिविधि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है।

65. [26]उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई)

विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) कूट वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा प्रणाली की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करने का मुख्य उपाय माना जाता है। एलईआई विश्व भर में वित्तीय लेनदेन करने वाले पक्षों की पहचान करने वाला 20-अंक का अद्वितीय कूट है। तदनुसार सूचित किया जाता है कि बैंकों[27] और वित्तीय संस्थानों (एफआई)[28] से ₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर का लाभ लेने वाले गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को नीचे दी गई समय-सीमा के अनुसार एलईआई कोड प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

कुल एक्सपोज़र	**एलईआई जिस तिथि को या उससे पहले प्राप्त किया जाना है**
₹25 करोड़ से ऊपर	30 अप्रैल 2023
₹10 करोड़ से ऊपर, ₹25 करोड़ तक	30 अप्रैल 2024
₹5 करोड़ और उससे अधिक, ₹10 करोड़ तक	30 अप्रैल 2025

इस प्रयोजन के लिए "एक्सपोज़र" में उधारकर्ता के प्रति बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सभी निधि आधारित और गैर-निधि आधारित (ऋण के साथ-साथ निवेश) एक्सपोज़र शामिल होंगे। इस प्रयोजन के लिए कुल स्वीकृत सीमा या बकाया राशि, जो भी अधिक हो, की गणना की जाएगी। ऋणदाता अपने पास उपलब्ध जानकारी या सीआरआईएलसी डेटाबेस या उधारकर्ता से प्राप्त घोषणा के आधार पर कुल एक्सपोजर की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

65.2 उधारकर्ता एलईआई के कार्यान्वयन और प्रयोग का समर्थन करने के लिए गठित संस्था वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता फाउंडेशन (जीएलईआईएफ) के द्वारा अधिकृत किसी स्थानीय परिचालनरत इकाई (एलओयू) से एलईआई प्राप्त कर सकती हैं। भारत में, एलईआई कूट विधिक संस्था पहचानकर्ता इंडिया लि. (एलईआईआईएल), जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत एलईआई जारीकर्ता के रूप में रिज़र्व बैंक से मान्यता प्राप्त और एलईआई जारी करने और उसके प्रबंधन के लिए भारत में स्थानीय परिचालनरत यूनिट के रूप में

[26] 21 अप्रैल 2022 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.28/21.04.048/2022-23

[27] "बैंकों" का अर्थ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्थानीय क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक होंगे।

[28] "वित्तीय संस्थान" (एफआई) का अर्थ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, सिडबी, एनएचबी, नाबार्ड और एनएबीएफआईडी) और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) होगा।

जीएलईआईएफ द्वारा अधिकृत, भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) की सहायक संस्था है, से प्राप्त किया जाए। नियम, प्रक्रिया और प्रलेखन संबंधी अपेक्षाएं एलईआईआईएल से पता की जाए। एलईआई कूट प्राप्त करने के बाद, बैंक यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उधारकर्ता जीएलईआईएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार कूट का नवीनीकरण करा रहे हैं।

65.3 उधारकर्ता जो अधिकृत स्थानीय परिचालन इकाई (एलओयू) से एलईआई कोड प्राप्त करने में विफल रहते हैं, उन्हें कोई नया एक्सपोजर मंजूर नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें किसी मौजूदा एक्सपोजर का नवीनीकरण/वृद्धि प्रदान की जाएगी। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों/एजेंसियों[29] (कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या संबंधित संविधियों के तहत स्थापित निगम को छोड़कर) को इस प्रावधान से छूट दी जाएगी।

65.4 एनबीएफसी बड़े उधारकर्ताओं को उनकी मूल संस्था तथा अनुषंगियों और सहायक संस्थाओं के लिए एलईआई प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।

66. साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आंकड़ा प्रस्तुत करना

66.1 सभी एनबीएफसी (बिना किसी ग्राहक अंतरफलक (इंटरफेस) गतिविधियों के विशुद्ध रूप से निवेश का कारोबार करने वाली कंपनियों को छोडकर) से अपेक्षित है कि वे सभी क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य बनें और उन्हें डाटा (हिस्टोरिकल डाटा सहित) प्रस्तुत करें ।

66.2 इस संबंध में साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 17 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार साख सूचना कंपनी को उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत अपने सदस्यों से, जैसा वह आवश्यक समझे, साख सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा होगी और प्रत्येक ऐसी साख संस्था को उस साख सूचना कंपनी को अपेक्षित सूचना देनी होगी। साख सूचना कंपनी विनियम, 2006 के विनियमन 10 (क)_(ii) के अनुसार प्रत्येक साख संस्था:

(i) साख सूचना अपने पास उपलब्ध रखेगी, उसे मासिक आधार पर या उस कम अंतराल पर अद्यतन रखेगी जैसा कि साख(सीआई) तथा साख सूचना कंपनी(सीआईसी) के बीच परस्पर सहमति से तय हो;

(ia) [30]1 जनवरी, 2025 से सीआईसी और सीआई उनके द्वारा एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को नियमित रूप से पाक्षिक आधार पर (अर्थात संबंधित माह की 15वीं और अंतिम तारीख को) अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति के अनुसार ऐसे छोटे अंतराल पर अद्यतन रखेंगे। सीआई द्वारा सीआईसी को क्रेडिट जानकारी का पाक्षिक प्रस्तुतीकरण संबंधित रिपोर्टिंग पखवाड़े के सात (7) कैलेंडर दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। हालाँकि, सीआई

[29] सरकारी एजेंसी सरकार का एक प्रशासनिक ढांचा है, जो कुछ गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है, जैसे, इसरो, बीआईएस, डीजीसीए, आदि।

[30] 8 अगस्त, 2024 के परिपत्र विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.32/20.16.056/2024-25

को इन निदेशों को यथाशीघ्र, परंतु 1 जनवरी, 2025 के उपरांत नहीं, व्यवहार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।तथा

(ii) ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तुत की गई साख सूचना अद्यतन है, सही है और पूर्ण है।

67. साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा फार्मेट तथा अन्य विनियामक उपाय (कार्रवाई)

सभी एनबीएफ़सी रिज़र्व बैंक के 27 जून 2014 के परिपत्र बैंपविविसं.सीआईडी.बीसी.127/ 20.16.056/2013-14 के द्वारा जारी और समय समय पर संशोधित निर्देशों का निम्नांकित के संबंध में पालन करेगी:

(i) क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) के संबंध में जागरूकता लाना;

(ii) सभी ऋण निर्णयों में तथा खाता खोलते समय सीआईआर का उपयोग करना;

(iii) सभी सीआईसी के डेटा बेस में वाणिज्यिक डेटा अभिलेख को शामिल करना;

(iv) डेटा फार्मेट का मानकीकरण;

(v) तकनीकि कार्यदल का गठन;

(vi) अस्वीकृत डेटा के सुधार की प्रक्रिया;

(vii) डेटा गुणवत्ता इंडेक्स का निर्धारण,

(viii) क्रेडिट स्कोर का कैलिब्रेशन तथा सीआईआर के फार्मेट का माननीकरण।

(ix) बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के लिए उत्तम प्रथाएं।

67.2 एनबीएफ़सी रिज़र्व बैंक द्वारा डीबीआर.संख्या.सीआईडी.बीसी. 59/20.16.056/2014-15 दिनांक 15 जनवरी 2015 के द्वारा सीआईसीआरए धारा 11(1) के अधीन जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

67.3 एनबीएफसी ग्राहकों को क्रेडिट सूचना के विलंबित अपडेशन/सुधार के लिए मुआवजे के संदर्भ में सीआईसीआरए की धारा 11 (1) के तहत जारी 26 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र विवि.एफ़आईएन.आरईसी.48/20.16.003/2023-24, समय-समय पर संशोधित, के निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

67.4 एनबीएफसी क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत **बनाने** के संदर्भ में सीआईसीआरए की धारा 11 (1) के तहत जारी 26 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र विवि.एफ़आईएन.आरईसी.49/20.16.003/2023-24, समय-समय पर संशोधित, के निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

68. बंधक संबंधी अभिलेखों को केन्द्रीय रजिस्ट्री में दर्ज करना

एनबीएफसी को चाहिए कि वे 31 मार्च 2011 को या उसके बाद अपने हित में बनाये गए सभी साम्यिक बंधक के अभिलेख को भारतीय केन्द्रीय आस्ति प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री (केन्द्रीय रजिस्ट्री) के समक्ष

फाइल और रजिस्टर करे तथा जब कभी उनके हित में साम्यिक बंधक बनता है तो उसे वे केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष रजिस्टर करे। उक्त के अनुक्रम में सभी एनबीएफसी को इसके अतिरिक्त सूचित किया गया था कि सभी प्रकार के बंधकों को सीईआरएसएआई के साथ पंजीकृत करें। एनबीएफसी को सभी प्रकार के बंधक को केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत करना होगा और 27 दिसंबर, 2018 के परिपत्र, 'सीईआरएसएआई में अचल (साम्यिक बंधक के अतिरिक्त), चल और अमूर्त आस्तियों से संबंधित प्रतिभूति हित फाइल करना' समय-समय पर संशोधित, के प्रावधानों का पालन करना होगा।

69. [31]**सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां**

69.1 एनबीएफसी जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को उनके द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।

69.2 एनबीएफसी इस सूचना को अनुबंध XIX में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली परिपत्र **सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां** की तारीख से छह महीनों के भीतर (अर्थात 25 सितंबर 2023 से) एनबीएफसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

70. अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश

एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के पास रखे, ग्राहक की मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 3(1)ix मे परिभाषित वित्तीय जानकारी को समेकित करता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त आंकड़े का आदान-प्रदान सुरक्षित, विधिवत अधिकृत, सुचारु और निर्बाध हो, यह निर्णय लिया गया कि अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए मुख्य तकनीकी विनिर्देश निर्धारित किए जाएं। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT), ने इन विनिर्देशों को तैयार किया है और इन्हें अपनी वेबसाइट (www.rebit.org.in) पर प्रकाशित है।

वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) या वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) के रूप में कार्य करने वाली एनबीएफसी से यह अपेक्षित है कि वे ReBIT द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर अद्यतन किए अनुसार तकनीकी विनिर्देशों को अपनाएं।

[31] 25 सितंबर, 2023 के परिपत्र विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24

71. आवास परियोजनाओं के लिए वित्त

आवास/विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करते समय एनबीएफसी शर्तों में निम्नलिखित को भी विनिर्दिष्ट करें कि:

(i) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फ्लेटों/ब्रोशरों/विज्ञापनों, आदि में यह प्रकट करेंगे कि संबंधित संपत्ति किस संस्था /कंपनी के पास बंधक है।

(ii) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फ्लेटों/ब्रोशरों में यह उल्लेख करेंगे कि फ्लैटों।संपत्ति की बिक्री के लिए यदि अपेक्षित होगा तो वे उस संस्था/कंपनी, जिसके पास संपत्ति बंधक है, से अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुमति उपलब्ध करा कर देंगे।

एनबीएफसी उल्लिखित विनिर्देशनों का अनुपालन सुनिश्चित करें और निधियाँ तब तक जारी न की जाएं जब तक कि बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी उल्लिखित अपेक्षाएं पूरी न कर दें।

72. एनबीएफसी का भागीदारी फर्म में भागीदार बनने में मनाही

72.1 कोई भी एनबीएफसी भागीदारी फर्म में पूंजी अंशदान नहीं करेगी अथवा ऐसे फर्म में भागीदार नहीं बनेगी|

72.2 इस संबंध में;

(i) उपर्युक्त भागीदारी फर्म में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) भी शामिल है।

(ii) इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रतिबंध व्यक्तियों के एसोसिएशन के लिए भी लागू है; क्योंकि इनका स्वरूप भागीदारी फर्म के समान है।

एनबीएफसी जो पहले से पार्टनरशिप फर्म/ एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन में पूंजी का अंशदान कर चुकी हैं अथवा पार्टनरशिप फर्म/ एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन की भागीदार हैं, वे पार्टनरशिप फर्म/ एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन से शीघ्र निकासी करें।

73. एनबीएफसी के वित्तीय उत्पादों की रेटिंग

एनबीएफसी, जिनकी परिसंपत्ति ₹100 करोड़ रुपए या अधिक है, अपने वित्तीय उत्पादों की रेटिंग के न्यूनीकरण/ उच्चीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसी जानकारी रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देंगी जिनके अधिकार क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है।

74. बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों की वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना करना

मियादी जमा में निवेश को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा तथा बैंकों के पास रखे गए मियादी जमा से प्राप्त होने वाली ब्याज आय को वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त आय नहीं माना जाएगा क्योंकि इन कार्यकलापों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45आई(सी) में “वित्तीय संस्थान” की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, जमाराशियां सुलभ मुद्रा के रूप में होती हैं जिनका उपयोग केवल निष्क्रिय निधि के अस्थायी पार्किंग

के लिए किया जा सकता है और/या उन मामलों में किया जा सकता है जहाँ निधियों को एनबीएफआई कारोबार की शुरूआत होने तक एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए, अर्थात 10 करोड़ रूपए की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) रखने के लिए प्रारंभ में मीयादी जमा के रूप में किया जा सकता है।

75. इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली का प्रयोग

सभी **एनबीएफसी** से अनुरोध है कि अपने दैनिक कारोबारी विनिमय में पोस्ट डेटेड चेक का समापन तथा क्रमबद्ध तरीके से चेक का समापन करते हुए इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली को बढायें। इससे परिणामस्वरूप विनिमय का समायोजन सटिक, कम लागत वाला , तेज तथा प्रभावी होगा।

76. उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसी)/ समीकृत मासिक किश्त (ईएमआई) चेक को नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) (डेबिट) के अंतर्गत लाया जाना

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अधीन उपलब्ध सुरक्षा को देखा जाए तो आदाता (लाभार्थी) को वही अधिकार और उपाय उपलब्ध कराता है जो पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपर्याप्त निधि के कारण इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की अस्वीकृति के लिए वही अधिकार उपलब्ध हैं जो अपर्याप्त निधि के लिए उपलब्ध हैं। अत: एनबीएफसी को ग्राहकों के एनएसीएच (डेबिट) आदेश पत्र के अतिरिक्त, यदि कोई हो तो, अतिरिक्त चेक लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्थान पर जहाँ एनएसीएच की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सीटीएस-2010 मानक को पूरा करने वाला का चेक प्रारूप ही लिया जाए।

77. अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण- "काल न करें" राष्ट्रीय रजिस्ट्री (नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)

एनबीएफसी को चाहिए कि-

(i) वे ऐसे टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवाएं न लें जिसने दूर संचार विभाग, भारत सरकार से टेलीमार्केटर्स का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र न लिया हो; एनबीएफसी केवल ऐसे टेलीमार्केटर्स की सेवाएं लें जो ट्राय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत हों।

(ii) वे जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवाएं लें, उनकी सूची, टेलीमार्केटर्स द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबरों के साथ ट्राई को दें; तथा

(iii) वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संप्रति जिन एजेंटों की सेवाएं ली जा रही हैं, वे दूर संचार विभाग (DOT) के पास अपना रजिस्ट्रेशन टेलीमाकेटर्स के रूप में करवा लें ।

78. जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास – कार्य – प्रणाली

78.1 धोखाधड़ी के प्रयास के कुछ ऐसे प्रसंगों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गयी है जिसमें दो बैंक शाखाओं द्वारा विभिन्न संस्थाओं के पक्ष में कथित रूप से जारी बैंक गारंटियों (बीजी) को कुछ लाभार्थी कंपनियों का प्रतिनिधित्व

करने वाले कुछ वाणिज्य बैंकों/व्यक्तियों द्वारा पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया । बैंक गारंटियां पुष्टि सूचना/ स्वीकृति सूचना के साथ प्रस्तुत की गई थीं। लाभार्थियों में से एक रिपोर्टिंग बैंक का ग्राहक था। शेष लाभार्थी और आवेदक न तो बैंक के ग्राहक थे और न ही बैंक शाखा के अधिकारी उन्हें जानते थे।

78.2 उपर्युक्त बैंक गारंटियों की छानबीन से प्रकट हुआ कि ये बैंक गारंटियां फर्जी थीं और बैंक गारंटियों पर किए गए बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर नकली थे। कथित रूप से जिन बैंक शाखाओं ने बैंक गारंटियां जारी की थीं उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने इसे जारी नहीं किया है। यहाँ तक कि बैंक गारंटियों के प्रारूप व उनके क्रमांक भी उक्त बैंक में प्रयुक्त प्रारूप व क्रमांक से मेल नहीं खाते थे।

78.3 एनबीएफ़सी को सूचित किया जाता है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते समय उचित सावधानी बरतें।

79. ऋण राशि का नकद संवितरण

प्रत्येक एनबीएफसी आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 269एसएस और 269टी के अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 और समय लागू अपेक्षाएं गई की अंतर्गत के संशोधनों इसमें पर समय-करना सुनिश्चित करेंगे।

80. एनबीएफ़सी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना

एनबीएफ़सी सुनिश्चित करें कि जमाराशि पर ब्याज का भुगतान सभी सहित आदि ब्याज प्रभारित पर अग्रिम/ जाए किया पूर्णांकित में रूपये निकटतम को लेनदेनों । 50 पैसे का अंश तथा उससे अधिक को रूपये की अगली उच्च राशि में पूर्णांकित किया जाए तथा जैसे 50 पैसे से कम के अंश को उपेक्षित कर दिया जाए। तथापि, यह भी सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा जारी चेक नहीं अस्वीकार द्वारा उनके उसे हो निहित अंश का रूपये जिसमें ड्राफ्ट/ जाए। किया

भाग III
एनबीएफसी- एमएल के लिए लागू विनियम

भाग III में दिए गए विनियामक निर्देश एनबीएफसी- एमएल के लिए लागू होंगे। साथ ही, अन्यथा निर्दिष्ट नहीं होने पर, भाग II में निर्दिष्ट एनबीएफसी- बीएल के लागू विनियामक निर्देश भी एनबीएफसी- एमएल के लिए लागू होंगे।

अध्याय IX
प्रूडेंशियल विनियम

81. पूंजी की आवश्यकता

81.1 एनबीएफ़सी को न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाये रखना होगा जिसमें टियर -I और टियर II पूंजी उसके तुलन पत्र की समग्र जोखिम भारित आस्तियों और तुलन पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

81.2 एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई और मुख्य रूप से स्वर्ण आभूषण के जमानत के बदले ऋण देने के कारोबार में संलिप्त एनबीएफसी[32] को छोड़कर) के लिए किसी भी समय टियर I पूंजी, 31 मार्च 2016 तक 8.5% से कम तथा 31 मार्च 2017 को 10% से कम नहीं होनी चाहिए।

82. पूँजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए पूँजी प्रापण के विकल्पों में वृद्धि करना

कारोबार में वृद्धि और विनियमनकारी अपेक्षाओं के लिए पूँजी आवश्यकताओं की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी (जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को छोड़कर) को **अनुबंध XX** में शामिल निर्देशों के अनुसार बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई) जारी करके अपने निधि को संतुलित करने की अनुमति दी जाती है। यह पीडीआई पिछले लेखांकन वर्ष के 31 मार्च के टीयर -I पूँजी की 15% सीमा तक टीयर -I पूँजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र होगा।

83. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी)

एनबीएफसी को अपने व्यवसाय में जोखिमों के अनुरूप पूंजी की आवश्यकता का पूरी तरह से आंतरिक आकलन करना आवश्यक है । यह आंतरिक मूल्यांकन पीलर 2 (मास्टर परिपत्र - बेसल III पूंजी निनियमन, दिनांक 12 मई, 2023, समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित आईसीएएपी के समान ही होगा। यद्यपि पीलर 2 पूंजी पर जोर नहीं दिया जाएगा, एनबीएफसी को जोखिमों का यथार्थवादी आकलन करने की आवश्यकता है। आंतरिक पूंजी मूल्यांकन आंतरिक रूप से निर्धारित किए जाने वाले कार्यप्रणाली के अनुसार ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य सभी अवशिष्ट जोखिमों में कारक होगा । पूंजी के आंतरिक मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार परिचालन के पैमाने और जटिलता के अनुरूप होगी। आईसीएएपी का उद्देश्य व्यवसाय में सभी जोखिमों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और साथ ही एनबीएफसी को जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बेहतर आंतरिक जोखिम प्रबंधन तकनीकों को विकसित करने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे पर्यवेक्षकों और

[32] ऐसे एनबीएफसी के लिए ऐसे ऋण वाले जिनमें उनकी वित्तीय आस्तियों का 50 प्रतिशत अधिक शामिल है, टियर I पूंजी इन निदेशों के पैराग्राफ 9.2 में निर्धारित न्यूनतम 12% होगी।

एनबीएफसी के बीच जोखिमों और निगरानी के आकलन के साथ-साथ उसे कम करने पर सक्रिय बातचीत करने में आसानी होगी ।

84. तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के संबंध में

इस पैराग्राफ में, प्रतिशत भार के रूप में व्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के लिए है। अतः, परिसंपत्तियों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति/मद को संबंधित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ताकि परिसंपत्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकाला जा सके। न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना हेतु इस प्रकार आकलित जोखिम भार के सकल (aggregate) को हिसाब में लिया जाएगा। जोखिम भारित परिसंपत्ति की गणना निधि प्रदत्त (funded) मदों के भारित सकल के रूप में निम्नानुसार की जाएगी।

क्रम स.		भारित जोखिम परिसंपत्तियां- तुलनपत्र में दी गई मदों के संबंध में	प्रतिशत भार
(1)		बैंकों में मीयादी जमा एवं उनके पास जमा प्रमाणपत्र-सहित नकदी और बैंक शेष	0
(2)		निवेश	
	(ए)	अनुमोदित प्रतिभूतियां [नीचे (सी) के अलावा]	0
	(बी)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बांड	20
	(सी)	सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमा/जमा प्रमाणपत्र/बांड	100
	(डी)	सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/बांड/ वाणिज्य पत्र एवं सभी म्युचुअल फंड की यूनिटें	100
	(ई)	एक वर्ष से अधिक वाणिज्यिक परिचालन वाले पीपीपी और वाणिज्यिक परिचालन तिथि के पश्चात वाले संरचनात्मक परियोजनाओं सहित सभी आस्तियाँ	50
(3)		चालू(current) परिसंपत्तियां/ अन्य वित्तीय आस्तियों	
	(ए)	किराए पर स्टॉक (निवल बही मूल्य)	100
	(बी)	अंतर-कंपनी ऋण/जमा	100
	(सी)	कंपनी ही द्वारा धारित जमाराशियों की पूरी जमानत पर ऋण और अग्रिम	0
	(डी)	स्टाफ को ऋण	0
	(ई)	अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जिन्हें अच्छा (नीचे (6) के अतिरिक्त) पाया गया है	100
	(ई)(i)[33]	आवास ऋण, शैक्षिक ऋण, वाहन ऋण, सोने के आभूषणों के विरुद्ध ऋण और माइक्रोफाइनेंस/एसएचजी ऋणों को छोड़कर, खुदरा ऋण के रूप में वर्गीकृत उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर (बकाया और साथ ही नए)	125
	(ई)(ii)[34]	क्रेडिट कार्ड प्राप्तियाँ	125
	(एफ)	खरीदे/भुनाए गए बिल	100
	(जी)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	100

[33] 16 नवंबर, 2023 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24

[34] एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है, दोनों एनबीएफसी पर लागू।

क्रम स.		भारित जोखिम परिसंपत्तियां- तुलनपत्र में दी गई मदों के संबंध में	प्रतिशत भार
(4)		अचल परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास घटाने के बाद)	
	(ए)	पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां (निवल बही मूल्य)	100
	(बी)	परिसर	100
	(सी)	फर्नीचर और फिक्सचर	100
(5)		अन्य परिसंपत्तियां	
	(ए)	स्रोत पर काटे गए आय कर (प्रावधान घटाकर)	0
	(बी)	अदा किया गया अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर)	0
	(सी)	सरकारी प्रतिभूतियों पर देय (ड्यू) ब्याज	0
	(डी)	अन्य (स्पष्ट किया जाए)	100
(6)		अपना देश	
	(ए)	केन्द्र सरकार पर निधि आधारित दावा	0
	(बी)	प्रत्यक्ष ऋण / उधार / ओवरड्राफ्ट एक्सपोजर और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	0
	(सी)	केन्द्र सरकार की गारंटी का दावा	0
	(डी)	राज्य सरकार की ऐसे गारंटी का दावा जिसपर चूक नहीं हुआ हो/ जिसपर चूक 90 दिनों से अधिक अवधि तक नहीं रहा हो।	20
	(ई)	राज्य सरकार की ऐसे गारंटी का दावा जिसपर चूक 90 दिनों से अधिक अवधि तक हुआ हो।	100

टिप्पणी

1. घटाने का कार्य केवल उन्हीं परिसंपत्तियों के संबंध में किया जाए जिनमें मूल्ह्रास अथवा अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों।

2. निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार `शून्य' होगा।

3. जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक जोखिम की गणना करते समय, ऐसी एनबीएफसी उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि रूपी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसकी मुजरायी (set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायोजन कर सकती हैं।"

4. [35](i)सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), कम आय वाले आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट(सीआरजीएफटीएलआईएच) और राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा प्रारम्भ की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत एक्सपोजर के संबंध में एनबीएफसी द्वारा शून्य प्रतिशत का जोखिम भार लगाया जा सकता है यदि यें योजनाएँ निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर रही हो:

[35] 07 सितंबर 2022 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23

(ए) **विवेकपूर्ण पहलू:** संबंधित योजनाओं के तहत प्रदान की गई गारंटियों को मास्टर परिपत्र - बेसल III पूंजी निनियमन, दिनांक 12 मई, 2023 के पैरा 7.5 के अनुसार क्रेडिट जोखिम को कम करने की आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी गारंटियों को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त होना आवश्यक है;

(बी) **अनुमत दावों पर प्रतिबंध:** जहां गारंटी योजनाओं की शर्तें गारंटी कवरेज की निर्दिष्ट सीमा, सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा प्रथम हानि अवशोषण पर खंड, पेआउट कैप, आदि जैसी सुविधाओं के माध्यम से अधिकतम स्वीकार्य दावों को प्रतिबंधित करती हैं, वहां शून्य प्रतिशत जोखिम भार अधिकतम अनुमत दावे तक सीमित होगा और शेष जोखिम मौजूदा विनियमों के अनुसार प्रतिपक्ष पर लागू जोखिम भार के अधीन होगा।

(सी) 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी पोर्टफोलियों-स्तरीय गारंटी के मामले में, एमएलआई द्वारा प्रथम नुकसान के अवशोषण के अधीन एक्सपोजर की सीमा, यदि कोई हो, पूर्ण पूंजी कटौती के अधीन होगी और अवशिष्ट एक्सपोजर आनुपातिक आधार पर वर्तमान विनियमों के अनुसार प्रतिपक्ष पर यथा लागू जोखिम भार के अधीन होगा। पूरे एक्सपोजर को गैर-गारंटीकृत मानकर अधिकतम पूंजी प्रभार को अनुमानिक स्तर पर सीमित किया जाएगा।

(ii) इसके अलावा, उपर्युक्त पैराग्राफ (i) के उक्त निर्देशों के अधीन, उपरोक्त ट्रस्ट फंड के तहत प्रारम्भ की गई भविष्य योजना को शून्य प्रतिशत जोखिम भार के पात्र होने के लिए यह स्पष्ट करना होगा कि पात्र गारंटीकृत दावें दर्ज करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर निपटान हो और चूक की तारीख से साठ दिनों के भीतर दर्ज हो।

(iii) उपर्युक्त नियामक शर्तें, उन एनबीएफसी पर लागू होगी, जिन्हें यह परिपत्र संबोधित किया गया है, जहां तक इन संस्थाओं को संबंधित योजनाओं के तहत पात्र एमएलआई के रूप में मान्यता दी गई है।

(iv) विशिष्ट विद्यमान योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत दावों पर लागू जोखिम भार के कुछ उदाहरण पैराग्राफ 138 में दिए गए हैं।

85. पूंजी अनुपात के लिए तुलनपत्र से इतर परिसंपत्तियों के साथ व्यवहार

85.1 एनबीएफसी, कुल जोखिम भारित तुलनपत्र से इतर ऋण एक्सपोजर को बाजार संबंधी जोखिम भारित राशि और गैर- बाजार संबंधी तुलनपत्र से इतर मदों को जोखिम भारित राशि के योग के रूप में गणना करेगी। तुलनपत्र से इतर मदों की जोखिम भारित राशि, जिससे ऋण एक्सपोजर की शुरूआत होती है उसकी गणना निम्नलिखित दो चरण प्रकिया से की जायेगी।

(i) लेन देन की अनुमानित राशि को ऋण परिवर्तन हेतु विशेष घटक द्वारा गुणा करके अथवा वर्तमान जोखिम प्रक्रिया लागू करके, समान ऋण राशि में परिवर्तित किया जाता है; तथा

(ii) समान ऋण राशि को जोखिम भार द्वारा गुणा करने पर परिणाम स्वरूप एक्सपोजर का निम्न प्रतिशत लागू होगा जैसे केन्द्र/राज्य सरकार के लिए शून्य, बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत।

85.2 गैर बाजार संबंधी तुलन पत्र से इतर मदें

गैर बाजार संबंधी तुलनपत्र से इतरमदों से संबंधित समान ऋण राशि का निर्धारण विशिष्ठ व्यवहार की अनुबंधित राशि को उचित ऋण परिवर्तन घटक (सीसीएफ) से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा।

क्रम.	लिखत	ऋण परिवर्तन घटक
(1)	वित्तीय और अन्य गारंटियां	100
(2)	शेयर/डिबेंचर की हामीदारी दायित्व	50
(3)	आंशिक रूप से भुगतान किये गये शेयर /डिबेंचर	100
(4)	बिलों का बट्टाकरण /पुनर्भुनाई	100
(5)	किये गये पट्टा अनुबंध किंतु हस्ताक्षर हेतु शेष	100
(6)	बिक्री और पुनर्खरीद अनुबंध और वसूली अधिकार सहित परिसंपत्ती की बिक्री जहाँ ऋण जोखिम एनबीएफसी के साथ होती है।	100
(7)	अग्रेषित परिसंपत्ति खरीद, अग्रेषित जमाराशि और आंशिक रूप से भुगतान किये गये शेयर और प्रतिभुतियां, जो प्रतिबद्धताओं की विशिष्ठता से घटाकर प्रतिनिधित्व करता हैं	100
(8)	एनबीएफसी की प्रतिभूतियों को उधार में देना या एनबीएफसी द्वारा प्रतिभूतियों को अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप प्रविष्टी करना, जैसी घटनाओं का रिपो प्रकार के व्यवहारों में उदय होता हैं।	100
(9)	अन्य प्रतिबद्धताएँ (अर्थात् अतिरिक्त सुविधाएँ और क्रेडिट लाईन) मूल परिपक्वता के साथ एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक	20 50
(10)	'समरूप प्रतिबद्धताएं जो एनबीएफसी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी शर्त के किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा या जो उधारकर्ता के ऋण पात्रता में गिरावट के कारण स्वत: रद्द होने के लिए प्रभावी होंगी।'	0
(11)	अधिग्रहण करने वाली संस्था के बहियों से लिया गया वित्त	
	(i) बिना शर्त लिया गया वित्त	100
	(ii) सशर्त लिया गया वित्त	50 नोट:जैसा कि प्रति-पक्ष एक्सपोजर , जोखिम भार से निर्धारित की जायेगी, यह सभी उधारकर्ताओं के लिए 100 प्रतिशत होगा या सरकारी गारंटी कवर होने पर शून्य प्रतिशत होगा।
(12)	मानक परिसंपत्ति लेन-देन के प्रतिभूतिकरण के लिए चल निधि प्रदान करने की प्रतिबद्धता	100

(13)	तीसरे पक्ष द्वारा मानक परिसंपत्ति के लेन-देन के प्रतिभूतिकरण के लिए दूसरी हानिनी क्रेडिट वृद्धि उपलब्ध कराना	100
(14)	अन्य प्रासंगिक देनदारियां (उल्लेख किया जाये)	50

1. *परिवर्तन घटक लागू करने के पहले नकदी मार्जिन/जमा राशियां घटायी जायेगी*

2. *जहां गैर बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदें अनाहरित या आंशिक रूप से अनाहरित निधि आधारित सुविधा है प्रतिबद्ध अनाहरित राशि को तुलन पत्र से इतर गैर बाजार से संबंधित ऋण एक्सपोजर की प्रतिबद्धता की गणना करते समय उसमें समाहित किया जाना चाहिए, गैर बाजार से संबंद्ध तुलनपत्र से इतर ऋण एक्सपोजर का अधिकतम अप्रयुक्त भाग परिपक्वता की बाकी अवधि के दौरान रेखाकिंत किया जा सकता है। प्रतिबद्धता का कोई भी आहरित हिस्सा, एनबीएफसी के तुलनपत्र के ऋण एक्सपोजर का हिस्सा बन सकता है।*

'उदाहरणार्थ:

एक बड़ी परियोजना के लिए रू 700 करोड़ के मीयादी ऋण स्वीकृत की गई जिसे तीन वर्ष की समयावधि में चरणक्रम में आहरण किया जा सकता है। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार तीन चरण में आहरण की अनुमति है- प्रथम चरण में रू 150 करोड़, द्वितीय चरण में रू 200 करोड़ तथा तृतीय चरण में रू 350 करोड़, जिसमें उधारकर्ता को नियत औपचारिकतायें पूरा करने के बाद II और III चरण के तहत आहरण के लिए एनबीएफसी का स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यदि उधारकर्ता द्वारा I चरण के तहत रू 50 करोड़ का आहरण किया जा चुका है, तो केवल I चरण के अनाहरित भाग के लिए गणना की जाएगी जो कि रू 100 करोड़ है। यदि I चरण को एक वर्ष के अंदर पूरा किया जाता है तब सीसीएफ 20% होगा तथा यदि यह एक वर्ष से अधिक समय के लिए है तब सीसीएफ 50 प्रतिशत लागू होगा।

85.3 बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदें

85.3.1 जोखिम भारित तुलन पत्र से इतर ऋण एक्सपोजर की गणना करते समय एनबीएफसी को बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर सभी मदों (ओटीसी डेरिवेटीव्हज और प्रतिभूति वित्त पोषण लेनदेन जैसे कि रिपो/रिवर्स रिपो/सीबीएलओ आदि) के लिए शामिल किया जाना चाहिए.

85.3.2 बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदों पर ऋण जोखिम की लागत एनबीएफसी की नकदी प्रवाह से अनुबंध द्वारा निर्धारित किये जाने के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा चूक करने की स्थिति प्रतिस्थापित करती है। अनुबंध की परिपक्वता पर और आधारभूत लिखत के प्रकार में दरों की अस्थिरता के अन्य हालात पर यह निर्भर होगा.

85.3.3 बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदों में समाविष्ट होंगी :

(i) ब्याज दरों का अनुबंध – एकल मुद्रा अदला-बदली ब्याज दर सहित, आधार अदला-बदली, अग्रिम दर अनुबंध तथा भविष्य ब्याज दर;

(ii) अनुबंध में स्वर्ण को शामिल करते हुए, विदेशी मुद्रा अनुबंधन – में शामिल क्रास मुद्रा अदला-बदली (क्रॉस मुद्रा में ब्याज की अदला –बदली की दरें भी शामिल है) अग्रिम विदेशी मुद्रा अनुबंध, मुद्रा फ्युचर्स ,मुद्रा विकल्प;

(iii) ऋण चूक अदला-बदली और

(iv) बाजार से संबंधित अन्य कोई अनुबंध विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक अनुमति प्राप्त जो ऋण ऋण जोखिम को उत्पन्न करती हो.

85.3.4 फ्यूचर्स और विकल्प के बाजारों में लेनेदेन होने वाले लिखत जो दैनिक मार्क टू मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधीन है, के लिए, पूंजीगत आवश्यकताओं छूट की अनुमति है.

85.3.5 केंद्रीय प्रतिपक्षों के एक्सपोजर (सीसीपी), डेरिवेटिव लेनदेन के कारण और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनेदेन (जैसे संपार्श्विकीकृत उधार और उधार प्रतिबद्धताएं- सीबीएलओ, रिपो) के विरुद्ध प्रतिपक्ष के जोखिम के लिए शेष शून्य एक्सपोजर मूल्य माना जायेगा। क्यो कि सीसीपी की उनके प्रतिपक्षों के लिए एक्सपोजर्स पूरी तरह से दैनिक आधार पर संपार्श्विकीकृत परिकल्पित किया जाता है, जिससे सीसीपी की ऋण जोखिम एक्सपोजर्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

85.3.6 सीसीपी के साथ संपार्श्विकीकृत रूप में रखी गई कारपोरेट प्रतिभूतियों पर सीसीएफ का 100 प्रतिशत लागू होगा तथा और उसके फलस्वरूप तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर्स को सीसीपी के स्वरूप में उचित जोखिम भार नियत किया जायेगा। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के मामले में, जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य सीसीपी के लिए जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा.

85.3.7 डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में प्रतिपक्ष के लिए कुल ऋण एक्सपोजर की गणना पैराग्राफ 85.4 मे दी गई वर्तमान एक्सपोजर पद्धति के अनुसार की जाएगी:

85.4 वर्तमान एक्सपोजर पद्धति (डिफ़ॉल्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को मापने के लिए उपयोग किया जाता है)

85.4.1 वर्तमान ऋण एक्सपोजर को एकल प्रतिपक्ष के संबंध में सभी अनुबंधों के साथ सकल सकरात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। (विविध अनुबंधो का उसी प्रतिपक्ष के साथ सकारात्मक और नकारात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य पर नेटिंग नहीं होनी चाहिये)। वर्तमान एक्सपोजर पद्धति की अपेक्षा है कि बाजर के इन अनुबंधों के वर्तमान ऋण एक्सपोजर की आवधिक गणना बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जानी है ।

टिप्पणी: द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था के मामले में, नीचे पैराग्राफ 85.4.4 में दिए गए परिभाषा का संदर्भ दें।

85.4.2 संभावित भविष्य ऋण एक्सपोजर का निर्धारण सभी अनुबंधों के प्रत्येक कल्पित मूलधन राशि को गुणा करके किया जाता है, चाहे उस अनुबंध का मूल्य लिखत के स्वरूप और शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार नीचे दिए गए संबंधित एड ऑन फैक्टर द्वारा शून्य, घनात्मक या ऋणात्मक बाजार मूल्य क्यों न हो।

ब्याज दर संबंधित, विनिमय दर संबंधित और स्वर्ण से संबंधित डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट परिवर्तन घटक		
	क्रेडिट परिवर्तन घटक (%)	
	ब्याज दर के अनुबंध	विनिमय दर के अनुबंध और सोना
एक वर्ष या कम	0.50	2.00
एक वर्ष से अधिक से पांच वर्ष तक	1.00	10.00
पांच वर्ष से अधिक	3.00	15.00

टिप्पणी:

1. मूलधन के बहुविध लेनदेन के साथ अनुबंध के लिए, अनुबंध में भुगतान हेतु शेष संख्या से एड ऑन घटकों को गुणा करना होता है।

2. बकाया एक्सपोजर के निपटान के लिए संरचित अनुबंध हेतु निम्नलिखित विनिर्दिष्ट भुगतान तारीख तथा ऐसी शर्तें पुन: कायम की जाए जहां अनुबंधों का बाजार मूल्य इन विनिर्दिष्ट तारीखों को शून्य हो जाएं तथा आगामी पुन: कायम तारीख तक अवशिष्ट परिपक्कता को समय के बराबर बनाया जाए। तथापि, ब्याज दरों के अनुबंधों के मामलों में जहां अवशिष्ट परिपक्कता की अवधि एक वर्ष से अधिक है और उक्त पात्रताओं को पूर्ण करती है वहां सीसीएफ या एड ऑन घटक 1.0 प्रतिशत के स्तर के अधीन होंगे।

3. संभावित ऋण एक्सपोजर की गणना एकल चल मुद्रा/चल ब्याज दर की अदला-बदली के लिए नहीं की जायेगी; इन अनुबंधों पर ऋण एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके मार्क टू मार्केट मूल्य के आधार पर होंगी।

4. संभावित भविष्य एक्सपोजर 'स्पष्ट कल्पित राशि' के बदले 'प्रभावी 'आधार पर होनी चाहिए। प्रसंगवश विनिर्दिष्ट कल्पित राशि, संरचना की लेनदेन से उत्तोलित या बढ़ाई गई है तो प्रभावी कल्पित राशि का उपयोग संभावित भविष्य एक्सपोजर के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए। जैसे 1 मिलियन यूएसडी की कथित कल्पित राशि दो बार के आंतरिक दर भुगतान के आधार पर एनबीएफसी के उधार ब्याज दर की प्रभावी कल्पित राशि 2 मिलियन यूएसडी बन जायेगी।

85.4.3 जब पैराग्राफ 85.4.5 में यथा निर्दिष्ट प्रभावी द्विपक्षीय निवल संविदा लागू हो, तो आरसी निवल प्रतिस्थापन लागत होगी और ऐड-ऑन $ए_{नेट}$ होगा जैसा कि नीचे गणना की गई है:

(i) द्विपक्षीय रूप से निवल भावी लेनदेनों पर क्रेडिट एक्सपोज़र की गणना निवल मार्क-टू-मार्केट प्रतिस्थापन लागत के योग के रूप में की जाएगी, यदि धनात्मक है, साथ ही कल्पित अंतर्निहित मूलधन के आधार पर ऐड-ऑन किया जाएगा। नेटेड लेनदेनों ($ए_{नेट}$) के लिए ऐड-ऑन सकल ऐड-ऑन ($ए_{ग्रॉस}$) के भारित औसत और सकल वर्तमान प्रतिस्थापन लागत (एनजीआर) की तुलना में निवल वर्तमान प्रतिस्थापन लागत के अनुपात द्वारा समायोजित सकल ऐड-ऑन के बराबर होगा। यह निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है:

$ए_{नेट} = 0.4 \cdot ए_{ग्रॉस} + 0.6 \cdot एनजीआर \cdot ए_{ग्रॉस}$

जहां :

एनजीआर = विधिक रूप से लागू करने योग्य नेटिंग समझौतों[36] के अधीन आने वाले लेनदेनों के लिए निवल प्रतिस्थापन लागत का स्तर/सकल प्रतिस्थापन लागत का स्तर

$ए_{ग्रॉस}$ = एक प्रतिपक्ष के साथ विधिक रूप से लागू करने योग्य नेटिंग समझौतों के अधीन सभी लेनदेनों की व्यक्तिगत ऐड-ऑन राशियों का योग पैराग्राफ 85.4.2 में सारणी में निर्धारित उपयुक्त ऐड-ऑन कारकों द्वारा कल्पित मूल राशि को गुणा करके गणना की जाती है)।

(ii) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं और अन्य समान संविदाओं के लिए एक निवल प्रतिपक्षकार के संभावित भावी एक्सपोज़र की गणना के प्रयोजनों के लिए, जिसमें कल्पित मूल राशि नकदी प्रवाहों के समतुल्य है, कल्पित मूलधन को प्रत्येक मुद्रा में प्रत्येक मूल्य तिथि पर देय होने वाली निवल प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है।

85.4.4 **परिभाषाएं और सामान्य शब्दावली**

(i) वर्तमान एक्सपोज़र शून्य से बड़ा है, या एक प्रतिपक्षकार के साथ किसी नेटिंग सेट के भीतर लेनदेन या लेनदेनों के पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य है जो प्रतिपक्षकार के चूक पर खत्म हो जाएगा, यह मानते हुए कि दिवालियापन की स्थिति में उन लेनदेन के मूल्य पर कोई वसूली नहीं होगी। वर्तमान एक्सपोज़र को प्रायः प्रतिस्थापन लागत (आरसी) भी कहा जाता है।

(ii) नेटिंग सेट एकल प्रतिपक्ष के साथ लेनदेन का एक समूह है जो विधिक रूप से लागू करने योग्य द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है और जिसके लिए नेटिंग को विनियामक पूंजीगत प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक लेनदेन को, जो विधिक रूप से लागू करने योग्य द्विपक्षीय निवल व्यवस्था के अधीन नहीं है जिसे नियामक पूंजी उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है, इन नियमों के उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के नेटिंग सेट के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए।

85.4.5 **द्विपक्षीय नेटिंग अनुबंध की मान्यता के लिए आवश्यकताएं:**

(i) एनबीएफसी नवीयन के अधीन नेटिंग लेनदेन कर सकते हैं, जिसके तहत ऐसे एनबीएफसी और उसके प्रतिपक्षकार के बीच किसी दिए गए मूल्य की तारीख पर किसी मुद्रा को वितरित करने का कोई दायित्व स्वचालित रूप से उसी मुद्रा और मूल्य तिथि के लिए अन्य सभी दायित्वों के साथ समामेलित हो जाता है, विधिक रूप से पिछले सकल दायित्वों के लिए एक एकल राशि को प्रतिस्थापित करता है।

(ii) एनबीएफसी किसी भी विधिक रूप से वैध द्विपक्षीय नेटिंग के अधीन लेनदेन कर सकते हैं जो (i) में शामिल नहीं है, जिसमें अन्य प्रकार के नवीयन भी शामिल हैं।

(iii) दोनों मामलों (i) और (ii) में, एनबीएफसी को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास है:

---

[36] एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी को एनजीआर की गणना विधिक रूप से लागू करने योग्य नेटिंग समझौतों के अधीन सभी लेनदेनों के लिए प्रतिपक्षकार दर प्रतिपक्षकार आधार पर करनी चाहिए।

(ए) प्रतिपक्ष के साथ एक नेटिंग अनुबंध या समझौता जो एक एकल विधिक दायित्व बनाता है, जिसमें सभी शामिल लेनदेन शामिल हैं, जैसे कि एनबीएफसी के पास या तो प्राप्त करने का दावा होगा या प्रतिपक्षकार द्वारा चूक, दिवालियापन, परिसमापन या इसी तरह की परिस्थितियों में से किसी भी कारणवश कार्य-निष्पादन करने में विफल रहने की स्थिति में शामिल व्यक्तिगत लेनदेन के धनात्मक और ऋणात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्यों के केवल निवल योग का भुगतान करने का दायित्व होगा।

(बी) लिखित और तर्कसंगत कानूनी राय है कि, कानूनी चुनौती की स्थिति में, संबंधित अदालतों और प्रशासनिक प्राधिकरणों को इस तरह की एनबीएफसी का एक्सपोज़र ऐसी निवल राशि के तहत मिलेगा:

• अधिकार क्षेत्र का कानून जिसमें प्रतिपक्षकार चार्टर्ड है और, यदि प्रतिपक्षकार की विदेशी शाखा शामिल है, तो उस अधिकार क्षेत्र के कानून के तहत भी जिसमें शाखा स्थित है;

• व्यक्तिगत लेनदेन को नियंत्रित करने वाला कानून; और

• नेटिंग को प्रभावित करने के लिए आवश्यक किसी भी अनुबंध या समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून।

(सी) प्रासंगिक कानून में संभावित परिवर्तनों के आलोक में नेटिंग व्यवस्था की कानूनी विशेषताओं की समीक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं।

(iv) विनिर्गम (वॉकअवे) खंड वाले अनुबंध इन दिशानिर्देशों के तहत पूंजी आवश्यकताओं की गणना के प्रयोजन से निवल के लिए पात्र नहीं होंगे। वॉकअवे शर्त एक ऐसा प्रावधान है जो गैर-चूककर्ता प्रतिपक्षकार को चूककर्ता की आस्ति के लिए, केवल सीमित भुगतान या कोई भुगतान नहीं करने की अनुमति देता है, भले ही चूककर्ता एक शुद्ध लेनदार हो।

85.5 ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) के लिए ऋण परिवर्तन घटक:

एनबीएफसी द्वारा धारित कंपनी बांडों पर अपने ऋण जोखिम के बचाव के लिए उनको केवल ऋण सुरक्षा खरीद की अनुमति है। वर्तमान श्रेणी या स्थायी श्रेणी में बांड धारण किया गया हो। इन एक्सपोजरों के लिए पूंजी प्रभार निम्नलिखित होंगे:

85.5.1 वर्तमान श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कार्पोरेट बांडों के लिए ऋण सुरक्षा का अधिकतम 80% तक एक्सपोजर जोखिम बचाव की अनुमति होगी, जहां सीडीएस तथा बचाव बांड के बीच कोई असमानता न हो। अत: एनबीएफसी कार्पोरेट बांड के लिए लागू पूंजी प्रभार का 20% तक के विस्तार को पूंजी प्रभार के रखरखाव के लिए जारी रखेंगी। एक्सपोजर मूल्य द्वारा बांड मूल्य का 20% बाजार मूल्य पर लेते हुए तथा जारी करने वाली संस्था के जोखिम भार को उससे गुणा करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, प्राप्त सीडीएस स्थिति प्रतिपक्ष जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को आकर्षित करेगी, जिसकी गणना 100 प्रतिशत लागू ऋण परिवर्तन घटक द्वारा किया

जाएगा तथा सुरक्षा विक्रेता पर लागू जोखिम भार के रूप में लागू होंगे जैसे बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत।

85.5.2 स्थायी श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कार्पोरेट बांडों के लिये एनबीएफसी अंतर्निहित परिसंपत्ति हेतु पूर्ण सुरक्षा और उसपर किसी पूंजी के रखरखाव की अनावश्यकता की पहचान करेंगी, जहां सीडीएस तथा बचाव बांड के बीच कोई असमानता न हो .सुरक्षा विक्रेता के एक्सपोजर द्वारा एक्सपोजर पूरा प्रतिस्थापित हो जाएगा तथा सुरक्षा बिक्रेता पर लागू जोखिम भार के रूप में लागू होंगे जैसे बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत।

86. पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं को लिया जाना

86.1 चूंकि आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं के सृजन से कतिपय मुद्दे उभरेंगे जिनका प्रभाव कंपनी के तुलनपत्र पर पड़ेगा, अस्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मुद्दों के संबंध में विनियामक व्यवहार इस प्रकार है:

86.1.1 आस्थगित कर देयता खातेगत शेष, चूंकि पूंजी की मदों में शामिल होने की पात्रता नहीं रखता है, इसलिए वह पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर I तथा टियर II पूंजी में शामिल करने योग्य नहीं होगा।

86.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अगोचर परिसंपत्ति माना जाएगा और उसे टियर Iपूंजी से घटा दिया जाएगा।

86.2 इस संबंध में

86.2.1 वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष को नामे करके सृजित आस्थगित कर देयताओं (DTL) को" अन्य देयताएं तथा प्रावधान" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

86.2.2 वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष में जमा करके सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियों (DTA) को "अन्य परिसंपत्ति" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

86.2.3 वर्तमान अवधि की एवं पिछली अवधि से आगे लाई गई अगोचर परिसंपत्तियों तथा हानियों को टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।

86.3 निम्नवत आकलित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को टियर Iपूंजी से घटा दिया जाएगा:

(i) संचित हानियों से संबंधित आस्थगति कर परिसंपत्तियाँ (DTA); तथा

(ii) आस्थगित कर देयताओं को घटाकर निकाली गई आस्थगित कर परिसंपत्तियां (संचित हानियों से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को छोड़कर)। जहाँ आस्थगति कर देयताएं आस्थगित कर परिसंपत्तियों (संचित हानियों से संबंधित आस्थगति परिसंपत्तियों को छोड़कर) से अधिक हों, वहाँ ऐसी अधिक राशि को न तो मद सं. (i) के बदले समायोजित किया जाएगा और न ही टियर I पूंजी में जोड़ा जाएगा।

87. परिसंपत्ति वर्गीकरण

परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड प्रत्येक एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई के सूक्ष्मवित्त ऋणों को छोड़कर) पर निम्नानुसार लागू होगा

87.1 एनबीएफसी, स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋण कमज़ोरियों (क्रेडिट वीकनेस) की डिग्री एवं वसूली हेतु संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, पट्टा/किराया खरीद परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों तथा किसी अन्य प्रकार के ऋण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करें, अर्थात्

(i) मानक परिसंपत्तियां,

(ii) अवमानक परिसंपत्तियां,

(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां, और

(iv) हानि वाली परिसंपत्तियां।

उपर्युक्त परिसंपत्तियों की श्रेणी, मात्र पुनर्निर्धारण किए जाने के के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक परिसंपत्तियां का उन्नयन के लिए अपेक्षित शर्तें पूरा नहीं करतीं ।

87.1.1 "**मानक परिसंपत्ति**" उस परिसंपत्ति को माना जाएगा, जिसके संबंध में मूलधन की चुकौती या ब्याज के भुगतान में कोई चूक न हुई हो और जिसमें कोई समस्या अथवा कारोबार से जुड़े सामान्य जोखिम के अलावा कोई अन्य जोखिम उजागर नहीं करती हो।

87.1.2 "**अवमानक परिसंपत्ति**" का अर्थ हैः

(i) ऐसी परिसंपत्ति जिसे अधिक-से-अधिक 12 महीने की अवधि के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

(ii) ऐसी परिसंपत्ति जिसके ब्याज और/अथवा मूलधन से संबंधित करार की शर्तों का परिचालन शुरू होने के बाद पुनःसौदाकृत अथवा पुनर्निर्धारित अथवा पुनर्रचनाकृत शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक पुनः सौदा किया गया हो अथवा शर्तें पुनर्निर्धारित अथवा शर्तों की पुनर्रचना की गई हो;

बशर्ते अवमानक परिसंपत्ति के रूप में मूलसंरचना ऋण का वर्गीकरण इन निदेशों के पैराग्राफ 17 के प्रावधानों के अनुसार होगा;

87.1.3 "**संदिग्ध परिसंपत्तियों**" का अर्थ है -

(i) मीयादी ऋण, अथवा

(ii) पट्टा परिसंपत्ति, अथवा

(iii) किराया खरीद परिसंपत्ति, अथवा

(iv) कोई अन्य परिसंपत्ति,

जो 12 महीने से अधिक अवधि तक अवमानक परिसंपत्ति बनी रहे।

87.1.4 "**हानि वाली परिसंपत्ति**" का अर्थ हैः

(i) ऐसी परिसंपत्ति जिसे एनबीएफसी द्वारा अथवा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अथवा एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में उस सीमा तक पहचाना गया है जिस सीमा तक एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते नहीं डाला गया है; और

(ii) ऐसी परिसंपत्ति जो प्रतिभूति मूल्य में या तो क्षरण के कारण अथवा प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा उधारकर्ता के धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य या चूक के कारण वसूल न हो पाने के संभावित खतरे से (विपरीत रूप से) प्रभावित हो;

87.1.5 **"अनर्जक परिसंपत्ति" (एनपीए)** का अर्थ हैः

(i) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(ii) अदत्त ब्याज-सहित ऐसा मीयादी ऋण, जिसकी किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(iii) ऐसा मांग अथवा सूचना ऋण, जो मांग या सूचना की तारीख से 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(iv) ऐसा बिल जो 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(v) अल्पावधि ऋण/अग्रिम के रूप में `अन्य चालू परिसंपत्तियां' शीर्ष के अंतर्गत कर्ज से संबधित ब्याज अथवा प्राप्य राशि से होने वाली आय, जो 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(vi) परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गई सेवाओं के लिए अथवा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई बकाया, जो 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(vii) पट्टा किराया और किराया खरीद किस्त, जो 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो गई हो;

(viii) ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में (खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित), एक ही उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाओं (उपचित ब्याज-सहित) के अंतर्गत शेष बकाया राशि जब उक्त ऋण सुविधाओं में से कोई एक अनर्जक परिसंपत्ति बन जाए.

बशर्ते पट्टा और किराया खरीद लेनदेन के मामले में, एनबीएफसी ऐसे प्रत्येक खाते को उसकी वसूली स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करें;

87.2 [37]नीचे दिए गए अनुदेश एनबीएफसी पर लागू होंगे:

87.2.1 यदि एनबीएफसी द्वारा निर्धारित नियत तिथि पर किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस राशि को अतिदेय माना जाना चाहिए । ऋण की अदायगी, पुनर्भुगतान की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज का अलग-अलग विवरण,

[37] 12 नवंबर, 2021 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 और 15 फरवरी, 2022 के परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2021-22

एसएमए/एनपीए वर्गीकरण तिथियों के उदाहरण आदि ऋण समझौतों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे और ऋण स्वीकृति के समय और बाद में होने वाले परिवर्तनों, यदि कोई हो, के समय भी उधारकर्ता को ऋण की पूर्ण अदायगी तक मंजूरी की शर्तों/ऋण करारों से अवगत कराया जाएगा । मूलधन और/या ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन वाली ऋण सुविधाओं के मामलों में, पुनर्भुगतान शुरू करने की विशिष्ट तिथि भी ऋण करारों में निर्दिष्ट की जाएगी। मौजूदा ऋणों के मामले में, तथापि, इन निर्देशों का अनुपालन ऐसे ऋणों ऋणों के नवीकरण/समीक्षा होने पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा जब भी ।

87.2.2 खातों में चूक के तत्काल बाद एनबीएफसी उन्हें विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) के रूप में निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करके प्रारंभिक दबाव को पहचानने की आवश्यकता है ।

एसएमए उप श्रेणियां	**वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि पूरी तरह से या आंशिक रूप से अतिदेय**
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

87.2.3 उधारकर्ता खातों के एसएमए वर्गीकरण संबंधी उपरोक्त निर्देश खुदरा ऋण सहित सभी ऋणों पर लागू होते हैं, चाहे ऋण देने वाली संस्था के एक्सपोजर का आकार(साइज़) कुछ भी हो।

87.2.4 उधारकर्ता खातों को ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा नियत तिथि पर अपनी कारोबार की समाप्ति की प्रक्रियाओं के अंतर्गत अतिदेय के रूप में चिन्हित किया जाएगा, चाहे ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन समय कुछ भी हो । इसी प्रकार, उधारकर्ता खातों का वर्गीकरण एसएमए और एनपीए के रूप में संबंधित तिथि पर कारोबार की समाप्ति के अंतर्गत किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण की तिथि समाप्ति प्रक्रिया चलायी जाने वाली संबन्धित कैलेंडर तिथि होगी। दूसरे शब्दों में, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में किसी खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को प्रतिबिंबित करेगी । उसी के लिए उदाहरण निर्देश के पैराग्राफ 137 में प्रदान किए गए हैं.

87.2.5 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन के पूरे बकाया राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही 'मानक' आस्ति के रूप में उन्नयित किया जा सकता है। किसी उधार देने वाली संस्था से एक से अधिक ऋण सुविधा प्राप्त उधारकर्ताओं के मामले में, सभी ऋण सुविधाओं से संबंधित ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि की चुकौती किए जाने पर ही ऋण खातों को अनर्जक आस्ति से मानक आस्ति की श्रेणी में उन्नयित किया जाएगा ।पुनर्गठन, वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तिथि (डीसीसीओ) की गैर-प्राप्ति, आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन के संबंध में ऐसे मामलों के लिए निर्दिष्ट निर्देश लागू होते रहेंगे।

87.2.6 एसएमए और एनपीए पर उपभोक्ता शिक्षा: उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, एनबीएफसी अतिदेय की तिथि की अवधारणाएं, एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन, दिन के अंत की प्रक्रिया के विशिष्ट संदर्भ सहित उदाहरणों से समझाते हुए उपभोक्ता शिक्षण साहित्य को अपनी वेबसाइटों पर रखेंगी । एनबीएफसी पोस्टर और/या अन्य उपयुक्त माध्यमों से ऐसी उपभोक्ता शिक्षण साहित्य को अपनी शाखाओं में प्रदर्शित करने पर भी विचार कर सकती हैं । इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके अग्रपंक्ति (फ्रंट लाइन) अधिकारी ऋणों की स्वीकृति/वितरण/नवीकरण के समय उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋणों के संबंध में इन सभी अवधारणाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करें ।

88. मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण

एनबीएफसी को मानक आस्तियों के बकाया का 0.40 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा जिसकी गणना निवल एनपीए के लिए नहीं की जाएगी। मानक आस्तियों के प्रति किया गया प्रावधान को समग्र अग्रिम से नेटेड नहीं किया जाएगा किंतु तुलन पत्र में मानक आस्तियों के प्रति अलग "आकस्मिक प्रावधान" के रूप में दर्शाया जाएगा।

89. चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए दिशानिर्देश

ऊपर पैराग्राफ 26 में दिये गए दिशानिर्देशों के साथ-साथ निम्नलिखित श्रेणी की एनबीएफ़सी अनुबंध XXI में दिये अनुसार प्रकटन मानदंड सहित एलसीआर दिशानिर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे:

(i) 10,000 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी और किसी भी आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शर्तों के अनुसार चलनिधि बफर बनाए रखेंगी, जो 30 दिनों के लिए किसी भी विकट चलनिधि दबाव की स्थिति में सुरक्षित रहने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति(एचक्युएलए) की उपलब्धता सुनिश्चित करके संभाव्य चलनिधि संकट में आघात-सहनीयता को प्रोत्साहित करेगा। एनबीएफसी द्वारा बनाए रखे जाने वाले एचक्युएलए का स्टॉक अगले 30 कैलेंडर दिवस तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन का कम से कम 100% होगा। यह एलसीआर आवश्यकता एनबीएफसी पर 01 दिसंबर 2020 से बाध्यकारी होगी, जोकि शुरुआत में एलसीआर के 50% होगी और नीचे दर्शाये समय-सीमा के अनुसार 01 दिसंबर 2024 तक 100% के अपेक्षित स्तर तक पहुंचेगी:

से	01 दिसंबर 2020	01 दिसंबर 2021	01 दिसंबर 2022	01 दिसंबर 2023	01 दिसंबर 2024
न्यूनतम एलसीआर	50%	60%	70%	85%	100%

89.2 5,000 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक किन्तु 10,000 करोड़ रुपए से कम आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने सभी एनबीएफसी भी 01 दिसंबर 2020 से निम्नलिखित समय-सीमा के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखेगी:

से	01 दिसंबर 2020	01 दिसंबर 2021	01 दिसंबर 2022	01 दिसंबर 2023	01 दिसंबर 2024
न्यूनतम एलसीआर	30%	50%	60%	85%	100%

89.3 मूल निवेश कंपनियों, टाइप -1 एनबीएफ़सी-एनडी, एनओएफएचसी और एकल प्राथमिक डीलरों को एलसीआर मानदंडों के अनुपालन से छुट दी गई है।

90 वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण –खातों को टिप्पणियां

90.1 एनबीएफसी को नियमित अंतराल में इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्मेट में निम्नलिखित को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा :

(i) प्रगतिशील जोखिम प्रबंधन प्रणाली, जोखिम प्रबंधन नीति और एनबीएफसी द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति स्थापित करने में हुई प्रगति;

(ii) कार्पोरेट गवर्नेंस मानक जैसे विभिन्न समितियों का गठन, उनकी भूमिका और कार्य, बैठक की आवधिकता तथा कार्यक्षेत्र व्याप्ति) कवरेज़ (का अनुपालन और कार्यों की समीक्षा की पुष्टि प्रस्तुत करनी होगी।

90.2 एनबीएफसी को अपनी वार्षिक वित्तीय विवरणी में निमंलिखित को भी प्रकट करना होगा :

(i) अन्य वित्तीय विनियामक सेक्टर से प्राप्त किसी भी नाम का पंजीकरण/लाइसेंस /प्राधिकार;

(ii) क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में परिवर्तन;

(iii) किसी विनियामक द्वारा लगाया गया दंड, यदि कोई हो तो;

(iv) संयुक्त उपक्रम तथा विदेशी सहायक कंपनियों के संबंध में क्षेत्र, परिचालन का देश संबंधी सूचना, और

(v) आस्ति-देयता प्रोफाइल, मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का विस्तार, एनपीए और एनपीए का परिचालन, सभी तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर का ब्योरा, प्रतिभूतिकरण/कार्यभार लेनदेन के रूप में भी उनके द्वारा जारी संरचित उत्पाद और अनुबंध XXII में विनिर्दिष्ट अन्य प्रकटीकरण

90.3 उपर्युक्त के अलावा, एनबीएफसी अनुबंध VII के भाग II में निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी और अपने तुलनपत्र में निम्नलिखित ब्योरे प्रकट करेगी-

(i) जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी - अनुपात (CRAR)

(ii) रियल इस्टेट सेक्टर (स्थावर संपदा क्षेत्र) के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों जोखिम; तथा

(iii) परिसंपत्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न।

अध्याय X
विनियामक प्रतिबंध और सीमाएं

91. एनबीएफसी के लिए ऋण/निवेश संकेंद्रण के मानदंड (एनबीएफसी-यूएल को छोड़कर)

91.1 एनबीएफसी (एनबीएफसी-आईएफसी को छोड़कर) का एक्सपोजर नहीं अधिक (मिलाकर दोनों निवेश/ऋण) चाहिए होना:

(ए) एकल उधारकर्ता/पक्षकार को टियर I पूंजी के 25 प्रतिशत से, एवं

(बी) उधारकर्ताओं/पक्षकारों का एकल समूह को टियर I पूंजी के 40 प्रतिशत से

बशर्ते इसके अतिरिक्त, कोई एनबीएफसी किसी एकल पार्टी के लिए 5 प्रतिशत से अधिक तथा एक समूह में 10 प्रतिशत से अधिक ऊपर निर्दिष्ट एक्सपोजर मानदंड सकती है, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण तथा /अथवा निवेश में अतिरिक्त एक्सपोजर किया गया हो।

91.2 एनबीएफसी होना नहीं अधिक से सीमा अधिकतम (मिलाकर दोनों निवेश/ऋण) एक्सपोजर का आईएफसी-चाहिए:

(ए) अपनी टियर I पूंजी का 30 प्रतिशत किसी एक पक्ष को देना; तथा

(बी) अपनी टियर I पूंजी का 50 प्रतिशत पार्टियों के एक ही समूह को दे सकता है।

91.3 अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश के संबंध में उक्त अधितम सीमा एनबीएफसी पर उस सीमा तक लागू नहीं होगी जिस सीमा तक रिजर्व बैंक द्वारा, लिखित रूप में, विशेष रूप से बीमा कंपनी की इक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में अनुमति दी गई हो।

91.4 एक्सपोजर मानदंड प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में सार्वजनिक निधि तक पहुंच नहीं बनाने वाली और गारंटी जारी नहीं करने वाली किसी एनबीएफसी पर लागू नहीं होंगे।

91.5 एक्सपोजर मानदंड लागू नहीं होंगे:

(i) एनबीएफसी द्वारा निम्नलिखित के शेयरों में निवेश

(ए) इसके सहायक संस्थाओं;

(बी) समान समूह की कंपनियों के,

एनओएफ की गणना के लिए स्वाधिकृत निधि से घटाये गए सीमा तक और

(ii) डिबेंचर, बॉण्ड, बकाया ऋण तथा अग्रिम (किराया-क्रय और बट्टे हेतु वित्त सहित) के लिए देय तथा निम्नलिखित के पास जमा-

(ए) एनबीएफसी की सहायक संस्थाएं;

(बी) समान समूह की कंपनियों के,

एनओएफ की गणना के लिए स्वाधिकृत निधि से घटायी गई सीमा तक।

(iii) [38]नीचे सूचीबद्ध एक्सपोजर को भी क्रेडिट/निवेश सकेन्द्रन मानदंडों से छूट दी जाएगी:

(ए) भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए एक्सपोजर जो एनबीएफसी[39] पर लागू पूंजी नियमों के तहत शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं;

(बी) एक्सपोज़र जहां मूलधन और ब्याज की पूरी गारंटी भारत सरकार[38] द्वारा दी जाती है।

91.6 एनबीएफसी को एकल पार्टी/एकल समूह पार्टी के संबंध में एक्सपोजर के प्रति नीति बनानी होगी।

91.7 विशिष्ट क्षेत्रों की सेवा के लिए स्थापित सरकारी एनबीएफसी छूट, यदि कोई हो, के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकती हैं

टिप्पणी:

1. [40]एक्सपोज़र की गणना - क्रेडिट जोखिम अंतरण उपकरण

किसी प्रतिपक्षकार का कुल एक्सपोज़र जिसमें ऑन और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र दोनों शामिल हैं, की गणना इन निदेशों में पूंजी गणना के लिए निर्धारित विधि के आधार पर की जाती है; अर्थात, ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोज़र को बकाया राशि[41] में गिना जाता है, जबकि तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र को पूंजी आवश्यकताओं के तहत निर्धारित क्रेडिट रूपांतरण कारक को लागू करके क्रेडिट जोखिम के समकक्ष में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा, अनुबंध XIV के अनुसार, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) को वर्तमान में अंतर्निहित प्रतिपक्षकार के एक्सपोजर की भरपाई के लिए क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण उपकरण के रूप में अनुमति दी गई है। अब से, एनबीएफसी-एमएल के एक्सपोजर की भरपाई नीचे सूचीबद्ध क्रेडिट जोखिम अंतरण उपकरणों से भी की जाएगी:

(ए) अग्रिमों के विरुद्ध उधारकर्ता की ओर से संपार्श्विक के रूप में रखा गया नकद मार्जिन/जमानती राशि/सुरक्षा जमा, जिसके लिए समंजन करने का अधिकार उपलब्ध है;

(बी) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीशुदा दावे जिन पर पूंजी गणना के लिए शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगता है;

(सी) राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा दावे जिन पर पूंजी गणना[42] के लिए 20 प्रतिशत जोखिम भार लगता है;

(डी) सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी के तहत व्यक्तिगत योजनाओं की क्रेडिट गारंटी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई गारंटियाँ पैराग्राफ 84 की टिप्पणी 4 की शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

बशर्ते कि क्रेडिट जोखिम अंतरण उपकरण के रूप में पात्र होने के लिए, गारंटी प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और शर्तरहित होगी।

---

[38] 15 जनवरी 2024 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24

[39] इन निदेशों के अध्याय-IX के अनुसार।

[40] 15 जनवरी 2024 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24

[41] नेटिंग की अनुमति केवल उन आस्तियों के लिए है जहां मूल्यह्रास या अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हैं

[42] एनबीएफसी-एमएल द्वारा एक्सपोजर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली राज्य सरकार की गारंटी की सीमा तक, एक्सपोजर 20% के लागू जोखिम भार के साथ राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाएगा। राज्य सरकार पर एक्सपोज़र के स्थानांतरण के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है।

2. ऋण/निवेश से संबंधित ये अधिकतम सीमाएं स्वयं की एनबीएफसी समूह तथा अन्य उधारकर्ताओं/ निवेश करने वाली कंपनी के समूह पर लागू होगी।

3. (i). "अवलंब-सहित" (विद रिकोर्स) आधार पर फैक्टरिंग के मामले में एक्सपोज़र की गणना करते समय इसे नियोजक द्वारा देय मानी जाएगी।

(ii) "अवलंब-रहित"(विदाउट रिकोर्स) आधार पर फैक्टरिंग के मामले में चाहे ऋण जोखिम कवर/सुरक्षा प्रदान की गई हो अथवा नहीं एक्सपोज़र की गणना करते समय इसे कर्जदार द्वारा देय मानी जाएगी। ऐसे मामले में अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग अपवाद होंगे जहां संपूर्ण ऋण जोखिम आयात फैक्टर द्वारा देय माना जाता है।

92. संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर (एसएसई)

पूंजी बाजार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) और वाणिज्यिक अचल संपत्ति[43] में एक्सपोजर को एनबीएफसी के लिए संवेदनशील एक्सपोजर के रूप में गिना जाएगा। एनबीएफ़सी पूंजी बाजार और वाणिज्यिक अचल संपत्ति एक्सपोजर के लिए अलग-अलग सीमा सहित एसएसई के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक सीमाएं निर्धारित करेगा। समय-समय पर संपादित विभिन्न क्षेत्रों के गतिशील सुभेद्यता आकलन और व्यापार पर उनके संभावित प्रभाव के मूल्यांकन से एनबीएफसी को ऐसी आंतरिक एक्सपोजर सीमा निर्धारित करने में मदद मिलेगी। जबकि बोर्ड समग्र एसएसई आंतरिक सीमाओं में विभिन्न उप-सीमाओं का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है, निम्नलिखित को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है:

i. भूमि अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए आंतरिक रूप से वाणिज्यिक अचल संपत्ति एक्सपोजर सीमा के भीतर एक उप-सीमा तय की जाएगी।
ii. पैराग्राफ 34 पर उल्लिखित आईपीओ निधीयन पर सीमा

93. ऋणों पर विनियामकीय प्रतिबंध

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, शब्द "नियंत्रण" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (27) के तहत दिया गया है।

93.1 निदेशकों को ऋण और अग्रिम

जब तक निदेशक मंडल/निदेशक समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, तब तक एनबीएफसी को कुल पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण और अग्रिम निम्नलिखित को नहीं देना चाहिए-

(i) उनके निदेशक (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित) या निदेशकों के रिश्तेदार।

(ii) कोई भी फर्म जिसमें उनका कोई निदेशक या उनके रिश्तेदार भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में रुचि रखते हैं।

---
[43] इन निर्देशों के अनुबंध XXII के पैराग्राफ 3.5 में उल्लिखित संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर।

(iii) कोई भी कंपनी जिसमें उनका कोई निदेशक, या उनके रिश्तेदार एक प्रमुख शेयरधारक, निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में रुचि रखते हैं।

बशर्ते कि एक निदेशक या उसके रिश्तेदारों को एक कंपनी में रुचि रखने वाला माना जाएगा, सहायक या होल्डिंग कंपनी होने के नाते, यदि वह एक प्रमुख शेयरधारक है या संबंधित होल्डिंग या सहायक कंपनी के नियंत्रण में है।

बशर्ते कि निदेशक जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित या किसी प्रस्ताव में रुचि रखते हैं, ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा होने पर बोर्ड को अपने हित की प्रकृति का खुलासा करना चाहिए। उसे बैठक से खुद को तब तक अलग कर लेना चाहिए जब तक कि अन्य निदेशकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो और निदेशक को उपस्थित होने के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करना चाहिए।

इन उधारकर्ताओं को पांच करोड़ रुपये से कम की ऋण सुविधाओं के प्रस्तावों को एनबीएफसी में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकरण में निहित शक्तियों के तहत स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन मामले को बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए।

93.2 एनबीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों को ऋण और अग्रिम-

एनबीएफसी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय निम्नलिखित का पालन करेंगे:

(i) एनबीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वीकृत ऋण और अग्रिम की सूचना बोर्ड को दी जाएगी।

(ii) कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या कोई समिति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल है, किसी क्रेडिट सुविधा की मंजूरी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस वरिष्ठ अधिकारी के किसी रिश्तेदार को कोई क्रेडिट सुविधा मंजूर नहीं करेगा। ऐसी सुविधा शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत अगले उच्च स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

93.3 रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण और अग्रिम

रियल एस्टेट से जुड़े ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय, एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए सरकार/स्थानीय सरकार/अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, जहां कहीं आवश्यक हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके कारण ऋण अनुमोदन प्रक्रिया बाधित न हो, जबकि प्रस्ताव सामान्य रूप से स्वीकृत किए जा सकते हैं, संवितरण केवल तभी किया जाएगा जब उधारकर्ता ने सरकार / अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली हो।

93.4 उपर्युक्त पैरा 93.1 और 93.2 में उल्लिखित ऋण प्रदान करने के संबंध में –

(i) एनबीएफसी को उधारकर्ता से एक घोषणापत्र प्राप्त करना होगा जिसमें कुल पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋण और अग्रिम के लिए अपने निदेशकों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उधारकर्ता के संबंध का विवरण दिया गया हो। एनबीएफसी को ऋण वापस लेना होगा यदि यह उनकी जानकारी में आता है कि उधारकर्ता ने गलत घोषणा की है।

(ii) इन दिशानिर्देशों को विधिवत सभी निदेशकों के ध्यान में लाया जाएगा और एनबीएफसी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

(iii) एनबीएफसी अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में ऐसे स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों की कुल राशि अनुबंध XI में दिए गए टेम्पलेट के अनुसार प्रकट करेगी।

93.5 ऋण और अग्रिम देने से संबंधित पैरा 93.1, 93.2 और 93.4 में उल्लिखित उक्त मानदंड समान रूप से संविदा प्रदान करने पर लागू होंगे।

व्याख्या: शब्द 'ऋण और अग्रिम' में निम्नलिखित ऋण या अग्रिम शामिल नहीं होंगे -

(i) सरकारी प्रतिभूतियां

(ii) जीवन बीमा पॉलिसियां

(iii) सावधि जमा

(iv) स्टॉक और शेयर

(v) एनबीएफसी के किसी कर्मचारी को आम तौर पर कर्मचारियों पर लागू किसी भी योजना के तहत दिए गए आवास ऋण, कार अग्रिम आदि।

बशर्ते कि एनबीएफसी के हित/ग्रहणाधिकार को उचित रूप से कानूनी प्रवर्तनीयता के साथ चिह्नित किया गया हो।

अध्याय XI
अभिशासन दिशानिर्देश

94. बोर्ड समिति का गठन

94.1. लेखा परीक्षा समिति

94.1.1 एनबीएफसी को लेखा परीक्षा समिति का गठन करना होगा जिसमें उनके निदेशक मंडल से कम से कम तीन सदस्यों हो।

स्पष्टीकरण I : यदि किसी एनबीएफसी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता है, तो उसके द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा समिति माना जाएगा।

स्पष्टीकरण II: इस पैराग्राफ के तहत गठित लेखा परीक्षा समिति के पास भी वही शक्ति, कार्य और दायित्व होंगे जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

94.1.2 लेखा परीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि एनबीएफसी द्वारा सामना किये जाने वाले परिचालनगत जोखिम की पहचान करने के लिए दो वर्षों में कम से कम एक बार आंतरिक प्रणाली और प्रक्रिया की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा करनी होगी ।

94.2 नामांकन और प्रतिफल समिति

एनबीएफसी (सरकारी एनबीएफसी को छोड़कर) एक नामांकन और **प्रतिफल** समिति (एनआरसी) का गठन करेंगे, जिसका संघटन, शक्तियां, कार्य और कर्तव्य वैसे ही होंगे जैसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में निर्धारित किए गए हैं ।

स्पष्टीकरण I: सरकारी एनबीएफसी प्रस्तावित/मौजूदा निदेशकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नामांकन समिति का गठन करेंगे। इस प्रकार गठित नामांकन समिति के पास वही शक्तियां, कार्य और कर्तव्य होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में निर्धारित हैं।

स्पष्टीकरण II - यदि किसी एनबीएफसी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत एनआरसी का गठन करना आवश्यक है, तो उसके द्वारा गठित एनआरसी को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए एनआरसी/नामांकन समिति के रूप में माना जाएगा।

95. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति

95.1 प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथा को बेहतर करना होगा। जहाँ एक ओर एनबीएफसी के बोर्ड को जोखिम प्रबंधन के उत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए; दूसरी तरफ निवेश और ऋण कंपनी, पुनर्रचना वित्त कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्था, फैक्टर्स एवं पुनर्संरचना कर्ज़ निधि श्रेणी की ₹ 5000 करोड़ रुपए से अधिक आस्ति आकार वाली एनबीएफसी

स्पष्ट विनिर्दिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व प्रदान कर सीआरओ की नियुक्ति करे। सीआरओ से यह अपेक्षित है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे ताकि जोखिम प्रबंधन के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

95.2 इस संबंध में एनबीएफसी निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे:

(i) सीआरओ एनबीएफसी के पदानुक्रम में वरिष्ठ अधिकारी होगा और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में उसके पास आवश्यक और यथोचित व्यावसायिक योग्यता/अनुभव रहेगा।

(ii) सीआरओ की नियुक्ति एनबीएफसी के बोर्ड के अनुमोदन से नियत कार्यकाल के लिए की जाएगी। सीआरओ को सिर्फ बोर्ड के अनुमोदन से ही कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है/ उसके पद से हटाया जा सकता है और इस प्रकार के अवधिपूर्व स्थानांतरण/ हटाए जाने की सूचना पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देनी होगी, जिनके क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी पंजीकृत है। सूचीबद्ध एनबीएफसी द्वारा सीआरओ के पदग्राही में किसी प्रकार के बदलाव की रिपोर्टिंग स्टॉक-एक्सचेंज में भी करनी होगी।

(iii) बोर्ड सीआरओ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाएगा। इस संबंध में, सीआरओ की रिपोर्टिंग सीधे एमडी एवं सीईओ / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समीति (आरएमसी) तक होगी। अगर सीआरओ एमडी एवं सीईओ को रिपोर्ट करता हो तो आरएमसी कम-से-कम तिमाही आधार पर एमडी एवं सीईओ की उपस्थिति के बिना सीआरओ से मिलेगी। सीआरओ एनबीएफसी के कारोबारी कार्यक्षेत्र के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं रखेगा और उसे कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई "दोहरे उत्तरदायित्व" का प्रावधान नहीं होगा अर्थात सीआरओ को कोई अन्य उत्तरदायित्व नहीं दिया जाएगा।

(iv) सीआरओ जोखिमों की पहचान, मापन और उसे कम करने की प्रक्रिया से जुड़ा रहेगा। सीआरओ द्वारा सभी ऋण उत्पादों (खुदरा एवं थोक) में अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिमों के दृष्टिकोण से वेटिंग किया जाएगा। ऋण प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के संबंध में सीआरओ की भूमिका केवल सलाहकार होने तक सीमित रहेगी।

(v) उच्च मूल्य के प्रस्तावों के लिए ऋण मंजूरी प्रक्रिया में समिति की कार्यपद्धति को अपनाने वाले एनबीएफसी में, यदि सीआरओ ऋण मंजूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने वालों में से एक है, तो उसे मताधिकार की शक्ति प्राप्त होगी और ऐसे सभी सदस्य जो ऋण मंजूरी प्रक्रिया के भाग हैं वे ऋण प्रस्ताव से संबंधित जोखिम परिप्रेक्ष्य सहित सभी पहलुओं के लिए वैयक्तिक रूप से और प्रथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

96. निदेशकों के लिए उचित और पर्याप्त मानदंड

एनबीएफसी को

(i) यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशकों की नियुक्ति के समय "उचित और पर्याप्त" मानदंड सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर नीति बनाकर निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होगा। उचित और पर्याप्त मानदंड नीति के संबंध में दिशानिदेश **अनुबंध XXIII** में दिए गए हैं;

(ii) निदेशकों से संबंधित अतिरिक्त सूचना के लिए निदेशकों से घोषण पत्र तथा वचन पत्र लिया जाए। यह घोषणा पत्र तथा वचन पत्र **परिशिष्ट XXII-ए** में दिए प्रारूप के अनुसार होगा;

(iii) निदेशकों से हस्ताक्षरित प्रतिज्ञापत्र दस्तावेज प्राप्त किया जाए जो **परिशिष्ट XXIII-बी** में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार हो;

(iv) निदेशकों के परिवर्तन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट तथा निदेशकों के चयन में उचित और पर्याप्त मानदंड का अनुपालन किया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर विवरणियां रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, जहां कंपनी पंजीकृत है, को प्राप्त हो जानी चाहिए। 31 मार्च को समाप्त तिमाही से संबंध में एनबीएफसी को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

बशर्ते कि रिज़र्व बैंक यदि यह जन साधारण के हित में और पर्याप्त हो तो, किसी भी एनबीएफसी का उसकी परिसंपत्ति के आकार को ध्यान में रखे बिना, ऐसी एनबीएफसी के निदेशकों के उचित और पर्याप्त मानदंड की जांच करने का अधिकार रखता है।

97. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

सहायक कंपनी में निदेशक के अलावा, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक[44] किसी अन्य एनबीएफसी-एमएल या एनबीएफसी-यूएल में कोई पद (निदेशक सहित) धारण नहीं करेंगे । इन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 01 अक्टूबर, 2022 से दो वर्ष की समय-सीमा प्रदान की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वे एनबीएफसी-बीएल में निदेशक पद ग्रहण कर सकते हैं ।

98. स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अनुमेय सीमा के भीतर, एक स्वतंत्र निदेशक एक ही समय में तीन से अधिक एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएल या एनबीएफसी-यूएल) के बोर्ड में नहीं होगा। इसके अलावा एनबीएफसी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उनके स्वतंत्र निदेशकों के एक ही समय में किसी अन्य एनबीएफसी के बोर्ड में होने से कोई मतभेद उत्पन्न न हो। इन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 01 अक्टूबर, 2022 से दो वर्ष की समय-सीमा प्रदान की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अधीन एनबीएफसी-बीएल के बोर्डों में निदेशकों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

99. एनबीएफसी में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र के पारिश्रमिक पर दिशानिर्देश

99.1 अनुचित तरीके से संरेखित पारिश्रमिक पैकेज के कारण अत्यधिक जोखिम लेने से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए, एनबीएफसी को बोर्ड अनुमोदित पारिश्रमिक नीति बनाने की आवश्यकता है। नीति में कम से

[44] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) और समय-समय पर यथासंशोधित परिभाषा के अनुसार। परिभाषित किया गया है, जैसा कि किया गया है।

कम यह शामिल होगा, (ए) एक पारिश्रमिक समिति का गठन, (बी) नियत / परिवर्तनशील वेतन संरचनाओं के लिए सिद्धांत, और (सी) मालस/क्लॉबैक प्रावधान। एनबीएफसी के बोर्ड को नामांकन और प्रतिफल समिति (एनआरसी) सहित विभिन्न समितियों की भूमिका को दर्शाना/ निरूपित करना चाहिए। और इसके अलावा, एनबीएफसी **अनुबंध XXIV** में दिए गए मार्गदर्शिकाओं का पालन करेंगे।

99.2 दिशानिर्देश केवल एनबीएफसी और उनकी एनआरसी को उनकी पारिश्रमिक नीति तैयार करने में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हैं। पारिश्रमिक नीति बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सांविधिक अधिदेश और उनके तहत जारी किए गए नियमों और निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन किया जाए।

99.3 ये दिशानिर्देश सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को छोड़कर, एसबीआर ढांचे के तहत सभी एनबीएफसी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक[45] और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र[46] के सदस्यों की पारिश्रमिक नीति तय करने के लिए लागू होंगे।

100. कार्पोरेट गवर्नेंस पर आंतरिक दिशानिदेश बनाया जाना

एनबीएफसी उक्त दिशानिदेश में निहित तथ्यों की अवहेलना किए बगैर दिशानिदेश के दायरे को बढ़ाने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कार्पोरेट गवर्नेंस पर आंतरिक दिशानिदेश बनाये और अपने विभिन्न हितधारकों के सूचनार्थ इसे अपनी कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो तो, में प्रदर्शित करें।

[45] केएमपी: जैसा कि समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) में परिभाषित किया गया है।

[46] 'ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र' वही हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के 'स्पष्टीकरण' में परिभाषित हैं।

अध्याय XII
विविध अनुदेश

101. करेंसी ऑप्शंस में भाग लेना

जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी अपने अंतर्भूत विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिमों की हेजिंग मात्र के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यताप्राप्त करेंसी आप्शंस के लिए पदनामित एक्स्चेंजों में, रिज़र्व बैंक के वित्तीय बाजार विनियमन विभाग के दिशा-निर्देशों के अधीन, ग्राहक के रूप में भाग ले सकती हैं। सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस संबंध में किये गए लेन देन के बारे में तुलनपत्र में उचित प्रकटीकरण किया जाएगा।

102. ब्याज दर संबंधी भावी सौदा बाजारों का परिचय

जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी, समय-समय पर संशोधित 26 जून, 2019 के '**रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019**' में निहित निर्देशों के पालन के अधीन, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग सदस्यों के रूप में ब्याज दर संबंधी भावी सौदा बाजारों में भाग ले सकती हैं।

103. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा

103.1 जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेनों के लिए पात्र हैं। वे समय-समय पर संशोधित 24 जुलाई, 2018 के '**पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018**' का अनुपालन करेंगे और निम्नलिखित निर्देशों का भी पालन करेंगे।

(i) पूँजी पर्याप्तता

ऐसे लेनदेनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखी परिसंपत्तियों के बारे में ऋण जोखिम हेतु जोखिम भार के साथ-साथ काउंटर पार्टी के लिए जोखिम भार इन निदेशों के अध्याय IV के अनुसार जारीकर्ता/ काउंटर पार्टी के लिए लागू होगा।

(ii) खाता-शेष का वर्गीकरण

रेपो, रिवर्स रेपो खाते, आदि जैसे विभिन्न खातागत शेष-राशि का वर्गीकरण, बैंकों की भांति, संबंधित अनुसूचियों में किया जाएगा।

103.2 ऐसे रिपो लेनदेनों से संबंधित अन्य सभी मामलों में `जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी रिजर्व बैंक के वित्तीय बाजार विनियमन विभाग द्वारा जारी निदेश और लेखांकन दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगी।

104. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवाएं

एनबीएफसी को, जो निर्धारित सीआरएआर का अनुपालन करती हैं और जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में निवल लाभ प्राप्त किया है, पीएफआरडीए के साथ पंजीकरण के पश्चात एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने की अनुमति

दी जाती है। इस प्रकार की सेवा देने वाली पात्रएनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि जनता से एनपीएस अंशदान के रूप में स्वीकृत राशि स्वीकार करने वाली तिथि)टी 0+आधार पर; जहां टी नकदी अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त हुई स्पष्ट निधि है (को ही ट्रस्टी बैंक में जमा हो। यह राशि, पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित एनपीएस संबंधित विनियम के तहत इसी हेतु खोले गए ट्रस्टी बैंक खाते में जमा करानी होगी। पीओपी सेवा प्रदान करने वाली एनबीएफसी पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगी। उक्त दिशानिर्देश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी जो केवल पीओपी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति को निरस्त किये जाने तक ही सीमित नहीं रहेगी।

105. प्राधिकृत डीलर- श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना

105.1 व्यापारेतर चालू खाते संबंधित दैनिक लेन-देन संबंधी सेवा को जनता के लिए सुलभ और बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण निवेश और ऋण कंपनियां, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत डीलर- श्रेणी II (एडी-कैट-II) का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होंगीः

i. ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली एनबीएफसी' न्यूनतम निवेश श्रेणी रेटिंग 'वाली होंगी।

ii. ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली एनबीएफसी निम्नलिखित मुद्दों पर बोर्ड से अनुमोदित नीति बनाएगी

(ए) मुद्रा जोखिम, यदि कोई है तो, सहित जोखिमों का प्रबंधन और

(बी) ऐसी गतिविधियों के कारण होने वाली ग्राहक शिकायतों का निवारण। इन सेवाओं के लिए कम-से-कम मासिक अंतराल पर एक निगरानी प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।

105.2 प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II का कारोबार करने की इच्छा रखने वाली पात्र एनबीएफसी प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क करेंगी।

106. आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति

29 दिसंबर, 2023 को '**मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023**' पर परिपत्र के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली एनबीएफसी आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति करेंगी और संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।

भाग IV
एनबीएफसी-यूएल के लिए लागू विनियम

भाग IV में दिए गए विनियामक निर्देश एनबीएफसी- यूएल के लिए लागू होंगे। साथ ही, अन्यथा निर्दिष्ट नहीं होने पर, भाग II में निर्दिष्ट एनबीएफसी- बीएल के लागू विनियामक निर्देश और भाग III में निर्दिष्ट एनबीएफसी- एमएल के लागू विनियामक निर्देश भी एनबीएफसी- यूएल के लिए लागू होंगे।

अध्याय XIII
प्रूडेंशियल विनियम

107. कॉमन इक्विटी टियर 1

107.1 एनबीएफसी निरंतर आधार पर कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात कम से कम 9 प्रतिशत बनाए रखेगा, जहां,

सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात = (सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी)/(कुल जोखिम भारित आस्तियां)

107.2 सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी के तत्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) एनबीएफसी द्वारा जारी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी

(ii) इक्विटी शेयरों के निर्गम के परिणामस्वरूप शेयर प्रीमियम

(iii) आस्तियों की बिक्री आय से उत्पन्न होने वाले अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले पूंजीगत आरक्षित निधि

(iv) सांविधिक आरक्षित निधि

(v) लागू लेखा मानकों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एनबीएफसी की संपत्ति की अग्रणीत राशि में परिवर्तन से उत्पन्न पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, एनबीएफसी के विवेक पर, टियर2 के बजाय मौजूदा विनियमों के तहत पूंजी, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन 55% की छूट पर सीईटी1 पूंजी के रूप में माना जा सकता है:

(a) संपत्ति एनबीएफसी द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए रखी जाती है;

(b) एनबीएफसी स्व इच्छा से संपत्ति को आसानी से बेचने में सक्षम है और संपत्ति बेचने में कोई कानूनी बाधा नहीं है;

(c) एनबीएफसी के वित्तीय विवरणों में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को अलग से प्रस्तुत/प्रकट किया जाता है;

(d) लागू लेखा मानकों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन वास्तविक है;

(e) मूल्यांकन प्रत्येक 3 वर्षों में कम से कम एक बार दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त किया जाता है;

(f) जहां संपत्ति का मूल्य किसी भी घटना से काफी हद तक प्रभावित हुआ है, उन्हें तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और पूंजी पर्याप्तता गणना में उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए; और

(g) एनबीएफसी के बाहरी लेखा परीक्षकों ने संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर योग्य राय व्यक्त नहीं की है।

(vi) अन्य प्रकटित मुक्त आरक्षित निधियां, यदि कोई हो।

टिप्पणी: बंधक गारंटी कंपनियों के लिए, निःशुल्क आरक्षित निधि में मास्टर निदेश-बंधक गारंटी कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 दिनांक 10 नवंबर 2016 के पैरा 14(ए) के अनुसार बनाई गई आकस्मिक आरक्षित निधियां शामिल हैं।

(vii) आवंटन और विनियोग के बाद लाभ और हानि खाते के विवरण में शेष यानी पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में अर्जन को बरकरार रखा। संचित हानियों को सीईटी1 से कम किया जाएगा।

(viii) चालू वित्तीय वर्ष में लाभ को तिमाही आधार पर शामिल किया जा सकता है, यदि इसकी लेखा-परीक्षा की गई है या एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन है। इसके अलावा, इस तरह के मुनाफे

को पिछले तीन वर्षों में भुगतान किए गए औसत लाभांश से कम किया जाएगा और जिस राशि की गणना की जा सकती है, वह निम्नानुसार होगी:

ईपीटी = एनपीटी -0.25 *डी*टी

जहाँ:

ईपीटी =चालू वित्त वर्ष की तिमाही 'टी' तक योग्य लाभ, टी 1 से 4 तक भिन्न होता है

एनपीटी = तिमाही 'टी' तक शुद्ध लाभ

डी = पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किया गया औसत लाभांश

चालू वर्ष में हानियों को सीईटी1 से पूरी तरह से घटाया जाएगा।

(ix) सीईटी 1 पूंजी की गणना में निम्नलिखित नियामक समायोजन/कटौती लागू की जाएगी [अर्थात (i) से (viii) तक की मदों के योग से कटौती की जाएगी:

(ए) गुडविल और अन्य अमूर्त आस्तियां

(i) गुडविल और अन्य सभी अमूर्त आस्तियों को सामान्य इक्विटी टियर1 पूंजी से घटाया जाना चाहिए।

(ii) अमूर्त आस्तियों की पूरी राशि को किसी भी संबद्ध आस्थगित कर देनदारियों से घटाया जाना है, अन्यथा प्रासंगिक लेखा मानकों के तहत अमूर्त आस्तियां क्षत या अमान्य होने पर समाप्त हो जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, अमूर्त आस्तियों की परिभाषा प्रासंगिक लेखा मानकों के अनुसार होगी। यदि पहले से ही कटौती नहीं की गई है तो वर्तमान अवधि में हानियों और पिछली अवधियों से आगे लाए गए नुकसान को भी सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी से घटाया जाना चाहिए।

(बी) आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए)

निम्नलिखित डीटीए को सीईटी1 पूंजी से पूर्ण रूप से घटाया जाएगा –

(i) संचित हानियों से जुड़े डीटीए

(ii) आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) का डीटीए निवल (संचित हानियों से जुड़े डीटीए को छोड़कर)

टिप्पणी: जहां डीटीएल डीटीए (संचित हानियों से जुड़े डीटीए को छोड़कर) से अधिक है, वहां अतिरिक्त को न तो मद (i) के बदले समायोजित किया जाएगा और न ही सीईटी1 पूंजी[47] में जोड़ा जाएगा।

(सी) अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश और शेयरों, डिबेंचरों, बांडों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में किराया खरीद और लीज वित्त सहित एक ही समूह[48] में सहायक कंपनियों और कंपनियों के पास जमा, कुल मिलाकर, एनबीएफसी के स्वाधिकृत निधि का दस प्रतिशत से अधिक हो।

---

[47] डीटीए को संबद्ध आस्थगित कर देनदारियों (डीटीएल) के साथ केवल तभी जोड़ा जा सकता है जब डीटीए और डीटीएल एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करों से संबंधित हों और संबंधित कराधान प्राधिकरण द्वारा ऑफसेटिंग की अनुमति दी गई हो। डीटीए के बदले निवल होने की अनुमति दी गई डीटीएल को उन राशियों को हटाना चाहिए जिन्हें गुडविल, अमूर्त और परिभाषित लाभ पेंशन आस्तियों की कटौती के बदले निवल किया गया है।

[48] "समूह में कंपनियां" का अर्थ निम्नलिखित में से किसी भी संबंध के माध्यम से एक-दूसरे से संबंधित दो या दो से अधिक संस्थाओं को शामिल करना होगा: सहायक - मूल, संयुक्त उद्यम, सहयोगी, प्रमोटर-प्रमोटी (जैसा कि सेबी में प्रदान किया गया है (शेयरों का अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 1997) सूचीबद्ध

टिप्पणी:

i. ऊपर उल्लिखित कटौती की राशि निकालने के लिए अधिग्रहण लागत में से कम या निवेश/अग्रिम के उचित मूल्य का उपयोग किया जाएगा।

ii. उपरोक्त कटौती के प्रयोजन के लिए, एक ही समूह में एक सहायक कंपनी या कंपनी के साथ रखी गई मार्जिन राशि को जमा के रूप में माना जाएगा।

(डी) इंपेयरमेंट रिजर्व[49] को सीईटी1 कैपिटल में मान्यता नहीं दी जाएगी।

(ई) अप्राप्त लाभ और/या नियामक पूंजी से नुकसान पर आवश्यक कटौती/बहिष्करण के संदर्भ में अनुबंध II के के पैराग्राफ 3.1 के धारा (i) से (iv) को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

(एफ) प्रतिभूतिकरण लेनदेन: इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 शीर्षक से दिनांक 24 सितंबर, 2021 मास्टर निदेश संख्या एनबीएफसी को डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 द्वारा निर्देशित किया जाएगा ।

(जी) परिभाषित लाभ पेंशन निधि आस्तियां और देयताएं: परिभाषित लाभ पेंशन निधि देनदारियां, जैसा कि तुलन पत्र में शामिल है, को सीईटी 1 पूंजी की गणना में पूरी तरह से मान्यता दी जानी चाहिए (यानी सीईटी 1 पूंजी को इन देनदारियों को मान्यता रद्द करके नहीं बढ़ाया जा सकता है)। प्रत्येक परिभाषित लाभ पेंशन निधि के लिए जो बैलेंस शीट पर एक आस्तियां है, उन्हें सीईटी1 की गणना से घटाया जाना चाहिए।

(एच) स्वयं के शेयरों में निवेश (ट्रेजरी स्टॉक): एनबीएफसी के अपने शेयरों में निवेश पूंजी के पुनर्भुगतान के समान है और इसलिए, ऐसे निवेश, चाहे प्रत्यक्ष[50] या अप्रत्यक्ष रूप से धारित किए गए हों, उन्हें सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा। यह कटौती इक्विटी पूंजी की दोहरी गिनती को हटा देगी जो प्रत्यक्ष होल्डिंग्स, इंडेक्स फंड्स के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग्स और स्वयं के शेयरों को खरीदने के लिए संविदात्मक दायित्वों के परिणामस्वरूप संभावित भविष्य की होल्डिंग्स से उत्पन्न होती है।

107.3 सीईटी1 अनुपात की गणना में उपयोग की जाने वाली कुल जोखिम भारित संपत्ति (आरडब्ल्यूए) इन निर्देशों के तहत गणना की गई कुल आरडब्ल्यूए के समान होगी।

कंपनियों, एक संबंधित पार्टी, सामान्य ब्रांड नाम, और 20 प्रतिशत और उससे अधिक के इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए। मूल, सहायक, संयुक्त उद्यम, सहयोगी और संबंधित पक्ष की शर्तें लागू लेखा मानकों में परिभाषित/वर्णित होंगी।

[49] कृपया क्षत आरक्षित निधि पर दिशानिर्देशों के लिए दिनांक 13 मार्च, 2020 के भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर परिपत्र सं. डीओआर (एनबीएफसी).सीसी. पीडी. सं. 109/22.10.106/2019-20 के अनुबंध के पैरा 2(बी) का संदर्भ लें।

[50] यह ध्यान दिया जा सकता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 67 किसी कंपनी द्वारा खरीद या उसके शेयरों की खरीद के लिए उसके द्वारा ऋण देने को प्रतिबंधित करती है।

108. मानक' आस्तियों का विभेदक प्रावधान

108.1 एनबीएफसी द्वारा 'मानक' आस्तियों के संबंध में बकाया निधिकृत राशि के लिए निम्नलिखित दरों पर प्रावधान रखे जाएंगे:

आस्तियों की श्रेणी	**प्रावधान की दर**
व्यक्तिगत आवास ऋण और लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) को ऋण	0.25 प्रतिशत
लुभावनी दरों पर दिये गए आवास ऋण	2.00 प्रतिशत, जो उस तारीख से 1 वर्ष के बाद घटकर 0.40 प्रतिशत हो जाएंगी, जिस तारीख को दरें उच्च दरों पर रीसेट की जाती हैं (यदि खाते 'मानक' बने रहते हैं)
वाणिज्यिक रियल एस्टेट के लिए अग्रिम - निवासीय आवास - रेसिडेंशियल हाउसिंग (सीआरई - आरएच) क्षेत्र	0.75 प्रतिशत
वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई) क्षेत्र को अग्रिम (सीआरई-आरएच के अलावा)	1.00 प्रतिशत
पुनर्रचित अग्रिम	जैसा कि अग्रिमों के पुनर्गठन के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों में निर्धारित किया गया है
मध्यम उद्यमों को दिये जाने वाले ऋण सहित अन्य सभी ऋण और अग्रिम जो उक्त में शामिल नहीं हैं	0.40 प्रतिशत

108.2 अनुमत व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लेनदेनों के कारण उत्पन्न होने वाले वर्तमान ऋण एक्सपोजर पर भी उक्त प्रावधान लागू होंगे जैसा कि संबंधित प्रतिपक्षकारों की 'मानक' श्रेणी में ऋण आस्तियों पर लागू है। मानक आस्तियों के प्रावधानों के व्यवहार के लिए लागू सभी शर्तें अनुमत व्युत्पन्न लेनदेन के लिए पूर्वोक्त प्रावधानों पर भी लागू होंगी।

108.3 चूंकि 250 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल संपत्ति वाली एनबीएफसी को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखा मानकों (इण्ड-एएस) का अनुपालन करना आवश्यक है, वे अनुबंध II के पैराग्राफ 2 के तहत निर्धारित विवेकपूर्ण फ्लोर के अधीन, इंड एएस के तहत आवश्यक हानि भत्ते को जारी रखेंगे। हालांकि, उपर्युक्त प्रावधानों को विवेकपूर्ण स्तर की गणना में शामिल किया जाएगा, लेकिन शुद्ध एनपीए की गणना के लिए इन्हे शामिल नहीं किया जाएगा।

108.4 इन निर्देशों के संदर्भ में, निम्नलिखित परिभाषाएं/स्पष्टीकरण लागू होंगे:

108.4.1 सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम इन शब्दों की परिभाषा दिनांक 2 जुलाई 2020 को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह' पर जारी और समय-समय पर अद्यतन किए गए परिपत्र '**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह**' के अनुसार होगी।

108.4.2 वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई) में बिल्डरों / डेवलपर्स/ अन्य सृजक/ वाणिज्यिक अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने वाले (जैसे कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) को दिये गए ऋण शामिल होंगे, जहां चुकौती की संभावनाएं, या चूक के मामले में वसूली, यह मुख्य रूप से पट्टे/किराये के भुगतान, बिक्री आदि के माध्यम से आस्ति द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को तीसरी आवासीय इकाई के लिए दिए गए ऋण को सीआरई एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा।

108.4.3 वाणिज्यिक रियल एस्टेट - निवासीय आवास (सीआरई-आरएच) सीआरई की एक उप-श्रेणी है, जिसमें निवासीय आवास परियोजनाओं के लिए बिल्डरों/डेवलपर्स (कैप्टिव खपत को छोड़कर) को दिये जाने वाले ऋण शामिल हैं। ऐसी परियोजनाओं में आमतौर पर गैर-आवासीय वाणिज्यिक अचल संपत्ति शामिल नहीं होनी चाहिए। हालाँकि कुछ व्यावसायिक स्थानों वाली एकीकृत आवास परियोजना को भी सीआरई-आरएच के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जा सकता है, (जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल आदि) बशर्ते कि निवासीय आवास परियोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र परियोजना के कुल फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। यदि मुख्य रूप से निवासीय आवास परिसर में वाणिज्यिक क्षेत्र का एफएसआई 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक है, तो पूरे ऋण को सीआरई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए न कि सीआरई-आरएच के रूप में।

108.4.4 लुभावनी दरों पर दिए जाने वाले आवास ऋणों का अर्थ है पहले कुछ वर्षों में तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दर वाले आवास ऋण, जिसके बाद ब्याज दरों को उच्च दरों पर रीसेट किया जाता है।

108.4.5 वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर को एक ही प्रतिपक्षकार के संबंध में सभी डेरिवेटिव अनुबंधों के सकल सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य के योग के रूप में परिभाषित है, जो उसी प्रतिपक्ष के साथ अनुबंधों के किसी भी नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्यों के समायोजन के बिना है।

109. वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – एनबीएफ़सी के खातों को टिप्पणियां

एनबीएफसी को अनुबंध VII की भाग III में निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा ।

अध्याय XIV
विनियामक प्रतिबंध और सीमाएं

110. बृहद एक्सपोज़र ढांचा

110.1 एक्सपोजर मानदंडों पर विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एनबीएफसी में क्रेडिट जोखिम संकेन्द्रण का समाधान करना है। ये अनुदेश बड़े एक्सपोजर की पहचान करने, इससे संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूहीकरण के मानदंडों को परिष्कृत करने और बड़े एक्सपोजर के लिए रिपोर्टिंग मानदंडों को स्थापित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

110.2 परिभाषा

110.2.1 "टियर I पूंजी" का दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए वही अर्थ होगा जो इन निर्देशों के पैराग्राफ 5.1.34 में परिभाषित है। आगे, वर्ष के दौरान अर्जित लाभ को एनबीएफसी-यूएल पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक समायोजन करने के बाद एलईएफ के उद्देश्य के लिए टियर I पूंजी के रूप में माना जाएगा। एनबीएफसी-यूएल द्वारा पूंजी वृद्धि पूर्ण होने पर एक बाहरी लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा और पूंजीगत निधियों में वृद्धि की गणना करने से पहले इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा।

110.2.2 "पात्र पूंजी आधार" का अर्थ है टियर 1 पूंजी जैसा कि ऊपर पैरा 110.2 में परिभाषित है।

110.2.3 "नियंत्रण"[51] का अर्थ है शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के समझौते या मतदान समझौते या किसी अन्य तरीके सहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार है ।

110.3 आवेदन का दायरा

110.3.1 दिशानिर्देश एनबीएफसी पर एकल स्तर और समेकित (समूह) दोनों स्तरों पर लागू होंगे।

110.3.2 एक्सपोजर में एनबीएफसी द्वारा तुलन-पत्र पर और तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर दोनों शामिल होंगे।

110.4. प्रतिपक्षकारों और छूटों का दायरा

110.4.1 एनबीएफसी-यूएल के अपने सभी प्रतिपक्षकारों और संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूहों के प्रति एक्सपोजर, नीचे सूचीबद्ध एक्सपोजर को छोड़कर, एक्सपोजर सीमाओं के लिए विचार किया जाएगा। एलईएफ से छूट प्राप्त एक्सपोजर नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) भारत सरकार और राज्य सरकारों को एक्सपोजर, जो एनबीएफसी-यूएल पर लागू पूंजी विनियमों के तहत शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं;

(ii) एक्सपोजर जहां मूलधन और ब्याज भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से गारंटीकृत हैं;

---

[51] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (27)

(iii) समूह संस्थाओं के प्रति एनबीएफसी-यूएल का एक्सपोजर जिसे एनओएफ प्राप्त करने के लिए उसके स्वामित्व वाले निधि से प्राप्त किया जाता है।

(iv) बीमा कंपनी की इक्विटी पूंजी में निवेश उस सीमा तक जो बैंक द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अनुमत है।

110.4.2 अनुबंध के पैरा 6.1 में दर्शाए गए सिद्धांत के अनुसार ऋण जोखिम अंतरण लिखतों के साथ एक्सपोजर की भरपाई करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे लिखतों की सांकेतिक सूची नीचे दी गई है:

(i) नकद मार्जिन / जमानत राशि / सुरक्षा जमा जिसके लिए समंजन करने का अधिकार उपलब्ध है, अग्रिम के लिए संपार्श्विक के रूप में रखा गया है;

(ii) केंद्र सरकार गारंटीकृत दावे जो पूंजी गणना के लिए 0% जोखिम भार को आकर्षित करते हैं;

(iii) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे जो पूंजी गणना के लिए 20% जोखिम भार को आकर्षित करते हैं;

[52](iii)(a) सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी के तहत व्यक्तिगत योजनाओं की क्रेडिट गारंटी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई गारंटियाँ पैराग्राफ 84 की टिप्पणी 4 की शर्तों को पूरा करने के अधीन है। बशर्ते कि उपरोक्त खंड (ii), (iii) और (iii)(a) के संबंध में क्रेडिट जोखिम अंतरण उपकरण के रूप में पात्र होने के लिए, गारंटी प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और शर्तरहित होगी।

(iv) मौजूदा श्रेणी में रखे गए कॉरपोरेट बॉन्ड और क्रेडिट चूक स्वैप (सीडीएस) द्वारा बचाव (हेज) के लिए, जहां सीडीएस और बचाव बॉन्ड के बीच कोई बेमेल नहीं है, क्रेडिट सुरक्षा को बचाव एक्सपोजर के अधिकतम 80% तक मान्यता देने की अनुमति दी गई है। शेष 20% एक्सपोजर को मूल प्रतिपक्षकार पर मान्यता दी जाएगी। स्थायी श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए जहां सीडीएस और बचाव बॉन्ड के बीच कोई बेमेल नहीं है, एनबीएफसी-यूएल अंतर्निहित आस्ति के लिए पूर्ण क्रेडिट सुरक्षा को मान्यता दे सकता है। मूल प्रतिपक्षकार के एक्सपोजर को पूरी तरह से सुरक्षा विक्रेता के एक्सपोजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उपरोक्त 110.4.2 (i) और (ii) को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में जहां मूल प्रतिपक्षकार के लिए एक्सपोजर उस एक्सपोजर के लिए किसी अन्य प्रतिपक्षकार द्वारा प्रदान किए गए पात्र क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण लिखत के कारण कम हो जाता है, तो उसे ऋण जोखिम अंतरण लिखत प्रदाता पर उस सीमा तक एक्सपोजर के रूप में पहचाना जाना चाहिए।

110.4.3 जहां दो (या अधिक) संस्थाएं जो सोवरेन छूट के दायरे से बाहर आती हैं, एक ऐसी इकाई द्वारा नियंत्रित या आर्थिक रूप से निर्भर हैं जो सोवरेन छूट के दायरे में आती है {पैरा 110.4.1 (क)}, और अन्यथा जुड़े नहीं हैं, उन्हें संस्थाओं को संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह का गठन करने वाला नहीं समझा जाएगा।

[52] 15 जनवरी 2024 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24

110.4.4 एनबीएफसी का एक छूट प्राप्त संस्था के प्रति एक्सपोजर, जिसे क्रेडिट डेरिवेटिव द्वारा बचाव किया जाता है, को क्रेडिट सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रतिपक्षकार के प्रति एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि मूल एक्सपोजर को छूट दी गई है।

110.5 वृहत एक्सपोजर सीमाएं

110.5.1 एकल प्रतिपक्षकार:

(i) किसी एकल प्रतिपक्षकार को एनबीएफसी के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग हर समय एनबीएफसी-यूएल के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) एनबीएफसी का बोर्ड निम्नलिखित शर्तों के अधीन 20 प्रतिशत से अधिक लेकिन एनबीएफसी के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से अधिक के अतिरिक्त 5 प्रतिशत एक्सपोजर की अनुमति नहीं दे सकता है:

(ए) एनबीएफसी के पास इसके निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होगी जिसमें ऐसी शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके तहत 20% से अधिक के एक्सपोज़र पर विचार किया जा सकता है; तथा

(बी) एनबीएफसी उन असाधारण कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा जिनके लिए किसी विशिष्ट मामले में 20% से अधिक एक्सपोजर की अनुमति दी जा रही है।

बशर्ते कि एक इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) एकल प्रतिपक्षकार के लिए एक्सपोजर की सीमा को टीयर I पूंजी से 5 प्रतिशत अधिक बढ़ा सकती है।

बशर्ते कि एक एनबीएफसी एकल प्रतिपक्षकार के लिए अपनी टीयर I पूंजी के 5 प्रतिशत से एक्सपोजर सीमा से बढ़ सकता है, यदि अतिरिक्त एक्सपोजर बुनियादी ढांचे के 'ऋण और/या निवेश' के कारण है। हालांकि एनबीएफसी (आईएफसी के अलावा) के लिए किसी भी मामले में एकल प्रतिपक्षकार सीमा 25 प्रतिशत और एनबीएफसी(आईएफसी) के लिए 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

110.5.2 संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह:

(i) एनबीएफसी के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के लिए हर समय एनबीएफसी-यूएल के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि एक आईएफसी संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के लिए एक्सपोजर के लिए अपनी टियर I पूंजी के 10 प्रतिशत तक एक्सपोजर सीमा से आगे जा सकता है।

बशर्ते कि कोई एनबीएफसी संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह में एक्सपोजर के लिए अपनी टियर I पूंजी के 10 प्रतिशत तक एक्सपोजर सीमा से आगे जा सकता है, यदि अतिरिक्त एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर 'ऋण और/या निवेश' के कारण है।

(ii) प्रत्येक एनबीएफसी संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेगा। ऐसी नीति के तहत बनाई गई नीति और किए गए आकलन पर्यवेक्षी जांच के अधीन होंगे।

(iii) असाधारण मामलों में, यदि कोई एनबीएफसी आरबीआई को दर्शाता है कि नियंत्रण स्थापित होने के बावजूद, इस तरह के नियंत्रण का परिणाम संबंधित संस्थाओं से संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह में प्रगट नही होता है (उदाहरण के लिए, विशिष्ट परिस्थितियों और कॉरपोरेट अभिशासन सुरक्षा के कारण प्रतिपक्षकारों के बीच नियंत्रण का अस्तित्व), तो संस्थाओं को संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) असाधारण मामलों में, यदि कोई एनबीएफसी आरबीआई को दर्शाता है कि कोई प्रतिपक्षकार जो आर्थिक रूप से किसी अन्य प्रतिपक्षकार से निकटता से संबंधित है, वित्तीय कठिनाइयों को दूर कर सकता है, या यहां तक कि दूसरे प्रतिपक्षकार के चूक, वैकल्पिक व्यापार भागीदारों या वित्त पोषण स्रोतों को उपयुक्त समय अवधि के भीतर ढूंढकर दूर कर सकता है, तो संस्थाओं को संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

110.5.3 एनबीएफसी-यूएल के लिए एलईएफ सीमाओं का सारांश नीचे दिया गया है:

		(पात्र पूंजी आधार के % के रूप में)
	एनबीएफसी-यूएल (आईएफसी के अलावा)	एनबीएफसी-यूएल (आईएफसी)
एकल प्रतिपक्षकार	• 20% • बोर्ड की मंजूरी के साथ अतिरिक्त 5% • अवसंरचना ऋण/निवेश के प्रति एक्सपोजर होने पर अतिरिक्त 5% (एकल प्रतिपक्षकार सीमा किसी भी स्थिति में 25% से अधिक नहीं होगी)	• 25% • बोर्ड की मंजूरी के साथ अतिरिक्त 5%
संबद्ध प्रतिपक्षकारों का समूह	• 25% • अवसंरचना ऋण/निवेश के प्रति एक्सपोजर होने पर अतिरिक्त 10%	• 35%

110.5.4 नियंत्रण के माध्यम से अन्योन्याश्रय और आर्थिक निर्भरता के माध्यम से अन्योन्याश्रय के बीच का संबंध:

ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां नियंत्रण संबंध और आर्थिक अन्योन्याश्रय परस्पर जुड़े हुए हों। इसलिए, संबद्ध प्रतिपक्षकारों के एक समूह में दोनों प्रकार के कारकों को इस प्रकार शामिल किया जा सकता है कि सभी संबंधित प्रतिपक्षकार एनबीएफसी-यूएल के लिए एकल जोखिम का गठन करें। प्रतिपक्षकारों के बीच जुड़ाव (अर्थात नियंत्रण या आर्थिक अन्योन्याश्रयता) चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, के बावजूद संक्रमण का जोखिम मौजूद होता है। एनबीएफसी को संक्रमण की शृंखला की पहचान करने की दृष्टि से प्रतिपक्षकारों का ऐसा आकलन करना चाहिए जिससे सभी संस्थाओं को संभावित चूक का पता लगाया जा सके।

110.6 एक्सपोजर का मूल्य

110.6.1 किसी प्रतिपक्षकार के लिए एक्सपोजर से तुलन-पत्र पर और तुलन-पत्र से बाहर दोनों प्रकार के एक्सपोजर होंगे जिनकी गणना इन निदेशों में पूंजी गणना के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार गणना की जाएगी अर्थात, ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोज़र को बकाया राशि[53] में गिना जाता है, जबकि तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र को पूंजी आवश्यकताओं के तहत निर्धारित क्रेडिट रूपांतरण कारक को लागू करके क्रेडिट जोखिम के समकक्ष में परिवर्तित किया जाता है। पूर्वोक्त निदेशों में अनुमत, ऋण जोखिम अंतरण लिखतों को एक्सपोजर से घटाये जाने की अनुमति है।

110.6.2 फैक्टरिंग लेनदेन: "आश्रय सहित" आधार पर फैक्टरिंग के मामले में, एक्सपोजर की गणना समनुदेशक पर की जाएगी। "बिना आश्रय" आधार पर फैक्टरिंग के मामले में, एक्सपोजर की गणना देनदार पर की जाएगी, भले ही क्रेडिट जोखिम कवर/सुरक्षा प्रदान की गई हो। यह अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग के मामलों को छोड़कर होगा जहां संपूर्ण क्रेडिट जोखिम आयात फैक्टर द्वारा प्राप्त किया गया है।

110.6.3 केंद्रीय प्रतिपक्षकारों को एक्सपोजर:

(i) डेरिवेटिव ट्रेडिंग और उनके खिलाफ बकाया प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेन के कारण केंद्रीय काउंटर पार्टियों (सीसीपी) को एक्सपोजर शून्य एक्सपोजर मूल्य दिया जाएगा। हालांकि, ये एक्सपोजर पैरा 110.7 में परिभाषित नियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

(ii) सीसीपी के साथ संपार्श्विक की राशि को एक्सपोजर सीमा तक प्राप्त करने के लिए गिना जाएगा।

(iii) अन्य एक्सपोजर: अन्य प्रकार के एक्सपोजर जैसे इक्विटी हिस्सेदारी, वित्त पोषण सुविधाएं, क्रेडिट सुविधाएं, गारंटी इत्यादि, इस ढांचे में निर्धारित नियमों के अनुसार मापा जाएगा, जैसा कि किसी अन्य प्रकार के प्रतिपक्षकार के लिए होता है। ये एक्सपोजर एक साथ जोड़े जाएंगे और एलई सीमा के अधीन होंगे।

110.6.4 उल्लंघन

(i) बृहद एक्सपोजर सीमा का कोई भी उल्लंघन एनबीएफसी के नियंत्रण से परे असाधारण परिस्थितियों में होगा, और इसे तुरंत आरबीआई (पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय) को सूचित किया जाएगा और शीघ्रता से सुधारा जाएगा।

(ii) एनबीएफसी कोई और एक्सपोजर (इकाई या समूह स्तर पर, जैसा भी मामला हो) तब तक नहीं ले सकता जब तक कि इसे सीमा के भीतर नहीं लाया जाता।

(iii) एक्सपोजर सीमा का अनुपालन करने में विफल रहने पर पर्यवेक्षक द्वारा एनबीएफसी पर दंड लगाया जा सकता है।

[53] नेटिंग की अनुमति केवल उन आस्तियों के लिए है जहां मूल्यह्रास या अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

110.7 विनियामक रिपोर्टिंग

एनबीएफसी-यूएल अनुबंध XXV में दिए गए रिपोर्टिंग टेम्पलेट के अनुसार रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय) को अपने बड़े एक्सपोजर के बारे में रिपोर्ट करेगा। एलईएफ रिपोर्टिंग में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) सभी एक्सपोजर, बड़े एक्सपोजर की परिभाषा को पूरा करते हैं;

(ii) क्रेडिट जोखिम अंतरण लिखतों के साथ एक्सपोजर मूल्य को ऑफसेट किए बिना इस ढांचे के पैरा 6 में निर्दिष्ट के रूप में गणना किए गए अन्य सभी एक्सपोजर, जहां मूल्य एनबीएफसी के पात्र पूंजी आधार के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है;

(iii) एनबीएफसी के पात्र पूंजी आधार के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक मूल्य वाले सभी छूट प्राप्त एक्सपोजर;

(iv) एनबीएफसी के पात्र पूंजी आधार के सापेक्ष इन एक्सपोजर के मूल्यों के बावजूद, आवेदन के दायरे में शामिल 10 सबसे बड़े एक्सपोजर।

111. आंतरिक एक्सपोजर सीमा

पैराग्राफ 92 में दर्शाए गए एसएसई पर आंतरिक सीमाओं के अलावा, एनबीएफसी-यूएल का बोर्ड अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में आंतरिक एक्सपोजर सीमा भी निर्धारित करेगा। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी, एनबीएफसी क्षेत्र में एक्सपोजर के लिए एक आंतरिक बोर्ड अनुमोदित सीमा लागू करेगा।

अध्याय XV
अभिशासन दिशा-निर्देश

112. बोर्ड के सदस्यों की योग्यता

बोर्ड के सदस्य एनबीएफसी के मामलों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। बोर्ड के गठन में बोर्ड के भीतर मिश्रित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सुनिश्चित किया जाना चाहिए । बोर्ड के सदस्यों की विशिष्ट विशेषज्ञता एनबीएफसी द्वारा अपनाई गई व्यवसाय के प्रकार के आधार पर एक शर्त होगी ।

113. सूचीबद्ध करना और प्रकटन

एनबीएफसी को एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचान के 3 साल के भीतर अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। एनबीएफसी की बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार, वास्तविक लिस्टिंग से पहले भी किसी सूचीबद्ध कंपनी पर लागू प्रकटीकरण आवश्यकताएं लागू की जाएंगी ।

अध्याय XVI
संक्रमण पथ

114. संक्रमण योजना

114.1 संक्रमण योजना

एक बार एनबीएफसी-यूएल के रूप में शामिल करने के लिए एनबीएफसी की पहचान हो जाने के बाद, एनबीएफसी को विनियमन विभाग, रिजर्व बैंक द्वारा इसके वर्गीकरण की सूचना दी जाएगी और इसे अपर लेयर पर लागू विनियमन के अंतर्गत रखा जाएगा । इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जाएगा:

114.1.1 आरबीआई द्वारा एनबीएफसी-यूएल में शामिल किए जाने के संबंध में सूचना दिए जाने के 3 महीने के भीतर, एनबीएफसी संवर्धित विनियामकीय ढांचे को अपनाने के लिए एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगी और नए विनियमों के पालन के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेगी।

114.1.2 बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि रिजर्व बैंक से एनबीएफसी-यूएल के रूप में वर्गीकरण के संबंध में सूचना की तिथि से अधिकतम 24 महीने की समयावधि के भीतर एनबीएफसी-यूएल के लिए निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए । संक्रमण की अवधि के दौरान, पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से व्यवसाय को अंशांकित रूप में वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है। कार्यान्वयन के लिए योजना को तैयार करने के लिए प्रदान की गई 3 महीने की अवधि को उपरोक्त वर्णित 24 महीने की समय-अवधि के भीतर समाहित किया जाएगा।

114.1.3 वर्धित विनियामकीय आवश्यकता के कार्यान्वयन की दिशा में बोर्ड द्वारा अनुमोदित रोडमैप रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा और यह पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होगा।

114.2 एनबीएफसी का अपर लेयर में संक्रमण

114.2.1 एक बार जब एनबीएफसी को एनबीएफसी-यूएल के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो लेयर में इसके वर्गीकरण से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए यह वर्धित विनियामकीय आवश्यकता के अधीन होगा, चाहे यह बाद के वर्ष/वर्षों में पैरामेट्रिक मानदंडों को पूरा नहीं करता है । दूसरे शब्दों में, यह वर्धित विनियामकीय ढांचे से केवल तभी बाहर जाने के लिए पात्र होगा जब यह लगातार पांच वर्षों तक वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है ।

114.2.2 हालांकि एनबीएफ़सी-यूएल पांच वर्ष की अवधि से पहले वर्धित विनियामकीय ढांचे से बाहर हो सकता है, यदि इस प्रकार बाहर जाना बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार परिचालन को पुनः समायोजित करने के लिए स्वैच्छिक रणनीतिक उपाय के रूप में है । यदि परिचालनों की कमी एनबीएफसी के लिए विशिष्ट प्रतिकूल स्थितियों और उसकी बिगड़ती वित्तीय स्थितियों के कारण होती है तो यह शर्त लागू नहीं होगी ।

114.2.3 ऐसे एनबीएफसी जो उन सभी मापदंडों और बेंचमार्कों को पूरा करने के करीब हैं, जो उन्हें एनपीएसी-यूएल के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्रता प्रदान करती हों, किन्तु वे दीर्घकालिक आधार पर एनबीएफसी-एमएल के रूप

में कार्य करना जारी रखना चाहते हैं और एनबीएफसी-यूएल में उन्नयित नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें अपने परिचालन को समायोजित करने में सक्षम बनाने के लिए सूचित किया जाएगा।

114.3 मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा

एनबीएफसी-यूएल के मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

भाग V
एनबीएफसी-टीएल के लिए लागू विनियम

115. विनियामकीय संरचना की टॉप लेयर में आने वाली एनबीएफसी, अन्य बातों के साथ- उच्च पूंजी शुल्क के अधीन होंगे। ऐसी उच्च आवश्यकताओं को विशेष रूप से टॉप लेयर में इसके वर्गीकरण के समय एनबीएफसी को सूचित किया जाएगा। इन एनबीएफसी का पर्यवेक्षण अधिक विस्तृत और गहन तरीके से किया जाएगा।

भाग VI

[54]गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी - एमएफआई) और अन्य एनबीएफसी के सूक्ष्म वित ऋण पर लागू विनिर्दिष्ट निदेश

एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एनबीएफसी के सूक्ष्म वित ऋणों के लिए भाग VI में निहित निर्देश इन निदेशों में निहित अन्य प्रासंगिक निर्देशों के अतिरिक्त हैं, न कि उनके स्थान पर।

पृडेंशियल मानदण्ड

116.1 पूंजी की आवश्यकता

116.1.1 एनबीएफसी-एमएफआई को टियर 1 और टियर 2 पूंजी से युक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना होगा जो तुलन पत्र की समग्र जोखिम भारित आस्तियों और तुलन पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा। किसी भी समय टियर II पूंजी टियर I पूंजी से चाहिए। होनी नहीं अधिक प्रतिशत 100 पूंजी पर्याप्तता के लिए तुलनपत्र की परिसंपत्तियों और तुलनपत्र से इतर परिसंपत्तियों के साथ व्यवहार पैराग्राफ 84 और 85 में प्रदान किया गया है। एनबीएफसी- एमएफआई पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं के व्यवहार पर निर्देशों के पैराग्राफ 86 में प्रावधानों का भी पालन करेंगे।

116.1.2 सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटीकृत ऋणों के लिए, एनबीएफसी-एमएफआई इन निदेशों के अध्याय IX के पैराग्राफ 84 के टिप्पणी (4) में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार जोखिम भार आवंटित करेंगे।

116.2 आस्ति वर्गीकरण प्रावधानीकरण मानदंड

116.2.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

(i) मानक परिसंपत्ति अर्थात ऐसी परिसंपत्तियां जिनके मूलधन या ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं मानी गयी हो तथा इसमें कोई समस्या और न ही यह कारोबार में शामिल सामान्य जोखिम के अतिरिक्त किसी जोखिम का वहन करती हो;

(ii) अनर्जक परिसंपत्ति अर्थात ऐसी परिसंपत्ति जिसका ब्याज/मूलधन 90 दिन से अधिक के लिए बकाया हो गया हो।

116.2.2 **प्रावधानीकरण मानदंड**

एनबीएफसी-एमएफआई के सूक्ष्म वित ऋणों से संबंधित अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान मानदंड निम्नानुसार होंगे:

एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा किसी भी समय समग्र ऋण का प्रावधानीकरण निम्नलिखित में से जो उच्च मान वाला है उससे कम नहीं होना चाहिए

(ए) बकाया ऋण पोर्टफोलियो का 1% या

---

[54] 14 मार्च 2022 परिपत्र विवि.एफआईएन.आरईसी.95/03.10.038/2021-22

(बी) समग्र ऋण किस्त का 50% जो 90 दिनों से अधिक किंतु 180 दिनों से कम से बकाया हो तथा समग्र ऋण किस्त का 100% जो 180 दिनों या उससे अधिक समय से बकाया हो.

(ii) सीआरजीएफटीएलआईएच के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट द्वारा ऋण गारंटी द्वारा कवर किये गए ऋणों के गैर-निष्पादित होने की स्थिति में ऋण के उस भाग के लिए प्रावधानीकरण की आवश्यकता नहीं है, जितने की गारंटी है। गारंटी राशि के अतिरिक्त शेष राशि के लिए प्रावधानीकरण मानदंड इन निदेशों के पैराग्राफ 15 में दिये अनुसार होगी।

(iii) एनबीएफसी-एमएफआई के सूक्ष्म वित ऋणों के लिए मानक परिसंपत्ति प्रावधान इन निर्देशों के पैराग्राफ 16 और 88 में निहित निर्देशों के अनुसार होगा।

116.3 इन निदेशों के अध्याय IV और अध्याय IX में दिये गए अन्य सभी प्रावधान, जहाँ इस पैरा के विरुद्ध नहीं हो, एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू होंगे।

117. केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए एजेंटों को चैनेलाइज करना

117.1 केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए चैनेलाइजिंग एजेंटों की तरह कार्य करने वाले एनबीएफसी-एमएफआई को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:

केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों के लिए चैनेलाइजिंग एजेंटों की तरह एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रदत्त अथवा प्रबंधित ऋणों को पृथक कारोबार के रूप में देखा जाएगा। इन ऋणों को न्यूनतम अर्हक आस्तियों का निर्धारण करने के उद्देश्य से न तो अंश (अर्हक आस्तियां) और न ही हर (कुल आस्तियां) के रूप में शामिल किया जाएगा।

117.2 केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित विशेष योजनाओं के लिए चैनेलाइजिंग एजेंटों की तरह कार्य करने के लिए एनबीएफसी-एमएफआई को सामान्य अनुमति दी जाती है बशर्ते कि उन्हें निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है-

(i) ऐसे ऋणों तथा संबंधित एजेंसियों से प्राप्त /प्राप्त होने वाली निधियों के लिए लेखा तथा रिकॉर्ड एनबीएफसी-एमएफआई के खातों में अन्य आस्तियां एवं देयताओं से इतर रखा जाएगा और वित्तीय/ अंतिम खातों और तुलन पत्र में पर्याप्त विवरण और अलग खंड के रूप में के साथ पृथक रूप में, दिखाया जाएगा।

(ii) उन मामलों को छोड़कर जहां एनबीएफसी-एमएफआई क्रेडिट जोखिम वहन नही करती है; ऐसे ऋण परिसम्पत्ति वर्गीकरण, आय मान्यता और प्राववधान मानदंडो के साथ-साथ अन्य विवेकपूर्ण मानदंड, जो एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू हैं, के अधीन होंगे;

(iii) ऐसे सभी ऋणों की सूचना ऋण सूचना कंपनियों को दी जाएगी ताकि बार-बार उधारी रोकी जा सके और एक उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके।

118. भौगोलिक विविधता

विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी अवांछित संकेन्द्रण से बचने हेतु आंतरिक एक्सपोजर सीमा तय करने के लिए एनबीएफसी –एमएफआई अपने बोर्ड से संपर्क करें।

119. एसआरओ का गठन

सभी एनबीएफसी जो होगा बनना सदस्य का (एसआरओ) संगठन स्वविनियामक एक कम से कम को एमएफआई-सं आचार निर्धारित द्वारा एसआरओ जो और हो प्राप्त मान्यता द्वारा बैंक रिज़र्व भारतीयहिता का अनुपालन करता हो। इसके साथ ही बैंक से मान्यताप्राप्त एसआरओ की अनुबंध XXVI में उल्लिखित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। इस क्षेत्र की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए बैंक द्वारा इसे समय-समय पर परिवर्तित किया जाएगा।

120. अनुपालन की निगरानी

एनबीएफसी-एमएफआई हेतु निर्धारित सभी विनियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्यत: एनबीएफसी-एमएफआई की स्वयं की हैं। उद्योग संस्थाएं/एसआरओ भी विनियामक संरचना के अनुपालन में प्रमुख भूमिका निभाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण देने वाले बैंकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि एनबीएससी-एमएफआई में ऋण नीति और प्रणालीगत व्यवस्था विनियामक संरचना के एक समान है।

121. सूक्ष्म वित ऋणों के लिए निर्देश

एनबीएफसी के सूक्ष्म वित ऋण समय-समय पर संशोधित 'मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022 द्वारा निर्देशित होंगे। एनबीएफसी-एमएफआई की पात्रता नहीं रखने वाले एनबीएफसी अपनी कुल आस्तियों के 25% से अधिक का सकल ऋण सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को नहीं दे सकते हैं।

भाग VII

[55]एनबीएफसी-फैक्टर और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 के तहत पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी पर लागू विशिष्ट निदेश

एनबीएफसी-फैक्टर और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 के तहत पंजीकृत एनबीएफसी- आईसीसी के लिए **भाग VII** में निहित निर्देश इन निदेशों में निहित अन्य प्रासंगिक निर्देशों के अतिरिक्त हैं, न कि उनके स्थान पर।

122. पंजीकरण

122.1 फैक्टरिंग कारोबार करने की इच्छुक प्रत्येक कंपनी को फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करना होगा और इन निदेशों के पैराग्राफ 123 में उल्लिखित मुख्य व्यवसाय का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

122.2 फैक्टरिंग व्यवसाय करने का इरादा रखने वाली कोई भी मौजूदा एनबीएफसी-आईसीसी फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर के अनुदान के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करेगी, यदि वह निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती है:

(i) सार्वजनिक जमा स्वीकार या धारण नहीं करना;

(ii) अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक की कुल आस्ति;

(iii) इन निदेशों के पैराग्राफ 6 में निर्धारित एनओएफ आवश्यकता को पूरा करना।

(iv) विनियामक अनुपालन।

122.3. कोई भी मौजूदा एनबीएफसी-आईसीसी जो उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करती है, लेकिन फैक्टरिंग व्यवसाय करने का इरादा रखती है, उसे एनबीएफसी-आईसीसी से एनबीएफसी-फैक्टर में रूपांतरण के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करना होगा। ऐसे एनबीएफसी-आईसीसी को इन निदेशों के पैराग्राफ 123 में निर्दिष्ट मुख्य व्यवसाय का अनुपालन करना होगा।

122.4 उपरोक्त पैराग्राफ 122.3 में वर्णित रूपांतरण के लिए आवेदन एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में नए पंजीकरण के लिए सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत एनबीएफसी-आईसीसी को रिजर्व बैंक द्वारा जारी मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

122.5 रिजर्व बैंक से फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के अंतर्गत गैर पंजीकृत संस्था फैक्टरिंग कारोबार कर सकती है यदि वह फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 की धारा या बैंक जैसे ;हो संस्था वर्णित में 5निगम जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित हो अथवा सरकारी कंपनी।

[55] अधिसूचना संख्या DOR.FIN.080/CGM(JPS) – 2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 (आधिकारिक राजपत्र – असाधारण – भाग- III, धारा 4 दिनांक 17 जनवरी, 2022 में प्रकाशित)

122.6 एनबीएफसी-फैक्टर या एनबीएफसी-आईसीसी, जिसे फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा सीओआर प्रदान किया गया है, सीओआर प्रदान किए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर फैक्टरिंग व्यवसाय शुरू करेगा।

123. मूल कारोबार

एनबीएफसी फैक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी कुल संपत्ति का न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग फैक्टरिंग कारोबार में नियोजित परिसंपत्ति हो तथा फैक्टरिंग कारोबार से प्राप्त इसकी आय सकल आय के 50 प्रतिशत से कम न हो।

124. कारोबार का संचालन और विवेकपूर्ण विनियमन

एनबीएफसी-फैक्टर या एनबीएफसी-आईसीसी जिन्हें फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर प्रदान किया गया है, वे फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार फैक्टरिंग कारोबार का संचालन करेंगे।

125. परिसंपत्ति वर्गीकरण

125.1 500 करोड़ रुपये से कम आस्ति आकार वाले एनबीएफसी फैक्टर

इन निदेशों के पैराग्राफ 14 में निहित परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अतिरिक्त, 500 करोड़ रुपये से कम आस्ति आकार वाले एनबीएफसी फैक्टर के द्वारा फैक्टरिंग के अंतर्गत अधिग्रहण प्राप्य, जो देय तिथि के 180 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहा है, उसे अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए)माना जाए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि एनबीएफसी-फैक्टर द्वारा अधिग्रहण कब किया गया है तथा फैक्टरिंग का कार्य "दायित्व सहित" या "दायित्व रहित" आधार पर किया गया है। इसके अलावा, इन निदेशों के पैराग्राफ 14.2 में निर्धारित एनपीए की पहचान के लिए समय सीमा भी ऐसे एनबीएफसी- फैक्टर पर लागू होगा। इकाई जिस पर जोखिम बुक किया गया था एनपीए के रूप में दिखाया जाना चाहिए और उसके अनुसार प्रावधान करना चाहिए।

125.2 ₹500 करोड़ रुपये से अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी फैक्टर और एनबीएफसी-आईसीसी जिन्हें फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर प्रदान किया गया है

इन निदेशों के पैराग्राफ 87 में निहित परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अतिरिक्त, ₹500 करोड़ रुपये से अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी फैक्टर और एनबीएफसी-आईसीसी जिन्हें फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर प्रदान किया गया है, द्वारा फैक्टरिंग के अंतर्गत अधिग्रहण प्राप्य, जो देय तिथि के 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहा है, उसे अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए)माना जाए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि एनबीएफसी- फैक्टर/ संबन्धित एनबीएफ़सी-आईसीसी द्वारा अधिग्रहण कब किया गया है तथा फैक्टरिंग का कार्य

"दायित्व सहित" या "दायित्व रहित" आधार पर किया गया है। इकाई जिस पर जोखिम बुक किया गया था एनपीए के रूप में दिखाया जाना चाहिए और उसके अनुसार प्रावधान करना चाहिए।

126. एक्सपोजर का आकलन

एक्सपोजर मानदंड का आकलन निम्नवत रूप में की जाएगी:

(i) "दायित्व सहित" आधार पर फैक्टरिंग के मामले में जोखिम की गणना समनुदेशक पर की जाएगी।

(ii) "दायित्व रहित" आधार पर फैक्टरिंग के मामले में, अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग के मामलों को छोड़कर जिनमें संपूर्ण ऋण जोखिम को आयात फैक्टर द्वारा धारण किया गया है, जोखिम की गणना देनदार पर की जाएगी, चाहे ऋण जोखिम कवर/ सुरक्षा उपलब्ध कराई गई हो अथवा नहीं हो।

127. जोखिम प्रबंधन

फैक्टरिंग कारोबार शुरू करने से पहले एनबीएफसी फैक्टर और एनबीएफसी-आईसीसी जिन्हें फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर प्रदान किया गया है के द्वारा उचित और पर्याप्त नियंत्रण और रिपोर्टिंग तंत्र व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

128. किसी भी फैक्टरिंग व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले या निर्यात फैक्टर के साथ ऋण व्यवस्था की स्थापना करने से पहले एनबीएफसी-फैक्टर को उधारकर्ताओं का गहन ऋण मूल्यांकन करना चाहिए।

129. फैक्टरिंग सेवाएं उन बिलों के लिए प्रदान की जानी चाहिए जो वास्तविक कारोबारी लेनदेन से संबंधित हैं।

129.1 चूंकि दायित्व रहित फैक्टरिंग लेनदेनों के अंतर्गत फैक्टर ऋण जोखिम की हामीदारी ऋणी के पक्ष में की जाती है ऐसी सभी हामीदारी प्रतिबद्धताओं के लिए बोर्ड द्वारा मंजूर की गई स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमा होनी चाहिए।

129.2 एनबीएफसी फैक्टर और बैंक उभयनिष्ठ उधारकर्ताओ से संबन्धित विवरण साझा करेंगे। सूचनाओं के आदान प्रदान के उद्देश्य के लिए समनुदेशक को उधारकर्ता समझा जाएगा। एनबीएफ़सी-फैक्टर उधारकर्ताओं पर निर्धारित सीमाओं की जानकारी संबन्धित बैंकों/एनबीएफ़सी को देना सुनिश्चित करेगा ताकि दोहरे वित्तपोषन से बचा जा सके।

130. आयात /निर्यात फैक्टरिंग

रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) फेमा,1999 के तहत फैक्टर्स को प्राधिकृत करता है। इसलिए, एनबीएफ़सी- फैक्टर एवं एनबीएफसी-आईसीसी जिन्हें फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत सीओआर प्रदान किया गया है को विदेशी मुद्रा में आयात / निर्यात का कारोबार की करने के लिए, फेमा 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण हेतु एफईडी के समक्ष आवेदन करना होगा और रिजर्व बैंक के एफईडी द्वारा निर्धारित सभी नियम और शर्तों और फेमा के तहत सभी संबंधित प्रावधानों और समय-समय पर इसके अंतर्गत बनाये गए नियम, विनियम, अधिनियम, निदेश अथवा आदेश का अनुपालन करना होगा।

भाग VIII

[56]अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आईडीएफ-एनबीएफसी) पर लागू विशिष्ट निदेश

आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए **भाग VII** में निहित निर्देश इन निदेशों में निहित अन्य प्रासंगिक निर्देशों के अतिरिक्त हैं, न कि उनके स्थान पर।

131. आईडीएफ एक ट्रस्ट अथवा एक कंपनी के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ट्रस्ट आधारित आईडीएफ को आईडीएफ-म्यूचुअल फंड (एमएफ) के रूप में पंजीकृत किया जाता है और इसे सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, जबकि कंपनी आधारित आईडीएफ को आईडीएफ-एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और इसे रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।

132. निधि जुटाना

132.1 आईडीएफ-एनबीएफसी न्यूनतम पांच साल की परिपक्वता वाले रुपये या डॉलर मूल्य वर्ग के बांड जारी कर धन जुटाएँगे। बेहतर परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) की दृष्टि से आईडीएफ-एनबीएफसी घरेलू बाजार से छोटी अवधि के बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के माध्यम से अपनी कुल बकाया उधारी के 10 प्रतिशत तक की सीमा तक धन जुटा सकते हैं।

132.2 बॉन्ड माध्यम के अलावा, आईडीएफ-एनबीएफसी बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के तहत ऋण माध्यम से भी धन जुटा सकते हैं। हालांकि, ऐसी उधारी पांच साल की न्यूनतम अवधि के अधीन होगी और ईसीबी ऋण भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से नहीं लिया जाना चाहिए।

132.3 ईसीबी के संबंध में, आईडीएफ-एनबीएफसी को आरबीआई के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन भी करना होगा।

133. एनबीएफसी द्वारा आईडीएफ-एमएफ के प्रायोजन को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश

133.1 सभी एनबीएफसी, सेबी द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा, निम्नलिखित शर्तों (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर) के अधीन आरबीआई की पूर्व मंजूरी के पश्चात आईडीएफ-एमएफ को प्रायोजित करने (म्यूचुअल फंड के लिए सेबी विनियमों द्वारा परिभाषित प्रायोजन) के लिए पात्र होंगे:

(i) एनबीएफसी के पास न्यूनतम एनओएफ ₹300 करोड़ और सीआरएआर 15 प्रतिशत होना चाहिए;

(ii) इसका निवल एनपीए निवल अग्रिमों के 3 प्रतिशत से कम होगा;

(iii) यह कम से कम 5 वर्षों से अस्तित्व में रहा हो;

(iv) यह पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा हो और इसका प्रदर्शन संतोषजनक हो;

---

[56] 18 अगस्त 2023 के परिपत्र विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24

(v) आईडीएफ-एमएफ में निवेश के बाद एनबीएफसी का सीआरएआर इसके लिए निर्धारित नियामक न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए;

(vi) प्रस्तावित आईडीएफ-एमएफ में निवेश के लेखांकन के बाद एनबीएफसी एनओएफ के आवश्यक स्तर को बनाए रखना जारी रखेगा;

(vii) एनबीएफसी के संबंध में कोई पर्यवेक्षी चिंताएँ नहीं होनी चाहिए।

133.2 जो एनबीएफसी उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें आईडीएफ-एमएफ को प्रायोजित करने के लिए पूर्व अनुमोदन हेतु आरबीआई के विनियमन विभाग से संपर्क करना होगा।

भाग IX
अधीनस्थ

133. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन सभी एनबीएफ़सी द्वारा किया जाएगा।

134. व्याख्याएं

इन दिशा-निर्देश के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, रिजर्व बैंक, अगर आवश्यक समझता है, तो इसमें शामिल किसी भी बात के साथ-साथ रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जो अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इन निर्देशों के उल्लंघन पर भारिबैं अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । इसके अलावा, ये प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निर्देश के प्रावधानों के अलावा होंगे और उन्हें न्यूनप्रभावी नहीं करेंगे ।

भाग X
निदर्शन

136. एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी के लिए व्यवहार पर निदर्शन - मध्य परत में वर्गीकरण

उदाहरण 1: एक समूह में 6 एनबीएफसी हैं – एक निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) जिसकी आस्ति का आकार ₹300 करोड़ है, एक आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) जिसकी आस्ति का आकार ₹300 करोड़ है, एक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी (एनबीएफसी -आईएफसी) जिसकी आस्ति का आकार ₹500 करोड़ है, एक लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) जिसकी आस्ति का आकार ₹100 करोड़ है, एक एनबीएफसी-समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी) जिसके आस्ति का आकार ₹50 करोड़ है और बिना सार्वजनिक निधि और ग्राहक इंटरफ़ेस की एक एनबीएफसी जिसके आस्ति का आकार ₹70 करोड़ है। इन एनबीएफसी को विभिन्न स्तरों में कैसे वर्गीकृत किया जाएगा?

स्पष्टीकरण: एसबीआर विनियामक ढांचे के अनुसार, एकल आधार पर,

- एचएफसी और आईएफसी, डिफ़ॉल्ट रूप से, मध्य परत में शामिल किए जाएंगे लेकिन पर्यवेक्षी फ़िल्टरिंग प्रक्रिया के आधार पर अपर लेयर में जा सकते हैं।
- एनबीएफसी-आईसीसी और एनबीएफसी-एमएफआई को बेस लेयर में वर्गीकृत किया जाएगा (क्योंकि उनकी आस्ति का आकार उदाहरण में ₹1000 करोड़ से कम है।)
- बिना सार्वजनिक निधि और ग्राहक इंटरफ़ेस के एनबीएफसी -पी2पी और एनबीएफसी, डिफ़ॉल्ट रूप से बेस लेयर में शामिल होंगे।

समूह में सभी एनबीएफसी की आस्तियों के समेकन के आधार पर, समूह की समेकित आस्ति का आकार ₹1320 करोड़ हो जाता है (मिडिल लेयर में वर्गीकरण के लिए ₹1000 करोड़ की आस्ति आकार सीमा से अधिक)। जैसे कि एनबीएफसी-आईसीसी और एनबीएफसी-एमएफआई को मिडिल लेयर में वर्गीकृत किया। इस उदाहरण में एचएफसी और आईएफसी को मिडिल लेयर में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा। तथापि, सार्वजनिक निधि और ग्राहक इंटरफेस के बिना एनबीएफसी-पी2पी और एनबीएफसी को बेस लेयर में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।

उदाहरण 2 - यदि उक्त उदाहरण में एनबीएफसी-आईसीसी की आस्ति का आकार ₹10 करोड़ है, तो क्या इसे अभी भी मिडिल लेयर में वर्गीकृत किया जाएगा?

स्पष्टीकरण - हां, एनबीएफसी-आईसीसी और एनबीएफसी-एमएफआई दोनों को अभी भी मिडिल लेयर में वर्गीकृत किया जाएगा क्योंकि समूह की समेकित आस्ति का आकार ₹1030 करोड़ है, जो मिडिल लेयर के लिए ₹1000 करोड़ की आस्ति आकार सीमा से अधिक है।

137. अतिदेय की तारीख विशेष उल्लेखित खाते (एसएमए) पर निदर्शन

उदाहरण: यदि ऋण खाते की नियत तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए कारोबार की समाप्ति की प्रक्रिया संचालित करने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तारीख 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को कारोबार की समाप्ति की प्रक्रिया संचालित करने अर्थात लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर एसएमए-1 के रूप में चिन्हित किया जाएगा । तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को कारोबार की समाप्ति की प्रक्रिया संचालित करने पर SMA-2 के रूप में चिन्हित किया जाएगा और यदि आगे भी अतिदेय रहेगा, तो यह 29 जून, 2021 को दिन के कारोबार की समाप्ति संचालित करने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाएगा।

138. निदर्शी उदाहरण - विशिष्ट मौजूदा योजनाओं के तहत गारंटीकृत ऋण सुविधाओं पर लागू जोखिम भार (आरडब्ल्यू)

(गारंटी कवरेज, प्रथम हानि प्रतिशत और पेयआउट कैप अनुपात को नीचे दिए गए अनुसार और संबंधित योजनाओं में समय-समय पर संशोधन के अनुसार फैक्टर किया जा सकता है)

योजना का नाम	गारंटी कवर	जोखिम भार
1. फैक्टरिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना(सीजीएफ़एसएफ़)	चूक (डिफॉल्ट) की गई राशि का 10% का प्रथम हानि फैक्टर्स द्वारा किया जाएगा। शेष 90% बकाया राशि का अर्थात क्रमशः 2:1 के अनुपात में एनसीजीटीसी और फैक्टर्स द्वारा वहन किया जाएगा।	• चूक की गई राशि में 10% की प्रथम हानि - पूर्ण पूंजी कटौती • चूक की गई राशि के 60% की हानि एनसीजीटीसी द्वारा वहन की जाएगी- 0% आरडबल्यू • चूक की गई शेष 30% राशि- प्रतिपक्ष / विनियामक रीटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) **टिप्पणी:** *पूरे एक्स्पोसर को गैर गारंटी कृत मानकर अधिकतम पूंजी प्रभार अनुमानित स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।*

2. कौशल विकाश के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएफ़एसडी)	चूक की गई राशि का 75% वसूली के सभी विकल्प समाप्त हो जाने के बाद और चूक की गयी राशि की वसूली की गुंजाइश नही होने के बाद ट्रस्ट द्वारा गारंटी कृत दावों का 100% भुगतान किया जाएगा	चूक की गई राशि- प्रतिपक्ष/विनियामक रीटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) आरडब्ल्यू जैसा लागू हो।
3. सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना(सीजीएफ़एमयू)	सूक्ष्म ऋण चूक की गई राशि के 3% की सीमा तक प्रथम हानि शेष राशि में से गारंटी क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में चूक की गई अधिकतम 75% राशि की गारंटी होगी	• चूक की गई 3% राशि की प्रथम हानि – पूर्ण पूंजी कटौती • चूक की गई राशि की 72.75% हानि -0% आरडबल्यू, अधिकतम ({15%*CP}-C)*[SLA/CP] जहां ○ CP= क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो (स्वीकृत राशि) ○ C=क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में पिछले वर्षों में प्राप्त दावे, यदि कोई हों ○ SLA=क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में प्रत्येक खाते की स्वीकृत सीमा ○ 15 प्रतिशत पेआउट कैप को दर्शाता है • चूक में शेष राशि - प्रतिपक्ष / आरआरपी आरडब्ल्यू जैसा भी लागू हो।

		टिप्पणी : *पूरे एक्सपोसर को गैर गारंटी कृत मानकर अधिकतम पूंजी प्रभार अनुमानित स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।*
सूक्ष्म उद्यमों के लिए सीजीटीएमएसई गारंटी कवरेज कवरेज	5 लाख तक चूक की गई राशि का 85%, अधिकतम ₹4.25 लाख के अधीन ₹5 लाख से अधिक और ₹50 लाख तक चूक की गई राशि का 75%, अधिकतम ₹37.50 लाख के अधीन ₹50 लाख से अधिक और ₹200 लाख तक चूक की गई राशि का 75%, अधिकतम ₹150 लाख के अधीन	•चूक मे गारंटिड राशि – 0% आरडबल्यू* •चूक में शेष राशि- प्रतिपक्ष / आरआरपी आरडब्ल्यू जैसा भी लागू हो।
*सीजीटीएमएसई की पेआउट कैप की शर्तों के अनुसार, ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओ के दावों का निपटान पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जेएमए की गई वसूली सहित प्रभार के 2 गुना की सीमा तक किया जाएगा। हालाँकि, चूँकि शेष दावों का निपटान बाद के वर्षों में किया जाएगा, क्योंकि स्थिति में सुधार किया गया है , गारंटीकृत हिस्से की पूरी सीमा को शून्य प्रतिशत जोखिम भार समनुदेशित किया जाएगा।		

भाग XI

निरसन

139. निरसन

139.1 इन निर्देशों के जारी करते ही रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निम्न परिपत्रों (सूची नीचे प्रदान की है) में निहित दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया माना जाए । उपरोक्त परिपत्रों के तहत दिए गए सभी अनुमोदन / स्वीकृतियां इन निर्देशों के तहत दी गई मानी जाएगी । ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरस्त कर दिए अनुदेश / दिशा-निर्देशों के अधीन की गई /शुरू की गई किसी भी कार्रवाई कथित अनुदेश / दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के द्वारा निर्देशित किया जाना जारी रहेगा।

क्रम स.	परिपत्र/मास्टर निदेश स.	दिनांक	विषय
1.	गैबैविवि.पीडी. 008/ 03.10.119/2016-17	01 सितंबर, 2016	मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016
2.	गैबैविवि.पीडी. 007/ 03.10.119/2016-17	01 सितंबर, 2016	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016
3.	DNBR.CC.PD.No.084/22.10.038/2016-17	2 फरवरी 2017	दिशा निर्देशों की समीक्षा- “ऋण का मूल्य निर्धारण”
4.	DNBR.PD.CC.No.085/03.10.001/2016-17	02-Mar-17	इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग- 'इन्फ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग' की परिभाषा
5.	डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं.086/03.10.001/2016-17	09 मार्च 2017	नकदी रूप में ऋण राशि का वितरण
6.	डीएनबीआर (पीडी) परिपत्र सं.087/03.10.001/2017-18	06 जुलाई 2017	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी)
7.	डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या. 090/03.10.001/2017-18	09 नवंबर 2017	एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश
8.	डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18	23 फरवरी, 2018	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति
9.	डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092 /03.10.001/2017-18	31 मई 2018	सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना
10.	गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.97/03.10.001/2018-19	22 फरवरी 2019	विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण
11.	गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.098/03.10.001/2018-19	16 अप्रैल 2019	प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना
12.	गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.99/03.10.001/2018-19	16 मई 2019	जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति

13.	गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.101/03.10.001/2019-20	02-Aug-19	एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड
14.	विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20	04 नवंबर 2019	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क
15.	विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20	08 नवंबर 2019	अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा
16.	विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20	08 नवंबर 2019	अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश
17.	विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.108/03.10.001/2019-20	21 जनवरी 2020	एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण
18.	विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.110/03.10.001/2019-20	17 अप्रैल 2020	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं
19.	डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22	24 जून 2021	एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा
20.	विवि.एसीसी.आरईसी.सं.20/21.04.018/2022-23	19 अप्रैल, 2022	वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – एनबीएफ़सी के खातों को टिप्पणियां
21.	विवि.सीएपी.आरईसी.सं.21/21.06.201/2022-23	अप्रैल 19, 2022	एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकताएं – अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)
22.	डीओआर.सीआरई.आरईसी.24/21.01.003/2022-23	19 अप्रैल 2022	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-अपर लेयर (एनबीएफ़सी-यूएल) के लिए बृहद एक्सपोज़र ढांचा
23.	विवि.सीआरई.आरईसी.सं.25/03.10.001/2022-23	19 अप्रैल 2022	ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
24.	विवि.जीओवी.आरईसी.सं.29/18.10.002/2022-23	29 अप्रैल 2022	एनबीएफसी में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र के पारिश्रमिक पर दिशानिर्देश
25	डीओआर.एसटीआर.आरईसी.40/21.04.048/2022-23	6 जून 2022	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान – अपर लेयर
26	डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23	11 अक्तूबर 2022	एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण
27	विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24	18 अगस्त 2023	आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

139.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों में निहित अनुदेश/दिशानिर्देश पहले ही मास्टर निर्देशों (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है) के माध्यम से निरस्त कर दिए गए थे, और इस प्रकार ये निरसित बने रहेंगे।:

(i) गैबैविवि.पीडी. 008/ 03.10.119/2016-17 दिनांक 01 सितंबर, 2016**-** मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

(ii) गैबैविवि.पीडी. 007/ 03.10.119/2016-17 दिनांक 01 सितंबर, 2016 - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
1	अधिसूचना संख्या डीएनबीएस. 128/सीजीएम (वीएसएनएम)-98	18 दिसंबर, 1998	एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
2	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 11 /02.01/99-2000	15 नवंबर, 1999	एनबीएफसी विनियमों में संशोधन
3	अधिसूचना संख्या डीएनबीएस. 135/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000	13 जनवरी, 2000	एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
4	अधिसूचना डीएनबीएस. 142/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000	30 जून, 2000	एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
5	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 15 / 02.01 / 2000-2001	जून 27, 2001	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) तंत्र - दिशानिर्देश
6	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 16 / 02.01 / 2000-01	जून 27, 2001	एनबीएफसी विनियमों में संशोधन
7	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 35 / 10.24 / 2003-04	फरवरी 10, 2004	बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रवेश
8	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 38 /02.02/2003-04	11 जून, 2004	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
9	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या.41 / 10.27 / 2004-05	7 जुलाई, 2004	क्रेडिट कार्ड जारी करना
10	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 49 /02.02/2004-05	9 जून, 2005	तैयार वायदा संविदा में छूट / संशोधन, सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन का निपटान और प्राथमिक इश्यू में आवंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनात्मक निर्देश
11	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 63 / 02.02 / 2005-06	24 जनवरी, 2006	नियंत्रण / प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना
12	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या.80 / 03.10.042 / 2005-06	28 सितंबर, 2006	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश
13	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 82 / 03.02.02 / 2006-07	अक्टूबर 27, 2006	नियंत्रण / प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना

[57] वर्ष 2012 से पहले जारी किए गए परिपत्र के लिए इस लिंक को क्लिक करें: https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/notifications?publishDateFrom=1990-01-01&publishDateTo=2011-12-31&monthAndYear=false

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
14	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 83 / 03.10.27 / 2006-07	दिसंबर 04, 2006	को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना
15	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 84 / 03.10.27 / 2006-07	दिसंबर 4, 2006	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण
16	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 86 / 03.02.089 / 2006-07	दिसंबर 12, 2006	प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय विनियमन और रिज़र्व बैंक के साथ संबंध - एनबीएफसी के लिए
17	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 89 / 03.05.002 / 2006-07	22 फरवरी, 2007	विवेकपूर्ण मानदंड दिशानिर्देश - जमा लेने वाली और जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
18	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 95 / 03.05.002 / 2006-07	24 मई, 2007	एनबीएफसी द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाने की शिकायतें
19	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 96 / 03.10.001 / 2007-08	31 जुलाई, 2007	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - कॉर्पोरेट बॉन्ड लेनदेन के लिए फिमडा रिपोर्टिंग प्लेटफार्म
20	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 104 / 03.10.042 / 2007-08	11 जुलाई, 2007	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश
21	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 107 / 03.10.042 / 2007-08	अक्टूबर 10, 2007	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश
22	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 109 / 03.10.001 / 2007-08	नवंबर 26, 2007	अवांछित वाणिज्यिक संचार - राष्ट्रीय डीएनडी रजिस्ट्री
23	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 124 / 03.05.002 / 2008-09	31 जुलाई, 2008	आय पर कर की गणना - आय लेखा मानक 22 - आस्थगित कर संपत्ति(डीटीए) और आस्थगित कर देनदारियों (डीटीएल) का पूंजी की गणना के लिए लेखांकन
24	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 125 / 03.05.002 / 2008-2009	1 अगस्त, 2008	पूंजी पर्याप्तता, तरलता और प्रकटीकरण मानदंडों के संबंध में एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए दिशानिर्देश
25	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 128 / 03.02.059 / 2008-09	15 सितंबर, 2008	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पुनर्वर्गीकरण
26	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 131 / 03.05.002 / 2008-09	29 अक्तूबर 2008	पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए एनबीएफसी की पूँजी प्रापण विकल्पों में वृद्धि

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
27	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 133 / 03.10.001 / 2008-09	2 जनवरी, 2009	एनबीएफसी द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाने संबंधी विनियम
28	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 134 / 03.10.001 / 2008-2009	फरवरी 04, 2009	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रेटिंग
29	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 139 / 03.10.001 / 2008-09	24 अप्रैल, 2009	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्त पोषण किए वाहनों की जब्ती के बारे में स्पष्टीकरण
30	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 141 / 03.10.001 / 2008-09	4 जून, 2009	एनबीएफसी-एनडी-एसआई नियमों का लागू होना
31	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 142 / 03.05.002 / 2008-09	9 जून, 2009	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आस्थगित कर संपत्ति/ कर देनदारियों का पूंजी की गणना के लिए लेखांकन
32	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 161 / 3.10.01 / 2009-10	18 सितंबर, 2009	ब्याज दर फ्यूचर्स - एनबीएफसी
33	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 165 / 03.05.002 / 2009-10	दिसंबर 1, 2009	पूंजी पर्याप्तता – संपार्श्विकृत उधार और ऋण दायित्व के माध्यम से उधार पर जोखिम भार (सीबीएलओ)
34	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या.168 / 03.02.089 / 2009-10	12 फरवरी, 2010	इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां
35	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 173 / 03.10.01 / 2009-10	03 मई, 2010	एनबीएफ़सी द्वारा विदेशी निवेश गै-बैंपवि, भारिबैं से अनापत्ति (एनओसी)
36	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 174 /03.10.001/2009-10	मई 6, 2010	आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - नियम और शर्तों में एनबीएफसी के लिए संपत्ति के बंधक के बारे में पर्चे / ब्रोशर / विज्ञापनों, में जानकारी खुलासा करने के लिए खंड को शामिल करना
37	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 191 / 03.10.01 / 2010-11	27 जुलाई, 2010	शारीरिक रूप से अक्षम / नेत्रहीन को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण सुविधा
38	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 195 / 03.10.001 / 2010-11	9 अगस्त, 2010	करेंसी फ्यूचर्स में भागीदारी
39	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 196 / 03.05.002 / 2010-11	11 अगस्त, 2010	कारपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में तैयार वायदा सौदा

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
40	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 199 / 03.10.001 / 2010-11	16 सितंबर, 2010	मुद्रा विकल्प में भागिदारी
41	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 200 /03.10.001/2010-11	सितंबर 17, 2010	ऋण सूचना कंपनियों को आंकड़े प्रस्तुत करना - ऋण संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ें का प्रारूप
42	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 208 / 03.10.01 / 2010-11	जनवरी 27, 2011	विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं - कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
43	डीएनबीएस. (पीडी).सीसी. संख्या 213 / 03.10.001 / 2010-2011	16 मार्च, 2011	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की परिभाषा में संशोधन
44	डीएनबीएस. (पीडी).सीसी. संख्या. 214 / 03.02.002 / 2010-11	30 मार्च, 2011	एनबीएफसी के साझेदारी फर्म में भागीदार बनने पर प्रतिबंध
45	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या.221 / 03.02.002 / 2010-11	27 मई, 2011	बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर दिशानिर्देश की समीक्षा
46	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 222 / 03.10.001 / 2010-11	14 जून, 2011	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखा / सहायक / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या उपक्रम में निवेश करना
47	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 245 /03.10.42 / 2011-12	सितंबर 27, 2011	फर्जी बैंक गारंटी का उपयोग कर छलना करने का प्रयास- कार्य पद्धति
48	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 248 / 03.10.01 / 2011-12	अक्टूबर 28, 2011	सरकार के हरित पहल का कार्यान्वयन
49	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 249 / 03.02.089 / 2011-12	21 नवंबर, 2011	एनबीएफसी- इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड
50	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 250 / 03.10.01 / 2011-12	दिसंबर 02, 2011	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नई श्रेणी का प्रारम्भ - 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – दिशानिर्देश
51	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 252 / 03.10.01 / 2011-12	दिसंबर 26, 2011	एनबीएफसी के लिए तुलन पत्र से इतर मदों के लिए संशोधित पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क
52	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 253 / 03.10.01 / 2011-12	दिसंबर 26, 2011	ऋण चूक अदला-बदली (स्वैप)
53	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 254 / 03.10.01 / 2011-12	दिसंबर 30, 2011	एनबीएफसी के लिए तुलन पत्र से इतर मदों के लिए संशोधित पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क- स्पष्टीकरण

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
54	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 255 / 03.10.01 / 2011-12	दिसंबर 30, 2011	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करना (एनसीडी)
55	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 259 /03.02.59/2011-12	15 मार्च, 2012	बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना
56	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 263 / 03.10.038 / 2011-12	20 मार्च, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – प्रावधान मानदंड – समय विस्तार
57	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या.265 / 03.10.01 / 2011-12	मार्च 21, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया - एकल उत्पाद की सुरक्षा के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण
58	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 266 / 03.10.01 / 2011-12	26 मार्च, 2012	एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश
59	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 273 / 03.10.01 / 2011-12	11 मई, 2012	विवेकपूर्ण मानदंड निदेश - 2007 - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां -योग्य क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसिंया – ब्रिक्रर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्रर्क)
60	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 276 / 03.02.089 / 2011-12	30 मई, 2012	पीपीपी और पोस्ट सीओडी परियोजनाओं को कवर करने वाली संपत्ति के लिए जोखिम भार में एकरूपता
61	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 297 / फैक्टर / 22.10.91 / 2012-13	23 जुलाई, 2012	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी –फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012
62	अधिसूचना डीएनबीएस. (पीडी) .248 / सीजीएम (यूएस) -2012	1 अगस्त, 2012	एनबीएफसी के लिए तुलनपत्र से इतर मदों के लिए पूंजी पर्याप्तता संशोधित फ्रेमवर्क – स्पष्टीकरण
63	अधिसूचना डीएनबीएस. (पीडी) .249 / सीजीएम (यूएस) -2012	1 अगस्त, 2012	एनबीएफसी के लिए तुलनपत्र से इतर मदों के लिए पूंजी पर्याप्तता संशोधित फ्रेमवर्क – स्पष्टीकरण
64	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.300 / 03.10.038 / 2012-13	अगस्त 03, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – दिशानिर्देश - संशोधन
65	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 301 / 3.10.01 / 2012-13	अगस्त 21, 2012	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देश में संशोधन
66	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.303 / फैक्टर / 22.10.91 / 2012-13	14 सितंबर, 2012	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी –फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
67	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 308 / 03.10.001 / 2012-13	नवंबर 06, 2012	चैक फार्म का मानकीकरण और सुरक्षा संबंधी विशेषताओं में संवर्धन - सीटीएस 2010 मानकों में माइग्रेशन
68	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 309 / 24.01.022 / 2012-13	नवंबर 08, 2012	प्रमुख सेवा प्रदाताओं की आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में माइग्रेशन की तैयारी
69	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 312 / 03.10.01 / 2012-13	दिसंबर 07, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी फैक्टरिंग संस्थाओं और कोर निवेश कंपनियों के लिए चेकलिस्ट
70	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या. 317 / 03.10.001 / 2012-13	दिसंबर 28, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के " इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण" की परिभाषा- अनुरूप करना
71	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 320 / 03.10.01 / 2012-13	18 फरवरी, 2013	एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - शिकायत निवारण तंत्र - नोडल अधिकारी
72	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.326 / 03.10.01 / 2012-13	27 मई, 2013	सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी वित्त
73	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 327 / 03.10.038 / 2012-13	31 मई, 2013	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्था(एनबीएफसी-एमएफआई)- निदेश- ऋण का मूल्यांकन में संशोधन
74	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 328 / 03.02.002 / 2012-13	11 जून, 2013	एनबीएफसी साझेदारी फर्म में भागीदार नहीं होगी – स्पष्टीकरण
75	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 353 / 03.10.042 / 2013-14	26 जुलाई, 2013	अवांछित वाणिज्यिक संवाद – राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान पंजिका (एनसीपीआर)
76	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 354 / 03.10.001 / 2013-14	2 अगस्त, 2013	इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा
77	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.356 /03.10.01/2013-14	16 सितंबर, 2013	एकल उत्पाद की सुरक्षा के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण
78	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 359 / 03.10.001 / 2013-14	नवंबर 06, 2013	उत्तर दिनांकित चेक (पीडीसी) को अपनाना/ समीकृत मासिक किश्त (ईएमआई) चेक को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) (डेबिट) के अंतर्गत लाया जाना
79	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 360 / 03.10.001 / 2013-14	नवंबर 12, 2013	साम्यिक बंधक अभिलेखों को केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष फाइल किया जाना

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
80	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 361 / 03.02.002 / 2013-14	नवंबर 28, 2013	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का बीमा क्षेत्र में भाग लेना
81	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 362 / 03.10.001 / 2013-14	नवंबर 29, 2013	इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा
82	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 363 / 03.10.38 / 2013-14	1 जनवरी, 2014	ऋण जोखिम गारंटी कोष ट्रस्ट द्वारा निम्न आय आवास (CRGFTLIH) के लिए गारंटी किए गए अग्रिम - जोखिम भार और प्रोविजनिंग
83	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 365 / 03.10.01 / 2013-14	जनवरी 08, 2014	एकल उत्पाद की सुरक्षा के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण
84	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 367 / 03.10.01 / 2013-14	23 जनवरी, 2014	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अग्रिम के पुनर्गठन पर दिशानिर्देश की समीक्षा
85	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.369 / 03.10.038 / 2012-13	फरवरी 07, 2014	'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – दिशानिर्देश - "ऋण का मूल्य निर्धारण" में संशोधन
86	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 371 / 03.05.02 / 2013-14	मार्च 21, 2014	वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना
87	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 372 / 3.10.01 / 2013-14	24 मार्च, 2014	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर जारी दिशानिदेश का संशोधन- ऋण वर्धन/वृद्धि का पुनर्निर्धारण
88	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 373 / 03.10.01 / 2013-14	अप्रैल 07, 2014	वैकल्पिक निवेश फंड के माध्यम से निवेश - एनबीएफसी की एनओएफ की गणना पर स्पष्टीकरण
89	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 374 / 03.10.001 / 2013-14	अप्रैल 07, 2014	गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) का पंजीकरण
90	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.376 / 03.10.001 / 2013-14	26 मई, 2014	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण / हस्तांतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता
91	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.377 / 03.10.01 / 2013-14	27 मई, 2014	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लेनदेन निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना
92	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.399 / 03.10.42 / 2014-15	14 जुलाई, 2014	अस्थिर दर वाले ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार की वसूली/अवधिपूर्व भुगतान अर्थदंड का लगाया जाना

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
93	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 405 / 03.10.01 / 2014-15	12 अगस्त, 2014	`100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति
94	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 406 / 03.10.01 / 2014-15	12 अगस्त, 2014	ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)
95	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 407 / 03.10.42 / 2014-15	20 अगस्त, 2014	क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा फार्मेट तथा अन्य विनियामक उपाय (कार्रवाई)
96	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 408 /03.10.001/2014-15	अगस्त 21, 2014	एनबीएफ़सी -शेयरों की जमानत पर ऋण
97	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.002 / 03.10.001 / 2014-15	नवंबर 10, 2014	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए संशोधित विनियामक संरचना
98	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 003 / 22.10.91 / 2014-15	नवंबर 10, 2014	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी –फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012
99	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 011 / 03.10.01 / 2014-15	16 जनवरी, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अग्रिम के पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों की समीक्षा
100	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 012 / 03.10.001 / 2014-15	19 जनवरी, 2015	बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना
101	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 015 / 03.10.001 / 2014-15	28 जनवरी, 2015	साख सूचना कंपनियों को आंकड़ो (डाटा) का प्रस्तुतीकरण – साख संस्थानों द्वारा आंकड़ो की प्रस्तुति के लिए प्रारूप (फार्मेट)
102	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.019 / 03.10.001 / 2014-15	फरवरी 06, 2015	साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता
103	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.021 / 03.10.001 / 2014-15	20 फरवरी, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से धनराशि जुटाना- अपरिवर्तनीय –डिबेंचर्स (एनसीडी)
104	अधिसूचना संख्या डीएनबीआर.008/सीजीएम.(सीडीएस)-2015	27 मार्च, 2015	प्रणालीगत रूप से गैर-महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2015
105	अधिसूचना संख्या डीएनबीआर.009/सीजीएम.(सीडीएस)-2015	27 मार्च, 2015	प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली कंपनी प्रुडेंशियल मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2015

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
106	डीएनबीआर.011 /सीजीएम.(सीडीएस)-2015	27 मार्च, 2015	गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार अथवा धारण करने वाली) कंपनी प्रुडेंशियल मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007. (संशोधन)
107	डीएनबीआर.012 /सीजीएम.(सीडीएस)-2015	27 मार्च, 2015	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – फैक्टर (रिज़र्व बैंक) निदेश 2012 (संशोधन)
108	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 027 / 03.10.01 / 2014-15	अप्रैल 08, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी- एमएफआई) निदेश- संशोधन
109	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 028 / 03.10.001 / 2014-15	अप्रैल 10, 2015	एनबीएफसी- शेयर के बदले ऋण- स्पष्टीकरण
110	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 029 / 03.10.001 / 2014-15	अप्रैल 10, 2015	कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिदेश-समीक्षा
111	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 033 / 03.10.001 / 2014-15	30 अप्रैल, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण
112	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 035 / 03.10.01 / 2014-15	14 मई, 2015	संरचनागत कर्ज निधि (आईडीएफ)
113	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 036 / 03.10.01 / 2014-15	21 मई, 2015	एकल उत्पाद की जमानत पर ऋण - स्वर्ण आभूषण
114	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.041 / 03.10.01 / 2014-15	25 जून, 2015	₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) योजना के तहत सब-ऐजेंट (उप – अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति
115	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 064 / 03.10.001 / 2015-16	02 जुलाई, 2015	ऋण संकेंद्रण नियमों की प्रयोज्यता
116	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 065 / 03.10.001 / 2015-16	जुलाई 09, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण का अधिग्रहण / अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता
117	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.066 / 03.10.01 / 2015-16	23 जुलाई, 2015	वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना- संयुक्त ऋणदाता फोरम(जेएलएफ)तथा सुधारात्मक

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
			कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा
118	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 067 / 03.10.01 / 2015-16	30 जुलाई, 2015	एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर दिशानिर्देश की समीक्षा
119	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 069 / 03.10.01 / 2015-16	अक्टूबर 01, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) – दिशानिर्देश - संशोधन
120	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 070 / 03.10.01 / 2015-16	29 अक्टूबर, 2015	वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान के लिए तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए ढांचा (फ्रेमवर्क) - संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा
121	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 071 / 03.10.038 / 2015-16	नवंबर 26, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएससी-एमएफआई)- 02 दिसम्बर 2011 का गैबैंपवि.नीप्र.सं.234/सीजीएम (यूएस)-2011 तथा 08 अप्रैल 2015 का गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं. 027/03.10.01/2014-15- समयावधि 24 माह से कम वाले ऋण की ऋण राशि में संशोधन
122	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 072 / 03.10.001 / 2015-16	28 जनवरी, 2016	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का प्रावधान
123	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 073 / 03.10.001 / 2015-16	18 फरवरी, 2016	राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए) के अंतर्गत पॉइंट ऑफ प्रेसेंस (पीओपी) सेवाएं संबंधी व्यवसाय करना
124	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.074 / 03.10.01 / 2015-16	18 फरवरी, 2016	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी –फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012- समीक्षा
125	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 076 / 03.10.001 / 2015-16	मार्च 10, 2016	संप्रभु ऋण से जुड़े जोखिम भार की समीक्षा
126	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 077/03.10.001/2015-16	07 अप्रैल 2016	ऋण/ निवेश संकेन्द्रण मानदंडों की प्रयोज्यता

क्रम स.	परिपत्र स.	दिनांक	विषय[57]
127	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.078 / 03.10.038 / 2015-16	13 अप्रैल 2016	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 - केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए एजेंटों के रूप में कार्य करना
128	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.079 / 03.10.01 / 2015-16	21 अप्रैल, 2016	इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आइडीएफ)
129	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.081 / 03.10.01 / 2015-16	26 मई, 2016	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करना तथा ऋण पुनर्रचना प्रणाली कार्यनीतिक हेतु ढांचा की समीक्षा
130	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 082 / 03.10.001 / 2015-16	2 जून, 2016	परियोजना ऋण का पुनर्वित्तीयन
131	डीएनबीआर. (पीडी) सीसी.संख्या 083 / 03.10.001 / 2016-17	28 जुलाई, 2016	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एनबीएफसी द्वारा राहत उपाय संबंधी निर्देश

****

अनुबंध

अनुबंध I
एनबीएफसी-यूएल के रूप में एनबीएफसी की पहचान के लिए अंक निर्धारण पध्दति

अपर लेयर में अधिकतम एनबीएफसी शामिल होंगे, जिसकी पहचान मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंड/ पर्यवेक्षी निर्णय को शामिल करते हुए एक मापदंड अंकन पध्दति के माध्यम से की जाएगी। मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों की भारिता क्रमश 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होगी । एनबीएफसी-यूएल के रूप में एनबीएफसी की पहचान के लिए अंक निर्धारण पध्दति निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले एनबीएफसी के समूह पर आधारित होगी:

ए. तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के समतुल्य ऋण एक्सपोजर सहित उनके कुल एक्सपोजर के आधार पर शीर्ष के 50 एनबीएफसी (आस्ति आकार के आधार पर शीर्ष के दस एनबीएफसी को छोड़कर, जो अपने आप अपर लेयर में आते हैं) ।

बी. पिछले वर्ष एनबीएफसी-यूएल के रूप में नामित एनबीएफसी।

सी. पर्यवेक्षी निर्णय का उपयोग कर पर्यवेक्षकों द्वारा समूह में शामिल किए गए एनबीएफ़सी।

उपरोक्त समूह में सभी एनबीएफसी के अंकों की गणना प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को उनकी स्थिति के आधार पर प्रत्येक वर्ष की जाएगी ।

पैरामीट्रिक विश्लेषण के घटक				
	पैरामीटर	**उप-पैरामीटर**	**उप-पैरामीटर की भरिता**	**पैरामीटर की भरिता**
मात्रात्मक पैरामीटर (70%)	**1. आकार और लीवरेज**	कुल एक्सपोजर (तुलन पत्र और तुलन पत्र से इतर) और लीवरेज (कु ल इक्कटी के लिए कुल ऋण)	20 + 15	35
		(i) अंतः वित्तीय प्रणाली आस्तियां	10	25
	2. अंतर-संबंधता	• वित्तीय संस्थानों को ऋण (बिना कठोर प्रतिबद्ध भुगतान अविध सिहत); • अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी प्रतिभूतियों की धारिता • अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ निवल बाजार भाव रिवर्स पुनर्खरीद समझौतों की समीक्षा। • वित्तीय संस्थानों के साथ निवल बाजार भाव ओटीसी डेरिवेटिव।		
		(ii) अंतः वित्तीय प्रणाली देयताएँ	10	

		• वित्तीय संस्थानों से उधार (बिना कठोर प्रतिबद्ध भुगतान अविध सिहत) • वित्तीय संस्थानों वित्त कंपनी द्वारा जारी की गई सभी विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ; • अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ निवल बाजार भाव रिवर्स पुनर्खरीद समझौतों; • वित्तीय संस्थानों के साथ निवल बाजार भाव ओटीसी डेरिवेटिव।		
		(iii) गैर- वित्तीय संस्थानों के साथ बकाया प्रि प्रतिभूतियाँ (एनबीएफसी द्वारा जारी)	5	
	3. जटिलता	(i) काउंटर पर (ओटीसी) डेरिवेटिव्स की कल्पित राशि • किसी केंद्रीय प्रतिपक्ष के माध्यम से मंजूर ओटीसी डेरिवेटिव • द्विपक्षीय रूप से समायोजित ओटीसी डेरिवेटिव	5	10
		(ii) ट्रेडिंग और बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियाँ	5	

गुणात्मक पैरामीटर/ पर्यवेक्षी इनपुट (30%)	**4. देयताओं की प्रकृति और प्रकार**	• अल्पकालिक वित्तपोषण पर निर्भरता की मात्रा सहित देयताओं की राशि और प्रकार • चलनिधि आस्ति अनुपात, जिसका उद्देश्य एक एनबीएफसी की अल्पकालिक ऋण चुकाने की क्षमता का संकेत देना। • निवल नकदी बहिर्वाह के लिए भाररहित और अत्यधिक चलनिधि आस्तियों का अनुपात जो एक गैर-बैंक वित्तीय कंपनी की अल्पकालिक दबाव परिद्रश्य का सामना कर सकती है। • कुल ऋण का एक अंश के रूप में प्रतिदेय ऋण, जो ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण एक एनबीएफसी की उत्पन्न निधीयन स्थिति का प्रबंधन करने की क्षमता का उपाय प्रदान करता है। • आस्ति समर्थित निधीयन बनाम अन्य वित्तपोषण, विशेष रूप से ऋण बाजारों में संकट के लिए एक गैर-बैंक वित्तीय कंपनी की संवेदनशीलता निर्धारित करने के लिए। • आस्ति-देयता अविध और अंतराल विश्लेषण, जिसका उद्देश्य यह इंगित करना है कि कोई गैर-बैंक वित्तीय कंपनी किसी एनबीएफसी की आस्तियों और देयताओं के पुनर्मूल्य निर्धारण और परिपक्कता से कितनी अच्छी तरह मेल खाती है। • विभिन्न प्रकार अर्थात जमानती कर्ज़ प्रतिभूतियाँ, गौण ऋण प्रतिभूतियाँ; अधिमानित शेयर/ सीसीपीएस; सीपी; गैर-जमानती ऋण; प्रतिभूतिकरण और कोई अन्य के उधारी पर एक अध्ययन	**10**	**30**
	5. समूह संरचना	• संस्थाओं की कुल संख्या • परतों की कुल संख्या • कुल अंतः समूह एक्सपोजर	10	

	6. क्षेत्र में व्यापन	किसी विशिष्ट व्यवसाय या क्षेत्र को ऋण के स्रोत के रूप में एनबीएफसी का महत्व	10	
		कुल अंक		**100**

अनुबंध II
एनबीएफसी58 द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

एनबीएफसी के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतीकरण करने का दायित्व प्राथमिक रूप से निदेशक मण्डल का होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह अपेक्षा करता है कि इंड एएस को उच्च गुणवत्ता के साथ लागू किया जाए; जिसके लिए विस्तृत विश्लेषण,निर्णयों को लागू किए जाने और निर्णयों से संबन्धित विस्तृत दस्तावेज़ तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। इन दिशानिर्देशों में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानिकरण सहित विशिष्ट क्षेत्रों में लेखांकन मानकों को लागू करने में निरंतरता सुनिश्चित करने और इंड एएस लागू होने के कारण विनियमकीय पूंजी को वर्गीकृत करने पर बल दिया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ये निर्देश और दिशा-निर्देश एनबीएफसी द्वारा इंड एएस कार्यान्वयन के विशिष्ट विवेकपूर्ण पहलुओं से संबंधित हैं और इनका उद्देश्य लेखांकन मानकों पर व्यापक टिप्पणी या मानकों की व्यापक तकनीकी व्याख्या प्रदान करना नहीं है, न ही इनका उद्देश्य सभी संभावित स्थितियों को कवर करना है। तदनुसार, अनुबंध II में शामिल न किए गए मामलों के संबंध में, एनबीएफसी को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए अधिसूचित लेखांकन मानकों, आवेदन मार्गदर्शन, शैक्षिक सामग्री और अन्य स्पष्टीकरणों का संदर्भ लेना आवश्यक है।

1. शासन रूपरेखा

1.1 वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण निर्धारित करने में व्यवसाय मॉडल की प्रकृति की गंभीरता और उसके पश्चात पुनर्वर्गीकरण पर प्रतिबंधों को देखते हुए, एनबीएफ़सी/एआरसी को सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ लागू करें जिसमें व्यवसाय मॉडेल और पोर्टफोलियो के बारे में स्पष्ट उल्लेख हो और इसका दस्तावेजीकरण कराया गया हो। एनबीएफ़सी/एआरसी प्रत्येक पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए उद्देश्य का उल्लेख करेगी।

1.2 एनबीएफ़सी/एआरसी अपने ऋण परिशोधित लागत व्यवसाय मॉडल पोर्टफोलिओ में से बिक्री के लिए अपनी नीति तैयार करेगी और इसे वित्तीय विवरण में प्रकाशित करेगी.

1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक यह अपेक्षा करता है कि निदेशक मण्डल अनुमानित ऋण हानियों (ईसीएल) की गणना के लिए ऐसी सुदृढ़ विधियों[59] का अनुमोदन दे; जो आकार, जटिलता और एनबीएफ़सी/एआरसी के लिए विशिष्ट जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप सभी ऋण एक्सपोजर पर ऋण जोखिम का आंकलन और मापन संबंधी नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रण की समस्या को दूर करे। जिन मापदंडों और अनुमानों पर विचार किया गया और साथ ही ईसीएल आउटपुट पर उनकी संवेदनशीलता का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। एनबीएफसी/एआरसी को सूचित किया जाता है कि

---

[58] वे एनबीएफसी जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित की शर्तों के अनुसार इंड एएस लागू करने की आवश्यकता होती है

[59] एनबीएफसी/एआरसी दिसंबर 2015 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी अपेक्षित ऋण हानियों के लिए ऋण जोखिम और लेखांकन पर दिशानिर्देश का संदर्भ ग्रहण करें, जो लगभग 11 सिद्धांतों की संरचना है और जिनमें से पहले आठ सिद्धांत पर्यवेक्षी दिशानिर्देश और अन्य बातों के साथ – साथ बोर्ड/वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारियों, ऋण जोखिम मापन के लिए सुदृढ़ विधियों को अपनाने, प्रकटीकरण आवश्यकताओं आदि से से जुड़े हैं।

सुलभ लाभ अर्जित करने के लिए अपने ईसीएल के मापदंडों, अनुमानों और अन्य पहलुओं को नहीं बदलें। ईसीएल मॉडल में किसी प्रकार का परिवर्तन का कारण एवं औचित्य को प्रलेखीकृत एवं द्वारा अनुमोदित करवाया जाए। इसी प्रकार मॉडल आउटपुट में किसी प्रकार के समायोजन (अर्थात प्रबंधन को कमजोर करना) को बोर्ड लेखापरीक्षा समिति (ACB) द्वारा अनुमोदित करवाया जाए एवं इसका कारण तथा आधार स्पष्ट रूप से प्रलेखीकृत करवाया जाए।

1.4 इंड एएस 109 स्पष्ट रूप से डिफ़ॉल्ट[60] को परिभाषित नहीं करता है, किन्तु संस्थाओं को आंतरिक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके से डिफ़ॉल्ट को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। यह सुझाव दिया जाता है कि लेखांकन उद्देश्यों के लिए अपनाई गई डिफ़ॉल्ट की परिभाषा नियामक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषा द्वारा निर्देशित की जाती हो। एसीबी को पिछले 90 दिनों से अधिक समय के लिए बकाया है, किन्तु नष्ट नहीं माना गया है, ऐसे लेखों का कारण सहित वर्गीकरण को मंजूरी देनी चाहिए और इनका स्पष्ट रूप से प्रलेखीकरण करना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे खातों की संख्या और बकाया कुल राशि और अतिदेय राशि का प्रकटन वित्तीय विवरणों के लिए नोटों में किया जाना चाहिए।

1.5 इस बात से परे कि एनबीएफ़सी किस तरह से ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि का मूल्यांकन करते हैं, इंड एएस 109 के अंतर्गत एक खंडित धारणा है कि जब से संविदात्मक भुगतान 30 दिनों से अधिक बकाया रहने की प्रारंभिक पहचान की गई है तब से वित्तीय आस्ति पर ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हुई है। इंड एएस 109 यह भी अनुमति देता है कि एनबीएफ़सी इस धारणा का खंडन कर सकते हैं यदि उसके पास उचित और सहायक जानकारी है जो दर्शाती है कि संविदात्मक भुगतान पिछले 30 दिनों से अधिक बकाया रहने की प्रारंभिक पहचान के बाद से ऋण जोखिम में काफी वृद्धि नहीं हुई है। एनबीएफसी को अपने ग्राहकों को समय पर भुगतान करने की जरूरत पर शिक्षित करना चाहिए। हालांकि, सीमित परिस्थितियों में, जहां एनबीएफसी धारणा का खंडन करते हैं, ऐसा करने के औचित्य के स्पष्ट दस्तावेज के साथ ही ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों को एसीबी के समक्ष रखा जाएगा। एनबीएफसी ऐसे किसी भी एक्सपोजर के लिए ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की मान्यता को स्थगित नहीं करेंगे जो 60 दिनों से अधिक से बकाया है।

2. ईसीएल के लिए विवेकपूर्ण आधार

2.1 एनबीएफसी इंड एएस के लिए आवश्यक हानि भत्ते का धारण कर सकती है। इसके समानांतर में एनबीएफसी में आय निर्धारण उधारकर्ता/लाभार्थी वार वर्गीकरण सहित आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानक एवं पुनर्गठित आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण, एनपीए अवधिकाल इत्यादि पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के

[60] इंड एएस 109 के पैरा B5.5.37 बताता है कि "... कोई संस्था डिफ़ॉल्ट परिभाषा इस प्रकार लागू करेगी कि वे प्रासंगिक वित्तीय लिखत के लिए आंतरिक ऋण जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषा के अनुरूप हो और आवश्यकता होने पर गुणात्मक संकेतकों (उदाहरण के लिए, वित्तीय अनुबंधों) पर विचार करेगी। तथापि, एक खंडिट अनुमान है कि कोई डिफ़ॉल्ट ऐसी स्थिति में नहीं होता है यदि एक वित्तीय आस्ति पिछले 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है; जब तक कि इकाई के पास यह प्रदर्शित करने के लिए उचित और सहायक जानकारी नहीं होती है कि अधिक मंद डिफ़ॉल्ट मापदंड अधिक उपयुक्त है। इन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली डिफ़ॉल्ट की परिभाषा सभी वित्तीय लिखतों पर लगातार लागू की जाएगी जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो जाए जो दर्शाती है कि अन्य डिफ़ॉल्ट परिभाषा किसी विशेष वित्तीय लिखत के लिए अधिक उपयुक्त है।

अनुसार आस्ति वर्गीकरण करें और प्रावधानों की गणना भी करें हैं। एआईआरएसीपी के अंतर्गत आवश्यक प्रावधानों और इंड एएस 109 के अंतर्गत किए गए हानि भत्तों के बीच तुलना (परिशिष्ट II A में टेम्पलेट के अनुसार) को एनबीएफसी द्वारा ऋण हानि के प्रावधानीकरण की पर्याप्तता पर अपने बोर्डों, रिजर्व बैंक पर्यवेक्षकों और अन्य हितधारकों को बेंचमार्क प्रदान करने के लिए अपने वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

2.2 इंड एएस 109 के अंतर्गत हानि भत्ता, आईआरएसीपी (मानक आस्ति प्रावधानीकरण सहित) के तहत अपेक्षित प्रावधानीकरण से कम होने की स्थिति में, एनबीएफसी इस अंतर को कर पश्चात अपने निवल लाभ या हानि से अलग 'क्षति रिजर्व' में विनियोजित करेंगी। 'क्षति रिजर्व' में शेष राशि नियामक पूंजी के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा, आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग से पूर्व अनुमति के बिना इस रिजर्व से किसी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.3 आने वाले समय में 'क्षति रिजर्व' की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी

3. नियामक पूंजी और नियामक अनुपात की गणना

3.1 'स्वाधिकृत निधि', 'निवल स्वाधिकृत निधि' और 'विनियामकीय पूंजी' का निर्धारण करने में, एनबीएफसी और एआरसी निम्नलिखित द्वारा निर्देशित किए जाएंगे:

(i) इंड एएस अंतरण से प्राप्त लाभ सहित वित्तीय साधनों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले किसी भी निवल अप्राप्त लाभ को स्वाधिकृत निधि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जबकि ऐसे सभी निवल हानियों की गणना की जानी चाहिए। स्वाधिकृत निधियों से घटाने के लिए निवल अप्राप्त लाभ का निर्धारण करने में, एनबीएफसी को उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना चाहिए-

ए. इन निदेशों के पैराग्राफ 5.1.34 में परिभाषित टियर I पूँजी का निर्धारण करते समय अन्य एनबीएफसी के शेयरों में निवेश, और समूह कंपनियों में शेयर डिबेंचर, बांड आदि को घटाना है और -

बी. अन्य

हालांकि, उपरोक्त श्रेणियों में आंतरिक रूप से समायोजन किया जा सकता है, किन्तु एक श्रेणी के निवल लाभ को अन्य श्रेणी के हानियों से समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(ii) स्वाधिकृत निधि का निर्धारण करते समय (क) स्वाधिकृत ऋण जोखिम और (ख) नकद प्रवाह हेज रिज़र्व के कारण इक्विटी में मान्यता प्राप्त किसी भी अप्राप्त लाभ या नुकसान को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) हेजिंग के लिए सम्पन्न व्युत्पन्नी लेन-देन पर अप्राप्त लाभ/हानि का प्रतितुलन समरूप अंतर्निहित हेजिंग लिखत पर पूंजी की मान्यता प्राप्त अप्राप्त हानि/लाभ (लाभ या हानि के माध्यम से अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से) के बदले में की जा सकती है। यदि अन्य वित्तीय लिखतों पर अप्राप्त लाभ/हानि के साथ इस तरह के प्रतितुलन और निवलीकरण के पश्चात भी निवल अप्राप्त लाभ शेष है, तो इसे उक्त परिपत्र के अनुलग्नक के पैराग्राफ 3 में अपेक्षित विनियामकीय पूंजी से बाहर रखा जाए।

(iv) चूंकि श्रेणी ए पर अप्राप्त लाभ स्वाधिकृत निधि की गणना में बाहर रखा गया है, इसलिए एनबीएफसी इन निदेश के पैराग्राफ 5.1.34 में विनिर्दिष्ट टियर I पूंजी का निर्धारण करते समय अधिग्रहण लागत या सहायक कंपनियों/अन्य समूह कंपनियों और अन्य एनबीएफसी में निवेश/अग्रिमों के उचित मूल्य में से जो कम होगा, उसे कम करेगी। बी श्रेणी (यानी 'अन्य') पर निवल अप्राप्त लाभ के उतने हिस्से को जोखिम भारित आस्तियों से भी कम किया जाएगा जिसे विनियामकीय पूंजी में से बाहर रखा गया था।

(v) एनबीएफसी जहां इंड एएस 101 की शर्तों के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के संबंध में अंतरण की तिथि में उचित मूल्य का उपयोग करते हैं, और मान्य लागत मूल्य और वर्तमान लागत मूल्य के बीच अंतर को जमा लाभ में सीधे समायोजित किया जाता है तो इस प्रकार के अंतरण पर किसी भी उचित मूल्य लाभ को 55 प्रतिशत की छूट पर एआरसीएस के लिए टियर II पूंजी/शुद्ध स्वाधिकृत निधि में शामिल किया जाएगा।

(vi) वित्तीय लिखतों के लिए 12 महीने की अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) भत्ते यानी जहां प्रारंभिक पहचान के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, को मौजूदा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर टियर II पूंजी में सामान्य प्रावधानों और हानि रिज़र्व के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। आजीवन ईसीएल को विनियमाकीय पूंजी (अंश) के लिए नहीं गिना जाएगा, जबकि इसे जोखिम भारित आस्तियों से कम किया जाएगा।

(vii) ऐसी आस्तियों पर शुरू होने वाले मूल एनबीएफसी द्वारा ऋण वर्धन दिये जाने के कारण इंड एएस के अंतर्गत अर्हता प्राप्त नहीं करने वाली प्रतिभूतित आस्तियों पर ऋण जोखिम शून्य प्रतिशत होगा। तथापि, एनबीएफसी ऋण वर्धन राशि का 50 प्रतिशत टियर-1 पूंजी और शेष टियर-2 पूंजी से कम करेगी।

3.2 विनियमन अनुपात, सीमाएं और प्रकटीकरण इंड एएस आंकड़ों पर आधारित होंगे। एनपीए अनुपात की गणना के लिए ह्रासित आस्तियों और पुनर्गठित आस्तियों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में माना जाएगा।

परिशिष्ट II-A

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियों में प्रकटीकरण के लिए टेम्पलेट

आरबीआई के मानदंडो के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	109 एएस के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल संचालन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत आवश्यक हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल संचालन राशि	आईआरएसी पी मानदंडो के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानो और आईआरएसी पी मानदंडो के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
अर्जक आस्तियां						
मानक	स्टेज 1					
	स्टेज 2					
उप योग						
अनजर्क आस्तियां (एनपीए)						
अवमानक	स्टेज 3					
संदिन्ध - 1 वर्ष तक	स्टेज 3					
1 से3 वर्ष	स्टेज 3					
3 वर्ष से अधिक	स्टेज 3					
संदिन्ध का उप योग						
हानि	स्टेज 3					
एनपीए का उप योग						
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धतायों आदि जैसे अन्य मदें, जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रोविजनिंग (आईआरएसीपी) मानदंडों के तहत शामिल नही हैं।	स्टेज 1					
	स्टेज 2					
	स्टेज 3					
उप योग						
कुलयोग	**स्टेज 1**					
	स्टेज 2					
	स्टेज 3					
	कुलयोग					

अनुबंध III
एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर मानदंड

1. यह पृडेंशियल मानदंड सीडीआर पद्धति के तहत आनेवाली सभी पुनर्रचनाओं पर लागू होगी। सीडीआर पद्धति और एसएमई कर्ज पुनर्रचना के लिए संस्थागत/संगठनात्मक संरचना पद्धति, बैंकों पर लागू 1 जुलाई 2013 का **मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड** के अनुबंध 4 के अनुसार लागू होंगी। यह परिशिष्ट-III-C में दिया गया है।

2. प्रमुख अवधारणाएं

इन मानदंडों में प्रयोग की गई प्रमुख अवधारणाएं परिशिष्ट III-B में वर्णित है।

2. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं

3.1 एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित सभी परियोनाओं के लिए, परियोजना की वित्तीय पूर्णता के समय परियोजना की 'समाप्ति की तारीख' तथा 'वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ)' का स्पष्ट रूप से अलग उल्लेख होना चाहिए तथा इसे औपचारिक रूप से विलेखित किया जाना चाहिए। इसे ऋण मंजूर करते समय एनबीएफसी द्वारा मूल्यांकन नोट पर भी विलेखित किया जाना चाहिए।

3.2 परियोजना ऋण

विधिक और सरकारी अनुमोदन आदि में विलंब जैसे अन्य बाहरी कारणों से ऐसे कई मौके आते हैं जब परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हो जाता है। इन सभी कारकों, जो प्रोमोटरों के नियंत्रण के बाहर होते हैं, के चलते परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है जिससे एनबीएससी को ऋण को पुनर्रचित एवं पुनर्व्यवस्थित करना पड़ सकता है। तदनुसार परियोजना ऋण के लिए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले आस्ति वर्गीकरण संबंधी निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे ।

इस प्रयोजन के लिए से सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है

(i) इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण.

(ii) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

इन निदेशों के संबंध में 'परियोजना ऋण' का तात्पर्य है ऐसा कोई मीयादी ऋण जो कोई आर्थिक उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से दिया गया है । इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा इन निदेशो के पैराग्राफ 5.1.14 के अनुसार है।

3.3. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

3.3.1 किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने से पहले वसूली के रिकार्ड के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा 3.3.3 से 3.3.5 के अनुसार उसे पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

3.3.2 किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए दिए गए ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ (डीसीसीओ) करने की मूल तिथि से दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो। तथापि यदि इसे पुनर्रचित किया गया हो और वह निम्नलिखित पैरा 3.3.3 से 3.3.5 के अनुसार 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र हो तो उसे एनपीए नहीं माना जाएगा।

3.3.3 यदि 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किसी ऋण को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि (डीसीसीओ) से दो वर्ष के भीतर पुनर्रचित किया जाता है तो उसे मानक आस्ति के रूप में बनाए रखा जा सकता है यदि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निम्नलिखित सीमाओं के भीतर निर्धारित की जाती है और यदि पुनर्रचित शर्तों के अनुसार खाते में ब्याज का भुगतान किया जाता रहा हो।

(ए) न्यायिक मामलों वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं

यदि उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि में बढ़ोतरी का कारण मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही अथवा न्यायिक मामला हो तो 2 वर्ष तक पैरा 3.3.2 में विनिर्दिष्ट समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा वृद्धि के बाद अर्थात् कुल 4 वर्ष की समय वृद्धि)

(बी) प्रोमोटरों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हुआ विलंब

न्यायिक मामलों से इतर मामलों में 1 वर्ष तक पैरा 3.3.2 में विनिर्दिष्ट समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा बढ़ोतरी के बाद 1 वर्ष अर्थात् कुल 3 वर्ष की समय वृद्धि)

3.3.4 यह बात दोहराई जाती है कि उपर्युक्त पैरा 3.3.3 के अंतर्गत दी गयी छूट तभी लागू होगी जब खातों की पुनर्रचना से संबंधित उपबंधों का अनुपालन किया गया हो जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ है कि पुनर्रचना के लिए आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पहले प्राप्त किया गया हो और खाता वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी मानक बना हुआ हो। अन्य लागू होने वाली शर्तें निम्नलिखित होंगी:

(ए) जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें एनबीएफसी को, ऐसे पुनर्रचित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

(बी) एनबीएफसी को ऐसे खातों के लिए उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान के अतिरिक्त जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए:

3.3.5 यदि संशोधित डीसीसीओ, मूल डीसीसीओ के दो वर्षों की अवधि के अंदर होता है तो मात्र इस कारण से इन

ब्योरा	प्रावधानीकरण आवश्यकताएं

निदेशों के प्रयोजन के लिए डीसीसीओ के विस्तार को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में जहां डीसीसीओ के

यदि संशोधित डीसीसीओ वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से दो वर्षों के भीतर हो तो	• 0.25 प्रतिशत
यदि डीसीसीओ का दो वर्षों से अधिक तथा चार वर्षों तक अथवा तीन वर्षों तक जैसा भी मामला हो, मूल डीसीसीओ से विस्तार होता है, तो ऐसे विलम्ब के लिए कारणों के अनुसार	24 जनवरी 2014 से पुनर्रचित परियोजना ऋण: • 5.00 प्रतिशत – ऐसे पुनर्रचना की तारीख से संशोधित डीसीसीओ तक अथवा पुनर्रचना की तारीख के 2 वर्षों से, जो भी बाद में हो। 23 जनवरी 2014 को पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत परियोजना ऋण स्टॉक: * 2.75 प्रतिशत –31 मार्च 2014 से प्रभावी * 3.50 प्रतिशत - 31 मार्च 2015 से प्रभावी (2014-15 की चार तिमाहियों में बांटा गया) * 4.25 प्रतिशत - 31 मार्च 2016 से प्रभावी (2015-16 की चार तिमाहियों में बांटा गया) * 5 प्रतिशत - 31 मार्च 2017 से प्रभावी (2016-17 की चार तिमाहियों में बांटा गया) * उक्त प्रावधान पुनर्रचना की तारीख से संशोधित डीसीसीओ तक अथवा पुनर्रचना की तारीख के 2 वर्षों तक, जो भी बाद में हो, लागू होंगे।

विस्तार समान अथवा अल्प कालावधि (संशोधित पुनर्भुगतान समय के प्रारंभ तारीख तथा समाप्ति तारीख को शामिल करते हुए) का अनुवर्ती शिफ्ट हो, उसे भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि ऋण के सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हों। चूँकि ऐसे परियोजना ऋणों को ऐसे परियोजना ऋण को सभी संदर्भों के लिए मानक आस्ति माना जाएगा, उन पर मानक आस्ति के लिए लागू 0.25 प्रतिशत का प्रावधान करना जरूरी होगा।

3.3.5.1 डीसीसीओ में विभिन्न संशोधनों तथा एकसमान और अल्प अवधि के लिए भुगतान कार्यक्रम में अनुवर्ती परिवर्तन (जिसमें भुगतान कार्यक्रम की प्रारंभ तारीख और अंतिम तारीख में संशोधन शामिल हो) को पुनर्रचना का एकल घटना माना जाएगा बशर्ते कि उक्त बिन्दुओं के अनुरूप संबंधित समय सीमा के अंदर संशोधित डीसीसीओ निर्धारित किया गया हो तथा ऋण के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हो।

यदि उचित हो, एनबीएफसी डीसीसीओ को उक्त 3.3.3(ए)से(बी) तक में विनिर्दिष्ट संबंधित समय सीमा से अधिक विस्तारित कर सकती है; तथापि उस स्थिति में एनबीएफसी ऐसे ऋण के आस्ति वर्गीकरण में इसे 'मानक' के रूप में नहीं बनाये रख पायेंगी।

3.3.5.2 ऐसे मामलों में जहां एनबीएफसी ने प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में निधि लागत के बढ़ने की स्थिति में विशेष रूप से "एवजी सुविधा" मंजूर की हो, उस स्थिति में सहमत नियम और शर्तों के अधीन ऐसी निधि लागत बढाई जा सकती है।

ऐसे मामले में जहां प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में ऐसी बढ़ी हुई वित्तीय लागत के लिए व्यवस्था नहीं है, वहां एनबीएफसी को निधि लागत बढाने की अनुमति है जिसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'पुनर्रचना ऋण' के रूप में ऋण माने बिना उक्त (iii)(ए)से(बी) में उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत डीसीसीओ विस्तार के तहत बढाया गया हो:

(i) परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति में एनबीएफसी अतिरिक्त निर्माण के दौरान ब्याज के लिए अतिरिक्त ऋण दे सकती है।

(ii) अन्य बढ़ी हुई निधि लागत (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) को मूल परियोजना लागत का अधिकतम 10% तक बढाया जा सकता है। अन्य सभी बढ़ी हुई निधि लागतों के मामले में यह सीमा लागू होगी (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) जिसमें अन्य करेंसी की तुलना में भारतीय रूपए के मूल्य में हुए उतार-चढ़ाव के कारण लागत निधि में वृद्धि शामिल है, जो स्थिति वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के की तारीख बढ़ाने के कारण उत्पन्न हुई हो।

(iii) प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था के समय सहमत ऋण इक्विटी अनुपात निधि लागत बढोत्तरी के बाद भी अपरिवर्तित रहेगी अथवा ऋणदाता के पक्ष में सुधारात्मक होगी तथा संशोधित ऋण सर्विस कवरेज़ अनुपात ऋणदाता को स्वीकार्य होनी चाहिए।

(iv) निधि लागत वृद्धि का संवितरण केवल प्रायोजक/प्रवर्तक द्वारा निधि लागत वृद्धि के लिए उनके शेयर लागत बढ़ाये जाने के बाद ही किया जाएगा तथा;

(v) ऋण के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगे अथवा ऋण दाता के पक्ष में सुधारात्मक होंगे।

3.3.5.3(ए) मुख्य रूप मौजूदा प्रमोटरों की अपर्याप्तता के कारण ठप परियोजनाओं के पुनरुद्धार करने के लिए यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पैराग्राफ 3.3.3 और 3.3.5 में उद्धृत अवधि के दौरान या मूल डीसीसीओ से पहले स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो एनबीएफसी खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण में किसी भी बदलाव के बिना निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित शर्तों के अधीन उपरोक्त पैराग्राफ 3.3.3 और 3.3.5 में, जैसा भी मामला हो, उद्धृत अवधि के अलावा दो साल तक इन परियोजनाओं के डीसीसीओ के विस्तार की अनुमति दे सकता है। यदि आवश्यक हो, तो एनबीएफसी तदनुसार चुकौती अनुसूची को भी एक बराबर या कम अवधि से विस्थापित कर/ बढ़ा सकता है।

3.3.5.3(बी) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार (ऊपर पैरा 3.3.5.3(ए) में दिए रूप में) मूल डीसीसीओ से पहले होता है, और परियोजना विस्तारित डीसीसीओ मे वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में विफल रहता है, तो परियोजना उक्त पैराग्राफ 3.3.3 और 3.3.5 में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में डीसीसीओ के विस्तार के लिए पात्र हो जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार उपरोक्त पैरा 3.3.5 में उद्धृत अवधि के दौरान होता है, तो खाता को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए बिना डीसीसीओ के विस्तार से ऊपर पैरा 3.3.3 में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में पुनर्रचना किया जा सकता है।

3.3.5.3 (सी) उपर्युक्त उप पैराग्राफ 3.3.5.3 (ए) और 3.3.5.3 (बी) के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

(i) एनबीएफसी को यह स्थापित करना होगा कि मौजूदा प्रमोटरों/ कारण के अपर्याप्तता की प्रबंधनपरियोजना का कार्यान्वयन है हुआ ठप/है हुआ प्रभावित से रूप मुख्य और से परिवर्तन के स्वामित्व विस्तारित अवधि के भीतर परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की बहुत अधिक संभावना है;

(ii) विचाराधीन परियोजना परिचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता वाले एक नए प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह द्वारा अधिग्रहित की जानी चाहिए। यदि अधिग्रहण एक विशेष प्रयोजन माध्यम (घरेलू या विदेशी) द्वारा किया जा रहा है तो एनबीएफसी स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करने के लिए सक्षम होना चाहिए कि अधिग्रहणकर्ता संस्था, संचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता वाले नए प्रमोटर समूह का हिस्सा है;

iii) नए प्रमोटरों की अधिग्रहण परियोजना में हिस्सेदारी चुकता इक्विटी पूंजी की कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि नया प्रमोटर एक अनिवासी है और ऐसे क्षेत्र में है जहां विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा 51 प्रतिशत से कम है तो नए प्रमोटर को लागू विदेशी निवेश की सीमा तक या कम से कम 26 प्रतिशत चुकता इक्विटी पूंजी, जो भी अधिक हो, को धारण करना चाहिए बशर्ते कि एनबीएफसी संतुष्ट हो कि इस इक्विटी हिस्सेदारी के साथ, नए अनिवासी प्रमोटर परियोजना के प्रबंधन पर नियंत्रण रखते है;

(iv) एनबीएफसी की संतुष्टि पर परियोजना की व्यवहार्यता स्थापित किया जाना चाहिए;

(v) अंतर-समूह कारोबार पुनर्रचना / विलय / अधिग्रहण और / या अन्य संस्थाओं / सहायक कंपनियों/ एसोसिएट्स आदि (विदेशी के साथ-साथ घरेलू) द्वारा परियोजना का अधिग्रहण जो कि मौजूदा प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह से संबंधित है इस सुविधा का पात्र नहीं होगा। एनबीएफसी को स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना होगा कि अधिग्रहणकर्ता मौजूदा प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है;

(vi) 'संदर्भित तिथि'को खाते का आस्ति वर्गीकरण वर्धित अवधि के दौरान बना रहेगा। इस उद्देश्य के लिए, 'संदर्भित तिथि'लेनदेन से जुड़े पक्षों के बीच प्राथमिक प्रतिबद्धता करार के निष्पादन की तिथि होगी, बशर्ते कि स्वामित्व के इस

प्रकार के अर्जन/अधिग्रहण को निर्देशित करने वाली विधि/विनियम के अनुसार प्राथमिक प्रतिबद्धता करार के निष्पादन की तिथि से 90 दिनों के भीतर अर्जन/अधिग्रहण सम्पन्न किया गया हो। इसके बीच की अवधि के दौरान सामान्य वर्गीकरण मानदंड लागू होंगे। यदि स्वामित्व में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिबद्धता करार से 90 दिनों के भीतर नहीं होता है तो 'संदर्भित तिथि'इस प्रकार के अर्जन/अधिग्रहण को निर्देशित करने वाली विधि/विनियम के अनुसार अर्जन/अधिग्रहण की प्रभावी तिथि होगी।

(vii) नए स्वामियों/प्रायोजकों से यह अपेक्षित है कि वे वर्धित समयावधि में परियोजना को पूरा करने के लिए वांक्षित धन के एक बड़े हिस्से को प्राप्त करने के अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इस प्रकार, परियोजना के लिए लागत वृद्धि का वित्तपोषण इन निदेशों में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगा। 16 जनवरी, 2015 के परिपत्र में निर्धारित सीमा से अधिक लागत के वित्तपोषण को पुनर्संरचना के रूप में माना जाएगा, भले ही डीसीसीओ का विस्तार ऊपर निर्धारित सीमाओं के भीतर हो;;

(viii) ऊपर उल्लिखित परिकल्पित लाभों के लिए डीसीसीओ के विस्तार (2 अतिरिक्त वर्ष की अवधि तक) पर विचार करते समय एनबीएफ़सी यह सुनिश्चित करगी कि पुनर्भुगतान का पुनर्निर्धारित अवधि काल परियोजना की आर्थिक आयु/रियायत अवधि के 85% से अधिक न हो और

(ix) यह सुविधा किसी परियोजना को केवल एक बार उपलब्ध होगी और स्वामित्व में तदन्तर परिवर्तन के दौरान, यदि कोई हो, नहीं होगी।.

3.3.5.3(d) दिशानिर्देश के अंतर्गत शामिल ऋणों के लिए उनकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुरूप मौजूदा प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण करना होगा।.

3.3.6 कार्यान्वयन के अधीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामलों में, जहां वांछित शर्तों को रियायत अधिकारों द्वारा पूरा न कर सकने के कारण नियत तारीख (रियायत करार में यथा परिभाषित) को शिफ्ट किया गया, वहां ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक परिचालन को प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन "पुनर्रचना" के रूप में नहीं माना जाएगा:

(i) परियोजना सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा सरकारी निजी सहभागिता के अधीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना हो;

(ii) ऋण का संवितरण किया जाना शेष हो;

(iii) उधारकर्ता तथा उधारदाता के बीच वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की संशोधित तारीख को अनुपूरक करार द्वारा प्रलेखित किया गया हो, तथा;

(iv) परियोजना व्यवहार्यता का पुन: मूल्यांकन किया गया हो तथा अनुपूरक करार के समय सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त की गई हो।

3.4. गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण (वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर को छोड़कर)

3.4.1 गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ के पहले वसूली के रिकार्ड के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा 3.4.3 से 3.4.4 के अनुसार उसे पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

3.4.2 गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो जब तक कि उसे निम्नलिखित पैरा 3.4.3 से 3.4.4 के अनुसार पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'आस्ति मानक' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

3.4.3 गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोयजनाओं के मामले में यदि वाणिज्यिक परिचालनों को प्रारंभ करने में विलंब वित्तीय क्लोजर के समय तयशुदा परियोजना समाप्त करने की तिथि से एक वर्ष से अधिक होता है तो एनबीएफसी वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि तय कर सकते हैं और खातों की पुनर्रचना करके 'मानक' वर्गीकरण बनाए रख सकते हैं बशर्ते वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्षों की अवधि से अधिक न हो। अन्य बातों के साथ इसका यह तात्पर्य होगा कि पुनर्रचित करने का आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष का समय पूरा होने से पहले तथा जब वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार खाता 'मानक' हो तब प्राप्त हुआ है। लागू होने वाली अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी:

(i) जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें एनबीएफसी को ऐसे पुनर्रचित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

(ii) एनबीएफसी को ऐसे खातों के लिए उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान के अतिरिक्त जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए:

ब्योरा	प्रावधानीकरण आवश्यकताएं
यदि संशोधित डीसीसीओ वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से एक वर्षों के भीतर हो तो	• 0.25 प्रतिशत
यदि डीसीसीओ को एक वर्ष से अधिक तथा वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से दो वर्षों तक बढ़ाया जाना है	24 जनवरी 2014 से प्रभावी परियोजना ऋण पुनर्रचना: • 5.00 प्रतिशत – पुनर्रचना की तारीख से दो वर्षों के लिए 23 जनवरी 2014 को परियोजना ऋण के स्टॉक को पुनर्रचना के रूप में वर्गीकरण:

	* 2.75 प्रतिशत –31 मार्च 2014 से प्रभावी * 3.50 प्रतिशत –31 मार्च 2015 से प्रभावी (2014-15 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * 4.25 प्रतिशत - 31 मार्च 2016 से प्रभावी (2015-16 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * 5 प्रतिशत - 31 मार्च 2017 से प्रभावी (2016-17 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * उक्त प्रावधान पुनर्रचना की तारीख से 2 वर्षों के लिए लागू होगा। .

3.4.4 यदि संशोधित डीसीसीओ मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की अवधि के अंदर होता है तो इन निदेशों के प्रयोजन के लिए डीसीसीओ के विस्तार को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में जहां डीसीसीओ विस्तार अवधि की तुलना में (समान अथवा कम अवधि का हो, संशोधित पुनर्भुगतान के प्रारंभ तारीख तथा समाप्ति तारीख को शामिल करते हुए) पुनर्भुगतान अवधि में अनुवर्ती शिफ्ट, उसे भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि ऋण के सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हो। चूंकि, ऐसे परियोजना ऋण को सभी संदर्भों के लिए मानक आस्ति माना जाएगा, उनके लिए मानक आस्ति के 0.25 प्रतिशत का प्रावधान आवश्यक होगा।

3.4.5(ए) डीसीसीओ में एकाधिक संशोधनों तथा एकसमान या कम अवधि के पुन: भुगतान कार्यक्रम में अनुवर्ती परिवर्तन (जिसमें भुगतान कार्यक्रम की प्रारंभ तारीख और अंतिम तारीख में संशोधन शामिल हो) को पुनर्रचना का एकल घटना माना जाएगा बशर्ते कि उक्त बिन्दुओं के अनुरूप संबंधित समय सीमा के अंदर संशोधित डीसीसीओ निर्धारित किया गया हो तथा ऋण के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हों।

यदि उचित हो तो, एनबीएफसी डीसीसीओ को उक्त पैराग्राफ 3.4.3 के खंड (i) और (ii) तक में विनिर्दिष्ट संबंधित समय सीमा से अधिक विस्तारित कर सकती है; तथापि उस स्थिति में एनबीएफसी ऐसे ऋण के आस्ति वर्गीकरण में इसे 'मानक' के रूप में नहीं बनाये रख पायेंगी।

3.4.5(बी) ऐसे मामलों में जहां एनबीएफसी ने प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में निधि लागत के बढ़ने के मामले में विशेष रूप से "एवजी सुविधा" मंजूर की हो, उस स्थिति में सहमत नियम और शर्तों के अधीन बढ़ी हुई निधि लागत के लिए निधि उपलब्ध की जा सकती है।

ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में ऐसे निधि लागत में वृद्धि को कल्पित नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को निधि लागत वृद्धि के लिए निधि उपलब्ध कराने की अनुमति है। उक्त उक्त पैराग्राफ 3.4.3 के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत डीसीसीओ विस्तार के कारण आवश्यक हो गया हो। ऐसे ऋणों को निम्नलिखित शर्तों के साथ पुनर्रचित आस्ति नहीं माना जाएगा:

i) एनबीएफसी अतिरिक्त 'निर्माण के दौरान ब्याज' के लिए निधि उपलब्ध कर सकती है जो परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण आवश्यक हो;

ii) अन्य लागत को मूल परियोजना लागत का अधिकतम 10% तक बढाया जा सकता है (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर)। वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से उत्पन्न यह उच्चतम सीमा वित्त की अन्य सभी लागत बढाने पर लागू होगी) निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) अन्य देशों की तुलना में भारतीय रूपये में उतार- चढ़ाव द्वारा लागत में बढोत्तरी सहित।

iii) प्रारंभीक वित्तीय व्यव्स्था के समय मंजूर कर्ज इक्विटी अनुपात निधि लागत बढोत्तरी के अनुवर्ती अपरिवर्तीत रहेगी अथवा ऋणदाता के पक्ष में सुधारात्मक होगी तथा संशोधित कर्ज सेवा कवरेज़ अनुपात ऋणदाता द्वारा स्वीकार्य होनी चाहिए।

iv) बढाई गई निधि का संवितरण केवल प्रायोजक/प्रवर्तक द्वारा उनके शेयर लागत बढाये जाने के बाद ही किया जाएगा तथा;

v) ऋण के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगे अथवा ऋण दाता के पक्ष में सुधारात्मक होंगे।

3.4.5(c)(i) मुख्य रूप मौजूदा प्रमोटरों की अपर्याप्तता के कारण ठप परियोजनाओं के पुनरुद्धार करने के लिए यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पैराग्राफ 3.4.3 और 3.4.4 में उद्धृत अवधि के दौरान या मूल डीसीसीओ से पहले स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो एनबीएफसी खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण में किसी भी बदलाव के बिना निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित शर्तों के अधीन उपरोक्त पैराग्राफ 3.4.3 और 3.4.4 में, जैसा भी मामला हो, उद्धृत अवधि के अलावा दो साल तक इन परियोजनाओं के डीसीसीओ के विस्तार की अनुमति दे सकता है । यदि आवश्यक हुआ तो एनबीएफसी तदनुसार चुकौती अनुसूची को भी एक बराबर या कम अवधि से विस्थापित कर/ बढ़ा सकता है।

3.4.5(c)(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार (ऊपर पैरा 3.4.5(c)(i) में दिए रूप में) मूल डीसीसीओ से पहले होता है, और परियोजना विस्तारित डीसीसीओ मे वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में विफल रहता है, तो परियोजना उक्त पैराग्राफ 3.4.3 और 3.4.4 में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में डीसीसीओ के विस्तार के लिए पात्र हो जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार उपरोक्त पैरा 3.4.4 में उद्धृत अवधि के दौरान होता है, तो खाता को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए बिना डीसीसीओ के विस्तार से ऊपर पैरा 3.4.3 में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में पुनर्रचना किया जा सकता है ।

3.4.5.(c)(iii) उपर्युक्त उप पैराग्राफ 3.4.5(c)(i) और 3.4.5(c)(ii) के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

(ए) एनबीएफसी को यह स्थापित करना होगा कि मौजूदा प्रमोटरों / के अपर्याप्तता की प्रबंधन कारण परियोजना का कार्यान्वयन मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है/ ठप हुआ है से परिवर्तन के स्वामित्व और विस्तारित अवधि के भीतर परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की एक बहुत अधिक संभावना है;

(बी) विचाराधीन परियोजना परिचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता के साथ एक नए प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह द्वारा अधिग्रहित की जानी चाहिए। यदि अधिग्रहण एक विशेष प्रयोजन माध्यम (घरेलू या विदेशी) द्वारा किया जा रहा है तो एनबीएफसी स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करने के लिए सक्षम होना चाहिए कि अधिग्राहणकर्ता संस्था, संचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता के साथ एक नए प्रमोटर समूह, का हिस्सा है;

(सी) नए प्रमोटरों की अधिग्रहण परियोजना में हिस्सेदारी चुकता इक्विटी पूंजी की कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि नया प्रमोटर एक अनिवासी है और ऐसे क्षेत्र में है जहां विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा 51 प्रतिशत से कम है तो नए प्रमोटर को लागू विदेशी निवेश की सीमा तक या कम से कम 26 प्रतिशत चुकता इक्विटी पूंजी, जो भी अधिक हो, को धारण करना चाहिए बशर्ते कि एनबीएफसी संतुष्ट हो कि इस इक्विटी हिस्सेदारी के साथ, नए अनिवासी प्रमोटर परियोजना के प्रबंधन पर नियंत्रण रखते है;

(डी) एनबीएफसी की संतुष्टि पर परियोजना की व्यवहार्यता स्थापित किया जाना चाहिए;

(ई) अंतर-समूह कारोबार पुनर्रचना / विलय / अधिग्रहण और / या अन्य संस्थाओं / सहायक कंपनियों/ एसोसिएट्स आदि (विदेशी के साथ-साथ घरेलू) द्वारा परियोजना का अधिग्रहण जो कि मौजूदा प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह से संबंधित है इस सुविधा का पात्र नहीं होगा। एनबीएफसी को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए कि अधिग्राहणकर्ता मौजूदा प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है;

(एफ़) “संदर्भ तिथि”को खाते की आस्ति वर्गीकरण विस्तारित अवधि के दौरान जारी रहेगी। इस उद्देश्य के लिए, ‘संदर्भ तिथि' लेन-देन के लिए पार्टियों के बीच प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते के निष्पादन की तारीख होगी, बशर्ते कि इस तरह के अधिग्रहण के कानून / नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वामित्व का अधिग्रहण के प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते के निष्पादन की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया हो। मध्यवर्ती समय के दौरान, सामान्य परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों को लागू करना जारी रहेगा। यदि स्वामित्व में परिवर्तन प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते से 90 दिनों के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो 'संदर्भ तिथि' ऐसे अधिग्रहण के कानून / नियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण की प्रभावी तिथि होगी;

(जी) नए मालिकों / प्रमोटरों से अपेक्षित है कि विस्तारित समय अवधि के भीतर इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पैसा लाकर उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। इसी तरह इस परियोजना के लिए बढ़ी लागत के वित्तपोषण का व्यवहार इन निदेशों में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन होंगे। 16 जनवरी 2015 का परिपत्र में निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ी लागत का वित्तपोषण पुनर्रचना की एक घटना माना जाएगा यद्यपि वह डीसीसीओ का विस्तार के ऊपर निर्धारित सीमा के भीतर हो।

(एच) उपरोक्त लाभ के लिए डीसीसीओ के विस्तार पर विचार करते समय (2 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए) एनबीएफसी सुनिश्चित करेगा कि चुकौती अनुसूची परियोजना के आर्थिक जीवन / रियायत अवधि के 85 प्रतिशत से अधिक विस्तारित नहीं हो; और

(आई) यह सुविधा परियोजना के लिए केवल एक बार ही उपलब्ध होगी और बाद में स्वामित्व में बदलाव, यदि कोई हो, की स्थिति के दौरान उपलब्ध नहीं होगी।

(जे) इस दिशानिर्देश के तहत शामिल ऋण, मौजूदा प्रावधानीकरण मानदंड के अनुसार उनकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति पर प्रावधानीकरण को आकर्षित करेगा।

3.5. अन्य मुद्दे

3.5.1 परियोजना के दायरे एवं आकार में वृद्धि के कारण परियाजना के परिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी परियोजना ऋण के चुकौती कार्यक्रम में किसी परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा यदि:

(i) परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि मौजूदा परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले होती है।

(ii) मूल परियोजना की परिकल्पित लागत में निधि लागत में वृद्धि को छोड़कर, लागत में अन्य वृद्धि मूल परिव्यय के 25% अथवा उससे अधिक है।

(iii) एनबीएफसी परियोजना के दायरे में वृद्धि को अनुमोदित करने तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निर्धारित करने से पहले परियोजना की व्यावहारिकता का पुनर्मूल्यांकन करती है।

(iv) पुनः रेटिंग के उपरांत (यदि पहले रेटिंग की गयी हो) नयी रेटिंग पिछली रेटिंग से एक से अधिक श्रेणी कम न हो।

3.5.2 वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए परियोजना ऋण

सीआरई परियोजनाओं के लिए डीसीसीओ विस्तार को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, यदि संशोधित डीसीसीओ, मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की समय अवधि के भीतर है तथा पुनर्भुगतान समय में डीसीसीओ में किये गए विस्तार की तुलना में समान अथवा कम अवधि के संभाव्य शिफ्ट और ऋण सर्विसिंग को छोड़कर, अन्य नियम और शर्तों में परिवर्तन न हो। ऐसे सीआरई परियोजना ऋणों को, मानक आस्ति पुनर्रचना हेतु लागू उच्च प्रावधानीकरण को आकृष्ट किए बिना, इस उद्देशय के लिए सभी मामलों में मानक आस्ति माना जाएगा। तथापि यदि वे पुनर्रचित हैं तो सीआरई परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

3.5.3 पुनर्रचना के उक्त सभी मामलों में जहां विनियामक समयावधि को विस्तार दिया गया है वहां एनबीएफसी के बोर्ड को परियोजना की व्यवहार्यता तथा पुनर्रचना योजना के प्रति स्वयं संतुष्ट करना होगा।

3.6. आय निर्धारण

3.6.1 एनबीएफसी को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही, 'मानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत, परियोजनाओं के संबंध में आय की गणना उपचय आधार पर करें।

(3.6.2) एनबीएफसी को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही 'अवमानक' आस्तियों के रूप में वर्गीकृत, परियोजनाओं के संबंध में आय की गणना उपचय आधार पर न करें। वे नकदी आधार पर वसूली के बाद ही ऐसे खातों के संबंध में

आय गणना की करें। अतः जिन एनबीएफसी ने पहले गलत ढंग से आय का निर्धारण किया है उन्हें चाहिए कि यदि मौजूदा वर्ष के दौरान इसे आय के रूप में निर्धारित कर दिया गया हो तो वे ब्याज को प्रतिवर्तित कर दें अथवा यदि पिछले वर्ष (वर्षों) में इसे आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, उसके समतुल्य राशि के लिए प्रावधान कर दें। 'निधिक ब्याज' के रूप में निर्धारित आय की विनियामक प्रक्रिया और 'इक्विटी, डिबेंचरों या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन' के बारे में एनबीएफसी को चाहिए कि वे निम्नलिखित का पालन करें ।

(i) निधिक ब्याजः अनर्जक आस्तियों के बारे में आय निर्धारण चाहे वे ऋण करार की शर्तों के अनुसार पुनर्रचना/ पुनर्निर्धारण /पुनः समझौता के अधीन हो या न हो, वसूली के बाद ही, कड़ाई से नकदी आधार पर, किया जाना चाहिए, न कि बकाया ब्याज की राशि को निधि उपलब्ध कराने पर। परंतु यदि, निधिक ब्याज की राशि को आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, साथ ही साथ, समतुल्य राशि का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में ब्याज के निधीयन को यदि आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो उसके लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाना चाहिए।

(ii) इक्विटी, डिबेंचर या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन: अन्य लिखतों में परिवर्तित बकाया राशि में सामान्यतः मूलधन और ब्याज के घटक शामिल होंगे। यदि ब्याज की बकाया राशि को इक्विटी या किसी अन्य लिखत में परिवर्तित किया जाता हो और इसके कारण आय निर्धारित की जाती हो तो, इस रूप में निर्धारित आय की राशि के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के आय निर्धारण के प्रभाव से बचा जा सके। इस प्रकार का प्रावधान उस राशि के अतिरिक्त होगा जो निवेश मूल्यन मानदंडों के अनुसार इक्विटी या अन्य लिखतों के मूल्य में ह्रास के लिए आवश्यक है। परंतु, यदि ब्याज को निर्दिष्ट भाव वाली इक्विटी में परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तन की तारीख को इक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज आय का निर्धारण किया जा सकेगा जो इक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगा। इसके बाद इस प्रकार की इक्विटी को 'वर्तमान निवेश' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और उसका मूल्यन निम्न लागत या बाजार मूल्य पर किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में मूल और /या ब्याज को डिबेंचरों में परिवर्तन के मामले में, ऐसे डिबेंचरों को उसी आस्ति वर्गीकरण में प्रारंभ से अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना चाहिए जो परिवर्तन के एकदम पहले ऋण पर लागू था तथा मानदंडों के अनुसार उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। यह मानदंड जीरो कूपन बांडों या ऐसे अन्य लिखतों पर भी लागू होगा जिससे जारीकर्ता की देयता आस्थगित होती हो। ऐसे डिबेंचरों पर, आय का निर्धारण केवल वसूली के आधार पर किया जाना चाहिए। वसूल न किये गये ब्याज, जिसे डिबेंचरों या किसी अन्य नियत अवधिपूर्णता के लिखत में परिवर्तित किया गया है, के संदर्भ में आय का निर्धारण ऐसे लिखत के प्रतिदान पर ही किया जाना चाहिए। उपर्युक्त की शर्त पर, ऋण की मूल राशि के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी शेयर या अन्य लिखत भी ऐसे लिखतों पर लागू सामान्य पृडेंशियल मूल्यांकन मानदंडों की शर्त के अधीन होंगे।

4. पुनर्रचित अग्रिमों के लिए सामान्य सिद्धांत और पृडेंशियल मानदंड

इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांत और पृडेंशियल मानदंड सभी अग्रिमों पर लागू होंगे।

4.1 अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए पात्रता मानदंड

4.1.1 एनबीएफसी 'मानक', 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत खातों की पुनर्रचना कर सकते हैं।

4.1.2 एनबीएफसी पूर्व व्यापी प्रभाव से उधार खातों की अवधि का पुनर्निर्धारण/ऋण की पुनर्रचना/ऋण की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब कोई पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेंगे। केवल इसलिए कि पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन है, किसी आस्ति की पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्रचना पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण की जो स्थिति है वह पुनर्रचना/अवधि के पुनर्निर्धारण/ऋण की शर्तों में परिवर्तन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निश्चित करने में प्रासंगिक होगी। यदि पुनर्रचना पैकेज की मंजूरी में अनुचित विलंब होता है तथा इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति में गिरावट आती है तो यह मामला पर्यवेक्षीय विषय का होगा।

4.1.3 सामान्यतया पुनर्रचना तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि ऋणकर्ता की औपचारिक सहमति/आवेदन द्वारा मूल ऋण करार में बदलाव/परिवर्तन न किया गया हो। तथापि उपयुक्त मामलों में एनबीएफसी पुनर्रचना प्रक्रिया आरंभ कर सकती है, बशर्ते ग्राहक निबंधन और शर्तों से सहमत हो।

4.1.4 एनबीएफसी तब तक किसी खाते की पुनर्रचना नहीं करेंगी जब तक पुनर्रचना की वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित न हो जाए तथा पुनर्रचित पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से चुकौती प्राप्त करने की अच्छी संभावना न हो। उधारकर्ता के नकद प्रवाह तथा एनबीएफसी द्वारा वित्तेपोषित परियोजना/ गतिविधि की व्यवहारिकता का आंकलन किए बिना की गई किसी पुनर्रचना को हमेशा कमजोर रहने वाला ऋण माना जाएगा तथा यह पर्यवेक्षी चिंता/कार्रवाई को आकर्षित करेगा। एनबीएफसी को ऐसे खातों से वसूली के लिए उपायों में गति लानी चाहिए। एनबीएफसी द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर होना चाहिए तथा इसे हर मामले के गुण-दोष को विचार में लेते हुए मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मापदंडों के भीतर विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतराल तथा पुनर्रचित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले अपेक्षित प्रावधान की राशि को शामिल किया जा सकता है। चूंकि भिन्न आर्थिक क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन के भिन्न सूचक होते हैं, यह उचित होगा कि एनबीएफसी द्वारा इन व्यापक बेंचमार्कों को समुचित संशोधन के साथ अपनाया जाए। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि एनबीएफसी द्वारा स्वीकार्य व्यवहारिकता मानदंड तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रत्येक मानदंड पर आधारित व्यवहारिकता को निर्धारित किया जाए। सीडीआर पद्धति द्वारा व्यवहारिकता मानदंड के लिए अपनाए जाने वाले बेंचमार्क परिशिष्ट-III-A में दिए गए हैं। गैर-सीडीआर मामलों में विशिष्ट सेक्टर के खातों का पुनर्रचना करने हेतु एनबीएफसी उचित समायोजन के साथ, यदि कोई हो तो, समुचित रूप से इसे अपनाए।

4.1.5 जिन उधारकर्ताओं ने कपट या कदाचार किया है वे पुनर्रचना के पात्र नहीं होंगे.

4.1.6 बीआइएफआर मामलों की पुनर्रचना बिना उनके स्पष्ट अनुमोदन के नहीं की जा सकती। सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों के मामले में सीडीआर कोर ग्रुप, एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली के मामले में अग्रणी बैंक तथा अन्य मामलों में संबंधित एनबीएफसी यह सुनिश्चित करने के बाद कि पैकेज के कार्यान्वयन के पहले बीआइएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं, ऐसे मामलों में पुनर्रचना के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

4.2 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अग्रिमों की पुनर्रचना निम्नलिखित चरणों में की जाएगी:

(i) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन आरंभ होने के पहले;

(b) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद लेकिन आस्ति के 'अवमानक' वर्गीकरण के पहले;

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद और आस्ति के 'अवमानक' या 'संदिग्ध' वर्गीकरण के बाद

4.2.1 पुनर्रचना के बाद 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत 'अवमानक आस्तियों' के रूप में पुनः वर्गीकृत करना चाहिए।

4.2.2 पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियों का वही आस्ति वर्गीकरण रहेगा जो पुनर्रचना के पहले था तथा पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चला जाएगा।

4.2.3 एनपीए के रूप में वर्गीकृत मानक खाता यदि एनबीएफसी द्वारा पुनर्रचना के समय उस श्रेणी में बना रहता है तो ऐसी स्थिति में उसे केवल तब अपग्रेड किया जाए जब "विशिष्ट अवधि" (परिशिष्ट -III-B) के दौरान खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधा का कार्य निष्पादन संतोषजनक हो जैसे उस अवधि के दौरान नियम और शर्तों के अनुरूप खाते में मूलधन तथा ब्याज की सभी सुविधाओं की सर्विस की जा रही हो।

4.2.4 लेकिन जिन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं देखा गया है, उन मामलों में पुनर्रचित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्रचना के पूर्व की चुकौती अनुसूची से संबंधित प्रयोज्य पृडेंशियल मानदंडों के अधीन होगा।

4.2.5 विशिष्ट अवधि (परिशिष्ट -III-B) के दौरान किसी अतिरिक्त वित्तपोषण को, अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत 'मानक आस्ति' माना जाएगा। परंतु ऐसे खातों के मामले में जिन्हें पुनर्रचना के पहले 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, अतिरिक्त वित्तपोषण की ब्याज आय नकदी आधार पर ही मान्य होनी चाहिए। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अंत में यदि पुनर्रचित आस्ति श्रेणी उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्तपोषण को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित ऋण है।

4.2.6 यदि कोई पुनर्रचित आस्ति पुनर्रचना के बाद मानक आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि पुनर्रचित आस्ति अवमानक या संदिग्ध आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वह पहली बार अनर्जक आस्ति बनी। परंतु दूसरी बार या दो से अधिक बार पुनर्रचित ऐसे अग्रिमों को, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन चालू पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अवधि (परिशिष्ट -III-B) के बाद मानक संवर्ग में वर्गोन्नत किया जा सकता है ।

4.3 आय निर्धारण मानदंड

पैरा 4.2.5, 5.2 और 6.2 के प्रावधानों के अधीन, 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में ब्याज आय को उपचय आधार पर तथा 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में नकदी आधार पर आय निर्धारण करना चाहिए।

4.4 प्रावधानीकरण मानदंड

4.4.1 पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान

(i) एनबीएफसी विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान रखेंगे।

(ii) मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के लिए पुनर्रचना की तारीख से प्रथम दो वर्षों के लिए उच्च प्रावधान (समय समय पर निर्धारित) करना आवश्यक होगा। पुनर्रचना के बाद ब्याज/मूलधन के भुगतान के अधिस्थगन के मामले में, ऐसे अग्रिमों की अधिस्थगन अवधि तथा उसके बाद दो वर्षों की अवधि तक कवर करने के लिए निर्धारित उच्च प्रावधान करना आवश्यक होगा।

(iii) अनर्जक अग्रिम के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों को जब मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जाता है तब अपग्रेडेशन की तारीख से एक वर्ष के लिए उच्च प्रावधान (समय-समय पर निर्धारित) करना आवश्यक होगा।

(iv) 24 जनवरी 2014 से पुनर्रचित मानक अग्रिमों पर उक्त उच्च प्रावधान नए पुनर्रचित मानक खातों (फ्लो) के संबंध में 5 प्रतिशत होगा तथा 23 जनवरी 2014 को पुनर्रचित मानक खातों के स्टॉक के मामले में निम्नलिखित के अनुसार चरणबद्ध ढंग से वृद्धि होगी।

- 2.75 प्रतिशत- 31 मार्च 2014 से प्रभावी
- 3.50 प्रतिशत- 31 मार्च 2015 से प्रभावी (2014-15 की चार तिमाहियों में बांटा गया)
- 4.25 प्रतिशत-- 31 मार्च 2016 से प्रभावी (2015-16 की चार तिमाहियों में बांटा गया)
- 5 प्रतिशत - 31 मार्च 2017 से प्रभावी (2016-17 के चार तिमाहियों में बांटा गया)

4.4.2 पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

(i) पुनर्रचना के अंग के रूप में ब्याज दर में कमी और/अथवा मूल ऋण राशि की चुकौती की अवधि में परिवर्तन के कारण अग्रिम के उचित मूल्य में कमी आएगी। मूल्य में ऐसी कमी एनबीएफसी के लिए एक आर्थिक हानि है और इसका एनबीएफसी के बाजार मूल्य पर असर पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि एनबीएफसी अग्रिम के उचित मूल्य में आयी कमी का मूल्यांकन करें तथा लाभ और हानि खाते में नामे डालकर इसके लिए प्रावधान करें। ऐसा प्रावधान ऊपर पैरा 4.4.1 में निर्दिष्ट विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंड के अनुसार किये गये प्रावधान के अतिरिक्त होगा तथा उसे सामान्य प्रावधानों के खाते से अलग खाते में रखा जाना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए अग्रिम के उचित मूल्य में कमी की गणना पुनर्रचना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जानी चाहिए । पुनर्रचना के पूर्व ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर प्रभारित की गई पुनर्रचना के पूर्व विद्यमान ब्याज दर तथा पुनर्रचना की तारीख को एनबीएफसी का स्पष्ट ऋण दर जैसे उधारकर्ता पर लागू ऋण करार के अनुसार प्रभारित ब्याज दर जिसके अनुसार अविलम्ब प्रदान किया गया था, जैसा कि संबंधित उधारकर्ता पर लागू है, योग के रूप में की जाएगी। पुनर्रचना के बाद ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर पुनर्रचना के पश्चात् प्रभारित की गई ब्याज दर तथा पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता पर लागू होता एनबीएफसी के स्पष्ट ऋण दर के समतुल्य दर पर बट्टाकृत मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी। उपर्युक्त फॉर्मूला ब्याज दर चक्र के साथ ऋणों के वर्तमान मूल्यों में होनेवाली कमी के उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करता है तथा उसका भविष्य में नियमित रूप से एनबीएफसी को अनुपालन करना होगा। साथ ही, इस बात को दोहराया जाता है कि उपर्युक्त के अनुसार प्रावधानों की आवश्यकता एनबीएफसी की कार्रवाई के कारण होती है क्योंकि ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुनर्रचना किए जाने पर ऋण की संविदागत शर्तों में परिवर्तन होता है जो वित्तीय रियायतों के स्वरूप की हैं । ये प्रावधान अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत खाते के आस्ति वर्गीकरण से जुड़े हुए प्रावधानों से अलग हैं और ऋण की गुणवत्ता में ह्रास के कारण हुई क्षति को प्रतिबिम्बित करते हैं । इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रावधान एक-दूसरे का बदली नहीं हैं।

(ii) पुनर्रचना पर मूल्यांकन राशि को ऋण/इक्विटी लिखत में परिवर्तन हेतु, 'वर्तमान निवेश' के तहत धारण करने की आवशयकता है तथा इसका मूल्यांकन, सामान्य मूल्यांकन के अनुसार किया जाएगा। अत: उचित मूल्य में क्षरण के उद्देश्य तक पहुंचने के प्रयोजन से ऋण/इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और एनपीवी के भाग के लिए मूलधन की गणना अलग से की जाएगी। तथापि एनबीएफसी में शामिल कुल हानि, ऋण/इक्विटी के परिवर्तन पर मूल्यांकन हानि सहित एनपीवी के उक्त भाग के लिए होगा।

अत: एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वे पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में ह्रास की गणना सटीक रूप में करें क्योंकि यह न केवल उनके द्वारा बनाए गए आवश्यक प्रावधानीकरण को प्रभावित करता है बल्कि प्रोमोटर्स से

विशिष्ट आवश्यक राशि को भी प्रभावित करता है (संदर्भ पैरा 7. 6)। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी की तरफ से किसी वित्तीय इंजीनियरी को कृत्रिम रूप से निवल वर्तमान मूल्य के नकद प्रवाह को कम नहीं किया जाना चाहिए। एनबीएफसी को यह भी सूचित किया जाता है कि पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में ह्रास की गणना को सुनिश्चित करने हेतु एक पर्याप्त जांच और तुलन स्थापित किया जाए।

(iii) यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई जमानत ली जाती है तो जमानत की परिपक्वता तक उसका मूल्य 1 रुपया माना जाना चाहिए । इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभ और हानि खाते में आर्थिक क्षति प्रभारित करने का प्रभाव समाप्त नहीं होगा।

(iv) उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पुनः की जानी चाहिए, जब तक कि सभी चुकौती दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तथा खाते के बकाये की पूरी चुकौती नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है ताकि उधारकर्ताओं पर प्रभारित स्पष्ट ब्याज दर, अवधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आए परिवर्तन को गणना में शामिल किया जा सके। इसके फलस्वरूप, एनबीएफसी प्रावधान में आयी कमी को पूरा कर सकते हैं या अलग खाते में रखे अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर सकते हैं।

(v) यदि विशेषज्ञता/समुचित इनफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में दिये गये अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करना एनबीएफसी के लिए कठिन हो तो उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना के लिए ऊपर निर्धारित क्रियाविधि के विकल्प के रूप में एनबीएफसी उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना नोशनल आधार पर कर सकते हैं तथा उन सभी पुनर्रचित खातों के मामले में जहां एनबीएफसी का कुल बकाया एक करोड़ रुपये से कम हो कुल एक्सपोज़र के पांच प्रतिशत पर प्रावधान कर सकते हैं ।

4.4.3 किसी खाते के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान (सामान्य प्रावधान तथा अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) की अधिकतम राशि बकाया ऋण राशि का 100% है।

5. मूल ऋण राशि को ऋण/इक्विटी लिखत में परिवर्तन के लिए पृडेंशियल मानदंड

5.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

पुनर्रचना के अंग के रूप में बकाया मूल ऋण राशि के एक हिस्से को ऋण या इक्विटी लिखत में परिवर्तित किया जा सकता है । इस प्रकार निर्मित ऋण/इक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित अग्रिम है। इसके अतिरिक्त इन लिखतों में आस्ति वर्गीकरण का परिचालन अनुवर्ती पुनर्रचित अग्रिमों के निर्धारण के आधार पर भी होगा।

5.2 आय निर्धारण मानदंड

5.2.1 मानक खाते

'मानक' रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाए।

5.2.2 अनर्जक खाते

अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, का निर्धारण केवल नकद आधार पर किया जाए।

5.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

इन लिखतों को 'वर्तमान निवेश' के अंतर्गत धारित किया जाए तथा सामान्य मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार इनका मूल्यांकन किया जाए। मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी का मूल्यांकन यदि उसे कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अथवा यदि नहीं किया गया हो तो कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र से परिकलित उसके विश्लेषित मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि यदि कोई हो, पर ध्यान दिए बिना) किया जाए। अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध न होने पर शेयरों का 1 रुपए पर मूल्यांकन किया जाए। अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी लिखत का यदि उसे कोट किया हो तो बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए और ऐसे मामले में जहां इक्विटी कोट नहीं की गयी है, उसे 1 रुपए पर मूल्यांकित किया जाए। इन लिखतों पर मूल्यह्रास को 'वर्तमान निवेश' श्रेणी के अंतर्गत धारित किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों में हुए मूल्य वर्धन के बदले समायोजित नहीं किया जाए।

6. अदत्त ब्याज का 'निधिक ब्याज मीयादी ऋण'(एफआईटीएल) ऋण अथवा इक्विटी लिखतों में परिवर्तन के लिए पृडेंशियल मानदंड

6.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अदत्त ब्याज के परिवर्तन से निर्मित एफआईटीएल/ ऋण अथवा इक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें पुनर्रचित अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआईटीएल/ऋण अथवा इक्विटी लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में अगला उतार-चढ़ाव भी पुनर्व्यवस्थित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

6.2 आय-निर्धारण मानदंड

6.2.1 इन लिखतों से प्राप्त आय, यदि कोई हो को, इन लिखतों को यदि 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो उपचित आधार पर, और अनर्जक आस्ति के रूप में जिनका वर्गीकरण किया गया है उस मामले में नकद आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

6.2.2 अप्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करने वाले एफआईटीएल/ऋण अथवा इक्विटी लिखत के संबंध में "फुटकर देयता लेखा (ब्याज का पूंजीकरण)" शीर्ष वाले लेख में तदनुरूपी जमा होनी चाहिए।

6.2.3 अप्राप्त ब्याज के कोट की गई इक्विटी में परिवर्तन के मामले में ब्याज से प्राप्त आय का मानक श्रेणी में उक्त खाते के उन्नयन के बाद ऐसे उन्नयन की तारीख को इक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अनधिक इक्विटी के बाजार मूल्य पर निर्धारण किया जाएगा।

6.2.4 एफआईटीएल के मामले में चुकौती के बाद अथवा ऋण/ इक्विटी लिखतों की बिक्री /मोचन से राशि प्राप्त होने के बाद ही, प्राप्त राशि को लाभ-हानि लेखे में दर्ज किया जाएगा और उसी समय 'फुटकर देयताएं लेखे (ब्याज का पूंजीकरण)' में शेष को कम किया जाएगा।

6.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड उपर्युक्त पैरा 5.3 के अनुसार होंगे। मूल्यांकन पर होने वाले मूल्यह्रास को, यदि कोई हो, फुटकर देयता (ब्याज का पूंजीकरण) खाते में प्रभारित किया जाए।

7. विविध

निम्नलिखित सामान्य शर्तें पुनर्रचना के सभी मामलों पर लागू होंगे-

7.1 एनबीएफसी को परिवर्तनीयता (इक्विटी में) के विकल्प संबंधी मामले पर पुनर्रचना कार्य के एक भाग के रूप में निर्णय लेना होगा। इसके अनुसार एनबीएफसी को सेबी के संबंधित विनियमों के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पुनर्रचित खाते के कुछ हिस्से को इक्विटी में परिवर्तित करने का अधिकार रहेगा।

7.2 कर्ज का अधिमानी शेयर में परिवर्तन केवल अंतिम विकल्प में किया जाना चाहिए तथा ऐसे कर्ज का इक्विटी/अधिमानी शेयर में परिवर्तन, किसी भी मामले में, को अधिकतम सीमा तक सीमित किया जाए (जैसा कि पुनर्रचित कर्ज का 10 प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त कर्ज का इक्विटी में परिवर्तन केवल सूचीबद्ध कंपनी के मामले में किया किया जाना चाहिए।

7.3 एनबीएफसी, चुकौती और समय-पूर्व भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित पुनर्रचना पैकेजों के लेनदार के अधिकारों को शामिल करने पर विचार कर सकती है। इसके अतिरिक्त सभी पुनर्रचना पैकेज में आवश्यक रूप से "क्षतिपूर्ति का अधिकार" क्लॉज को शामिल किया जाए तथा यह उधारकर्ता के निश्चित कार्यनिष्पादन मानदंड पर आधारित होना चाहिए। किसी भी मामले में, न्यूनतम 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि ऋणदाता से वसूल की जानी चाहिए तथा कुछ मामले जहां ऋण दर को केवल पुनर्रचना सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है वहां 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जाए।

7.4 जैसा कि निर्धारित व्यक्तिगत गारंटी प्रोमोटर्स के "स्कीन इन द गेम" अथवा पुनर्रचना पैकेज के प्रति वचनबद्धता को सुनिश्चित करेगा अत: सभी पुनर्रचना के मामलों में प्रोमोटर्स की व्यक्तिगत गारंटी की जाए तथा कारपोरेट गारंटी को व्यक्तिगत गारंटी के प्रतिपूरक के रूप में नहीं माना जाए। तथापि कारपोरेट गारंटी को उन मामलों के लिए स्वीकार किया जाए जहां कंपनी का प्रोमोटर्स व्यक्ति न हो किंतु अन्य कारपोरेट निकाय हो अथवा जहां व्यक्तिगत प्रोमोटर्स को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं किया जा सके।

7.5 सभी पुनर्गठन पैकेजों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना आवश्यक होगा। सीडीआर / जेएलएफ़ / कंसोर्टियम / एमबीए व्यवस्था के तहत सभी पुनर्गठन पैकेज मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के भीतर लागू किये जाने चाहिए। अन्य पुनर्गठन पैकेज एनबीएफसी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर लागू किये जाने चाहिए।

7.6 प्रमोटरों को पुनर्गठन के सभी मामलों में अतिरिक्त धन लाना होगा। अतिरिक्त प्रमोटरों द्वारा लाई गई निधियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के योगदान का न्यूनतम 20 फीसदी या पुनर्गठित ऋण का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो , होनी चाहिए। ऋण लेने वालों को पुनर्गठन लाभ देते समय प्रवर्तकों के योगदान सदा ही अग्रिम में लाया जाना चाहिए। प्रमोटर का योगदान नकद में ही लाया जाना जरूरी नहीं है और प्रवर्तकों से अप्रतिभूत ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के रूप में लाया जा सकता है;

7.7 एनबीएफसी को नकदी प्रवाह और टेक्नो आर्थिक व्यवहार्यता (TEV) के एक अध्ययन पर आधारित एक उचित समय अवधि निर्धारित करनी चाहिए जिसमें अकाउंट व्यवहार्य हो जाने की संभावना है;

7.8 एनबीएफसी को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि पुनर्गठन पश्चात चुकाने की अवधि अपने स्वयं के बोर्ड से मंजूर नीति के अनुसार उचित और अनुमानित नकदी प्रवाह के अनुरूप और खाते में आवश्यक डीएससीआर के अनुसार होना चाहिए।

7.9 प्रत्येक एनबीएफसी को टीईवी का आकलन करने में स्पष्ट रूप से उचित सावधानी और पुनर्गठन भुगतान शर्तों में अंतर्निहित मान्यताओं की व्यवहार्यता का दस्तावेजी अभिलेख बनाना चाहिए।

8. प्रकटीकरण

मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एनबीएफसी को 'खातों पर टिप्पणियां' के तहत अपने वार्षिक तुलन पत्र को प्रकाशित करना होगा, पुनर्रचित ऋण खातों की संख्या तथा राशि से संबंधित सूचना और पुनर्रचित आग्रिम के उचित मूल्य में राशि की कमी को परिशिष्ट-III-D में दिए गए फार्मेट में देना होगा। सीडीआर पद्धति, एसएमई कर्ज पुनर्रचना पद्धति तथा अन्य श्रेणियों के तहत पुनर्रचित अग्रिम के लिए अलग अलग सूचना की आवश्यकता होगी। एनबीएफसी को सभी उधारकर्ताओं के खातों/सुविधाओं की कुल बकाया राशि को आवश्यक रूप से प्रकट करना होगा जिसका खाता पुनर्रचित भाग अथवा सुविधा के साथ पुनर्रचित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी उधारकर्ता के एक खाता/सुविधा को यदि पुनर्रचित किया गया है तो ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को उस उधारकर्ता के सभी सुविधा/खातों से संबंधित संपूर्ण बकाया राशि को भी प्रकट करना होगा। प्रकटीकरण फार्मेट परिशिष्ट-III-D में दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

i. संचयी आधार पर पुनर्रचित खातों का ब्योरा, मानक खातों को छोड़कर, जिससे उच्च प्रावधान तथा जोखिम भार) यदि लागू हो तो (प्रभावित होते है;

ii. विभिन्न श्रेणियों के तहत पुनर्रचित खातों पर किया गया प्रावधान, तथा

iii. पुनर्रचित खातों के परिचालन का ब्योरा

इसका अर्थ यह है कि एक बार पुनर्रचित अग्रिम (मानक के रूप में वर्गीकृत अथवा अनर्जक आस्ति श्रेणी से नये सिरे से अपग्रेडेशन) उच्च प्रावधान से निर्धारित अवधि के दौरान संतोषजक कार्यनिष्पादन के सामान्य स्तर पर परिवर्तित होने पर, ऐसे अग्रिमों को एनबीएफसी द्वारा उनके वार्षिक तुलन पत्र में 'खातों पर टिप्पणियां' में पुनर्रचना के तहत और प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।तथापि, ऐसे पुनर्रचित खातों पर पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान को एनबीएफसी द्वारा मौजूदा निदेशों के अनुसार बनाए रखना चाहिए।

9. सीडीआर पद्धति गैर औद्योगिक गतिविधि करने वाले कार्पोरेट्स के लिए भी उपलब्ध होगा, यदि वे इस उद्देश्य के लिए पुनर्रचना हेतु निर्धारित मानदंड के तहत पात्र हैं। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को सहायता संघ एकाधित ऋण खातों के मामले में, जो सीडीआर पद्धति के तहत शामिल नहीं हैं, स्वयं/ क्रेडिटर्स के साथ समन्वय कर मजबूत बनने की प्रेरणा दी जाती है।

यह दोहराया जाता है कि पुनर्रचना का मूल उद्देश्य समस्याप्रद खातों को हमेशा ठीक बनाये रखना नहीं है बल्कि इकाइकों के आर्थिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए है। एनबीएफसी और उधारकर्ताओं द्वारा यह तब हासिल किया जा सकता है जब व्यावहार्यता का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है, खातों की त्वरित पहचान की जाती है और पुनर्रचना पैकेजों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाता हो।

परिशिष्ट -III-A

व्यवहार्यता मानदंड के लिए व्यापक बेंचमार्क

i. नियोजित पूंजी पर रिटर्न कम से कम 5 वर्षों के सरकारी प्रतिभूति ईल्ड और 2 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए।

ii. कर्ज़ चुकौती कवरेज अनुपात औसत 5 वर्ष की अवधि से 1.25 से अधिक होनी चाहिए जिसमें ईकाइ व्यवहार्य बनी तथा वर्ष दर वर्ष आधार पर अनुपात 1 से ऊपर होना चाहिए। 10 वर्ष के भुगतान अवधि के लिए सामान्य कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात लगभग 1.33 होना चाहिए।

iii. आंतरिक प्रतिलाभ दर तथा पूंजी की लागत के बीच का बेंचमार्क अंतर कम से कम 1 प्रतिशत होना चाहिए।

iv. परिचालन तथा नकद लाभ-अलाभ बिन्दु पर कार्य किया जाना चाहिए तथा इसे औद्योगिक मानक के तुलनीय होना चाहिए।

v. ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर कंपनी का चलन तथा भावी अनुमान औद्योगिक प्रवृत्ति के साथ तुलनीय हो। पिछले व मार्क ईबीआईडीटीए गतिविधि का अध्ययन किया जाए और उसकी तुलना औद्योगिक औसत के साथ की जाए।

vi. निम्न वर्णित ऋण लाइफ अनुपात (एलएलआर) 1.4 होना चाहिए, जिसमें चुकाई जाने वाली ऋण राशि में 40% का कुशन होगा।

ऋण लाइफ अवधि के दौरान (ब्याज और मूलधन सहित) कुल उपलब्ध

नकद प्रवाह(एसीएफ) का वर्तमान मूल्य

एलएलआर= --

अधिकतम ऋण राशि

परिशिष्ट -III-B

मुख्य बातें

(i) अग्रिम

'अग्रिम' शब्द का अर्थ होगा सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं जिनमें नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मीयादी ऋण, भुनाए /खरीदे गए बिल, आढ़तीय प्राप्य राशियां आदि तथा इक्विटी स्वरूप के छोड़कर अन्य निवेश शामिल होंगे।

(ii) पूरी तरह प्रतिभूत

जब एनबीएफसी को देय राशियां (पुनर्रचित ऋण की शर्तों के अनुसार मूलधन तथा प्राप्य ब्याज का वर्तमान मूल्य), उन राशियों के संबंध में एनबीएफसी के पक्ष में विधिवत् प्रभारित जमानत के मूल्य द्वारा पूरी तरह प्रतिभूत हैं, तब बैंक को देय राशियों को पूरी तरह प्रतिभूत समझा जाता है। जमानत वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन करते समय प्राथमिक तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों की भी गणना की जाएगी, बशर्ते ऐसी प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप की हैं और प्रवर्तक /अन्यों की गारंटी आदि जैसे अमूर्त रूप में नहीं हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए बैंक की गारंटियों, राज्य सरकार की गारंटियों तथा केंद्र सरकार की गारंटियों को मूर्त जमानत के समतुल्य माना जाएगा।

(iii) पुनर्रचित खाते

पुनर्रचित खाता ऐसा खाता है जहां एनबीएफसी उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें प्रदान करने पर एनबीएफसी अन्यथा विचार न करता। पुनर्रचना में सामान्यतः अग्रिमों /जमानत की शर्तों में संशोधन किया जाएगा जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ चुकौती की अवधि/चुकौती योग्य राशि/किस्तों की राशि/ब्याज की दर (स्पर्धा संबंधी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होगा। तथापि, फ्लोटिंग ऋण दर के भुगतान की अवधि को ब्याज दर पुनर्निधारण पर विस्तारित किया गया, ताकि ईएमआई अपरिवर्तित रहे, बशर्ते कि यह खाता की श्रेणी पर एकरूपता से लागू हो और खातों को 'पुनर्रचना खाता' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में संपूर्ण श्रेणी के संबंध में व्यक्तिगत उधारकर्ता के प्रति ईएमआई विस्तार अथवा स्थगन किए जाने से है वे खाते 'पुनर्रचना खाते' की श्रेणी में वर्गीकृत हो जाएंगे।

अल्प अवधि ऋण के रोल ओवर के मामले में, जहां व्यवस्थित पूर्व मूल्यांकन मंजूरी किया गया था तथा उधारकर्ता के वास्तिवक आवश्यकता के आधार पर रोल ओवर को मंजूरी दी गई थी तथा उधारकर्ता के क्रेडिट कमजोरी के कारण कोई रियायत नहीं दी गई थी, ऐसी स्थिति में खातों को पुनर्रचना खाते के रूप में विचार नहीं किया जाए। तथापि ऐसे खाते यदि दो से अधिक बार रोल ओवर किया गया है तब तीसरे और उससे अगले रोल ओवर के लिए खाता को पुनर्रचित माना जाएगा। इसके साथ साथ, एनबीएफसी को ऐसी सुविधा मंजूर करते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उधारकर्ता अन्य बैंक/सहायता संघ के क्रेडिटर से अथवा बहु-बैंकिंग के तहत इस सुविधा को प्राप्त कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रावधान के उद्देश्य से अल्प अवधि ऋण को नियमित कार्यशील पूंजी ऋण जैसे परिक्रामी नकद ऋण अथवा कार्यशील पूंजी मांग ऋण के रूप में शामिल कर मूल्यांकित नहीं किया जाएगा।

(iv) पुनरावृत्त पुनर्रचित खाते

जब कोई एनबीएफसी किसी खाते की दूसरी (अथवा उससे अधिक) बार पुनर्रचना करती है तो उस खाते को पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' समझा जाएगा। तथापि, पहली पुनर्रचना की शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई रियायतों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि दूसरी पुनर्रचना की जाती है तो उस खाते को 'पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' नहीं समझा जाएगा।

(v) एसएमई

लघु तथा मध्यम उद्यम समय-समय पर संशोधित ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 63.06.02/2006-07 में परिभाषित उपक्रम है।

(vi) निर्दिष्ट अवधि

निर्दिष्ट अवधि का अर्थ है पुनर्रचना पैकेज के नियम के तहत ऋण सुविधा के लिए लम्बी अवधि अधिस्थगन पर पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज अथवा मूल धन की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि।

(vii) संतोषजनक कार्यनिष्पादन

निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन का अर्थ उस अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों का पालन किए जाने से है।

कृषीतर मीयादी ऋण खाते

कृषीतर मीयादी ऋण खातों के मामलें में, कोई भुगतान उस समय अवधि के दिनों से अधिक समय के लिए बकाया नहीं होना चाहिए, जिसके लिए उसे एनपीए में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए।

*** नोट:**

(i) ईएमआई को बनाये रखते हुए गृह ऋण के संबंध में भुगतान अवधि को विस्तारित करते समय, एनबीएफसी को विस्तारित समयवधि सहित पूरे भुगतान की अवधि के दौरान उधारकर्ता के भुगतान /राजस्व अर्जन क्षमता के प्रति स्वयं को संतुष्ट करना होगा।

(ii) एनबीएफसी ऐसे उधारकर्ता के भुगतान अवधि को विस्तारित नहीं करेगी जहां विस्तारित अवधि के बाद भी भुगतान के संबंध में चिंताएं व्याप्त हो, यद्पि ईएमआई अपरिवर्तन को बनाये रखते हुए उधारकर्ता अवधि में विस्तार की इच्छा रखता हो।

(iii) एनबीएफसी ऐसे उधारकर्ता को उच्च ईएमआई का विकल्प प्रदान करें जो मूल भुगतान अवधि के अनुसार गृह ऋण का भुगतान करना चाहते है।

परिशिष्ट -III-C

सहायता संघीय/बहु बैंकिंग/समूहन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए संगठनात्मक संरचना

1. कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) प्रणाली

1.1 उद्देश्य

कंपनी ऋण पुनर्रचना फ्रेमवर्क का उद्देश्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर), ऋण वसूली न्यायाधिकरण(डी आर टी) तथा अन्य कानूनी कार्यवाही की परिधि से बाहर समस्याओं का सामना कर रही, संभाव्य क्षमता वाली कंपनियों के कंपनी ऋणों की पुनर्रचना के लिए समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना है, जो सभी संबंधित संस्थाओं के लिए लाभदायक हो। विशेष रूप से संरचना का लक्ष्य संभाव्य क्षमता वाली उन कंपनियों को बचाना होगा जो कतिपय आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित हों और इसका उद्देश्य ऋणदाताओं तथा अन्य हितधारकों की हानियों को सुव्यवस्थित और समन्वित पुनर्रचना कार्यक्रम के माध्यम से कम करना भी है।

1.2 व्याप्ति

एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के अग्रिमों की समन्वित तरीके से पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर प्रणाली को तैयार किया गया है। सीडीआर प्रणाली एक संगठनात्मक संरचना है जिसे एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित्त लेनेवाले बड़े उधारकर्ताओं के पुनर्रचना के प्रस्तावों के तेजी से निपटान के लिए एक स्थायी रूप दिया गया है । यह प्रणाली किसी भी प्रकार के कार्य करनेवाले सभी उधारकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी

(i) उधारकर्ता उधार देने की बहु बैंकिंग/समूहन/सहायता संघीय प्रणाली के अंतर्गत एक से अधिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से उधार सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(ii) कुल बकाया एक्सपोजर (निधि आधारित तथा निधीतर आधारित) 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है ।

हमारे देश में कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली का संरचना तीन स्तरीय होगाः

- कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच और उसका मुख्य समूह
- कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह
- कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष

2. कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच

2.1 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच इस प्रणाली में भाग लेने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का प्रतिनिधिक सामान्य निकाय (बॉडी) होगा। सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को अपने हित में इस प्रणाली में भाग लेना चाहिए। कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच स्वयं में एक अधिकार प्राप्त निकाय होगा, जो नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा तथा कंपनी ऋण पुनर्रचना की प्रगति पर निगरानी रखेगा।

2.2 यह मंच ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं दोनों के लिए (परामर्श द्वारा) सभी संबंधित संस्थाओं के हित में ऋण पुनर्रचना योजनाएं बनाने के लिए नीतियां और दिशानिर्देश परस्पर सहमति से और सामूहिक रूप से विकसित करने के लिए एक आधिकारिक मंच प्रदान करेगा।

2.3 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड; अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक निदेशक, आईसीआईसीआई बैंक; अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ और साथ ही प्रणाली में स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेने वाले सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं को कुछ ऋणकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम उठाने पड़े होंगे, अतः ये संस्थाएं कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली में भाग ले सकती हैं। यह मंच एक वर्ष की अवधि के लिए अपना अध्यक्ष चुनेगा और बाद के वर्षों में क्रमिक रूप से चयन का सिद्धांत अपनाया जायेगा। परंतु यह मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच को मार्गदर्शन देने और मंच के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में एक कार्यकारी अध्यक्ष रखने का निर्णय कर सकता है। रिज़र्व बैंक, कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच और मुख्य समूह का सदस्य नहीं होगा। इसकी भूमिका विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करने तक सीमित होगी।

2.4 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच की बैठक हर छः महीने में कम से कम एक बार होगी और मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करेगा और उस पर निगरानी रखेगा। यह मंच ऋण की पुनर्रचना के लिए कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ और दिशानिर्देश जिनमें पुनर्रचना के लिए महत्वपूर्ण मानदंड शामिल हैं (उदाहरण के लिए पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई के सक्षम हो जाने की अधिकतम अवधि, प्रवर्तकों के न्यूनतम स्तर के त्याग आदि) भी निर्धारित करेगा तथा उनके सुचारु रूप से कार्य निष्पादन और ऋण पुनर्रचना के लिए निर्धारित समय अनुसूचियों का पालन सुनिश्चित करेगा। यह मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह और ऋण पुनर्रचना कक्ष के अलग-अलग निर्णयों की भी समीक्षा करेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच उन मामलों के निपटान के लिए विशेष व्यवहार हेतु दिशानिर्देश भी बना सकता है जो जटिल हैं तथा जिनमें उन पर कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक देरी होने की संभावना है।

2.5 कंपनी ऋण पुनर्रचना का मुख्य समूह (कोर ग्रुप) कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच में से बनाया जायेगा, जो स्थायी मंच की ओर से बैठकों के संयोजन और नीति संबंधी निर्णय लेने में स्थायी मंच की सहायता करेगा । इस मुख्य समूह में आईडीबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लि., बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक होंगे तथा भारतीय बैंक संघ के उपाध्यक्ष भी होंगे जो भारत में विदेशी बैंकों का प्रतिनिधित्व करते है।

2.6 कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह ऋण की पुनर्रचना के लिए कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। इन दिशा-निर्देशों में कंपनी ऋण पुनर्विन्यास अधिकारप्राप्त समूह की कार्यप्रणाली में अनुभव की गयी परिचालन संबंधी कठिनाइयों को उपयुक्त रूप से दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली को भेजे जाने वाले मामलों की जांच के लिए पर्ट(PERT) चार्ट भी निर्धारित करेगा तथा समय सीमा को लागू करने के तरीकों पर निर्णय लेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह ऐसे दिशा-निर्देश भी निर्धारित करेगा जिनसे यह सुनिश्चित हो कि पुनर्रचना प्रस्ताव तैयार/अनुमोदित करते समय अति आशावादी अनुमान (प्रोजेक्शन) नहीं किये जाते, विशेष रूप से क्षमता के उपयोग, उत्पाद की कीमत, लाभ मार्जिन, मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, आगत-निर्गत अनुपात तथा आयातों/अंतरराष्ट्रीय लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा के संभावित प्रभाव के संबंध में।

3. कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह

3.1 सीडीआर के अलग-अलग मामलों का निर्णय कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह द्वारा किया जायेगा, जिसमें आईडीबीआई लि., आईसीआईसीआई बैंक लि. और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि स्थायी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि तो होंगे ही जिनका संबंधित कंपनी के प्रति ऋण आदि जोखिम विद्यमान है । जहां स्थायी सदस्य समूह की बैठकों के संचालन को सुसाध्य बनाएंगे, वहीं वोटिंग केवल ऋणदाताओं के ऋण जोखिम के अनुपात में होगी। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह प्रभावशाली एवं व्यापक आधार वाला हो तथा कुशलतापूर्वक और सुचारु रूप से कार्य कर सके, इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सहभागी संस्थाएं /बैंक वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे पैनल को अनुमोदित करें जो कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह में उनका प्रतिनिधित्व करें और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए पैनल में से ही अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही, एक खाते से संबंधित बैठक में भाग लेने वाले नामिती को ही उस खाते से संबंधित सभी बैठकों में अनिवार्यतः भाग लेना चाहिए, न कि उनके प्रतिनिधियों को।

3.2 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से वरिष्ठ स्तर का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्था त्याग सहित ऋण पुनर्रचना की आवश्यक वचनबद्धताओं का पालन करती है। सहभागी संस्थाओं/बैंकों के संबंधित बोर्डों द्वारा कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह के प्रतिनिधियों के पक्ष में सामान्य प्राधिकरण होना चाहिए, जिसमें अलग-अलग कंपनियों के ऋण पुनर्रचना के संबंध में संगठन की ओर से निर्णय लेने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया हो।

3.3 उक्त अधिकारप्राप्त समूह सीडीआर कक्ष द्वारा उसे प्रस्तुत पुनर्रचना के अनुरोधों के सभी मामलों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार करेगा। अधिकारप्राप्त समूह द्वारा यह निर्णय किये जाने के बाद कि प्रथम दृष्टि में कंपनी की पुनर्रचना संभव है और स्थायी मंच द्वारा बनायी गयी नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार यह उद्यम संभाव्य रूप से अर्थक्षम है,

तो सी डी आर कक्ष द्वारा प्रमुख संस्था के सहयोग से विस्तृत पुनर्रचना पैकेज तैयार किया जायेगा। तथापि, यदि प्रमुख संस्थान के सामने विस्तृत पुनर्रचना पैकेज कार्यक्रम बनाने में कठिनाई आती है तो सहभागी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ऐसी वैकल्पिक संस्था/बैंक का निर्णय लेना चाहिए जो अधिकारप्राप्त समूह की पहली बैठक में, जब कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा हो, विस्तृत पुनर्रचना कार्यक्रम तैयार करेगा।

3.4 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह को ऋण की पुनर्रचना के प्रत्येक मामले को देखने, कंपनी की अर्थक्षमता तथा पुनर्व्यवस्था की संभावना की जांच करने तथा 90 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि अथवा अधिकारप्राप्त समूह को मामला प्राप्त होने के अधिक से अधिक 180 दिन के भीतर पुनर्रचना पैकेज को अनुमोदित करने का कार्य सौंपा जायेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह निम्नलिखित उदाहरणस्वरूप मानदंडों के आधार पर स्वीकार्य व्यवहार्यता आधार (बेंचमार्क) स्तर निश्चित करेगा, जो अलग-अलग मामले के गुणदोषों के आधार पर प्रत्येक मामले के आधार पर लागू होंगे

* लगायी गयी पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)
* ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात (डीएससीआर)
* प्रतिफल की आंतरिक दर और निधि की लागत के बीच अंतर
* परित्याग (सेक्रीफाइस) की सीमा

3.5 प्रत्येक बैंक /वित्तीय संस्था के बोर्ड द्वारा अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/या कार्यपालक निदेशक को प्राधिकृत किया जाना चाहिए कि वह कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के पास आने वाले मामलों के संदर्भ में नियंत्रण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं सहित पुनर्रचना पैकेज कार्यक्रम के बारे में निर्णय ले सके। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह प्रत्येक ऋण खाते के संदर्भ में दो या तीन बार मिलेगा। इससे सहभागी सदस्यों को उन मामलों के संदर्भ में जहां पुनर्रचना के जटिल महत्वपूर्ण मानदंड उन्हें दिये गये प्राधिकार की सीमा से ऊपर हैं, आवश्यकता होने पर अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक निदेशक से उचित प्राधिकार की मांग करने का अवसर प्राप्त होगा।

3.6 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह के निर्णय अंतिम होंगे। यदि ऋण की पुनर्रचना अर्थक्षम और संभाव्य पायी जाये और अधिकारप्राप्त समूह द्वारा स्वीकार की जाये, तो कंपनी को पुनर्रचना प्रणाली में रखा जायेगा। तथापि, यदि पुनर्रचना को अर्थक्षम नहीं पाया जाये, तो लेनदार प्राप्य राशि की तत्काल वसूली और/या समापन या कंपनी को बंद करने के लिए सम्मिलित रूप से या अलग-अलग आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष (सीआरडी कक्ष)

4.1 सीडीआर स्थायी मंच तथा सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह को उनके सभी कार्यों में एक कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। यह सीडीआर कक्ष ऋणकर्ताओं/ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों की, प्रस्तावित पुनर्रचना योजना और अन्य सूचना मंगवाकर प्रारंभिक संवीक्षा करेगा और मामले को सीडीआर अधिकारप्राप्त

समूह के समक्ष एक महीने के भीतर रखेगा, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि प्रथम दृष्टि में पुनर्रचना संभाव्य है या नहीं। यदि संभाव्य है, तो सीडीआर कक्ष ऋणदाताओं की सहायता से विस्तृत पुनर्रचना योजना तैयार करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से विशेषज्ञों को भी कार्य में लगायेगा। यदि मामला प्रथम दृष्टि में संभाव्य नहीं पाया जाता तो ऋणदाता अपनी प्राप्य राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

4.2 ऋणदाताओं या ऋणकर्ताओं द्वारा कंपनी ऋण पुनर्रचना के सभी मामले सी डी आर कक्ष को भेजे जायेंगे। अग्रणी संस्था /कंपनी के प्रमुख हितधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर प्रारंभिक पुनर्रचना योजना तैयार करें और एक महीने के भीतर सी डी आर कक्ष को प्रस्तुत करें। सीडीआर कक्ष सीडीआर स्थायी मंच द्वारा अनुमोदित सामान्य नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्रचना योजना तैयार करेगा तथा निर्णय के लिए 30 दिन के भीतर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष विचारार्थ रखेगा। अधिकारप्राप्त समूह उसे अनुमोदित कर सकता है या संशोधन का सुझाव दे सकता है, परंतु यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम निर्णय 90 दिन की कुल अवधि के भीतर ले लिया जाना चाहिए। तथापि, पर्याप्त कारण होने पर, यह अवधि सीडीआर कक्ष को मामला प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 180 दिन तक बढ़ायी जा सकती है।

4.3 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच, कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष का कार्यस्थल प्रारंभ में आईडीबीआई लि. में होगा और उसके बाद यदि आवश्यक समझा जाए तो स्थायी मंच द्वारा निर्णय किये गये स्थान पर अंतरित किया जा सकेगा। प्रशासनिक तथा अन्य लागतों में सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी का स्वरूप स्थायी मंच द्वारा तय किये गये रूप में होगा।

4.4 सीडीआर कक्ष के लिए पर्याप्त स्टाफ-सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। सीडीआर कक्ष बाहर के व्यावसायिकों की सहायता भी ले सकता है। सीडीआर कक्ष सहित कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र के परिचालन की लागत की पूर्ति मुख्य समूह (कोर ग्रुप) में रहने वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा ₹50 लाख की दर से तथा अन्य संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा ₹5 लाख की दर से अंशदान द्वारा की जायेगी।

5. अन्य विशेषताएं

5.1 पात्रता मानदंड

5.1.1 यह योजना उन खातों पर लागू नहीं होगी, जिनमें केवल एक वित्तीय संस्था या एक बैंक शामिल है। कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र में बैंकों और संस्थाओं द्वारा दिये गये ₹10 करोड़ और उससे अधिक के निधि आधारित और गैर निधि आधारित बकाया ऋण आदि जोखिम वाले कंपनी उधारकर्ताओं के बहुविध बैंकिंग खाते/समूहन/सहायता संघीय खाते शामिल होंगे।

5.1.2 श्रेणी 1 सीडीआर प्रणाली केवल उन्हीं खातों पर लागू होगी जिन्हें 'मानक' और 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी बैंक द्वारा ऋण का एक छोटा भाग ही संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। इस स्थिति में, यदि खाते को कम-से-कम 90 प्रतिशत ऋणदाताओं की बहियों में (मूल्य के अनुसार)

'मानक'/ 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो उसे 10 प्रतिशत शेष ऋणदाताओं की बहियों में सी डी आर के लिए पात्र के रूप में खाते का निर्णय करने के प्रयोजन के लिए ही मानक /अवमानक के रूप में माना जायेगा। सीडीआर प्रणाली को भेजने के पूर्व किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए खाते/कंपनी को रुग्ण, अनर्जक आस्ति होने या चूक वाली होने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अनर्जक आस्ति के अर्थक्षम संभाव्य मामलों को प्राथमिकता मिलेगी। इस दृष्टिकोण से आवश्यक लचीलापन मिलेगा और ऋण पुनर्रचना के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा। कोई मील का पत्थर निर्दिष्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऋण पुनर्रचना करने का कार्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा या उनकी सहमति से किया जा रहा है ।

5.1.3 जब कि किसी भी बैंक में धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त कार्पोरेटों को सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए अब तक की तरह अपात्र माना जाता रहेगा, प्रमुख समूह, जान बूझकर चूककरनेवालों को वर्गीकृत करने के कारणों की समीक्षा कर सकता है विशेषकर पुराने मामलों में जहां जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में एक उधारकर्ता का वर्गीकरण करना पारदर्शी नहीं था तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि उधारकर्ता जानबूझकर उधार करने वाली स्थिति को सुधारने की स्थिति में है, बशर्ते सीडीआर तंत्र के अंतर्गत उसे एक अवसर दिया जाए। ऐसे अपवाद स्वरूप मामले सिर्फ प्रमुख समूह के अनुमोदन से ही पुनर्रचना के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। प्रमुख समूह यह सुनिश्चित करे कि धोखाधड़ी या निधि के नाजायज इरादे के लिए विपथन के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थक्षम खातों के आर्थिक मूल्य को बचाये रखने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि धोखाधड़ी/ अपराध के मामले में, जहाँ वर्तमान प्रवर्तकों को नये प्रवर्तकों द्वारा प्रस्थापित किया गया है और जहाँ उधारकर्ता कंपनी पूर्व के प्रवर्तकों/ प्रबंधन से पूरी तरह संपर्क विच्छेद हो गया है, तो एनबीएफसी और जेएलएफ पूर्व प्रवर्तकों/ प्रबंधन के विरुद्ध जारी आपराधिक कार्रवाई से पूर्वाग्रह के बिना अपनी अर्थक्षमता के आधार पर ऐसे खातों के पुनर्रचना पर विचार करे। इसके अतिरिक्त ऐसे खाते स्वामित्व में परिवर्तन के पश्चात पुनर्वित्तीयन हेतु उपलब्ध आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए पात्र होगें; बशर्ते कि स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन "उधारकर्ता संस्थाओं (कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना से बाहर) के स्वामित्व में परिवर्तन पर पृडेंशियल मानदंड" विषय पर 24 सितंबर 2015 को जारी परिपत्र **उधारकर्ता संस्थाओं (कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना से बाहर) के स्वामित्व में परिवर्तन पर विवेकपूर्ण मानदंड** में दिये गए निर्देश के अनुसार हो। ऐसी आस्तियों के पुनर्रचना के संबंध में प्रत्येक एनबीएफसी अपने लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति और अपेक्षाएं तय करेगी।

5.1.4 ऐसे खाते जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी के खिलाफ वसूली मुकदमा दायर किया गया है, कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत मामले को निपटाने के लिए ऋणदाताओं के कम से कम 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) और ऋणदाताओं के 60 प्रतिशत (संख्या के अनुसार) द्वारा कार्रवाई करने का निर्णय लिया हो।

5.1.5 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के मामले कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए पात्र नहीं हैं। किंतु उक्त बोर्ड के उच्च मूल्य के मामले उस स्थिति में कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के पात्र होंगे जब कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह द्वारा विशेष रूप से उनकी सिफारिश की गयी हो। मुख्य समूह अपवादस्वरूप बीआइएफआर के मामलों की कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर सिफारिश करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण देनेवाली संस्थाएं पैकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के पहले बी आई. एफ. आर. से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करती हैं।

5.2 कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली को मामला भेजना

5.2.1 कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र को मामला निम्नलिखित द्वारा भेजा जा सकता है - (i) किसी एक या अधिक ऐसे जमानती ऋणदाता द्वारा जिसका कार्यकारी पूंजी या मीयादी वित्त में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंश है या (ii) संबंधित कंपनी द्वारा, यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा समर्थित हो जिसका उपर्युक्त (i) में दिये गये अनुसार हिस्सेदारी हो।

5.2.2 हालांकि लचीलापन उपलब्ध है, जिसके द्वारा ऋणदाता कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली की परिधि के बाहर पुनर्रचना पर विचार कर सकते हैं अथवा जहां आवश्यक हो, वहां कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं, फिर भी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऐसे सभी पात्र मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनमें वित्तीय प्रणाली का ऋण आदि जोखिम ₹100 करोड़ से अधिक है तथा इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि मामला कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली को भेजा जाए या नये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई की जाये या ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाये।

5.3 कानूनी आधार

5.3.1 सीडीआर प्रक्रिया एक गैर-सांविधिक प्रक्रिया होगी जो ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर - ऋणदाता करार (आइसीए) पर आधारित स्वैच्छिक प्रणाली होगी। कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र के लिए कानूनी आधार ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर-ऋणदाता करार द्वारा प्रदान किया जायेगा। ऋणकर्ता को या तो मूल ऋण के दस्तावेज तैयार करते समय (भविष्य के मामलों के लिए) अथवा कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष को मामला भेजते समय ऋणकर्ता - ऋणदाता करार को स्वीकार करना होगा। इसी तरह, स्थायी मंच की अपनी सदस्यता के माध्यम से सीडीआर तंत्र के सभी सहभागियों को, आवश्यक प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों सहित, निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रणाली को परिचालित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करार करना होगा। ऋणदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित आइसीए प्रारंभ में 3 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे उसके बाद और 3 वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। विदेशी मुद्रा में देश से बाहर ऋण प्रदान करनेवाले ऋणदाता सीडीआर प्रणाली में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ऋणदाता और जीआईसी, एलआईसी, यूटीआई आदि ऋणदाता जो सीडीआर प्रणाली में शामिल नहीं हुए

हैं, किसी कार्पोरेट विशेष की सीडीआर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए उन्हें कार्पोरेट से संबंधित ऋण आदि जोखिम के लिए लेनदेन-वार आईसीए पर हस्ताक्षर करना होगा।

5.3.2 अंतर-ऋणदाता करार अपेक्षित प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों के साथ ऋणदाताओं के बीच कानूनी बाध्यता का करार होगा, जिसमें ऋणदाताओं को सी डी आर तंत्र के विभिन्न तत्वों का पालन करने का उन्हें वचन देना होगा। साथ ही, ऋणदाताओं को इससे सहमत होना पड़ेगा कि यदि मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाता वर्तमान ऋण (अर्थात् बकाया ऋण) के पुनर्रचना पैकेज के लिए सहमत होते हैं, तो वही शेष ऋणदाताओं पर भी बाध्यकारी होगा। चूंकि सीडीआर योजना के वर्ग 1 में मानक और अवमानक खाते ही आते हैं जिनके संबंध में मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाताओं के विचार में सीडीआर पैकेज लागू होने के बाद ये निष्पादक हो सकते हैं, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि अन्य सभी ऋणदाता (अर्थात् न्यूनतम मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत से भिन्न) सहमत अतिरिक्त वित्तपोषण सहित समग्र सीडीआर पैकेज में शामिल होने के इच्छुक होंगे।

5.3.3 सीडीआर तंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए सहायता संघ/समूहन खातों के ऋण करारों में एक खंड जोड़ा जा सकता है, जिससे उन ऋणदाताओं सहित जो सीडीआर तंत्र के सदस्य नहीं हैं, सभी ऋणदाता इस बात के लिए सहमति दें कि वे पुनर्रचना आवश्यकता पड़ने पर सीडीआर तंत्र के अंतर्गत अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

5.3.4 ऋणकर्ता-ऋणदाता करार का एक महत्वपूर्ण तत्व दोनों ओर से 90 दिन या 180 दिनों के लिए बाध्यकारी 'स्टैंड स्टिल' करार होगा। इस खंड के अंतर्गत, ऋणकर्ता और ऋणदाता (ऋणदाताओं) दोनों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी 'स्टैंड स्टिल' के लिए सहमत होना पड़ेगा, जिससे दोनों पार्टियों को 'स्टैंड स्टिल' अवधि के दौरान किसी अन्य कानूनी कार्रवाई का सहारा न लेने का वचन देना होगा, ताकि न्यायिक अथवा अन्य किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना आवश्यक ऋण पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर तंत्र आवश्यक कदम उठा सके। परंतु स्टैंड स्टिल खंड ऋणकर्ता अथवा ऋणदाता द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध सिविल कार्रवाई के लिए लागू होगा, न कि किसी आपराधिक कार्रवाई के लिए। इसके अतिरिक्त, स्टैंड स्टिल की अवधि के दौरान बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं (फॉरवर्ड कंट्रेक्ट्स), डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आदि को निश्चित रूप (क्रिस्टेलाइजेशन) दिया जा सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता ऐसा करने के लिए सहमत हो। ऋणकर्ता यह अतिरिक्त वचन भी देगा कि स्टैंड स्टिल की अवधि के दौरान परिसीमन (लिमिटेशन) के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की परिसीमन अवधि विस्तारित हुई मानी जायेगी और यह भी कि वह राहत के लिए किसी अन्य प्राधिकारी के पास नहीं जायेगा और ऋणकर्ता कंपनी के निदेशक यथास्थिति की इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल से इस्तीफा नहीं देंगे।

5.4 अतिरिक्त वित्त का बंटवारा

5.4.1 'मानक' या 'अवमानक' खाते के सभी ऋणदाताओं द्वारा समानुपातिक आधार पर अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो, प्रदान करना होगा चाहे वे कार्यशील पूंजी ऋणदाता हों या मीयादी ऋणदाता। किसी आंतरिक कारण से कोई भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) अतिरिक्त वित्तपोषण नहीं करना चाहता, उस ऋणदाता को पैरा 5.6 के प्रावधानों के अनुसार एक विकल्प उपलब्ध होगा।

5.4.2 अतिरिक्त एक्सपोज़र के संबंध में वसूलियों से प्राप्त होनेवाले नकदी प्रवाहों पर अतिरिक्त वित्त प्रदान करनेवाले मौजूदा ऋणदाताओं अथवा नए ऋणदाताओं का विद्यमान वित्त के प्रदाताओं की अपेक्षा पहला अधिकार होगा और पुनर्रचना पैकेज में ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

5.5 प्रणाली से बाहर होने का विकल्प

5.5.1 जैसा कि पैराग्राफ 5.4.1 में उल्लेख किया गया है, किसी भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) जो किसी आंतरिक कारण से वित्त नहीं लगाना चाहता के लिए एक विकल्प उपलब्ध होगा। साथ ही, "फ्री राइडर" समस्या से बचने के लिए इस विकल्प को अपनाने के इच्छुक ऋणदाता के लिए कुछ निरुत्साहक कार्रवाई करना जरूरी है। ऐसे ऋणदाता चाहे तो (ए) नए या वर्तमान ऋणदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त वित्त में से अपने शेयर (हिस्से) की व्यवस्था करे या (बी) सीडीआर पैकेज प्रभावी हो जाने के बाद, प्रथम वर्ष के देय ब्याज को आस्थगित करने के लिए सहमत हो। ऊपर उल्लिखित आस्थगित प्रथम वर्ष का ब्याज, बिना चक्रवृद्धि ब्याज के, ऋणदाता को देय मूलधन की अंतिम किस्त के साथ अदा करना होगा।

5.5.2 इसके अतिरिक्त, प्रणाली से बाहर होने का विकल्प भी न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के अंतर्गत सभी ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा बशर्ते खरीदार, अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज का पालन करने के लिए सहमत हो। वर्तमान ऋणदाताओं को उधारकार्ता को उनके विद्यमान ऋण आदि जोखिम के स्तर पर रहने दिया जाए बशर्ते वे वर्तमान ऋणदाताओं के साथ या अतिरिक्त वित्त के अपने अंश को वहन करनेवाले नए ऋणदाताओं के साथ गठजोड़ करें।

5.5.3 पैकेज से बाहर जाने की इच्छा रखने वाले ऋणदाताओं को एक विकल्प है कि वे अपने विद्यमान शेयर, वर्तमान ऋणदाताओं या नए ऋणदाताओं को एक उचित मूल्य पर बेच सकते हैं, जो वर्तमान ऋणदाता और भारग्रहण करनेवाले नए ऋणदाता के बीच आपसी समझौते से तय किया जाएगा। नए ऋणदाताओं को चुकौती और प्राप्य राशि की सर्विसिंग के लिए समान स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्तमान ऋणदाता से विद्यमान प्राप्य राशि का है किया अधिग्रहण।

5.5.4 प्रणाली से बाहर जाने के विकल्प को अधिक लचीला बनाने के लिए पुनर्रचना पैकेज के एक हिस्से के तौर पर जहां आवश्यक हो वहां 'एक मुश्त निपटान' करने पर भी विचार किया जा सकता है। यदि उधारकर्ता द्वारा किसी ऋणदाता के किसी खाते को सीडीआर तंत्र में भेजने से पहले 'एक मुश्त निपटान' के अधीन कर दिया जाता है, तो

पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऐसे किसी भी 'एक मुश्त निपटान' की पूरित प्रतिबद्धता को नहीं उलटा जाए । ऐसे 'एक मुश्त निपटान' से निकलने वाली आगे की भुगतान प्रतिद्धताओं को पुनर्रचना पैकेज में फैक्टर किया जाएगा।

5.6 श्रेणी 2 सीडीआर प्रणाली

5.6.1 ऐसे मामले भी हुए हैं जहां परियोजना को ऋणदाताओं द्वारा संभाव्यता वाली परियोजना के रूप में माना गया, परंतु खातों को सी डी आर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए इसलिए नहीं लिया जा सका कि वे 'संदिग्ध' की श्रेणी में आते थे। अतः सीडीआर की दूसरी श्रेणी का ऐसे मामलों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारंभ किया गया जहां खातों को ऋणदाता द्वारा बहियों में 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋणदाताओं का न्यूनतम 75 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) और 60 प्रतिशत (संख्या के आधार पर) खातों की संभाव्यता से संतुष्ट होकर ऐसे पुनर्रचना के लिए सहमत है:

(i) ऋण पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऋणदाता के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पैकेज द्वारा निर्धारित अतिरिक्त वित्तपोषण को स्वीकार करे और ऋण देने अथवा न देने का निर्णय प्रत्येक ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्था पर अलग से निर्भर होगा । दूसरे शब्दों में, सीडीआर तंत्र के प्रस्तावित केवल विद्यमान ऋण पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा और यह प्रायोजक पर निर्भर है कि अतिरिक्त वित्तपोषण की व्यवस्था विद्यमान ऋणदाताओं से की जाये अथवा नये ऋणदाताओं से।

(ii) सीडीआर प्रक्रिया संबंधी अन्य सभी मानदंड, जैसे कि स्टैंड स्टिल खंड, सीडीआर के अंतर्गत पुनर्रचना लंबित रहने की अवधि के दौरान आस्ति वर्गीकरण की स्थिति आदि इस श्रेणी के लिए भी लागू होते रहेंगे।

5.6.2 कोई एकल मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को न भेजा जाए। सीडीआर कोर समूह यह निर्णय ले सकता है कि कोई विशिष्ट मामला सीडीआर दिशा-निर्देशों के अधीन आता है अथवा नहीं।

5.6.3 सीडीआर प्रणाली की अन्य सभी विशिष्टताएं जो प्रथम श्रेणी के लिए प्रयोज्य हैं, वे सभी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापित मामलों के लिए भी लागू होंगी।

5.7 'प्रतिदान का अधिकार' खंड का समावेश

सीडीआर अनुमत सभी पैकेजों में त्वरित गति से चुकौती करने के ऋणदाताओं के अधिकार और समय से पहले भुगतान करने के उधारकर्ताओं के अधिकार को शामिल करना चाहिए। सभी पुनर्रचना पैकेजों में आवश्यक रूप से पर मानदंड कार्यनिष्पादन निश्चित के उधारकर्ता यह तथा जाए किया शामिल को क्लॉज "अधिकार का क्षतिपूर्ति" में मामले भी किसी चाहिए। होना आधारित, न्यूनतम 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि ऋणदाता से वसूल किया जाना चाहिए तथा कुछ मामले जहां ऋण दर को केवल पुनर्रचना सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है वहां 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि वसूल किया जाए।

बी. लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण पुनर्रचना प्रणाली

लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) द्वारा लिए गए ऋणों की पुनर्रचना के लिए सीडीआर प्रणाली के अलावा एक और काफी सरल प्रणाली विद्यमान है । सीडीआर प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के परिचालनगत नियम संबंधित बैंकों को ही बनाने हैं । यह प्रणाली उन सभी उधारकर्ताओं पर लागू होगी जिनका बहु/सहायता संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ₹10 करोड़ तक का निधिक तथा निधीतर बकाया है । इस व्यवस्था के मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं

(i) इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पृडेंशियल मानदंडों के भीतर एसएमई के लिए एक ऋण पुनर्रचना योजना बना सकते हैं। बैंक चाहें तो एसएमई के भीतर ही भिन्न क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के लिए भिन्न नीतियां बना सकते है ।

(ii) योजना बनाते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि योजना समझने में आसान है और उसमें कम-से-कम इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं।

(iii) योजना का मुख्य आधार यह है कि जिस बैंक का अधिकतम बकाया है वह ऐसे बैंक के साथ मिलकर पुनर्रचना पैकेज बना सकता है जिसका बकाया राशि में दूसरा सर्वाधिक हिस्सा है ।

(iv) बैंकों को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर पुनर्रचना पैकेज बनाकर उसका कार्यान्वयन करना चाहिए।

(v) एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली किसी भी प्रकारजुड़े से कार्यकलाप के सभी उधारकर्ताओं को उपलब्ध होग ।

(vi) एसएमई खातों के पुनर्वास तथा पुनर्रचना में हुई प्रगति की बैंक तिमाही आधार पर समीक्षा करेंगे और बोर्ड को अवगत कराएंगें।

परिशिष्ट -III-D

पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

Sl. No.	पुनर्रचना का प्रकार		सीडीआर पद्धति के तहत					एसएमई कर्ज पुनर्रचना पद्धति के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल
	ब्योरा																					
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते) प्रारंभिक आंकड़े*(	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
2	वर्ष के दौरान की गई नई पुनर्रचना	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
3	वित्तीय वर्ष के दौरान मानक श्रेणी पुनर्रचना कर अद्यतन किया गया	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
4	पुनर्रचना मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्च प्रावधानीकरण तथा/या अतिरिक्त जोखिम भार को प्रभावित करने से रोकता हो और उसे अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्रचना मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए।	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
5	वित्तीय वर्ष के दौरान निम्न ग्रेड किया गया पुनर्रचनागत खाते	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन किया गया प्रावधान																				
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्रचनागत खाते	उधारकर्ताओं की संख्या																				

Sl. No.	पुनर्रचना का प्रकार		सीडीआर पद्धति के तहत					एसएमई कर्ज पुनर्रचना पद्धति के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल
	ब्योरा																					
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
7	वित्तीय वर्ष के को मार्च 31 खाते पुनर्रचित (*आंकड़े समाप्ति)	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन किया गया प्रावधान																				

* मानक पुनर्रचना खातो को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण अथवा जोखिम भार को प्रभावित नहीं करती है (होतो लागू यदि)

अनुबंध IV

वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनरुद्धारित करने के लिए रूपरेखा

1. बढते एनपीए को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्य योजना

1.1 दबाव की जल्द पहचान करना तथा इसकी रिपोर्टिंग बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजीटरी (सीआरआईएलसी) को करना ।

1.1.1 ऋणदाता चूक[61] होते ही निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों को विशेष उल्लेखित खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके ऋण खातों में आसन्न दबाव की पहचान करेंगे।

एसएमए उप –श्रेणी	**वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय**
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए -1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 180 दिनों तक

1.1.2 पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी 13 फरवरी 2014 के अपने परिपत्र **बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजीटरी (सीआरआईएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन** में बैंक द्वारा सूचित किया गया था कि रिज़र्व बैंक ने बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण (सीआरआईएलसी), स्टोर तथा ऋणदाता के ऋण डाटा का आदान-प्रदान के लिए सेंट्रल रिपोजीटरी की स्थापना की गई। सभी एनबीएफसी-फैक्टर, एनबीएफसी-डी तथा जमा न लेने वाली ₹500 करोड़ और उससे अधिक परिसंपत्ति आकार की सभी एनबीएफसी (संक्षेप में अधिसूचित एनबीएफसी) को को प्रासंगिक ऋण जानकारी सीआरआईएलसी को रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। डाटा में सभी उधारकर्ताओं के रू5 करोड़ तथा उससे अधिक का समग्र निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक्सपोजर और उधारकर्ता की एसएमए स्थिति शामिल होना चाहिए।

1.1.3 अधिसूचित एनबीएफसी को एसएमए-1 और एसएमए-0 के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों का ध्यानपूर्वक निगरानी करना चाहिए, क्योंकि यह खातों के कमजोरी का प्रारंभिक सावधानी प्रतीक होते है। कमियों को शीघ्र दूर करने हेतु उधारकर्ताओं के साथ मामले को उठाएं। तथापि, एक अथवा एक से अधिक उधारदाता बैंकों/अधिसूचित एनबीएफसी द्वारा खातों को यथा शीघ्र एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट करना, यह अनिवार्य रूप से संयुक्त ऋणदाताओं के फोरम (जेएलएफ) और संरचना के परिशिष्ट IV-A के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट सुधारात्मक कार्रवाई योजना(सीएपी)

[61] चूक से तात्पर्य ऋण का भुगतान न किए जाने से है(आईबीसी के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार), जब देनदार या कार्पोरेट देनदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा लिया गया ऋण पूर्णत: या ऋण के किसी भाग या किश्त राशि का एक हिस्सा देय और भुगतान योग्य होने पर भुगतान न किया गया हो।

(अनुबंध-बी) के निरुपण को गति प्रदान करेगा। अधिसूचित एनबीएफसी को समुचित प्रबंधन सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली को आवश्यक रूप से एक स्थान पर रखना चाहिए ताकि किसी भी खाते में 60दिनों से अधिक बकाया मूलधन अथवा ब्याज को 61वें दिन एसएमए-2 के रूप में रिपोर्टिंग किया जा सके

1.2 **त्वरित प्रावधानीकरण**

1.2.1 ऐसे मामलों में जहां अधिसूचित एनबीएफसी, सीआरआईएलसी को खाते का एसएमए स्थिति रिपोर्ट करने में विफल होती है अथवा खाते की वास्तविक स्थिति को जानबूझकर गुप्त रखती है अथवा खाते को हमेशा सतत दिखाती है, ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को इन खातो के प्रति त्वरित प्रावधानीकरण करना चाहिए और/अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गैर निष्पादित खातो के संबंध में वर्तमान प्रावधानीकरण मानदंड तथा संशोधित त्वरित प्रावधानीकरण निम्न प्रकार से है:

परिसंपत्ति वर्गीकरण	एनपीए की अवधि	एनबीएफसी के लिए एनपीए की अवधि	एनबीएफसी वर्तमान प्रावधानीकरण* (%)	बैंकों और प्रस्तावित एनबीएफसी के लिए संशोधित त्वरित प्रावधानीकरण (%)
उप –मानक (प्रतिभूत)	6 माह तक			कोई परिवर्तन हीं
	6 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से डेढ वर्ष तक	प्रतिभूत तथा गैर प्रतिभूत के लिए 10	25
उप-मानक (गैर प्रतिभूत नए सिरे से)	6 माह तक	--		25
		--		
	6 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से डेढ वर्ष तक	10	40
		6 माह से डेढ वर्ष तक	10	
संदिग्ध ।	द्वितीय वर्ष	एक वर्ष तक (प्रतिभूत भाग)	20	40 (प्रतिभूत भाग)
		एक वर्ष तक (गैर प्रतिभूत भाग)	100	100 (गैर प्रतिभूत भाग)
		1-3 वर्ष	प्रतिभूत भाग के लिए 30 तथा गैर प्रतिभूत भाग के लिए 100	एनबीएफसी उक्त को अंगीकृत कर सकती है अर्थात 40 और 100
संदिग्ध ॥	तृतीय और चतुर्थ वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	गैर प्रतिभूत भाग के लिए 100 तथा प्रतिभूत भाग के लिए 50	प्रतिभूत तथा गैर प्रतिभूत दोनो के लिए 100
संदिग्ध ।॥	पांच वर्ष तथा उससे आगे के लिए			100

1.2.2 इसके अतिरिक्त, कोई उधारदाता जो जेएलएफ द्वारा सीएपी के तहत पुनर्रचना के निर्णय के लिए सहमत है तथा अंतर क्रेडिटर करार (आईसीए) और डेबटर क्रेडिटर करार (डीसीए) का हस्ताक्षरकर्ता है, किंतु बाद में अपने रूख में परिवर्तन करता है अथवा पैकेज के कार्यान्वयन में विलम्ब/मना करता है वह भी इस उधारकर्ता के लिए अपने एक्सपोजर पर उक्त विनिर्दिष्ट त्वरित प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के अधीन होंगे; अर्थात - यदि यह एनपीए के रूप में वर्गीकृत है। यदि खाता उन उधारदताओं के बही में मानक है तब प्रावधानीकरण आवश्यकता 5% होगी। इसके अतिरिक्त, उधारदाता द्वारा ऐसी कोई भी बैकट्रैकिंग से पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति के दौरान नकरात्मक पर्यवेक्षी दृष्टिकोण बनेगा।

1.2.3 वर्तमान में, परिसंपत्ति वर्गीकरण का आधार अलग- अलग एनबीएफसी की वसूली अभिलेख पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक एनबीएफसी के स्तर पर परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति के आधार पर प्रावधानीकरण किया जाता है। तथापि, यदि उधारदाता जेएलएफ का संयोजन करने में विफल होता है अथवा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सामान्य सीएपी के सहमति पर विफल होता है तब उक्त विनिर्दिष्ट के अनुसार खाता त्वरित प्रावधानीकरण के अधीन होगा, यदि खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत है तो। यदि खाता उन उधारदताओं के बही में मानक है तब प्रावधानीकरण आवश्यकता 5% की होगी।

2. बोर्ड निगरानी

2.1 एनबीएफसी के निदेशक मंडल को उनके बही में परिसंपत्ति की गुणवत्ता ह्रास को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति को बेहतर बनाने के लिए ध्यान देना होगा। उधारदाता की सक्रियता से परिसंपत्ति गुणवत्ता में समस्या की जल्द पहचान की जा सकती है जो संरचना में आवश्यक निहित समाधान है तथा सीआरआईएलसी का उपयोग कर इसे जल्द से जल्द परिचालनगत बनाया जाए।

2.2 बोर्ड यह सुनिश्चित करें कि ऋण सूचना का समय पर प्रावधान और सीआरआईएलसी से ऋण सूचना प्राप्त करना, शीघ्र जेएलएफ का निर्माण, जेएलएफ प्रक्रिया की निगरानी के लिए नीति बनाया जाए तथा उक्त नीति की आवधिक समीक्षा की जाए।

3. ऋण जोखिम प्रबंधन

3.1 अधिसूचित एनबीएफसी को ऋण के सभी मामलों में अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण और ऋण मूल्यांकन घटक अपनाना चाहिए तथा वाह्य सलाहकार, विशेषकर उधारकर्ता संस्था के इन-हाउस सलाहकार द्वारा तैयार ऋण मूल्यांकन रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें सूक्ष्म रूप से जांच/ परिप्रेक्ष्य विवेचना करना चाहिए, विशेषकर बुनियादी परियोजनाओं में जहां विलम्ब के साथ साथ परियोजना की लागत में बढोत्तरी होती है। सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) तय करते समय परियोजना की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए चर्चा करना सहायक होगा। एनबीएफसी को प्रोमोटर्स/शेयरधारकों द्वारा उपलब्ध की गई इक्विटी पूंजी की स्रोत तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। बहु लीवरेजिंग

एक चिंता का विषय है विशेषकर बुनियादी परियोजनाओं में क्योंकि यह वित्तीय अनुपात जैसे कर्ज/इक्विटी अनुपात, उधारकर्ता के चयन में प्रतिकूल भूमिका को छद्मवार प्रभावित करता है। अत: एनबीएफसी को ऋण मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल कंपनी के कर्ज को सहायक/एसपीवी के इक्विटी पूंजी में समावेशित नहीं किया जाए।

3.2 ऋण मूल्यांकन के समय अधिसूचित एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी का कोई निदेशक का नाम डीआईएन/पीएएन आदि के संदर्भ में चूककर्ता की सूची में प्रदर्शित नहीं है। इसके अतिरिक्त, समरूप नाम के मामले में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो एनबीएफसी को उधारकर्ता कंपनी से घोषणा पत्र लेने के बजाए अपने स्वतंत्र माध्यम से पहचान की पुष्टि करनी चाहिए।

3.3 उक्त के अलावा, अधिसूचित एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि निधि का उचित उपयोग और उधारकर्ता द्वारा निधि का अपयोजन/साइफन की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए, एनबीएफसी को उधारकर्ता के लेखा परीक्ष द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर भरोसा किए बिना स्वयं अपने लेखा परीक्षकों को ऐसे प्रमाणीकरण कार्य में शामिल करना चाहिए। तथापि, यह एनबीएफसी के लिए मामले में स्वयं का न्यूनतम तत्परता का विकल्प नहीं है।

परिशिष्ट IV-A

1. संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) का गठन

1.1 अधिसूचित एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि उधारदाताओं ने सीआरआईएलसी को एक खाता के एसएमए-2 के रूप में होने की सूचना दी है तो यदि खाते में कुल निवेश (एई) 100 करोड़ रूपये और ऊपर है [निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक साथ] तो जल्द ही अनिवार्य रूप से संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) कहलाने वाली समिति का गठन करना चाहिए। उधारदाताओं के पास एक जेएलएफ़ बनाने का विकल्प तब भी होता है जब एक खाते में एई 1000 मिलियन रुपये से कम और / या खाता एसएमए -0 या एसएमए-1 के रूप में रूप में होने की सूचना दी है।

1.2 कंसोर्टियम खातों के लिए मौजूदा कंसोर्टियम व्यवस्था जेएलएफ़ के रूप में काम करेगी जिसमे कंसोर्टियम नेता संयोजक के रूप में काम करेगा, विविध बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के खातों के लिए उच्चतम एई के साथ ऋणदाता जल्द से जल्द जेएलएफ़ बुलाएगा और खाते पर क्रेडिट सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाएगा। होगी । एक उधारकर्ता के लिए उधारदाताओं के कई संघ होने पर(कार्यशील पूंजी और अवधि के ऋणों के लिए अलग कंसोर्टियम) ऐसे मामले में उच्चतम एई के साथ ऋणदाता जेएलएफ़ आयोजित करेगा।

1.3 उधारकर्ता आसन्न तनाव के कारण प्रमाण आधार के साथ जेएलएफ़ के गठन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।जब इस तरह का अनुरोध एक ऋणदाता द्वारा प्राप्त होता है तो ऐसे खाते को सीआरआईएलसी को एसएमए-0 के रूप में सूचित किया जाना चाहिए, और ऋण दाता को कुल निवेश (एई) 1000 मिलियन रूपये के ऊपर है होने पर जल्द ही संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) का गठन करना चाहिए। हालांकि स्पष्ट किया जाता है कि एसएमए -0 रिपोर्टिंग के अन्य मामलों में वर्तमान में जेएलएफ़ का गठन वैकल्पिक है ।

1.4 सभी उधारदाताओं को जेएलएफ़ के कामकाज के लिए व्यापक नियम शामिल कर एक समझौता तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) एक मास्टर जेएलएफ़ समझौते और जेएलएफ़ के लिए परिचालन दिशा निर्देश को तैयार करेंगे जिसे सभी उधारदाताओं द्वारा अपनाया जा सकता है । जेएलएफ़ को खाते में अनियमितताओं / कमजोरियों को ऋण लेने वाले द्वारा ठीक करने की संभावना का पता लगाना चाहिए। जेएलएफ़ वित्तपोषित परियोजना के कार्यान्वयन में एक भूमिका है रखने वाले केंद्र / राज्य सरकार / परियोजना अधिकारियों / स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते है।

1.5 जेएलएफ़ गठन और बाद की सुधारात्मक कार्रवाई 100 करोड़ एवं अधिक के एई होने वाले खातों में अनिवार्य हो जाएगा जबकि अन्य मामलों में भी उधारदाताओं को बारीकी से संपत्ति की गुणवत्ता पर नजर रखने और प्रभावी समाधान के लिए उचित समझी जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

2 जेएलएफ़ द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (कैप)

2.1 जेएलएफ़ खाते में तनाव को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा सकता है। इरादा एक विशेष संकल्प विकल्प जैसे भुगतान अनुसूची पुनबनाना : या वसूली को प्रोत्साहित करना नहीं है बल्कि आर्थिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य के साथ ही उधारदाताओं के ऋण संरक्षित करने के लिए जल्दी और संभव समाधान पर पहुंचना है। जेएलएफ़ द्वारा कैप के तहत विकल्प मे आम तौर पर शामिल होगा:

2.1.1 **सुधार** - खाते को नियमित करने के लिए ऋण लेने वाले से एक विशिष्ट प्रतिबद्धता प्राप्त करना ताकि खाते एसएमए स्थिति से बाहर आए या एनपीए की श्रेणी में नहीं जाए। प्रतिबद्धता को आवश्यक समय अवधि के भीतर और मौजूदा उधारदाताओं की ओर से किसी भी नुकसान या बलिदान को शामिल किए बिना पहचान योग्य नकदी प्रवाह के द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि मौजूदा प्रमोटर अतिरिक्त पैसे लाने या खाते को नियमित करने की स्थिति में नहीं हैं तो जेएलएफ़ को उधारकर्ता के परामर्श से कंपनी के लिए कुछ अन्य इक्विटी/ रणनीतिक निवेशकों को मिलने की संभावना की तलाश करनी चाहिए । इन उपायों का उद्देश्य संस्था / कंपनी के ऋण के नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना सुधार करना है । जेएलएफ़ अगर आवश्यक हो तो सुधार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ऋण लेने के लिए आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है। हालांकि यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त वित्तपोषण खाता कभी एवर ग्रीनिंग के उद्देश्य से प्रदान नहीं की है ।

(बी) पुनर्गठन – यदि प्रथम दृष्टया व्यवहार्य है तो खाते के भुगतान अनुसूची पुन: बनाने पर विचार होना चाहिए और इसके लिए धन का डाइवर्जन, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इस स्तर पर उनके व्यक्तिगत गारंटी देने के लिए प्रमोटरों से प्रतिबद्धता जो उनकी निवल मूल्य के स्टेटमेंट के साथ संपत्ति को कानूनी हक की प्रतियां द्वारा समर्थित और इस घोषणा के साथ प्राप्त किया जा सकता है कि वे जेएलएफ़ की अनुमति के बिना संपत्ति का निपटान करने वाला किसी भी प्रकार का लेन - देन का नहीं करेंगे । ऋण की सुरक्षा / वसूली को प्रभावित करने वाला उधारकर्ताओं द्वारा प्रतिबद्धता से कोई भी विचलन वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक वैध कारक के रूप में माना जा सकता है। इस कार्रवाई के स्थायी होने के लिए, जेएलएफ़ में उधारदाताओं को एक इंटर ऋणदाता करार (आईसीए) पर उधारकर्ता को देनदार ऋणदाता करार (डीसीए) पर हस्ताक्षर करने चाहिए जिससे किसी भी भुगतान अनुसूची पुन: बनाने की प्रक्रिया को कानूनी आधार मिलेगा । आईसीए और डीसीए द्वारा निगमित ऋण रिस्ट्रक्चर(सीडीआर) तंत्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रारूप को उपयुक्त बदलाव के साथ यदि आवश्यक हो अपनाया जा सकता है। इसके अलावा, एक स्टैंड स्टील' प्रावधान भुगतान अनुसूची पुनकी बनाने : सहज प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए डीसीए में निर्धारित किया जा सकता है। 'स्टैंड स्टील' प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि उधारकर्ता को उधारदाताओं को भुगतान करने से रोका गया है । आईसीए निर्धारित कर सकते हैं कि अंतिम समाधान से दोनों सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार सहमत हो।

2.1.3 **वसूली -** पहले ऊपर के दो विकल्प 2.1.1 और 2.1.2 संभव नहीं है, तो वसूली की प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। जेएलएफ़ उपलब्ध विभिन्न कानूनी और अन्य वसूली विकल्पों मे से प्रयासों और परिणामों के अनुकूलन के अनुसार सबसे अच्छा वसूली की प्रक्रिया तय कर सकते हैं।

2.2 जेएलएफ़ में न्यूनतम मूल्य से 75% लेनदारों और संख्या से 60%लेनदारों के सहमति से निर्णय से खाते के भुगतान अनुसूची पुनके बनाने : लिए आगे बढ़ने के लिए आधार के रूप में विचार किया जाएगा और आईसीए की शर्तों के तहत सभी उधारदाताओं पर बाध्यकारी होगा। हालांकि यदि जेएलएफ़ वसूली के साथ आगे बढ़ने का फैसला लेता है तो बाध्यकारी निर्णय के लिए किसी भी प्रासंगिक कानूनों / अधिनियमों के तहत न्यूनतम मानदंड लागू होगा।

2.3 जेएलएफ़ को (i) एक या एक से अधिक ऋणदाता के द्वारा खाते को एसएमए-2 के रूप में सूचित किया जा रहा है या (ii) उधारकर्ता द्वारा उपयुक्त आधार के साथ, यदि उसे आसन्न तनाव का पता चलता है, जेएलएफ़ बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हो से 30 दिनों के भीतर कैप के लिए अपनाया जाने वाले विकल्प पर एक समझौते पर पहुंचना आवश्यक होगा। जेएलएफ़ को ऐसे समझौते पर पहुंचने की तिथि से अगले 30 दिनों के भीतर विस्तृत अंतिम कैप से बाहर निकलना चाहिए ।

2.4 यदि जेएलएफ़ 2.1.1 और 2.1.2 विकल्प पर फैसला लेता है, लेकिन खाता विकल्प 2.1.1 और 2.1.2 के तहत सहमत शर्तों के अनुसार प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो जेएलएफ़ को विकल्प 2.1.3 के तहत वसूली आरंभ करना चाहिए ।

(3) पुनर्गठन की प्रक्रिया

3.1 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनबना :ने पर रिजर्व बैंक की वर्तमान प्रूडेंशियल दिशा निर्देश व्यक्तिगत और / व्यवस्था कंसोर्तीयम के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली और मानक निर्धारित करते है। निगमित ऋण रिस्ट्रक्चरतंत्र (सीडीआर) बैंकों और एनबीएफसी के द्वारा व्यक्तिगत और अग्रिमों कंसोर्तीयम / की भुगतान अनुसूची पुनबना :ने के लिए एक संस्थागत ढांचा है जिसमें लेनदार लेन - देन आधारित समझौतों पर हस्ताक्षर करके शामिल हो सकते हैं ।

3.2. जेएलएफ़ कैप के रूप में खाते की भुगतान अनुसूची पुनबना :ने का निर्णय लेता है तो, इसे उपरोक्त पैरा 2.1 के तहत भुगतान अनुसूची पुनबना :ने का निर्णय लेने के बाद इसे सीडीआर सेल या सीडीआर तंत्र से स्वतंत्र प्रणाली अपनाने का विकल्प होगा।

3.3 जेएलएफ़ द्वारा पुनर्गठन

3.3.1 यदि जेएलएफ़ सीडीआर तंत्र से स्वतंत्र किसी खाते का भुगतान अनुसूची पुन: बनाने का फैसला करता है तो जेएलएफ़ को विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन करना चाहिए, और व्यवहार्य पाया गया, तो अंतिम कैप से साइन ऑफ करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के पैकेज को अंतिम रूप देना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा 2.3 में बताया गया है।

3.3.2 ₹500 करोड़ से कम की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के पैकेज को जेएलएफ़ की मंजूरी होनी चाहिए और कार्यान्वयन के लिए सूचना अगले 15 दिनों के भीतर उधारदाताओं द्वारा उधारकर्ताओ को दी जानी चाहिए।

3.3.3 ₹500 करोड़ और उससे अधिक की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त टीईवी अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज एक स्वतंत्र मूल्यांकन समिति (आईईसी)[62] द्वारा मूल्यांकन के अधीन होना होगा। आईईसी यह सुनिश्चित करने के बाद व्यवहार्यता पहलुओं पर गौर करेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग के मामले उधारदाताओं के लिए निष्पक्ष हैं। आईईसी के लिए जेएलएफ़ को 30 दिन की अवधि के भीतर इन मामलों में अपनी सिफारिश देने के लिए आवश्यक होगा। इसके बाद, आईईसी के मत पर विचार कर जेएलएफ़ रिस्ट्रक्चरके साथ आगे जाने का फैसला करती है तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज उधारदाताओं और ऋण लेने वाले के बीच परस्पर सहमति से सभी नियमों और शर्तों सहित, सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होगा और कार्यान्वयन के लिए अगले 15 दिनों के भीतर उधारकर्ता को सूचित करना होगा।

3.3.4 मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत लागू परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ सीडीआर तंत्र के तहत रिस्ट्रक्चर किया गया खातो पर लागू होगा। इस प्रयोजन के लिए जेएलएफ़ के गठन की तारीख को खाते का परिसंपत्ति वर्गीकरण ध्यान में लिया जाएगा।

3.3.5 उपर्युक्त समय सीमा अधिकतम अनुमत समय अवधि हैं और जेएलएफ़ को सरल रिस्ट्रक्चरिंग के मामलों में जल्द से जल्द एक रिस्ट्रक्चर पैकेज पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए।

3.3.6 जेएलएफ़ द्वारा एक या एक से अधिक उधारदाताओं द्वारा केवल मानक, एसएमए या उप मानक के रूप में सूचित रिस्ट्रक्चर संपत्ति के मामलों किया जाएगा। आम तौर पर संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत कोई खाता रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जेएलएफ़ द्वारा विचार किया जाना चाहिए, मामलों में जहां ऋण का एक छोटा सा हिस्सा संदिग्ध है यदि कम से कम 90% लेनदारों (मूल्य से) की बहियो में खाते मानक / उप मानक है तो खाता रिस्ट्रक्चर करने के लिए जेएलएफ़ के तहत विचार किया जा सकता है।

3.3.7 खाते की व्यवहार्यता जेएलएफ़ द्वारा अपने निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता मानक पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के रूप में, पैरामीटर मे डेट इक्विटी अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, लिक्विडिटी / वर्तमान अनुपात और रिस्ट्रक्चर किए गए अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के एवज में आवश्यक प्रावधान की राशि आदि शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, जेएलएफ़ इन निर्देशों में उल्लिखित सीडीआर तंत्र द्वारा अपनाई व्यवहार्यता मापदंडों को मानक मान सकते हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अलग प्रदर्शन संकेतक को ध्यान मे लेकर उपयुक्त समायोजन कर अपना सकते है।

---

[62] आईईसी का गठन और स्वतंत्र विशेषज्ञों के लिए फीस के भुगतान पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा फैसला किया जाएगा।

3.4 सीडीआर सेल को जेएलएफ़ द्वारा भेजा गया रिस्ट्रक्चरिंग

पैरा 2.1 के तहत रिस्ट्रक्चर करने का निर्णय लिए जाने के बाद यदि जेएलएफ़ खाते को सीडीआर सेल के पास भेजने का फैसला करता है तो निम्न प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

(i) चूंकि खाते की प्रारंभिक व्यवहार्यता पर पहले से ही जेएलएफ़ द्वारा निर्णय लिया गया है, सीडीआर सेल को सीधे जेएलएफ़ के परामर्श से और जेएलएफ़ के संदर्भ की तारीख से 30 दिनों के भीतर तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग योजना तैयार करना चाहिए ।

(ii) कम से कम ₹500 करोड़ की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त रिस्ट्रक्चर पैकेज की मंजूरी के लिए सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह (ईजी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मौजूदा निर्देशों के तहत, सीडीआर ईजी अनुमोदन या संशोधनों के सुझाव दे सकता है कि लेकिन सुनिश्चित करे कि अंतिम निर्णय सीडीआर सेल के संदर्भ की तारीख से 90 दिनों की कुल अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए जिसे 180 दिनों की अधिकतम करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, जेएलएफ़ द्वारा सीडीआर सेल में भेजे मामलों को अंत में अगले 30 दिनों के भीतर सीडीआर ईजी द्वारा तय करना होगा। यदि सीडीआर ईजी द्वारा अनुमोदित हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए अगले 30 दिनों के भीतर ऋण लेने वाले को सूचना दी जानी चाहिए।

(iii) ₹500 करोड़ और उससे अिधक की एई वाले खातो के लिए, उपर्युक्त टीईवी अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज एक स्वतंत्र मूल्यांकन सिमित (आईईसी) द्वारा मूल्यांकन केअधीन होना होगा। पैराग्राफ 3.3.3 मे दिये अनुयासर आईईसी का गठन और अन्य विवरण भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अलग से बैंको को सूचित किया जाएगा। आईईसी यह सुनिश्चित करने के बाद व्यवहार्यता पहलु पर गौर करेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग के मामले उधारदाताओ के लिए निष्पक्ष हैं। आईईसी के लिए जेएलएफ़ को 30 दिन कि अवधि के भीतर इन मामलो में अपनी सिफारिश देने कि अपेक्षा होगी। इसके बाद, आईईसी के मत पर विचार कर जेएलएफ़ रिस्ट्रक्चरिंग के साथ आगे जाने का फैसला करती हैं तो इसे सीडीआर सेल को अग्रेषित किया जाएगा और सीडीआर सेल द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को आईईसी से मत प्राप्ति के कुल 7 दिनों के भीतर सीडीआर ईजी को सूचित किया जाएगा । उसके पश्चात् सीडीआर ईजी अगले 30 दिनों के भीतर अनुमोदन/संशोधन/अस्वीकृति के लिए निर्णय लेगा । यदि सीडीआर ईजी द्वारा अनुमोदित हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और कायान्र्वयन के लिए अगले 30 दिनों के भीतर ऋण लेने वाले को सूचना दी जानी चाहिए।

4. जेएलएफ/सीडीआर सेल द्वारा पुनर्रचना से संबंधित अन्य मुद्दे/शर्तें।

4.1 जेएलएफ और सीडीआर दोनो पद्धति के तहत, पुनर्रचना पैकेज भी टाइमलाइन में निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके दौरान व्यवहार्य माइलस्टोन (जैसे समय अवधि यथा 6 माह अथवा 1 वर्ष और उसके बाद भी निश्चित वित्तीय अनुपात में सुधार) को प्राप्त किया जा सके। जेएलएफ खाते का माइलस्टोन प्राप्त करना/नहीं प्राप्त करने के संबंध में

अनिवार्य आवधिक समीक्षा किया जाए तथा वसूली के उपाय जैसा उचित समझा जाए को शामिल करते हुए समुचित उपाय प्रारंभ करने पर विचार किया जाए।

4.2 जेएलएफ अथवा सीडीआर के तहत विनिर्दिष्ट समय अवधि में पुनर्रचना को पूरा किया जाना है। जेएलएफ तथा सीडीआर सेल का विनिर्दिष्ट टाइमलाइन में बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए ताकि समग्र समय सीमा भंग ना हो। पुनर्रचना के किसी भी प्रणाली में यदि जेएलएफ/सीडीआर को गतिविधि के लिए निर्धारित सीमा से कम समय लगता है तो अन्य गतिविधि के लिए शेष समय का उपयोग पर निर्णय लिया जा सकता है बशर्ते समग्र समय सीमा भंग ना हो।

4.3 पुनर्रचना का सामान्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि शेयर धारक, डेट धारक के बजाए पहला हानि वहन करें। इस सिद्धांत के आलोक में तथा प्रोमोटर्स का "स्कीन इन द गेम/ इसमें बने रहना" को सुनिश्चित करने के लिए, जेएलएफ/सीडीआर को ऋण पुनर्रचना करते समय निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करना चाहिए:

(i)प्रोमोटर्स द्वारा उधारदाता के उठाए गए हानि की प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी के इक्विटी का हस्तांतरण की संभावना;

(ii) प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में और इक्विटी डालना चाहिए;

(iii) प्रोमोटर्स का धारित प्रतिभूति न्यासी का अंतरण अथवा कंपनी के कायापलट तक निलंबन की व्यवस्था। इससे प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन होगा जो उधारदाता के हित में होगा।

4.4 ऐसे मामलों में जहां उधारकर्ता ने गतिविधि का विविधीकरण अथवा विस्तार किया हो जिसके परिणाम स्वरूपग्रुप के मूल कारोबार पर दबाव बनता हो और ऐसी स्थिति में गैर-मूल आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों की बिक्री के लिए पुनर्रचना खातो हेतु एक क्लॉज निर्धारित किया जाए कि खाता टीईवी अध्यय के तह्त गैर-मूल गतिविधि तथा अन्य आस्तियों की व्यवहार्यता की बन्द होने की संभावना है।

4.5 सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया का पुनर्रचना हेतु उधारदाता प्रारंभ से अपनी हानि/त्याग की क्षतिपूर्ति हेतु कंपनी की अग्रिम इक्विटी जारी कर भरपाई कर सकती है बशर्ते मौजूदा विनियम और सांविधिक आवश्कताओं को पूरा किया जाए। ऐसे माम्लों में, पुनर्रचना करार में क्षतिपूर्ति का अधिकार के किसी क्लॉज को शामिल करने नहीं किया जाए। तथापि, यदि उधारदाता के त्याग की पूर्ण भरपाई इक्विटी जारी कर नहीं होता है तो कम समय के विस्तार में क्षतिपूर्ति का अधिकार को शामिल किया जा सकता है। गैर सूचिबद्ध कंपनियों के लिए इक्विटी जारी करना अथवा उचित "क्षतिपूर्ति का अधिकार" क्लॉज के लिए जेएलएफ विकल्प होगा।

4.6 प्रतिभूत उधारदाताओं, अंशत: प्रतिभूत उधारदाता और गैर प्रतिभूत उधारदाता के लिए उपलब्ध प्रतिभूति हित में अंतर स्थापित करने के लिए जेएलएफ/सीडीआर निम्न भिन्न विकल्पों के अनुसार विचार कर सकते है:

(i) पुनर्भुगतान संबंधि उधारदाताओं की उक्त श्रेणी के बीच आईसीए का अग्रिम करार; मंजूर वाटरफाल पद्धति के अनुसार;

(ii) प्रतिभूत क्रेडिटर का अग्रिम निर्धारण करते हुए संरचित करार;

(iii) निश्चित पूर्व सहमति व्यक्त अनुपात में प्रतिभूत, अंशत: प्रतिभूत और गैर प्रतिभूत उधारदाताओं के बीच पुनर्भुगतान प्रक्रिया का विनियोजन।

उक्त सूची के वल उदाहरण के लिए है तथा परस्पर स्वीकृति विकल्प के आधार पर जेएलएफ निर्णय ले सकते है। यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि एक उधारदाता के पास बेहत प्रतिभूत विकल्प हो सकता है जब वह एक उधारकर्ता के पास अथवा इसके विपरित मामले में अन्य उधारकर्ता के पास जाता है। अत: यह लाभार्थी होगा यदि उधारदाता साथी उधारदाताओं की चिंताओं को समझता है और आर्थिक मूल्य के संरक्षण के आलोक में पारस्परिक रूप से सहमत विकल्प तह पहुंचते है। एक विकल्प पर सहमति होने के बाद उधारदाता के पास बडा एक्सपोजर होगा जो एक बार पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन पर सहमत शर्तों के अनुसार संवितरण को सुनिश्चित करने में लीड(प्रमुख) करेगा।

4.7 पृडेंशियल मानदंड और परिचालनगत ब्योरों के संबंध में, सीडीआर पद्धति पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिशानिदेश का विस्तार उन तक लागू होगा जो इन दिशानिदेशों के साथ असंगत नहीं है।

5. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर पृडेंशियल मानदंड

5.1 जेएलएफ/सीडीआर द्वारा पुनर्रचना प्रस्ताव पर विचार करते समय, साम्न्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होगा। आस्ति पुन: वर्गीकरण प्रक्रिया को केवल इसलिए नहीं रोका जाए कि जेएलएफ/सीडीआर द्वारा पुनर्रचना प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

5.2 तथापि, पुनर्रचना पैकेज का त्वरित कार्यान्वयन को बढावा देने के लिए, इन दिशानिदेशों के तहत खातो का पुनर्रचना करने के लिए मौजूदा दिशानिदेश के अनुसार खातो का पुनर्रचना पर विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध होगा, बशर्तें उक्त पैरा 3.3 तथा 3.4 में वर्णित पुनर्रचना पैकेज का समग्र समय सीमा क्ली मंजूरी का पालन किया जाए और मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के अंदर मंजूर पैकेज का कार्यान्वयन किया जाए। जेएलएफ के गठन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण अंतिम पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति तय करने के लिए प्रासंगिक तारीख होगी। इस निदेश में सूचित इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना ऋणों के संबंध में सभी पुनर्रचना के लिए विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) में परिवर्तन संबंधित प्रावधानों के अपवाद सहित 1 अप्रैल 2015 से वापस लिया जाएगा।

5.3 इन दिशानिदेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा उधारकर्ताओं द्वारा क्रेडिट के संबंध में गैर अनुशासन को हतोत्साहित करने के लिए, दिशानिदेशों के प्रावधानों (इन दिशानिदेश में वर्णित) को लागू किया जाए।

अनुबंध V
बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

1.अवसंरचना/महत्वपूर्ण उद्योगों को दीर्घ परिपक्वता, जैसे 25 वर्ष वाले ऋणों को निम्नानुसार संरचित किया जा सकता हैः:

(i) परियोजना की मूलभूत व्यवहार्यता सभी अपेक्षित वित्तीय और वित्तेतर मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाएगी, विशेषतः ब्याज कवरेज अनुपात (ईबीआईडीटीए/ब्याज का बड़ा भुगतान जिसमें ऋण चुकाने की क्षमता और ऋण की अवधि के दौरान चुकौती करने के सामर्थ्य का उल्लेख किया गया हो;

(ii) ऋण की दीर्घतर परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष (परियोजना का लाभप्रद जीवनकाल/रियायती अवधि के भीतर) में परिशोधन (परिशोधन कार्यक्रम) के साथ शेष ऋण का आवधिक पुनर्वित्तीयन (ऋण सुविधा का पुनर्वित्तपोषण), जिसकी अवधि समग्र परिशोधन अवधि के भीतर प्रत्येक पुनर्वित्त के साथ तय की जा सकती है, की अनुमति दी जाएगी;

(iii) इसका अर्थ यह होगा कि परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते समय एनबीएफसी को व्यवहार्य परियोजना के रूप में परियोजना को स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी, जहां औसत कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात (डीएससीआर) और अन्य वित्तीय और वित्तेतर मानदंड एक लंबी परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष (परिशोधन कार्यक्रम) के लिए स्वीकार्य होंगे, लेकिन निधीयन (प्रारंभिक ऋण सुविधा) केवल 5 वर्ष के लिए दी जाएगी और शेष ऋण के लिए विद्यमान या नए ऋणदाताओं द्वारा या बांडों के माध्यम से भी ऋण सुविधा के पुनर्वित्तपोषण की अनुमति दी जाएगी; तथा

(iv) इनमें से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पुनर्वित्त (ऋण सुविधा का पुनर्वित्तीयन) मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुसार यथानिर्धारित कम राशियों का होगा।

2. एनबीएफसी द्वारा अवसंरचना और महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की दीर्घावधि परियोजनाओं के नई वित्तीयन पर, जैसाकि ऊपर पैरा 1 में सुझाया गया है, आपत्ति नहीं होगी, बशर्तेः

(i) केवल रिज़र्व बैंक की अवसंरचना क्षेत्र की सुसंगत मास्टर सूची के अंतर्गत परिभाषितअवसंरचना परियोजनाएं तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों (आधारः 2004-2005) की सूची में शामिल महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं (अर्थात् कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, लौह (मिश्रधातु + अमिश्रधातु), सीमेंट तथा विद्युत – इनमें से कुछ क्षेत्र, जैसे उर्वरक, बिजली उत्पादन, वितरण और संचरण (ट्रंसमिशन) आदि अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में भी शामिल हैं) को प्रदत्त मीयादी ऋण ऐसे पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे;

(ii) ऐसी परियोजनाओं के प्रारंभिक मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करते हुए कि दबावपूर्ण परिदृश्यों में भी ऐसी परियोजनाओं के नकद प्रवाह और अन्य सभी आवश्यक वित्तीय और वित्तेतर मानदंड सुदृढ़ रहते हैं, एनबीएफसी एक परिशोधन कार्यक्रम हैं। सकते कर निर्धारित (कार्यक्रम परिशोधन मूल)

(iii) सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गतअवसंरचना परियोजनाओं के मामले में परिशोधन अनुसूची की अवधि प्रारंभिक रियायत अवधि के 80% (अंत का 20% छोड़कर) अथवा गैर-पीपीपीअवसंरचना परियोजनाओं के मामले में उपभोक्ता प्रभार/ प्रभार निर्धारित करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवनकाल का 80%, अथवा अन्य महत्वपूर्ण उद्योग परियोजनाओं के मामले में ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परियोजना मूल्यांकन के समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) प्रारंभिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाली एनबीएफसी मध्यम अवधि, जैसे 5 से 7 वर्ष के लिए ऋण मंजूर कर सकता है। इसमें प्रारंभिक निर्माण काल का ध्यान रखना चाहिए तथा कम से कम वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) और राजस्व जुटाने तक की अवधि को भी शामिल करना चाहिए। इस अवधि के अंत में चुकौती (मूल परिशोधन कार्यक्रम के शेष अवशिष्ट भुगतान के बराबर वर्तमान मूल्य) की संरचना एकमुश्त भुगतान के रूप में की जा सकती है, जिसमें यह इरादा पहले से विनिर्दिष्ट किया गया हो कि इसे पुनर्वित्त किया जाएगा। यह चुकौती पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में उसी ऋणदाता अथवा नए ऋणदाताओं के समूह अथवा इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा कॉर्पोरेट बांड जारी करके की जा सकती है तथा परिशोधन अवधि के अंत तक ऐसे पुनर्वित्तीयन को दोहराया जा सकता है।

(v) प्रारंभिक ऋण सुविधा का चुकौती कार्यक्रम सामान्यतः मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए, बशर्ते डीसीसीओ की अवधि बढ़ाई न गई हो। ऐसे मामलों में, लागू निर्देशों के अनुसार, यदि संशोधित डीसीसीओ की अवधिअवसंरचना और गैर-बुनियादी संरचना के लिए मूल डीसीसीओ की तारीख से क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष के भीतर हो, तो केवल डीसीसीओ की अवधि बढ़ाने के बराबर या उससे कम अवधि का परिणामी परिवर्तन (संशोधित चुकौती अवधि की शुरुआती और अंतिम तारीख को शामिल करते हुए) भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित हों अथवा विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए उनमें बढ़ोतरी की गई हो, तथा संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आरंभिक आर्थिक जीवनकाल के 85% (कृपया निम्नलिखित 1 देखें) के भीतर निर्धारित किया गया हो, जैसाकि ऊपर पैरा 2(iii)में निर्धारित किया गया है;

(vi) परियोजना ऋण का परिशोधन कार्यक्रम ऋण की अवधि (डीसीसीओ के बाद) के दौरान एक बार संशोधित किया जा सकता है। यह संशोधन वित्तीय क्लोजर के दौरान लगाए गए अनुमानों की तुलना में परियोजना के वास्तविक कार्य-निष्पादन के आधार पर 'पुनर्रचना' न मानते हुए किया जाएगा, बशर्ते:

(ए) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण होना चाहिए।

(बी) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन से पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समान रहता है; तथा

(सी) संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आर्थिक जीवन काल के 85% (कृपया निम्नलिखित 1 देखें) के भीतर निर्धारित किया जाता है, जैसाकि ऊपर पैरा 2(iii) में बताया गया है।

(vii) यदि प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त सुविधा किसी भी स्तर पर एनपीए बन जाती है, तो आगे पुनर्वित्त रोक देना चाहिए तथा जब यह एनपीए होता है, तब जो एनबीएफसी ऋण धारण करती है, उससे अपेक्षित है कि वह ऋण को एनपीए माने तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। जब खाता एनपीए स्थिति से बाहर आ जाएगा, तब वह इन अनुदेशों के अनुसार पुनिर्वत्त के लिए पात्र होगा;

(viii) एनबीएफसी प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त ऋण सुविधा की मंजूरी के प्रत्येक स्तर पर ऋण के प्रत्येक चरण की जोखिम के अनुरूप ऋण का मूल्य-निर्धारण (ब्याज निर्धारण) कर सकते हैं तथा ऐसा मूल्य उसकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार होना चाहिए;

(ix) एनबीएफसी को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;

(x) एनबीएफसी को अपने आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभ में ऋणों के आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के अंत में बकाया ऋण के एकमुश्त भुगतान से नकद प्रवाह की गणना करने की अनुमति दी जाएगी; तथापि प्राप्त अनुभव के आधार पर बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऐसे ऋणों के परिशोधन के नकद प्रवाहों का व्यवहारवादी अध्ययन करें और तदनुसार उन्हें अपने एएलएम विवरण में रखें;

(xi) जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से एनबीएफसी को यह मानना चाहिए कि अन्य एनबीएफसी/उधारदाताओं द्वारा ऋण को पुनर्वित्त नहीं करने की संभावना हो सकती है तथा चलनिधि आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय, तथा दबाव परिदृश्यों के लिए इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, जब तक अन्य एनबीएफसी/उधारदाताओं द्वारा आंशिक या पूर्ण पुनर्वित्तीयन का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो जाता, ऐसे पुनर्वित्त के नकद प्रवाहों को चलनिधि अनुपात की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, एक बार प्रतिबद्ध होने के बाद पुनर्वित्त प्रदान करने वाले एनबीएफसी/उधारदाताओं को भी अपने चलनिधि अनुपातों की गणना करते समय ऐसे नकद प्रवाह को हिसाब में लेना चाहिए; तथा

(xii) एनबीएफसी के पास ऐसे वित्तीयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

3. इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और महत्वपूर्ण उद्योगों के विद्यमान परियोजना ऋणों पर आवधिक पुनर्वित्तीयन के विकल्प के साथ लचीली संरचना की भी अनुमति है:

(i) केवल ऐसी परियोजनाओं को मीयादी ऋण, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत मास्टर सूची में परिभाषित है) तथा महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र (भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों (आधार: 2004-05) की सूची में शामिल) के सभी संस्थागत ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर ₹500 करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसी लचीली संरचना और पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र होंगे;

(ii) एनबीएफसी को परियोजना नकद प्रवाह के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर विद्यमान परियोजना ऋणों के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) के बाद परियोजना के जीवन काल में एक बार नया परिशोधन कार्यक्रम नियत कर सकते हैं। इसको पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते:

ए. ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण है;

बी. ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन के पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समान है;

सी. सरकारी –निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम प्रारंभिक छूट अवधि का 85 प्रतिशत (शेष 15 प्रतिशत भाग छोड़ कर); अथवा गैर- पीपीपी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में प्रयोक्ता प्रभारों/दरों का निर्धारण करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय परिकल्पितप्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत अथवा अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में परियोजना मूल्यांकन के समय ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परिकल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत होना चाहिए; तथा

डी. अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए दिनांक 21 मार्च 2014 की संरचना के अंतर्गत परियोजना की व्यवहार्यता का एनबीएफसी द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा इसके लिए गठित स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा जांचा गया है।

(iii) यदि किसी परियोजना ऋण को उपर्युक्त पैरा 3(ii) के अनुसार नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम नियत करने की तारीख को 'पुनर्रचित मानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम तय करने की वर्तमान कवायद को पुनर्रचना के दोहराव की घटना नहीं माना जाएगा, फिर भी ऋण का पुनर्रचित मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण जारी रखना चाहिए। ऐसी आस्तियों का उन्नयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए खातों की पुनर्रचना पर विद्यनमान पृडेंशियल दिशानिर्देशों द्वारा संचालित किया जाएगा;

(iv) ऊपर उल्लिखित नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम में उसके बाद होने वाले कोई परिवर्तन विद्यमान पुनर्रचना मानदंडों के अधीन होंगे;

(v) परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद एनबीएफसी परियोजना मीयादी ऋणों को आवधिक (जैसे 5 से 7 वर्ष) रूप से पुनर्वित्त प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद चुकौती (चुकौतियां)(मूल्य में नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप शेष अवशिष्ट भुगतान के समान) को पुनर्वित्त किए जाने का इरादा पहले से विनिर्दिष्ट करते हुए एकबारगी चुकौती के रूप में संरचित किया जा सकता है। पुनर्वित्तीयन उसी ऋणदाता द्वारा अथवा नए ऋणदाताओं के समूह द्वारा अथवा दोनों के संयोग द्वारा अथवा पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में कॉर्पोरेट बांड जारी करके किया जा सकता है, और ऐसा पुनर्वित्तीयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अंत तक दोहराया जा सकता है। पैरा 3 (ii) के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य संबंधी प्रावधान परियोजना मीयादी ऋण के आवधिक पुनर्वित्तीयन के समय लागू नहीं होंगे;

(vi) यदि परियोजना मीयादी ऋण या पुनर्वित्त ऋण सुविधा किसी भी समय अनर्जक आस्ति बन जाए तो आगे पुनर्वित्त को रोक देना चाहिए। जिस समय ऋण अनर्जक आस्ति बनता है, उस समय उक्त ऋण-धारणकर्ता एनबीएफसी से अपेक्षित है कि ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में मान्यता दे तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। एक बार खाते के अनर्जक आस्ति स्थिति से बाहर आ जाने के बाद उसे इन अनुदेशों के अनुसार पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र माना जाएगा;

(vii) एनबीएफसी ऋण के प्रत्येक चरण के जोखिम के अनुसार परियोजना ऋण के प्रत्येक चरण पर ऋण का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं ,तथा ऐसा मूल्य निर्धारण बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार होना चाहिए;

(viii) एनबीएफसी को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;

(ix) एनबीएफसी को अपनी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभिक रूप से आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद बकाया ऋण के एकबारगी भुगतान को नकद प्रवाह की गणना में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी ; तथापि होने वाले अनुभव के आधार पर एनबीएफसी से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऋण के ऐसे परिशोधन के नकद प्रवाहों के व्यवहारों का अध्ययन करें तथा तदनुसार उन्हें अपने आस्ति-देयता प्रबंधन विवरणों में दर्शाएं;

(x) एनबीएफसी को जोखिम प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह संभव है कि अन्य उधारदाताओं द्वारा ऋण का पुनर्वित्तीयन नहीं किया जाएगा ,तथा चलनिधि आवश्यकताओं तथा दबाव परिदृश्यों का आकलन करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए ;तथा

(xi) ऐसे वित्तपोषण के लिए एनबीएफसी के पास अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना ऋण की लचीली संरचना के उक्त संरचना के अनुसार एनबीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विद्यमान परियोजना ऋणों, जिन्हें 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को दीर्घावधि ऋण परिशोधन उपलब्ध करा सकते हैं। तथापि, ऐसी व्यवस्था को 'पुनर्रचना' माना जाएगा तथा ऐसी आस्तियों को 'अनर्जक आस्तियां' माना जाता रहेगा। ऐसे खातों का उन्नयन केवल तभी किया जा सकता है जब खाते के सभी बकाया ऋण/सुविधाएं 'विनिर्दिष्ट अवधि' (जैसा कि खातों की पुनर्रचना पर विद्यमान पृडेंशियल दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) के दौरान संतोषजनक रूप से बने रहे हों, अर्थात् उक्त अवधि के दौरान खाता में दी गई सभी सुविधाओं के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी भुगतान की शर्तों के अनुसार हुई हों। तथापि, आवधिक पुनर्वित्त सुविधा की अनुमति केवल उपस्थिति में दी जाएगी, जब खाता उपर्युक्त पैरा 3(vi) में निर्धारित किए गए अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत हो।

5. यह दोहराया जाता है कि लचीली संरचना और पुनर्वित्त शुरुआत केवल वाणिज्यिक परिचालन होने की तारीख (डीसीसीओ) के बाद ही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, (यथा, "ऋण-स्थगन, यदि कोई हो, सहित पुनर्रचित अग्रिमों की चुकौती अवधि इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष तथा अन्य अग्रिमों के मामले में 10 वर्ष से अधिक

नहीं हो") इस परिपत्र की परिधि के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा महत्वपूर्ण उद्योग परियोजना के लिए किसी भी ऋण पर पुनर्रचना दिशानिर्देशों के अंतर्गत विशेष आस्ति वर्ग के लाभ लेने के लिए लागू नहीं होंगे।

नोटः

1 पैराग्राफ 2(iii) में उल्लिखित परियोजना ऋण के परिशोधन की 80% उच्चतम सीमा में प्राप्ति में देरी की स्थिति में डीसीसीओ को केवल 5% की उपयोगिता काल की छूट दी जा सकती है। एनबीएफसी मूल ऋणमुक्ति शिड्यूल का निर्धारण करते समय उसका विचार कर सकती है।

अनुबंध VI
चलनिधि जोखिम प्रबंधन[63] रुपरेखा पर दिशानिर्देश.

जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी जिनकी आस्ति `100 करोड़ और इससे अधिक की हो, मूल निवेश कंपनियां और जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी नीचे उल्लेख किए गए दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगी। यह बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्थापित किया जाने वाला आंतरिक नियंत्रण पर्यवेक्षी समीक्षा के अधिन होगा। इसके अतिरिक्त विवेक को ध्यान में रखते हुए अन्य एनबीएफसी को चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर इन दिशानिर्देशों को ऐच्छिक आधार पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दिशानिर्देश चलनिधि जोखिम प्रबंधन रुपरेखा की निम्नलिखित पहलुओं को संबोधित करता हैः

1. चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति, कार्यनीति और कार्य-प्रणालियां
2. प्रबंधन सूचना तंत्र (एम.आई.एस)
3. आंतरिक नियंत्रण
4. परिपक्वता रूपरेखा
5. चलनिधि जोखिम प्रबंधन-स्टॉक दृष्टिकोण
6. करेंसी जोखिम
7. ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन
8. चलनिधि जोखिम निगरानी के साधन

1. चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति, कार्यनीति और कार्य-प्रणालियां

स्वस्थ एवं सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, एनबीएफसी के बोर्ड चलनिधि जोखिम प्रबंधन तंत्र तैयार करे जो यह सुनिश्चित करे कि संबंधित एनबीएफसी पर्याप्त चलनिधि[64] बनाए रखती है तथा इसमें ऋण भार रहित, उच्च गुणवता वाली तरल आस्तियां की गुंजाइश है जिससे कि यह विभिन्न प्रकार की दबाव घटनाओं जिनमें जमानती और गैर जमानती वित्तपोषण स्रोतों की हानि या नुकसान भी शामिल है का सामना कर सके। यह संस्था के स्तर पर चलनिधि जोखिम सहनशीलता, वित्त पोषण की कार्यनीति, पृडेंशियल सीमाएं, चलनिधि की माप, आकलन, रिपोर्टिंग / समीक्षा करने की प्रणाली, दबाव जांच हेतु तंत्र, वैकल्पिक परिदृश्य / औपचारिक आकस्मिक

---

[63] "चलनिधि जोखिम" का तात्पर्य एनबीएफसी की उस अक्षमता से है जो एनबीएफसी के किसी दायित्व को उसकी वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किये बिना पूरा कर सकती है। प्रभावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन आवश्यकता पड़ने पर एनबीएफसी के किसी दायित्व को निभाना सुनिश्चित करता है और प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को कम करता है।

[64] "चलनिधि" का तात्पर्य है आस्तियों की वृद्धि के लिए निधि प्रदान करना और अपेक्षित तथा अनपेक्षित नकदी एवं संपार्श्विक दायित्वों का निर्वहन उचित मूल्य पर तथा अस्वीकार्य हानि के बिना पूरा कर पाना।

निधि योजना, प्रबंधन रिपोर्टिंग की प्रकृति एवं आवृत्ति, चलनिधि प्रक्षेपण में इस्तेमाल किए गए धारणा की आवधिक समीक्षा इत्यादि की स्पष्ट व्याख्या करता हो।चलनिधि जोखिम प्रबंधन तंत्र के मुख्य तत्व नीचे प्रस्तुत हैः-

1.1 चलनिधि जोखिम प्रबंधन का प्रशासनः

किसी भी जोखिम प्रबंधन प्रकिया के सफलतापूर्वक लागू करने का दायित्व एनबीएफसी के उच्च प्रबंधन का है तथा उसे आधारभूत परिचालन एवं कार्यनीति निर्णय प्रक्रिया को जोखिम प्रबंधन से एकीकृत करने के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी। पैराग्राफ़ 95 की शर्तों के अधीन एनबीएफ़सी द्वारा नियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी चलनिधि जोखिमों की पहचान करने, मापने और उसे कम करने की प्रक्रिया में शामिल रहेगा। चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए वांछित संगठनात्मक ढाँचा निम्नानुसार होगा:

1.1.1 निदेशक बोर्डः चलनिधि जोखिम के प्रबंधन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक बोर्ड की होगी। बोर्ड अपने द्वारा निर्धारित चलनिधि जोखिम सहनशीलता/सीमाओं के अनुसार चलनिधि जोखिम के प्रबंधन हेतु एनबीएफसी की कार्यनीति, कार्ययोजना और कार्य-पद्धतियां तय करेगा।

1.1.2 आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ**) -** ए.एल.सी.ओ में एनबीएफसी के उच्च प्रबंधन अधिकारी शामिल रहेंगे। ए.एल.सी.ओ की जिम्मेदारी होगी कि वह बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता/सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा साथ ही एनबीएफसी की चलनिधि जोखिम प्रबंधन कार्यनीति को भी लागू करे। सीईओ/एम.डी या कार्यकारी निदेशक (ईडी) समिति के अध्यक्ष होंगे। निवेश, क्रेडिट, संसाधन प्रबंधन या आयोजना, निधि प्रबंधन/कोष (विदेशी विनिमय /घरेलू), आर्थिक अनुसंधान के प्रमुख समिति के सदस्य होंगे। चलनिधि जोखिम के संदर्भ में ए.एल.सी.ओ की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ वांछित परिपक्वता प्रोफाइल एवं वृद्धिशील संपत्ति एवं देयताओं के मिश्रण, वित्तपोषण के स्रोत के रूप में आस्ति की बिक्री, चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संरचना, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण पर निर्णय लेना और सभी शाखाओं की चलनिधि स्थिति पर नजर रखना भी शामिल रहेंगें।

1.1.3 आस्ति देयता प्रबंधन (ए.एल.एम) सहयोग समूहः- ए.एल.एम सहयोग समूह में परिचालन स्टाफ होंगे तथा यह चलनिधि जोखिम प्रोफाइल के विश्लेषण, निगरानी और ए.एल.सी.ओ को रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी सहायता समूहों का गठन एनबीएफसी में चलनिधि जोखिम प्रबंधन के आकार एवं जटिलता पर निर्भर करेगा।

1.2 चलनिधि जोखिम सहनशीलता

एनबीएफसी के पास चलनिधि जोखिम की पहचान करने, मापन करने, निगरानी करने एवं नियंत्रित करने के लिए सुद्दढ़ प्रक्रिया होनी चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से चलनिधि जोखिम सहनशीलता अपनानी चाहिए जो इसके व्यवसायिक कार्यनीति और वित्तीय प्रणाली में इसकी भूमिका के अनुसार उचित हो। वरिष्ठ प्रबंधन इस प्रकार के जोखिम सहनशीलता के अनुसार चलनिधि जोखिम के प्रबंधन के लिए कार्यनीति तैयार करे तथा एनबीएफसी द्वारा पर्याप्त चलनिधि बनाए रखना सुनिश्चित करे।

1.3 चलनिधि लागत, लाभ एवं आंतरिक मूल्य निर्धारण में जोखिम

एनबीएफसी द्वारा चलनिधि लागत एवं लाभ की मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि इसे आंतरिक उत्पाद मूल्य निर्धारण, प्रदर्शन माप, सभी प्रमुख बिजनेस लाइन, उत्पाद एवं गतिविधियों के लिए नव उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।

1.4 तुलन पत्र से इतर ऋण जोखिम तथा आकस्मिक देयताएः चलनिधि जोखिम की पहचान करने, माप करने, निगरानी करने एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया में उचित समय सीमा के दौरान आस्तियों, देयताओं, एवं तुलन पत्र से इतर के मदों से उत्पन्न होने वाली नकदी प्रवाह को व्यापक रूप से प्रक्षेपित करने के लिए सुदृढ़ तंत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए। दबाव के समय क्रियान्वित किये जाने के समय अनेक एनबीएफसी द्वारा चलनिधि जोखिमों की पहचान करने में होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रयोजन माध्यम, वित्तीय व्युत्पन्नियाँ तथा गारंटी एवं प्रतिबद्धता के संबंध में कुछ विशेष प्रकार के तुलन पत्र से इतर चलनिधि जोखिमों के प्रबंधन पर विषेश रूप से महत्व देना।

1.5 वित्तपोषण कार्यनीतिः- विविध वित्तपोषण

एनबीएफसी को वित्तपोषण कार्यनीति स्थापित करनी चाहिए जो वित्तपोषण के स्रोत और परिपक्वता काल में प्रभावी विविधिकरण प्रदान करती हो। वित्तपोषण स्रोत के प्रभावी विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसे अपने चयनित वित्तपोषण मार्केट में वर्तमान उपस्थिति और निधि प्रदाताओं से अपने मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए। एनबीएफसी को प्रत्येक स्रोत से शीघ्रता से निधि एकत्र करने की अपनी क्षमता का नियमित रूप से आकलन करते रहना चाहिए। वित्तपोषण के एकल स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। वित्तपोषण कार्यनीति में विशिष्ट बाजार स्थितियों में जमा निकासी (जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए) के केंद्रित व्यवहार का गुणात्मक आयाम और विशिष्ट व्यावसायिक मॉडल के कारण वित्तपोषण के अन्य स्रोतों पर अत्याधिक निर्भरता का भी ध्यान रखना चाहिए।

1.6 पार्श्विक स्थिति प्रबंधन

एनबीएफसी द्वारा ऋणग्रस्त और गैर -ऋणग्रस्त संपत्तियों को पृथक करके अपनी सांपर्श्विक स्थिति का सक्रियता से प्रबंध करना चाहिए। विधिक इकाई और भौतिक जगह जहां सांपर्श्विक रखा गया है उसकी निगरानी करनी चाहिए और इसे समयबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाने पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक एनबीएफसी के पास अपने अपेक्षित एवं अनपेक्षित ऋण आवश्यकताओं तथा विभिन्न समयावधि में मार्जिन आवश्यकताओं में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक होना चाहिए।

1.7 दबाव परीक्षणः दबाव परीक्षण सम्पूर्ण अभिशासन प्रणाली तथा चलनिधि जोखिम प्रबंधन संस्कृति का अभिन्न अंग होना चाहिए। एनबीएफसी द्वारा विविध प्रकार के अल्पावधि और प्रलंबित एनबीएफसी विनिर्दिष्ट और पूरे बाजार में दबाव परिदृश्य (अलग-अलग एवं संयुक्त रूप से) की नियमित आधार पर दबाव जांच की जानी चाहिए। चलनिधि दबाव परिदृश्य की रूपरेखा तैयार करते समय, एनबीएफसी व्यवसाय, गतिविधियों एवं अरक्षितता पर भी विचार किया

जाना चाहिए ताकि परिदृश्य में प्रमुख वित्तपोषण एवं बाजार चलनिधि जोखिम जिससे एनबीएफसी असुरक्षित हैं, उसको भी शामिल किया जा सके।

1.8 आकस्मिक वित्तपोषण योजनाः गंभीर व्यवधानों का सामना करने के लिए एनबीएफसी द्वारा आकस्मिक वित्तपोषण योजना तैयार की जानी चाहिए, जो एनबीएफसी की समयबद्ध तरीके और उचित लागत पर अपनी गतिविधियों में से कुछ या सभी के वित्तपोषण की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। आकस्मिक योजना में उपलब्ध /संभावित आकस्मिक वित्तपोषण स्रोतऔर राशि/अनुमानित राशि जो इन स्रोतों से आहरित की जा सके, पूर्ण प्रसार/ प्राथमिकता प्रक्रिया, प्रत्येक प्रक्रियाओं को कब और कैसे सक्रिय किया जा सकता है और किया जाना चाहिए इन सभी का विवरण और प्रत्येक आकस्मिक स्रोत से अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय –सीमा का विस्तार से उल्लेख होना चाहिए।

1.9 सार्वजनिक प्रकटीकरणः एनबीएफसी तिमाही आधार पर सूचनाओं (परिशिष्ट VI-ए) का कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर एवं वार्षिक वित्तीय कथन के व्यय संबंधी नोट में सावर्जनिक प्रकटीकरण करे ताकि बाजार प्रतिभागी एनबीएफसी के चलनिधि जोखिम प्रबंधन तंत्र और चलनिधि स्थिति की सुदृढ़ता के बारे में सूचित निर्णय ले सकें।

1.10 अंतःसमूह अंतरण

अंतः समूह लेन-देन और ऋण जोखिम (आईटीई) के कारण संभावित रूप से बढ़े हुए जोखिम की पहचान करने के उद्देश्य से समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) से अपेक्षा की जाती है वह समूह कंपनियों[65] की जटिलता, जोखिम प्रोफाइल और परिचालन अवसर के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया और वित्तपोषण कार्यक्रम तैयार करे और उसे बनाए रखे। समूह चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और कार्यक्रमों से अपेक्षा की जाती है वे ऋण, निवेश एवं अन्य गतिविधियों का भी ध्यान रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि शीर्ष और समूह के भीतर प्रत्येक घटक संस्था में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध रहे। इन प्रक्रियाओं और कार्यक्रम में वास्तविक और संभावित अवरोधों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें इन इकाइयों के बीच और इन इकाइयों और मुख्य इकाई के बीच, निधि अंतरण पर विधिक और नियामक बाधाओं को भी पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

2. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस): एनबीएफसी के पास विश्वसनीय एम.आई.एस होना चाहिए जो सामान्य और दबाव दोनों ही स्थितियों में बोर्ड और ए.एल.सी.ओ को एनबीएफसी और समूह की चलनिधि स्थिति की समय पर और प्रगतिशील सूचना देने में सक्षम हो। इसमें आकस्मिक जोखिम और नई गतिविधियों के कारण प्रकट हो रहे जोखिम सहित चलनिधि जोखिम के समस्त स्रोत शामिल किए जाने चाहिए तथा इसमें दबाव के दौरान अधिक विस्तृत एवं समय-संवेदनशील सूचना प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए।

[65] जैसा कि इन निदेशों के पैराग्राफ 5.1.4 में परिभाषित किया गया है

3. आंतरिक नियंत्रणः चलनिधि जोखिम नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपलान सुनिश्चित करने के लिए एनबीएफसी के पास उचित आंतरिक नियंत्रण, प्रणाली और प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि एक स्वतंत्र पक्ष एनबीएफसी के चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न भागों का नियमित रूप से समीक्षा और मूल्यांकन करे।

4. परिपक्वता प्रोफाइलिंगः-

4.1 निवल वित्तपोषण आवश्यकताओं की माप करने और इसका प्रबंध करने के लिए परिपक्वता सीढ़ी और किसी चयनित परिपक्वता तिथि को समेकित अधिशेष या अभाव की गणना एक मानक साधन के रूप में अपनाई जाती है। परिपक्वता प्रोफाइल का इस्तेमाल विभिन्न टाइम बकेट में एनबीएफसी के भविष्य में नकद प्रवाह मापने में किया जाना चाहिए। परिशिष्ट VI-ए में दिया गया परिपक्वता प्रोफाइल एनबीएफसी के विभिन्न टाइम बकेट के भावी नकदी प्रवाह मापने के लिए ईस्तमाल किया जा सकता है। टाइम बकेट निम्नानुसार विभाजित किया जाना चाहिएः-

(i) 1 दिन से 7 दिन

(ii) 8 दिन से 14 दिन

(iii) 15 दिन से 30/31 दिन (1 माह)

(iv) 1 माह से अधिक और 2 माह तक

(v) 2 माह से अधिक और 3 माह तक

(vi) 3 माह से अधिक और 6 माह तक

(vii) 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक

(viii) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक

(ix) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक

(x) 5 वर्ष से अधिक

4.2 एनबीएफसी अपने निवेश पोर्टफोलियों में प्रतिभूतियों को व्यापक रूप से अनिवार्य प्रतिभूतियों (विधिक दायित्व के अधीन) या अन्य गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत करे। यदि एनबीएफसी सार्वजनिक जमाराशि धारण नहीं कर रही है तो प्रतिभूतियों में सभी निवेश, सार्वजनिक जमाराशि धारण कर रही एनबीएफसी है तो अधिशेष प्रतिभूति (आवश्यकता के अतिरिक्त धारण किया गया) गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों की श्रेणी में वर्गीकृत की जाएगी। वैकल्पिक रूप से एनबीएफसी वर्तमान निर्देशों के अनुसार ट्रेडिंग बुक की अवधारणा का भी पालन कर सकती है।

4.3 सार्वजनिक जमा धारक एनबीएफसी को उनके लिए उपयुक्त किसी भी टाइम बकेट में अनिवार्य प्रतिभूतियां रखने की आजादी है। सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों को "1 दिन से 7 दिन, 8 दिन से 14 दिन, 15 दिन से 30/31 दिनों (एक माह) के लिए", "एक महीने से अधिक और 2 महीने" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने" तक बकेट में एनबीएफ़सी द्वारा प्रस्तावित उत्सादन अवधि के आधार पर रखा जा सकता है। गैर-सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों

(जैसे इक्विटी शेयर, परिपक्वता की एक निश्चित अवधि के बिना प्रतिभूति आदि) को "5 वर्षों से अधिक" बकेट में रखा जा सकता है, जबकि परिपक्वता की एक निश्चित अवधि वाली गैर-सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों को अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार प्रासंगिक टाइम बकेट में रखा जा सकता है। अनिवार्य प्रतिभूति और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को एएलएम प्रणाली के प्रयोजन के लिए बाजार के लिए चिह्नित किया जा सकता है। असूचीबद्ध प्रतिभूतियों कीपृडेंशियल मानदंड दिशा-निर्देश के अनुसार गणना कर सकते हैं।

4.4 वैकल्पिक रूप से, एनबीएफ़सीव्यापार किताब की अवधारणा का पालन कर सकती हैं, जो इस प्रकार है:

(i) रचना और मात्रा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया हैं;

(ii) अधिकतम परिपक्वता/पोर्टफोलियो की अवधि प्रतिबंधित है;

(iii) होल्डिंग अवधि 90 दिन से अधिक नहीं;

(iv) हानि की निर्धारित सीमा निर्धारित;

(v) उत्सादन अवधि (उत्पाद के लिहाज से) अर्थात द्वितीयक बाजार में चलनिधि की स्थिति के आधार पर पोजीशन को परिसमापित करने में लगने वाला समय निर्धारित हैं;

एनबीएफसी जो इस तरह की 'ट्रेडिंग पुस्तकें' रखती है और उपरोक्त मानकों का पालन करती है, वह व्यापारिक प्रतिभूतियों को, उत्सादन अवधि के अनुसार "1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह), एक महीने से अधिक और 2 महीने तक" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक" के बकेट में दिखा सकती हैं । एनबीएफसी के एल्को/बोर्ड द्वारा 'व्यापार किताब की मात्रा, रचना, धारण/उत्सादन अवधि, निर्धारित अधिकतम हानि को मंजूरी देनी चाहिए। पृडेंशियल मानदंड के तहत आवश्यक शेष निवेश भी कम अवधि और लंबी अवधि के निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

4.5 एएलएम के प्रयोजन के लिए निवेश पोर्टफोलियो की गणना पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दर्ज की गई और उनके बोर्ड/एल्को द्वारा अनुमोदित नीति टिप्पणी को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

4.6 प्रत्येक टाइम बकेट के अंदर नकदी के अन्तर्वाह एवं बहिर्प्रवाह के आधार पर असंतुलन हो सकता है। यद्यपि एक वर्ष तक का असंतुलन नियंत्रित करना उचित होगा क्योंकि यह आने वाले चलनिधि समस्या की प्रारम्भिक चेतावनी प्रदान करता है। मुख्य फोकस अल्पावधि असंतुलन यथा -1 से 30/31 दिनों के बकेट पर होना चाहिए। 1-7 दिन, 8-14 दिन एवं 15-30 दिन के परिपक्वता बकेट में संरचनात्मक चलनिधि विवरण में निवल संचयी नकरात्मक असंतुलन संबंधी टाइम बकेट में संचयी नकदी बहिप्रवाह 10%, 10% एवं 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, एनबीएफसीज से यह अपेक्षित है कि वे बोर्ड की अनुमति से आंतरिक पृडेंशियल सीमाएं निर्धारित कर अन्य सभी

टाइम बकेट में 1 वर्ष तक के संचयी असंतुलन (कुल क्रियाशील) की निगरानी करें। एनबीएफसी अपने संयुक्त परिचालन के लिए भी अपने संरचनात्मक चलनिधि विवरण के लिए उपरोक्त संचयी असंतुलन सीमा को अपनाएं।

4.7 संरचनात्मक चलनिधि का विवरण सभी नकदी अंतर्वाहों एवं बहिर्प्रवाहों को नकदी प्रवाह के अनुमानित समय के अनुसार परिपक्वता क्रम में रखकर तैयार किया जाए। अवधिपूर्ण देयता को नकदी बहिर्प्रवाह मानी जाए और अवधिपूर्ण आस्ति को नकदी अंतर्वाह मानी जाए।

4.8 1 दिन से 6 माह तक की समय सीमा पर गतिशील आधार पर अपने अल्पावधि चलनिधि की निगरानी करने में एनबीएफसी को सक्षम बनाने हेतु, एनबीएफसी अपने अल्पकालिक चलनिधि प्रोफाइल का आकलन व्यावसायिक प्रोजेक्शन और योजना उद्देश्य के लिए अन्य प्रतिबद्धताओं के आधार पर करें।

5. चलनिधि जोखिम प्रबंधन- स्टॉक एप्रोच

एनबीएफसी उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित और आंतरिक रूप से परिभाषित सीमा स्थापित कर चलनिधि जोखिम आंकलन एवं इस संबध में निश्चित महत्वपूर्ण अनुपात की निगरानी हेतु स्टॉक एप्रोच अपनाए। अनुपात एवं आंतरिक सीमा एनबीएफसी के चलनिधि जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, अनुभव एवं प्रोफाइल पर आधारित होना चाहिए। निगरानी किए जाने योग्य निश्चित महत्वपूर्ण अनुपात की सूचनात्मक सूची में शामिल हैं कुल आस्तियों के लिए अलपावधि[66] देयताएं, दीर्घकालिक आस्तियों के लिए अल्पावधि देयताएं, कुल आस्तियों के लिए वाणिज्यिक पत्र, कुल आस्तियों के लिए अपरिवर्तनीय ऋण-पत्र, (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता), कुल देयताओं के लिए अल्पावधि देयताएं, कुल आस्तियों के लिए दीर्घावधि आस्तियां इत्यादि।

6. करेंसी जोखिमः ऐसी एनबीएफसी जिनके तुलन पत्र में विदेशी आस्तियां या देयताएं हैं, उनके जोखिम प्रोफाइल को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव एक नया आयाम प्रदान करती है। एनबीएफसी के बोर्ड को ऐसे ऋण जोखिम से पैदा होने वाली चलनिधि जोखिम की पहचान करनी चाहिए तथा जोखिम के प्रबंधन के लिए उचित तत्परता विकसित करनी चाहिए।

7. ब्याज दर जोखिम (आईआरआर) का प्रबंधन-

7.1 एनबीएफसीज को आस्तियों और देयताओं के मूल्य निर्धारण में दिया गया परिचालनगत लचीलापन से आशय है कि वित्तीय प्रणाली ब्याज दर जोखिम को हेज करे। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार में ब्याज दरों में परिवर्तन पर एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तन में एनबीएफसी को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। ब्याज दरों में बदलाव का तत्काल प्रभाव शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) पर पड़कर एनबीएफसी की कमाई (यानी सूचित मुनाफा) पर होता है। बदलती ब्याज दरों का एक दीर्घकालिक प्रभाव गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की इक्विटी के बाजार मूल्य (MVE) या निवल मालियत यानि संपत्ति,

[66] एक वर्ष से कम अवधि

देनदारियों का आर्थिक मूल्य पर पड़ता है और तुलनपत्र से इतर मदें ब्याज दरों में बदलाव की वजह से प्रभावित हो जाती हैं। जब इन दोनों के दृष्टिकोण से ब्याज दर जोखिम देखा जाता है तो वह क्रमशः 'कमाई परिप्रेक्ष्य' और 'आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य' में जाना जाता है। कमाई के परिपेक्ष्य से जोखिम को शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) या शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कई माप और विश्लेषणात्मक तकनीक हैं। शुरू करने के लिए, परंपरागत अंतर विश्लेषण ब्याज दर जोखिम को मापने के एक उपयुक्त विधि है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह इरादा है कि ब्याज दर माप की आधुनिक तकनीकों अवधि गैप विश्लेषण, सिमुलेशन और समय के साथ जोखिम पर मूल्य की ओर बढ़ा जाए और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एमआईएस अधिग्रहण और हैंडलिंग में पर्याप्त विशेषज्ञता और परिष्कार हासिल कर लें।

7.2 नियत तिथि पर गैप या बेमेल जोखिम अलग समय अंतराल पर अंतराल की गणना के द्वारा मापा जा सकता है। गैप विश्लेषण दर संवेदनशील देयताएं और दर संवेदनशील परिसंपत्तियों (तुलनपत्र से इतर पदों सहित) के बीच बेमेल को नापता है। एक परिसंपत्ति या देयताओं को सामान्य रूप से दर संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि:

i.विचाराधीन समय अंतराल के भीतर, वहाँ नकदी प्रवाह है;

ii.अंतराल के दौरान अनुबंधात्मक ब्याज दर रिसेट / रीप्राइज किया हो;

iii.रिजर्व बैंक की ब्याज दरों / बैंक दर में परिवर्तन पर निर्भर हो ;

iv.कथित परिपक्वताओं से पहले अनुबंधात्मकता पूर्व देय या निकासी ।

7.3 गैप रिपोर्ट अवशिष्ट परिपक्वता या अगले रीप्राइजिंग अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार टाइम बकेट में दर संवेदनशील देयताएं, आस्तियां और तुलनपत्र से इतर मदों के समूहीकरण के द्वारा उत्पन्न किया जाना चाहिए। गैप विश्लेषण में मुश्किल काम दर संवेदनशीलता का निर्धारण किया जाना है। सभी निवेश, अग्रिम, जमा, उधार खरीदा फंड, आदि जो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर परिपक्व /रीप्राइज है, ब्याज दर के प्रति संवेदनशील हैं। इसी तरह, ऋण की किसी भी प्रिंसिपल चुकौती की दर संवेदनशील है यदि एनबीएफसी समय क्षितिज के भीतर इसे प्राप्त करने की उम्मीद रखती है। इसमे अंतिम मूलधन के भुगतान और अंतरिम किश्तें भी शामिल है। कुछ आस्ति और देयताएं/वेतन दर जो संदर्भ दर के साथ बदलती हैं। ये आस्ति और देयताएं पूर्व निर्धारित अंतराल पर रीप्राइज की जाती है और दर रीप्राइजिंग के समय संवेदनशील हैं। जहां कि सावधि जमा पर ब्याज दर अपनी अवधि के दौरान स्थायी रहती हैं, अग्रिम सामान्यतया फ्लोटिंग होता है। प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज दरों को पीएलआर के बदलावों के अनुसार कितनी भी बार रीप्राइज किया जा सकता है।

7.4 अंतराल को निम्नांकित टाइम बकेट में पहचाना जा सकता है:

i. 1 दिन से 7 दिन तक

ii. 8 दिन से 14 दिन

iii. 1-30 / 31 दिन (एक माह)

iv. एक महीने से अधिक से 2 महीने

v. दो महीने से अधिक से 3 महीने

vi. 3 महीने से अधिक से 6 महीने

vii. 6 महीने से अधिक से 1 वर्ष

viii. 1 वर्ष से 3 वर्ष

ix. 3 साल से अधिक से 5 साल

x. 5 वर्षों से अधिक

xi. गैर संवेदनशील

दर संवेदनशील आस्ति और देयताएं और तुलनपत्र से इतर वस्तुओं की विभिन्न मदों को परिशिष्ट VI-सी के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।

7.5 गैप हर टाइम बकेट के लिए दर संवेदनशील आस्तियां (आरएसए) और दर संवेदनशील देयताएं (आरएसएल) के बीच का अंतर है। सकारात्मक गैप इंगित करता है यह आरएसएल की तुलना में आरएसए अधिक है जबकि नकारात्मक गैप इंगित करता है, आरएलए की तुलना में आरएसए अधिक है। गैप रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि क्या संस्था सकारात्मक गैप (आरएसए> आरएसएल) होने से बढ़ती ब्याज दरों से लाभ प्राप्त कर सकती है या क्या यह एक नकारात्मक अंतर (आरएसएल> आरएसए) गैप से गिरावट आ रही ब्याज दरों से लाभ प्राप्त कर सकती है। इसलिए गेप को ब्याज दर संवेदनशीलता को नापने के एक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

7.6 प्रत्येक एनबीएफसी को बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ अलग-अलग अंतराल पर पृडेंशियल सीमा तय करनी चाहिए। प्रूडेंशियल सीमा को कुल संपत्ति, कमाऊ संपत्ति या इक्विटी के साथ एक रिश्ता होना चाहिए। एनबीएफसी कमाई पर जोखिम (ईएआर) या शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) ब्याज दर उनके विचारों के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं और बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ एक पृडेंशियल स्तर निर्धारित कर सकते हैं। ईएआर या एनआईएम पता लगाने के लिए कोई भी वर्तमान मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है।

7.7 गैप रिपोर्ट (चलनिधि और ब्याज दर संवेदनशीलता) की तैयारी के लिए अलग-अलग टाइम बकेट में आस्ति और देयताएं के विभिन्न घटकों के वर्गीकरण के लिए परिशिष्ट VI-ए और VI-बी में दिए बेंचमार्क है। एनबीएफसी जो पिछले आंकड़ों/अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर आस्ति और देयताएं के विभिन्न घटकों के व्यवहार पैटर्न का बेहतर अनुमान लगाने हेतु सुसज्जित हैं, एल्को/बोर्ड से अनुमोदन के अधीन उन्हें उचित टाइम बकेट में वर्गीकृत किया जा सकता है। एल्को/बोर्ड द्वारा स्वीकृत नोट की एक प्रति गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, का क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को भेजा जा सकता है। इन नोटों में 'क्या

होगा अगर' विभिन्न संभावित शर्तों के तहत विश्लेषण हो सकता है और विभिन्न प्रतिकूल घटनाक्रमों का सामना करने के लिए आकस्मिकता योजना दी जा सकती है।

7.8 वर्तमान ढांचा एनबीएफसी की चलनिधि और ब्याज दर जोखिम प्रोफाइल पर जमा राशि का समय से पहले बंद होना और ऋण और अग्रिम के पूर्व भुगतान के प्रभाव को शामिल नहीं करता है। बाजार में ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के समय जमा की समयपूर्व निकासी की मात्रा बहुत ज्यादा है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इसलिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए जो अनुभवजन्य अध्ययन और व्यवहार विश्लेषण के द्वारा भविष्य के बाजार चर में आस्तियों, देयताओं और तुलन पत्र के बाहर की मदों में परिवर्तन और विकल्प की संभावनाओं का अनुमान लगा सके।

7.9 एक वैज्ञानिक रूप से विकसित आंतरिक ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल, जो वर्तमान बाजार दर के आधार पर उपलब्ध कराई गई निधियों और धनराशि का मूल्यांकन कर सकें, एएलएम प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। हस्तांतरण मूल्य प्रणाली मार्जिन प्रबंधन यानी उधार या क्रेडिट प्रसार, धन या दायित्व प्रसार और बेमेल प्रसार के प्रबंधन को बेहतर कर सकते हैं। यह ब्याज दर जोखिम को केन्द्रित करने में मदद करता है, जिससे ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और प्रभावी नियंत्रण में सुविधा होती है। अच्छी तरह से परिभाषित हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली आस्ति और देयताएं का मूल्य निर्धारण करने के लिए भी एक तर्कसंगत रूपरेखा प्रदान करती है।

परिशिष्ट VI-ए

चलनिधि जोखिम पर सार्वजनिक प्रकटीकरण

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण (जमाराशि और ऋण दोनों)

क्र.सं	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों की संख्या	राशि (`करोड़ में)	कुल जमा का प्रतिशत	कुल देयताओं का प्रतिशत

(ii) सबसे बड़े 20 जमा (राशि `करोड़ में एवं कुल जमा का %)

(iii) सबसे बड़े 20 उधारी (राशि `करोड़ में एवं कुल ऋण का %)

(iv) महत्वपूर्ण लिखत /उत्पाद के आधार पर वित्तपोषण सकेन्द्रण

क्र.सं	प्रपत्र/उत्पाद का नाम	राशि (`करोड़ में)	कुल देयताओं का %

(v) स्टॉक अनुपातः

(ए) कुल सार्वजनिक निधि के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र, कुल देयताएं एवं कुल आस्तियां.

(बी) कुल सार्वजनिक निधि, कुल देयताएं एवं कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अपरिवर्तनीय ऋण –पत्र (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)

(सी) कुल सार्वजनिक निधि, कुल देयताएं एवं कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधि देयताएं, यदि कोई हो.

(vi) चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा.

परिशिष्ट VI-बी

परिपक्वता प्रोफाइल - चलनिधि

लेखा शीर्ष	**टाइम बकेट श्रेणी**
ए बहिर्वाह	
1. पूंजी कोष	
क) इक्विटी पूंजी, गैर प्रतिदेय या सदा वरीयता पूंजी, भंडार, धन और अधिशेष	5 वर्षों से अधिक टाइम बकेट में।
बी) वरियता पूंजी - प्रतिदेय / गैर-मियादी	शेयरों की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
2 उपहार, अनुदान, दान और उपकार	'5 वर्षों से अधिक टाइम-बकेट । हालांकि, इस तरह के तोहफे, अनुदान, आदि विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए है, तो इन्हे उद्देश्य / विशिष्ट अंतिम उपयोग के अनुसार निर्दिष्ट टाइम-बकेट में रखा जा सकता है।
3. नोट्स, बॉण्ड और डिबेंचर	
ए) प्लेन वनीला बॉण्ड / डिबेंचर	विलेखों की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
बी) बॉण्ड/ निहित काल/पुट विकल्प के साथ डिबेंचर (शून्य कूपन / गहरी डिस्काउंट बॉण्ड सहित)	निहित विकल्प के लिए जल्द से जल्द उपयोग की जाने वाली तारीख के लिए अवशिष्ट अवधि के अनुसार।
सी) निश्चित दर नोट	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
4. जमा:	
ए) जनता से सावधि जमा	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
बी) इंटर कॉरर्पोरेट जमा	संस्थागत / थोक जमा होने से उनके अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना चाहिए
सी) वाणिज्यिक पत्र	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
5. उधार	
ए) सावधि मनी उधारी	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
बी)रिज़र्व बैंक, सरकार एवं अन्य से	---वही---
सी) डबल्यूसीडीएल सीसी आदि की प्रकृति में बैंक उधारी	छह महीने से अधिक और एक साल तक
6) मौजूदा देनदारिया और प्रावधान:	

ए) विविध लेनदार	नियत तारीख या नकद निकासी की संभावित समय के अनुसार। निकासी की प्रवृत्ति और मात्रा का व्यवहार विश्लेषण का हिसाब भी आकलन करने के लिए रखा जा सकता है।
बी) देय व्यय (ब्याज के अलावा अन्य)	नकदी बहिर्वाह की संभावना के अनुसार।
सी) प्राप्त अग्रिम आय, उधारकर्ताओं की प्राप्तियाँ समायोजन हेतु लंबित	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में, इसमे कोई भी नकद बहिर्वाह शामिल नहीं है।
डी) बॉण्ड / जमा पर देय ब्याज	भुगतान की नियत तारीख के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में।
ई) एनपीए के लिए प्रावधान	प्रावधान की राशि एनपीए पोर्टफोलियो की सकल राशि से बाहर निकालकर और एनपीए की शुद्ध राशि को निर्धारित टाइम-बकेट में पूंजी प्रवाह के तहत एक मद के रूप में दिखाया जा सकता है।
एफ़) निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रावधान	राशि को निवेश पोर्टफोलियो का सकल मूल्य से घटाया जा सकता है और शुद्ध निवेश को निर्धारित समय स्लॉट में प्रवाह के रूप में दिखाया जा सकता है। यदि प्रावधानों को प्रतिभूतिवार नहीं धारित किया गया है तो प्रावधान को "5 साल के ऊपर " टाइम बकेट में दिखाया जा सकता है।
जी) अन्य प्रावधान	अंतर्निहित लेनदेन के उद्देश्य / प्रकृति के अनुसार बकेट किया जाना है।
बी अंतर्वाह	
1. रोकड़	1 से 7 दिन की टाइम बकेट में।
2. पारगमन में विप्रेषण	---वही---
3. बैंकों के पास बकाया (भारत में केवल)	
ए) चालू खाता	निर्धारित न्यूनतम शेष लिए 6 महीने से 1 साल के बकेट में दिखाया जाना है। न्यूनतम शेष राशि से अधिक शेष 1 से 7 दिन की टाइम बकेट में दिखाया जाना है।
बी) जमा खाते / लघु अवधि की जमा	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
4. निवेश (शुद्ध प्रावधान)	
ए) अनिवार्य निवेश	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए उपयुक्त
बी) गैर अनिवार्य सूचीबद्ध	"1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह)" "एक महीने से अधिक और 2 महीने" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक" बकेट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रद्द करने की अवधि के आधार पर
सी) गैर अनिवार्य गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, आदि)	" 5 साल के अधिक"

डी) निश्चित परिपक्वता अवधि वाली गैर-अनिवार्य गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतिया	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
ई) वेंचर कैपिटल इकाई	'5 वर्ष से अधिक' टाइम बकेट में।
5. ट्रेडिंग पुस्तक का पालन करने पर	
इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय तरजीही शेयर, गैर प्रतिदेय / सदा तरजीही शेयर, सहायक / संयुक्त उद्यम के शेयर और ओपन एंडेड म्युचुअल फंड और अन्य निवेश ।	(I) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार पुस्तक का प्रतिनिधित्व करने वाले "वर्तमान" के रूप में वर्गीकृत शेयरों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रद्द करने की अवधि के आधार पर एक महीने से अधिक का "1 दिन से 7 दिन, 8 दिन से 14 दिन, 15 दिन से 30 दिन (एक माह)" "एक माह से अधिक और 2 महीने तक" और दो महीने से अधिक और 3 महीने" की टाइम बकेट में दिखाया जा सकता है।
	(ii) "दीर्घ अवधि के निवेश" के रूप में वर्गीकृत शेयरों को "5 साल के समय" बकेट में रखा जा सकता है। हालांकि, शुरुआती वित्तीय पैकेज के प्राप्त सहायता के हिस्से के रूप में वर्गीकृत सहायक इकाइयों/ कंपनियों के शेयरों को परियोजना के कार्यान्वयन / समय अधिवहित और ऐसे शेयरों के डाइवर्जन से विनिवेश के लिए परिणामी संभावित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए संबंध टाइम बकेट में रखा जा सकता है ।
6. अग्रिम (उत्पादक)	
ए) बिल ऑफ एक्सचेंज और रियायती और पुनभुनाई वचन नोट	अंतर्निहित बिल के अवशिष्ट मुद्दत के अनुसार।
बी) सावधि कर्ज (केवल रुपया ऋण)	मूल/ संशोधित चुकौती अनुसूची में निर्धारित नकदी प्रवाह के समय के अनुसार निर्धारित ब्याज और ऋण की मूल के खाते पर संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है।
सी) कॉरपोरेट ऋण / अल्पावधि ऋण	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
7. ग़ैर–निष्पादक ऋण (प्रावधानों को नेट कर दिखाया जा सकता है, इंटरेस्ट सस्पेंस धारित)	
ए) अवमानक	
i) अगले तीन वर्षों के दौरान सभी अतिदेय और मूलधन की किस्त	3 से 5 साल की टाइम-बकेट में।
ii) अगले तीन वर्षों में देय पूरी मूल राशि	5 साल के समय में बकेट
बी) संदिग्ध और हानि	

i) अगले पांच वर्षों के दौरान देय मूलधन की सभी किश्त और सभी अतिदेय	5 वर्ष से अधिक टाइम-बकेट में
ii) अगले पांच साल से परे देय पूरी मूल राशि	5 वर्ष से अधिक टाइम-बकेट में
8. लीज़ पर संपत्ति	पट्टा लेनदेन से नकदी प्रवाह को नकदी प्रवाह के समय के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है।
9. अचल संपत्ति (पट्टे की संपत्ति को छोड़कर)	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में।
10. अन्य संपत्तियां	
(ए) अमूर्त आस्तियों और नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली मदें	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में।
(बी) अन्य मद (जैसे अर्जित आय, अन्य प्राप्तियां, स्टाफ ऋण, आदि)	नकदी प्रवाह के समय के अनुसार संबंधित परिपक्वता बकेट में।
सी . आकस्मिक देयताएं	
(ए) क्रेडिट के पत्र / गारंटीया (अवक्रमण के माध्यम से बहिर्वाह)	अवक्रमण तुलना पिछले प्रवृत्ति विश्लेषण पर गारंटी की बकाया राशि (धारित मार्जिन को घटाकर) पर आधारित है, संभावना अवक्रमण का अनुमान लगाया जाना चाहिए और इस राशि को अनुमान आधार पर विभिन्न टाइम बकेट में वितरित किया जा सकता है। अवक्रमण से बाहर बनाई परिसंपत्तियों को संभावित वसूली तारीखों के आधार पर संबंधित परिपक्वता बकेट में दिखाया जा सकता है।
(बी) लंबित संवितरण (बहिर्वाह) ऋण प्रतिबद्धताए	मंजूर संवितरण के कार्यक्रम के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में।
(सी) अन्य संस्थानों (बहिर्वाह / अंतरवाह) को/से प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन	क्रेडिट लाइन के तहत प्राप्त बिल के मुद्दत के अनुसार

ध्यान दें:

कोई भी घटना विशेष नकदी प्रवाह (जैसे वेतन समझौता बकाया, पूंजी व्यय, आयकर रिफंड आदि के कारण बहिर्वाह) इस तरह के नकदी प्रवाह के समय के लिए टाइम बकेट में दिखाया जाना चाहिए।

(i). सभी अतिदेय देनदारियों को व्यवहारगत अनुमानों के आधार पर 1 से 7 दिन और 8 से 14 दिन के टाइम बकेट में दिखाया जाना।

(ii) ब्याज और मानक ऋणों की किस्तों / किराए खरीद की संपत्ति / पट्टे किराया के खाते पर अतिदेय प्राप्तियों को निम्नानुसार रखा जाना चाहिए:

(i)	कम से कम एक महीने के लिए अतिदेय।	3 से 6 महीने बकेट में।

(ii)	ब्याज कम से कम एक महीने से ज्यादा अतिदेय है, लेकिन सात महीनों से कम के लिए अतिदेय (यानी संबन्धित राशि छह महीने से पुरानी हो जाता है)	एक महीने की रियायती अवधि गणना किए बिना 6 से 12 महीने बकेट में।
(iii)	मूलधन और किश्त 7 महीनों से अतिदेय लेकिन कम से कम एक वर्ष के लिए अतिदेय	1 से 3 साल बकेट में।

परिशिष्ट VI-सी

ब्याज दर संवेदनशीलता

खाता शीर्ष	टाइम बकेट की दर संवेदनशीलता
दायित्व	
1. पूंजी, भंडार और अधिशेष	गैर संवेदनशील
2. उपहार, अनुदान व उपकार	-वही-
3. नोट्स, बॉण्ड और डिबेंचर:	
ए) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; रोल ओवर / रीप्राइज करने की तारीख को रीप्राइज तिथियों के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
बी) फिक्स्ड दर (वनीला) शून्य कूपन सहित	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाएगा।
सी) एम्बेडेड विकल्पों के साथ संलेख	संवेदनशील; बढ़ते ब्याज के परिदृश्य में रीप्राइज करने की विकल्प की तिथियों के अनुसार रीप्राइज किया जा सकता है। अगली विकल्प तिथि के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
4. जमा	
ए) जमा / उधार	
i) स्थायी दर	संवेदनशील; लॉक-इन अवधि के बाद, यदि कोई हो, परिपक्वता पर या समय से पहले वापसी के मामले में रीप्राइज़ कर सकता है। अवशिष्ट परिपक्वता या अवशिष्ट लॉक-इन अवधि, जैसा भी मामला हो, के अनुसार के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है। बिना लॉक-इन अवधि या अतीत के लॉक-इन अवधि वाले समय से पहले निकले जमा को शीघ्रतम/लघु टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़। अगले रीप्राइजिंग तिथि के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
बी) आईसीडी	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना है।
5. उधार:	
ए) अवधि-धन उधार	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना है।
बी) दूसरों से उधार	

i) स्थायी दर	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज ।संबन्धित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाएगा।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ ।अगले रीप्राइजिंग तिथि के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
6. मौजूदा देनदारिया और प्रावधान	
i.विविध लेनदार ii.देय व्यय iii.स्वैप समायोजन खाता iv.लंबित ऋण लेने वालों से अग्रिम आय समायोजन प्राप्तिया /प्राप्त v.बांड / जमा पर देय ब्याज vi.प्रावधान	)))) गैर संवेदनशील))
7. रेपो / पुनभुनाई बिल / विदेशी मुद्रा स्वैप (बिक्री / खरीद)	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ । अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
आस्ति:	
1. रोकड़	गैर संवेदनशील।
2. पारगमन में विप्रेषण	गैर संवेदनशील।
3. भारत में बैंकों के पास बकाया	
ए) चालू खाते में।	गैर संवेदनशील।
बी) जमा खातों, कॉल और अल्प सूचना पर धन और अन्य प्लेसमेंट	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। संबन्धित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाएगा।
4. निवेश	
ए) स्थायी आय प्रतिभूतियों (जैसे सरकार, प्रतिभूतियों, जीरो कूपन बॉण्ड, बॉण्ड, डिबेंचर, संचयी, गैर संचयी, प्रतिदेय तरजीही शेयर, आदि)	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना है। हालांकि, ब्याज की गैर सर्विसिंग के कारण एनपीए मानदंडों को लागू कर मूल्यांकित बॉण्ड / डिबेंचर प्रावधान घटकर दिखाया जाना चाहिए। i. 3-5 वर्ष बकेट - अगर अवमानक मानदंड लागू । ii. 5 वर्ष से अधिक बकेट - अगर संदिग्ध मानदंड लागू ।
बी) फ्लोटिंग दर की प्रतिभूतिया	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट बिलों के समयावधि के अनुसार रखा जाना है।

सी) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय तरजीही शेयर, सहायक / संयुक्त उद्यम के शेयर, उद्यम पूंजी इकाइया	गैर संवेदनशील।
5. अग्रिम (निष्पादक)	
ए) विनिमय बिल, रियायती और पुनभुनाई वचनपत्र	परिपक्वता पर संवेदनशील। अंतर्निहित बिल के अवशिष्ट मुद्दत के अनुसार रखा जाना है।
बी) सावधि ऋण / कॉर्पोरेट ऋण / अल्पावधि ऋण (केवल रुपया ऋण)	
i) स्थायी दर	नकदी प्रवाह / परिपक्वता पर संवेदनशील।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील केवल जब पीएलआर या जोखिम प्रीमियम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बदल दी गई है। बाजार ब्याज दर के अनुरूपों अपने पीएलआर को बदलने के लिए एनबीएफ़सी द्वारा लिए गए समय सावधि ऋण की राशि को टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
6. ग़ैर - निष्पादक ऋण: (प्रावधान, इंटरेस्ट सस्पेंस और ईसीजीसी से प्राप्त दावे)	
i.अवमानक ii.संदिग्ध और हानि	परिशिष्ट VI-बी के मद बी 7 के अनुसार रखा जाए
7. लीज़ पर संपत्ति	पट्टे की संपत्ति पर नकदी प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। किराए पर संपत्ति नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह के समय के अनुसार टाइम-बकेट में रखा जा सकता है।
8. अचल संपत्ति (लीज पर परिसंपत्तियों को छोड़कर)	गैर संवेदनशील।
9. अन्य संपत्तियां	
ए) अमूर्त संपत्ति और नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली मदें	गैर संवेदनशील।
बी) अन्य मद (जैसे अर्जित आय, अन्य प्राप्तियां, स्टाफ ऋण, आदि)	गैर संवेदनशील।
10. रिवर्स रेपो / स्वैप (खरीद / बिक्री) और पुनभुनाई बिल (डीयूपीएन)	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना है।
11. अन्य (ब्याज दर) उत्पाद	
ए) ब्याज दर स्वैप	संवेदनशील; संबंधित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जा सकता है।

बी) अन्य डेरिवेटिव	जब भी प्रारम्भ हो उचित रूप से वर्गीकृत किया जाएँ ।

अनुबंध VII
वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – एनबीएफ़सी के खातों को टिप्पणियां

सामान्य

1. नीचे निर्दिष्ट प्रकटीकरण के प्रारूप एनबीएफसी की सभी श्रेणियों (यानी निवेश और क्रेडिट कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, कोर निवेश कंपनियां, आदि) के लिए सामान्य टेम्पलेट हैं। अलग-अलग एनबीएफसी उन लाइन आइटम/प्रकटीकरण को छोड़ सकते हैं जो चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों में लागू नहीं हैं/अनुमति नहीं हैं या कोई एक्सपोजर/कोई लेनदेन नहीं है।

2. यह ध्यान दिया जाए कि प्रकटीकरण टेम्प्लेट में केवल किसी गतिविधि, लेनदेन या आइटम का उल्लेख करने का मतलब यह नहीं है कि इसकी अनुमति है, तथा एनबीएफसी किसी गतिविधि या लेनदेन की अनुमति या अन्यथा निर्धारित करते समय मौजूदा वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का उल्लेख करेंगे।

3. एनबीएफसी वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई सभी राशियों के लिए पिछली अवधि के संबंध में तुलनात्मक जानकारी का खुलासा करेंगे। इसके अलावा, यदि वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक है तो एनबीएफ़सी विवरणात्मक और वर्णनात्मक सूचना के लिए तुलनात्मक सूचना शामिल करेंगे।

प्रकटीकरण टेम्पलेट्स

भाग I

(एनबीएफसी-बीएल, एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल के वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए लागू)

1. एक्सपोज़र

1.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोज़र

(राशि रु. करोड़ में)

श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र क) आवासीय बंधक – आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा– वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। ग) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र में निवेश – i. आवासीय ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र		
स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोज़र		

1.2 पूंजी बाज़ार के लिए एक्सपोज़र

(राशि रु. करोड़ में)

	विवरण[67]	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है		
ii)	शेयरों / बान्डों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बान्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए व्यक्तियों को क्लीन आधार पर दिए गए अग्रिम		
iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है		
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है।		
v)	स्टॉक ब्रोकर्स को प्रतिभूत और गैर-प्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां		
vi)	शेयरों / बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत के प्रति कार्पोरेट को मंजूर या संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए क्लीन आधार पर प्रदान किए गए ऋण		
vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण		
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में एनबीएफसी द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।		
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोष		

[67] एनबीएफसी उन लाइन आइटमों को छोड़ सकते हैं जो लागू नहीं हैं/अनुमति नहीं हैं या जिनका चालू और पिछले वर्ष दोनों में शून्य एक्सपोजर है। इसके अलावा, किसी कंपनी के प्रमोटरों द्वारा शेयरों को गिरवी रखने के प्रति एक्सपोजर को संबंधित लाइन आइटम के तहत अलग से दिखाया जाएगा।

विवरण[67]	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
x) वैकल्पिक निवेश कोष के प्रति सभी जोखिम: (i) श्रेणी I (ii) श्रेणी II (iii) श्रेणी III		
पूंजी बाजार के प्रति कुल एक्सपोजर		

1.3 क्षेत्रवार एक्सपोजर

क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	कुल एक्सपोजर (इसमें ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है) (रु.करोड़)	सकल एनपीए (रु.करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर के प्रति सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (इसमें ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है) रु.करोड़)	सकल एनपीए (रु.करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर के प्रति सकल एनपीए का प्रतिशत
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप						
2. उद्योग						
i….						
ii….						
अन्य						
उद्योग का कुल (i+ ii + … + अन्य)						
3. सेवाएँ						
i…						
ii…						
अन्य						
सेवाओं का कुल (i+ ii + … + अन्य)						
4. वैयक्तिक ऋण						
i…						
ii…						
अन्य						
वैयक्तिक ऋणों का कुल (i+ ii + … + अन्य)						

क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	कुल एक्सपोजर (इसमें ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है) (रु.करोड़)	सकल एनपीए (रु.करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर के प्रति सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (इसमें ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है) रु.करोड़)	सकल एनपीए (रु.करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर के प्रति सकल एनपीए का प्रतिशत
5. अन्य, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)						

टिप्पणी :

i. उपरोक्त प्रकटीकरण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत और रिज़र्व बैंक द्वारा 'बैंक क्रेडिट की क्षेत्रीय परिनियोजन' के रूप में प्रकाशित क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित होंगे।

ii. उपरोक्त प्रकटीकरण में, यदि किसी क्षेत्र के भीतर, किसी विशिष्ट उप-क्षेत्र/उद्योग में एक्सपोजर किसी एनबीएफसी की टीयर I पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो इसका खुलासा उस क्षेत्र के भीतर अलग से किया जाएगा। इसके अलावा, एक क्षेत्र के भीतर, यदि विशिष्ट उप-क्षेत्र/उद्योग में एक्सपोजर टियर I पूंजी के 10 प्रतिशत से कम है, तो ऐसे एक्सपोजर को उस क्षेत्र के भीतर "अन्य" के रूप में जोड़ा और प्रकट किया जाएगा।

1.4 अंतर-समूह एक्सपोजर

एनबीएफसी पिछले वर्ष की तुलना के साथ चालू वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रकटीकरण करेंगे :

(i) अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि

(ii) शीर्ष 20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि

(iii) उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत

1.5 अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

एनबीएफसी को अपने अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के ब्योरे का खुलासा करना चाहिए। इसके अलावा, यह मुद्रा प्रेरित जोखिम के प्रबंधन के लिए उनकी नीतियों का भी खुलासा करेगा।

2. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(राशि रु.करोड़ में)

संबन्धित पार्टी / मदें	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		अनुषंगी		एसोसिएट / संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार @		अन्य *		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
उधार #														

संबन्धित पार्टी / मदें	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		अनुषंगी		एसोसिएट / संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार @		अन्य *		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
जमाराशि #														
जमाराशि का नियोजन #														
अग्रिम राशि #														
निवेश #														
अचल / अन्य आस्तियों की खरीद														
अचल/अन्य आस्तियों की बिक्री														
चुकता ब्याज														
प्राप्त ब्याज														
अन्य *														

@ अन्य केएमपी और अन्य केएमपी के रिश्तेदारों से अलग निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों से संबन्धित प्रकटीकरण अलग कॉलम में दिया जाना चाहिए।

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का खुलासा किया जाना है

* यदि आइटम के लिए कुल संबंधित पार्टी लेनदेन के कुल की 5 प्रतिशत से अधिक है तो आइटम निर्दिष्ट करें। संबंधित पक्षों में ट्रस्ट और अन्य निकाय शामिल होंगे जिनमें एनबीएफसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (अपने संबंधित पक्षों के माध्यम से) नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

1. संबंधित पक्ष, उपरोक्त प्रकटीकरण के संदर्भ में, में लागू लेखा मानकों के अनुसार सभी संबंधित पक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा, संबंधित पक्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत परिभाषित निम्नलिखित संबंधित पक्ष भी शामिल होंगे।
   (i) निदेशक या उनके रिश्तेदार;
   (ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार;
   (iii) एक फर्म, जिसमें एक निदेशक, प्रबंधक या उनके रिश्तेदार भागीदार है;
   (iv) कोई निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक या उसका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक है;
   (v) कोई सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक उस कंपनी के निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ उस कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से ज्यादा का धारण करता है;
   (vi) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने का आदी है;
   (vii) कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निदेश या अनुदेशों पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदी हो।

   बशर्ते कि खंड (vi) और (vii) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निदेशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा;
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में कम से कम निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक शामिल होंगे।
   (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक
   (ii) कंपनी सचिव
   (iii) पूर्णकालिक निदेशक
   (iv) मुख्य वित्त अधिकारी
   (v) ऐसे अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नहीं हों, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नामित किया गया हो; तथा
   (vi) ऐसा अन्य अधिकारी जो निर्धारित किया जा सकता है

3. केएमपी के रिश्तेदारों में न्यूनतम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) नियम, 2014 के नियम 4 के तहत परिभाषित निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल होंगे।
   (i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;
   (ii) वे पति और पत्नी हैं; या
   (iii) एक व्यक्ति दूसरे से इस तरह से संबंधित है जैसा कि निर्धारित किया गया है;

   एक व्यक्ति को दूसरे का रिश्तेदार माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित तरीके से दूसरे से संबंधित है, अर्थात्::-

   (i) पिता; बशर्ते कि "पिता" शब्द में सौतेला पिता शामिल है।

   (ii) माँ : बशर्ते कि "माँ" शब्द में सौतेली माँ शामिल हो।

   (iii) बेटा : बशर्ते कि "बेटा" शब्द में सौतेला बेटा शामिल हो।

   (iv) बेटे की पत्नी

   (v) बेटी

   (vi) बेटी का पति

   (vii) भाई : बशर्ते कि "भाई" शब्द में सौतेला भाई शामिल हो

   (viii) बहन : बशर्ते कि "बहन" शब्द में सौतेली बहन शामिल हो।

3. शिकायतों का प्रकटीकरण

3.1 एनबीएफसी द्वारा ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.		ब्योरा	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या		
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
3.		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या		
	3.1	जिनमें से, एनबीएफसी द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या		
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		
	एनबीएफसी द्वारा लोकपाल कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें			
5.*		एनबीएफसी को लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या		
	5.1.	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.2	5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.3	5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा निर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या		
6.*		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णयों के अलावा)		
नोट: अनुरक्षण योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं। * यह केवल उन एनबीएफ़सी पर लागू होगा जो रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत शामिल हैं				

3.2 एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार[68]

शिकायतों के आधार, (अर्थात; को संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में% वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	वर्तमान वर्ष				
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार – 5					
अन्य					
कुल					
पिछले वर्ष					
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार – 5					
अन्य					
कुल					

[68] नीचे दिए गए शिकायतों के आधार केवल संकेतात्मक है.

1. क्रेडिट कार्ड	2. खातों के परिचालन में कठिनाई	3. मिस-सेलिंग	4. वसूली एजेंट/सीधी बिक्री एजेंट
5. ऋण या अग्रिम	6. बिना किसी पूर्व सूचना के /अत्यधिक शुल्क/फोरक्लोज़र शुल्क लगाना	7. उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	8. स्टाफ आचरण
9. कार्यालय में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं / निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि।	10. अन्य		

भाग II

(एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल के वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए लागू)

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

एनबीएफसी को अपने वित्तीय विवरण में एनटीए के साथ एक ही स्थान पर संचालन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करना चाहिए। एक सांकेतिक सूची में शामिल हैं - लेखा का आधार, विदेशी मुद्रा के लेनदेन, निवेश - वर्गीकरण, मूल्यांकन, आदि, अग्रिम और उसका प्रावधान, अचल संपत्ति और मूल्यह्रास, राजस्व की पहचान, कर्मचारी लाभ, कराधान के लिए प्रावधान, शुद्ध लाभ, आदि

2.1 पूंजी

(करोड़ ₹ में राशि)			
विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	सीआरएआर (%)		
(ii)	सीआरएआर - टीयर I पूंजी (%)		
(iii)	सीआरएआर - टीयर II पूंजी (%)		
(iv)	टीयर-II पूंजी के रूप में निर्मित गौण ऋण की राशि		
(v)	बेमियादी ऋण लिखतों को जारी कर निर्मित राशि		

2.2 निवेश

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
2.2.1. निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(क) भारत में		
(ख) भारत के बाहर,		
2.2.2 मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में		
(ख) भारत के बाहर,		
2.2.3 निवेश की निवल मूल्य		
(क) भारत में		
(ख) भारत के बाहर,		
2.2.2. निवेश पर मूल्यह्रास के विरुद्ध धारित प्रावधानों का स्थलान्तर		
(i) प्रारंभिक शेष		
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों की बट्टे खाते डालना / प्रतिलेखन		
(iv) अन्तः शेष		

2.3 डेरिवेटिव्स

2.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

			(रुपये ₹ में राशि)
विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूल		
(ii)	प्रतिपक्षी समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा तो उठाया जाने वाला घाटा		

(iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित जमानत		
(iv)	स्वैप $ से उत्पन्न होने वाले ऋण एक्सपोजर की संकेंद्रण		
(v)	स्वैप किताब का उचित मूल्य @		
नोट: स्वैप की प्रकृति और शर्तें क्रेडिट और बाजार एक्सपोजर सहित और स्वैप रिकॉर्डिंग के लिए अपनाई लेखांकन नीतियों के बारे में जानकारी का भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए.			
$ संकेंद्रण का उदाहरण अत्यधिक गियर्ड कंपनियों के साथ स्वैप या विशेष उद्योगों मे एक्सपोजर करना हो सकता है.			
@ यदि स्वैप विशिष्ट संपत्ति, देनदारियों, या प्रतिबद्धताओं से जुड़े होते हैं तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जिसे एनबीएफसी को बैलेंस शीट तारीख को स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए प्राप्त या भुगतान करना होगा।			

2.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्स

			(रुपये ₹ में राशि)
क्रम सं.	विवरण		राशि
(i)	वर्ष के दौरान किए गए आईआर डेरिवेटिव कारोबार की विनिमय की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)		
	ए)		
	बी)		
	सी)		
(ii)	आईआर डेरिवेटिव कारोबार की 31 मार्च ... ..को बकाया विनिमय की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)		
	ए)		
	बी)		
	सी)		
(iii)	आईआर डेरिवेटिव कारोबार की बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं विनिमय की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)		
	ए)		
	बी)		
	सी)		
(iv)	आईआर डेरिवेटिव कारोबार की बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखत वार)विनिमय का मार्क-टू-मार्केट मूल्य		
	ए)		
	बी)		
	सी)		

2.3.3 डेरिवेटिव में एक्सपोजर निवेश पर प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी डेरिवेटिव से संबंधित उनके एक्सपोजर प्रबंधन नीतियों जिसमें डेरिवेटिव इस्तेमाल करने की सीमा, जुड़े एक्सपोजर और व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के विशेष संदर्भ के साथ का वर्णन करेगी।

(i) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोख़िम प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,

(ii) जोख़िम माप, जोख़िम रिपोर्टिंग और जोख़िम निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति,

(iii) हेजिंग और/या लिए और हेजिंग/ एक्सपोजर को कम करने के उपायों की सतत प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतिया और प्रक्रियाए

(iv) हेज और गैर-हेज लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय की पहचान, प्रीमियम और छूट; बकाया ठेके का मूल्यांकन; प्रावधानीकरण, जमानत और क्रेडिट एक्सपोजर न्यूनीकरण।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

				(करोड़ ₹ में राशि)
क्रम सं.	विवरण		करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल राशि)			
	हेजिंग के लिए			
(ii)	बाजार को चिह्नित स्थिति [1]			
	(क)	आस्ति (+)		
	(ख)	देयता (-)		
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर [2]			
(iv)	गैर हेज्ड एक्सपोजर			

2.4 संपत्ति और देनदारियों के कुछ मदों का आस्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पैटर्न

विवरण	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन	1 महीने से अधिक और 2 महीने तक	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक के लिए	3 महीने से अधिक और 6महीने तक के लिए	6 महीने से अधिक और 1वर्ष तक के लिए	1 वर्ष से अधिक और 3 साल तक के लिए	3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक के लिए	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाराशि											
अग्रिम											
निवेश											
उधार											
विदेशी मुद्रा आस्तिया											
विदेशी मुद्रा देनदारिया											

2.5 एक्सपोजर

2.5.1 मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण के विवरण

2.5.2 एनबीएफसी द्वारा पार किए गए एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण

एनबीएफसी को एक्सपोजर के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण के एनटीए में वर्ष के दौरान एनबीएफ़सी द्वारा पृडेंशियल एक्सपोजर सीमा को पार करने संबंधी उचित प्रकटीकरण को दर्शाना चाहिए। [69]एक्सपोज़र सीमा की गणना इन निर्देशों में निर्धारित ऋण/निवेश संकेंद्रण के मानदंड / बृहद एक्सपोज़र ढांचे के अनुसार, जैसा लागू हो, की जाएगी ।

2.5.3 असुरक्षित अग्रिम

(i) एनबीएफसी को उनके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (बुनियादी संरचना परियोजनाओं सहित) के संबंध में जमानत के रूप में चार्ज अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि को असुरक्षित अग्रिम की गणना करने के लिए मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। इसलिए इस तरह के अग्रिम असुरक्षित माने जाएगे।

(ii) एनबीएफसी को अग्रिम की कुल राशि का प्रकटीकरण भी करना चाहिए जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे भारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि को ऐसी अमूर्त समपार्श्विक के अनुमानित मूल्य मे शामिल किया गया है । ऐसा प्रकटीकरण एनटीए में एक अलग शीर्ष के तहत किया जा सकता है। यह ऐसे ऋण को अन्य पूरी तरह असुरक्षित ऋण से अलग करेगा।

3. कार्पोरेट अभिशासन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध) विनियम, 2015 (अनुसूची V का पैराग्राफ सी - वार्षिक रिपोर्ट) समय-समय पर संशोधित, वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट अभिशासन पर भाग में किए जाने वाले प्रकटीकरण को निर्दिष्ट करता है। कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के संबंध में, गैर-सूचीबद्ध एनबीएफसी को भी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण प्रकटीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। गैर-सूचीबद्ध एनबीएफसी को वार्षिक रिपोर्ट के कॉरपोरेट अभिशासन सेक्शन के तहत कम से कम निम्नलिखित का खुलासा करना चाहिए।

3.1 बोर्ड की संरचना

क्र. सं.	निदेशक का नाम	से निदेशक	क्षमता (अर्थात कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक/ अध्यक्ष/ प्रोमोटर	डी आई एन	बोर्ड बैठकों की संख्या		अन्य निदेशकों की संख्या	पारिश्रमिक			एनबीएफसी में धारित शेयरों और परिवर्तनीय लिखतों की संख्या
					आयोजित	उपस्थित		वेतन और अन्य मुआवजा	बैठक शुल्क	कमीशन	

[69] 15 जनवरी 2024 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24

			नामिती/ स्वतंत्र)								

चालू और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का विवरण।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	क्षमता (अर्थात कार्यपालक/गैर-कार्यपालक/अध्यक्ष/ प्रोमोटर नामिती/ स्वतंत्र)	परिवर्तन का स्वरूप (इस्तीफा, नियुक्ति)	प्रभावी तारीख

जहां एक स्वतंत्र निदेशक अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा दे देता है, उसके द्वारा दिए गए इस्तीफे के कारणों का खुलासा करें। निदेशकों के बीच किसी भी संबंध के विवरण का खुलासा करें

3.2 बोर्ड की समितियां और उनकी संरचना

(i) बोर्ड की समितियों के नाम बताइए।

(ii) प्रत्येक समिति के लिए, संक्षेप में संदर्भ की शर्तों का उल्लेख करें और निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	से समिति का सदस्य	क्षमता (अर्थात कार्यपालक/गैर-कार्यपालक/अध्यक्ष/ प्रोमोटर नामिती/ स्वतंत्र)	समिति की बैठकों की संख्या		एनबीएफ़सी में धारित शेयरों की संख्या
				आयोजित	उपस्थित	
1.			अध्यक्ष			
2.						

3.3 साधारण सभी की बैठकें

साधारण सभा की तारीख, जगह और पारित विशेष संकल्प का ब्योरा दें

क्र.सं.	बैठक का प्रकार (वार्षिक/असाधारण)	तारीख और स्थान	पारित किए गए विशेष संकल्प

3.4 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से या एक अनुबंध के रूप में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को शेयरधारकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर निम्नलिखित मामलों पर चर्चा को शामिल करना चाहिए:

(i) उद्योग संरचना और विकास

(ii) अवसर और खतरे

(iii) खंड-वार या उत्पाद के लिहाज से प्रदर्शन

(iv) आउटलुक

(v) एक्सपोजर और चिंताएं

(vi) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

(vii) परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

(viii) रोजगार में लिए लोगों की संख्या सहित, मानव संसाधन / औद्योगिक संबंध के मामले में उल्लेखनीय विकास

3.5 कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन का विवरण

लेखा और सचिवीय मानकों के अनुपालन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुपालन में किसी भी चूक का विवरण और कारण दें।

3.6 दंड और सख्ती का विवरण

नियामकों (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य विनियामकों) द्वारा लगाए गए दंड के प्रकटीकरण के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एनबीएफसी को जुर्माना लगाने का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन तथा खातों की टिप्पणियांमें रखना निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में होगा। इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्देश या अन्य प्रतिकूल भी सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

4. अनुबंध का उल्लंघन

लिए गए ऋण या जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों के अनुबंध के उल्लंघन के सभी मामलों का एनबीएफसी को खुलासा करना चाहिए।

5. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

एनबीएफसी नीचे दी गई तालिका के अनुसार विचलन के विवरण का खुलासा करेंगे, यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो:

(i) आरबीआई (या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के मामले में नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)) द्वारा मूल्यांकन की गई अतिरिक्त प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं संदर्भ अवधि के लिए वित्तीय साधनों पर कर और क्षत हानि से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक हैं, या

(ii) आरबीआई द्वारा पहचान किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक हैं।

क्र.सं.	ब्योरा	राशि
1.	एनबीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 20XX* को सकल एनपीए	
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी द्वारा मूल्यांकन किए गए अनुसार 31 मार्च, 20XX को सकल एनपीए	
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	
4.	एनबीएफसी द्वारा रिपोर्ट किए गए के अनुसार 31 मार्च, 20XX को शुद्ध एनपीए	
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी द्वारा मूल्यांकन किए गए अनुसार 31 मार्च, 20XX को निवल एनपीए	
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	
7.	एनबीएफसी द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार 31 मार्च, 20XX को एनपीए के लिए प्रावधान	

क्र.सं.	ब्योरा	राशि
8.	भारतीय रिजर्व बैंक/एनएचबी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 20XX को एनपीए के लिए प्रावधान	
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	
10.	मार्च 31, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय साधनों पर कर पूर्व लाभ और हानि से पहले रिपोर्ट किया गया लाभ	
11.	मार्च 31, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद रिपोर्ट किया गया निवल लाभ	
12.	प्रावधान में विचलन पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ (पीएटी)	

* विचलन के मूल्यांकन के संबंध में संदर्भ अवधि की समाप्ति 31 मार्च 20xx है।

6. विविध

6.1 संबंधित पक्ष के लेनदेन

सभी संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन का विवरण अपनी वैबसाइट एवं वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

6.2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा आवंटित रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन

6.3 निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यकारी निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेन-देन का कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण किया जाएगा।

6.4 अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

चूंकि एनबीएफसी के लाभ और हानि खाते का स्वरूप विशेष रूप से चालू वर्ष के लाभ और हानि पर पूर्व अवधि मदों के प्रभाव को नहीं दर्शाता अतः जहाँ भी आवश्यक हो, इस तरह के प्रभाव का एनटीए में प्रकटीकरण किया जाए।

6.5 राजस्व मान्यता

एक उद्यम को परिस्थितियों का प्रकटीकरण करना चाहिए जिसमें राजस्व की पहचान को महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के लंबित हल तक स्थगित कर दिया गया है।

6.6 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

एनबीएफसी समय-समय पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करें। सीएफएस प्रस्तुत करने वाली एक मूल कंपनी को सभी सहायक कंपनियों - घरेलू के साथ-साथ विदेशी भी, के वित्तीय विवरणों को समेकित करना चाहिए। एक सहायक का समेकन करने या न करने के लिए कारणों का सीएफएस में प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। समेकन के लिए एक विशेष इकाई शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल इकाई के प्रबंधन की होगी। मामले में, अपने यदि सांविधिक लेखा परीक्षक की राय है कि जो इकाई समेकित की जानी चाहिए थी उसे छोड़ दिया गया है तो उन्हे "लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट" में इस संबंध में उनकी टिप्पणी को शामिल करना चाहिए ।

7. अतिरिक्त प्रकटीकरण

7.1 प्रावधान और आकस्मिकताए

वित्तीय विवरण को आसानी से पढ़ने की सुविधा के लिए और सभी प्रावधानों और आकस्मिकताओं के बारे में एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, एनबीएफसी को एनटीए निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करना आवश्यक हैं:

		(करोड़ ₹ में राशि)
लाभ और हानि खाता में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का ब्रेक-अप	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
एनपीए के लिए प्रावधान		
आयकर के लिए प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताए (विवरण के साथ)		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		

7.2 रिजर्व में ड्राडाउन

रिजर्व में किसी ड्राडाउन के उचित प्रकटीकरण एनटीए में किए जाने चाहिए।

7.3 जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए का संकेंद्रण

7.3.1 जमा की संकेंद्रण (जमा लेने वाली एनबीएफसी के लिए)

(करोड़ ₹ में राशि)	
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा	
एनबीएफसी की कुल जमा के विरुद्ध बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत	

7.3.2 अग्रिम का संकेंद्रण

(करोड़ ₹ में राशि)	
बीस सबसे बड़े ऋण लेने वालों का कुल अग्रिम	
एनबीएफसी की कुल अग्रिम के विरुद्ध बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम की प्रतिशतता	

7.3.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण

(करोड़ ₹ में राशि)	
बीस सबसे बड़ी उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल निवेश	
एनबीएफसी के सभी उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोजर के विरुद्ध बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए एक्सपोज़र का प्रतिशत	

7.3.4 एनपीए का संकेंद्रण

(करोड़ ₹ में राशि)	
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल निवेश	

7.4 एनपीए का संचलन

(करोड़ ₹ में राशि)				
विवरण			**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(i)	निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए (%)			
(ii)	एनपीए का संचलन (सकल)			
	(ए)	प्रारंभिक बैलेंस		
	(बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	(सी)	वर्ष के दौरान कटौती		
	(डी)	अन्तः शेष		
(iii)	निवल एनपीए का संचलन			
	(ए)	प्रारंभिक बैलेंस		
	(बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	(सी)	वर्ष के दौरान कटौती		
	(डी)	अन्तः शेष		
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधान का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(ए)	प्रारंभिक बैलेंस		
	(बी)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों		
	(सी)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना /प्रतिलेखन		
	(डी)	अन्तः शेष		

7.5 विदेशी आस्तिया (विदेश में संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों वालो के लिए)

संयुक्त उद्यम / सहायक का नाम	जेवी में दूसरे साथी	देश	कुल परिसंपत्तियां

7.6 ऑफ बैलेंस शीट प्रायोजित एसपीवी

(जिन्हें पूर्व लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित करना आवश्यकता होता है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	**विदेशी (ओवरसीज़)**

भाग III

(एनबीएफसी-यूएल के वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए लागू)

एनबीएफसी-यूएल के लिए प्रकटीकरण

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एसबीआर ढांचे के अनुसार, एनबीएफसी-यूएल को एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचान किए जाने के तीन साल के भीतर अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। तदनुसार, एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचाने जाने पर, गैर-सूचीबद्ध एनबीएफसी-यूएल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत एक सूचीबद्ध कंपनी की प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित रोडमैप तैयार करेंगे।

अनुबंध VIII
एनबीएफसी की बैलेंस शीट की अनुसूची

(करोड़ रुपए में)

	ब्योरे		
	देयताएं पक्ष	**बकाया राशि**	**बकाया राशि**
1	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम जिनमें इन पर उपचित पर न चुकाया गया ब्याज शामिल है:** (ए) डिबेंचर: जमानती गैर-जमानती (लोक जमाराशि की परिभाषा से बाहर *) (बी) आस्थगित ऋण (सी) मीयादी ऋण (डी) अंतर-कंपनी ऋण और उधार (ई) वाणिज्यिक पत्र (एफ) लोक जमाराशि * (जी) अन्य ऋण (उनका स्वरूप बताएं) * कृपया नीचे का नोट 1 देखें		
(2)	**उपर्युक्त (1)एफ (उपचयित ब्याज जिसकी चुकौती नहीं हुई हो, सहित बकाया लोक जमा) का अलग-अलग विवरण**		
	(ए) असुरक्षित डिबेंचर के रूप में		
	(बी) आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर अर्थात ऐसे डिबेंचर जिसमें प्रतिभूति के मूल्य में कमी आई हो, के रूप में		
	(सी) अन्य लोक जमा		
	* कृपया नीचे का नोट 1 देखें		
	परिसंपत्तियां पक्ष	बकाया राशि	
(3)	**प्राप्य बिलों-सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग-अलग विवरण [नीचे (4) में शामिल के अलावा]-** (ए) जमानती (बी) गैर-जमानती		
(4)	**एएफसी गतिविधियों के लिए गणना की जानेवाली पट्टेवाली परिसंपत्तियों तथा किराये पर स्टाक और अन्य परिसंपत्तियों का अलग-अलग विवरण**		

	(i) विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टा किराया समेत पट्टा परिसंपत्तियां (ए) वित्तीय पट्टे (बी) परिचालन पट्टे (ii) विविध देनदारों के अंतर्गत किराया प्रभार समेत किराए पर स्टाक (ए) किराए पर परिसंपत्तियां (बी)पुनःधारित परिसंपत्तियां (iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गणना किए जानेवाले अन्य ऋण (ए) ऐसे ऋण जिनमें परिसंपत्तियां पुनः धारित की गईं (बी) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त ऋण	
(5)	**निवेशों का विस्तारपूर्वक ब्योरा** **<u>चालू निवेश</u>** 1. <u>उद्धृत (कोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्युचुअल फंडों के यूनिट (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों के यूनिट (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	
	<u>दीर्घावधि निवेश</u> 1. <u>उद्धृत (कोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों के यूनिट (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों के यूनिट	

	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)			
(6)	**उपर्युक्त (3) एवं (4) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण** **कृपया नीचे का नोट 2 देखें**			
	श्रेणी	राशि - प्रावधानों को घटाकर		
		जमानती	गैर-जमानती	कुल
	1. संबंधित पक्ष **			
	(ए) सहायक कंपनियां			
	(बी) उसी समूह की कंपनियां			
	(सी) अन्य संबंधित पक्ष			
	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य			
	कुल			

(7.)	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में किए गए समस्त निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण** कृपया नीचे का नोट 3 देखें		
	श्रेणी	बाजार मूल्य/अलग-अलग या उचित मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य	बही मूल्य (प्रावधान घटाकर)
	1. संबंधित पक्ष **		
	(ए) सहायक कंपनियां		
	(बी) उसी समूह की कंपनियां		
	(सी) अन्य संबंधित पक्ष		
	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य		
	कुल		

** आइसीएआइ के लेखांकन मानक के अनुसार (कृपया नोट 3 देखें)

8. अन्य जानकारी

ब्योरा	राशि
(i) सकल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(ए) संबंधित पक्ष	
(बी) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(ii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(ए) संबंधित पक्ष	
(बी) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	

(iii)	ऋण की पूर्ति हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियां	

नोट:

1.	इस दिशानिर्देश के पैराग्राफ 5.1.26 में यथापरिभाषित।
2.	इस दिशानिर्देश में यथा निर्धारित प्रावधान मानदंड लागू होंगे।
3.	निवेश तथा अन्य परिसंपत्तियों के साथ-साथ ऋण की पूर्ति हेतु अधिगृहीत अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन-सहित सभी पर आइसीएआइ द्वारा जारी सभी लेखांकन मानक और निर्देश नोट लागू होंगे। तथापि, उद्धृत निवेशों के संबंध में बाजार मूल्यों और अनुद्धृत निवेशों के अलग-अलग/उचित मूल्य/निवल परिसंपत्ति मूल्यों का खुलासा किया जाना चाहिए, भले ही उपर्युक्त (5) में इन्हें दीर्घावधि या चालू रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

अनुबंध IX
लाभांश घोषित करने वाली एनबीएफसी के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण

एनबीएफसी का नाम – _________

लेखांकन अवधि *	लेखांकन अवधि के लिए शुद्ध लाभ (₹ करोड़)	लाभांश की दर (%)	लाभांश की राशि (₹ करोड़)	लाभांश भुगतान अनुपात (%)

* तिमाही या अर्ध वर्ष या समाप्त वर्ष ----- जैसा भी मामला हो

अनुबंध X
गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का डाटा

ऋण देने वाली एनबीएफसी का नाम					
पीएएन					
रिपोर्टिंग की तारीख					
शेयर धारण सूचना					
कंपनी का नाम	**आईएसआईएन**	**ऋण के बदले रखे गए शेयरों की संख्या**	**उधारकर्ता का प्रकार (प्रवर्तक/गैर प्रवर्तक)**	**उधारकर्ता का नाम**	**उधारकर्ता का पीएएन**

अनुबंध XI
निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण

		(₹ करोड)
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
निदेशक और उनके रिश्तेदार		
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएं		
वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदार		

अनुबंध XII

एनबीएफसी के प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के बारे में जानकारी

अनुबंध XII(1) **एनबीएफसी के प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के बारे में जानकारी**		
क्रमांक.	**आवश्यक विवरण**	**प्रतिक्रिया**
1	नाम	
2	पदनाम	अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	राष्ट्रीयता	
4	आयु (जन्म तिथि के साथ प्रमाणित किया जाना है)	
5	व्यावसायिक पता	
6	घर का पता	
7	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
8	आयकर अधिनियम के तहत पैन संख्या	
9	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
10	सामाजिक सुरक्षा नंबर / पासपोर्ट संख्या *	
11	शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	
12	नौकरी के लिए प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धि	
13	व्यापार या व्यवसाय की लाइन	
14	कंपनी से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी	
15	अन्य कंपनियों के नाम, जिनमें व्यक्ति अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य किया है	
16	संस्थाओं के नियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य विदेशी नियामक) का उल्लेख जिनमें व्यक्तियों ने निदेशक का पद धारण किया है	
17	एनबीएफसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित का / के नाम, जिसके साथ व्यक्ति, एक निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, प्रवर्तक के रूप में जुड़ा हुआ है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे जमा स्वीकार करने से मना कर दिया गया है/ मुकदमा चलाया गया है, यदि कोई हो?	
18	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए व्यक्ति के खिलाफ या ऐसी संस्थाओं में से किसी के खिलाफ जिसके साथ अतीत में व्यक्ति जुड़ा	

	हुआ है लंबित या शुरू अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
19	व्यक्ति या व्यक्ति के रिश्तेदारों या व्यक्ति के साथ जुडी कंपनियों द्वारा किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में डिफ़ॉल्ट के मामले, यदि कोई हो	
20	यदि व्यक्ति किसी व्यावसायिक संघ / संस्था का सदस्य है तो उसके खिलाफ अतीत में अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण या शुरू या लंबित है या जिसके परिणामस्वरूप अपराध सिद्ध होता हो, या क्या कभी भी उसके किसी व्यवसाय के प्रवेश पर से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यदि कोई हो	
21	क्या व्यक्ति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित अयोग्यता में से किसी को आकर्षित करता है	
22	क्या व्यक्ति या कंपनियों जिनके साथ वह जुड़े है, को सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच के अधीन कर दिया गया है	
23	क्या किसी भी समय में व्यक्ति को सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, विवरण दें	
24	एनबीएफसी के कारोबार में अनुभव (वर्षों की संख्या)	
25	कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी	
i	शेयरों की संख्या	....
ii	अंकित मूल्य	रुपए ....
iii	कंपनी की इक्विटी शेयर भुगतान पूंजी का कुल प्रतिशत	....
26	कंपनियों, फर्मों और मालिकाना संबंधो का नाम जिसमे व्यक्ति पर्याप्त हित रखते है	
27	ऊपरोक्त 26 के प्रिंसिपल बैंकरों के नाम	
28	विदेशी बैंकरों का नाम *	

29	क्या व्यक्ति द्वारा धारित निदेशकता की संख्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 165 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है	
		हस्ताक्षर:
	तारीख:	नाम:
	स्थान:	पदनाम:
		कंपनी की मुहर:

*** विदेशी प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के लिए**

ध्यान दें:

(i) प्रत्येक प्रस्तावित प्रवर्तक / निदेशक / शेयरधारक के संबंध में अलग-अलग फार्म प्रस्तुत की जानी चाहिए

		अनुबंध XII(2)
	कॉर्पोरेट प्रमोटर के बारे में जानकारी	
क्रमांक.	**आवश्यक विवरण**	**प्रतिक्रिया**
1	नाम	
2	व्यावसायिक पता	
3	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
4	आयकर अधिनियम के तहत पैन संख्या	
5	अनुपालन अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण	
6	व्यापार की लाइन	
7	उनके प्रमुख शेयरधारकों (10% से अधिक) का विवरण और गतिविधि की लाइन , अगर कॉरपोरेट्स हो तो	
8	प्रिंसिपल बैंकरों / विदेशी बैंकरों का नाम *	
9	नियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य विदेशी नियामक)	
10	समूह में शामिल कंपनी/कंपनीयो का नाम जैसा कि उचित मानदंड निर्देश में परिभाषित है	
11	समूह में शामिल कंपनी/कंपनियों के नाम जो एनबीएफसी हैं	
12	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुकदमा चलाया गया है या जमा स्वीकार करने से मना कर दिया गया है, ऐसी समूह की कंपनियों के नाम निर्दिष्ट करें?	
13	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए कॉरपोरेट के खिलाफ या ऐसी संस्थाओं में से किसी के खिलाफ जिसके साथ अतीत में व्यक्ति जुड़ा हुआ है लंबित या शुरू अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
14	कारपोरेट द्वारा किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में डिफ़ॉल्ट के मामले, यदि कोई हो	
15	क्या कॉर्पोरेट को सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच के अधीन कर दिया गया है	
16	क्या किसी भी समय में कारपोरेट को सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है , विवरण दें	
17	क्या प्रमोटर कॉर्पोरेट / कॉर्पोरेट का बहुमत शेयरधारक, यदि कारपोरेट हो तो ने भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है जो कभी अस्वीकार कर दिया गया है	
		हस्ताक्षर:

	तारीख:	नाम:
	स्थान:	पदनाम:
		कंपनी की मुहर:
*** विदेशी कारपोरेट के लिए**		

अनुबंध XIII
एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

1. परिचय

1.1 आउटसोर्सिंग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है एनबीएफसी –द्वारा निरन्तरता के आधार पर किसी तीसरे पक्ष (जो किसी कार्पोरेट समूह के भीतर एक सम्बद्ध संस्था हो या उस कार्पोरेट समूह से बाहर की संस्था हो (गतिविधियों उन से माध्यम के को, वर्तमान या भविष्य में कराना जिन्हें सामान्यतः एनबीएफसी स्वयं करते हैं। निरंतरता के आधारके अवधि सीमित अंतर्गत के ' करार भी शामिल होंगे ।

1.2 एनबीएफसी विभिन्न गतिविधियों की व्यापक आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और इस प्रकार पैरा 5.3 में गए विवरण के अनुसार अनेक जोखिम उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग गतिविधियों को नियामक सीमा के अन्तर्गत लाया जाना है ताकि

a. ग्राहकों के हित की रक्षा हो सके। तथा

b. सेवा प्रदाता की सभी बहियों, अभिलेखों और उपलब्ध सूचना तक संबंधित एनबीएफसी और भारतीय रिज़र्व बैंक की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। सामान्य रूप से जिन वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जाती है उनमें अन्य के साथस-ाथ आवेदनों की प्रोसेसिंग (ऋण का आरम्भ, क्रेडिट कार्ड(, प्रलेखों प्रोसेसिंग की दस्तावेजों/, विपणन और शोध, ऋण का पर्यवेक्षण, डेटा प्रोसेसिंग और आंतरिक परिचालन शामिल गतिविधियाँ संबंधित से (ऑफिस बैक) हैं ।

1.3 आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण जोखिम हैं नीतिगत कार्य - जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधिक जोखिम, निर्गमन नीति जोखिम, प्रतिपक्षी जोखिम, देश जोखिम, संविदागत जोखिम, प्रवेश जोखिम, संकेंद्रण और सर्वांगी जोखिम। यदि सेवा प्रदाता विनिर्दिष्ट सेवा देने में चूक करे, सुरक्षा अथवा करे उल्लंघन का गोपनीयता/ सेवा प्रदाता द्वारा विधिक और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन न हो तो एनबीएफसी को वित्तीय हानि या प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है तथा इससे सर्वांगी जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है ।

1.4 अतः एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक होगा कि अपनी गतिविधियों का आउटसोर्सिंग करते समय वे यह सूनिश्चित करें कि उक्त गतिविधियों की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न जोखिम के संबंध में प्रभावी पर्यवेक्षण और सावधानी बरतने तथा जोखिम प्रबंध करने के लिए उत्कृष्ट और सम्यक जोखिम प्रबंध पद्धतियाँ अपनाई जाए । ये निदेश भारत या अन्यत्र स्थित सेवा प्रदाता के साथ पैरा 3 में की गई व्याख्या के अनुसार एनबीएफसी द्वारा की गयी महत्त्वपूर्ण आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर लागू होंगे । एनबीएफसी जिस समूह हो सदस्य का संगुट /, सेवा प्रदाता उसका सदस्य हो सकता है अथवा समूह से असम्बद्ध पक्ष हो सकता है।

1.5 इन निदेशों का अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि विनियमित संस्था यह सुनिश्चित करे कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण ग्राहकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति दयित्व पूर्ति की उसकी क्षमता में कमी नहीं होगी और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में कोई बाधा पहुँचेगी । अतः एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम

उठाना होगा कि सेवा प्रदाता सेवा प्रदान करने में उतने ही उच्च स्तर की सावधानी बरतता है, जितनी तब एनबीएफसी बरतता, यदि आउटसोर्स की गई गतिविधियाँ एनबीएफसी के भीतर ही रहती और उनकी आउटसोर्सिंग नहीं होती । अतः एनबीएफसी को ऐसी आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए जिनसे उनका आंतरिक नियंत्रण, कारोबारी आचरण या प्रतिष्ठा प्रभावित हो या क्षीण हो ।

1.6 (i) ये निदेश वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग से संबंधित जोखिम प्रबंधन से जुड़ा हुआ है और न कि तकनीकी संबंधित विषयों अथवा जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं है जैसे कि कूरियर सेवा, स्टाफ के लिए खानपान, हाउसकीपिंग तथा साफ-सफाई सेवाएं, परिसरों की सुरक्षा, रिकॉर्डों को लाना-ले जाना और रख-रखाव इत्यादि। वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के इच्छुक एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है । तथापि ऐसी व्यवस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऑन साइट/ऑफ साइट अनुवीक्षण और निरीक्षण / जांच के अधीन होगी।

(ii) क्रेडिट कार्डों से जुड़ी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में रिज़र्व बैंक के 21 अप्रैल 2022 के, समय-समय पर संशोधित ,**मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022** में निहत क्रेडिट कार्ड गतिविधियों संबंधी विस्तृत निर्देश लागू होंगे ।

2. ऐसी गतिविधियाँ जिनकी आउटसोर्सिंग नहीं की जानी है

जो एनबीएफसी वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने का निर्णय लेते हैं उन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा, कार्यनीतिक तथा अनुपालन कार्य और निर्णय लेने से संबंधी कार्य, उदाहरण के लिए जमा खाता खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना, ऋण (खुदरा ऋण सहित) की मंजूरी देना और निवेश संविभाग का प्रबंध जैसे मुख्य प्रबंध संबंधी कार्यों की आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए। तथापि, समूह/संगुट में शामिल एनबीएफसी के लिए इन गतिविधियों का आउटसोर्सिंग अपने समूह में की जा सकती है, बशर्ते कि पैरा 6 में दिये गए निर्देशों का अनुपालन किया जाए। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य जहां स्वयं में प्रबंधन प्रक्रिया है, वहां आंतरिक लेखा परीक्षक ठेके पर रखे जा सकते हैं।

3. महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग

इन निदेशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएँ वे हैं जिनके बाधित होने पर कारोबारी परिचालन, प्रतिष्ठा, लाभप्रदता अथवा ग्राहक सेवा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है । आउटसोर्सिंग की महत्ता निम्नलिखित पर आधरित होगी -

(i) आउटसोर्स की जा रही गतिविधि की एनबीएफसी के लिए महता का स्तर तथा इससे जुड़े जोखिम की महता ।

(ii) आउटसोर्सिंग का एनबीएफसी के विभिन्न परिमापों यथा एनबीएफसी की आय, ऋण शोधन क्षमता, निधीयन पूंजी और जोखिम के स्वरूप पर प्रभाव ।

(iii) यदि सेवा प्रदाता सेवा न दे सके तो एनबीएफसी की प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य तथा कारोबारी उद्देश्य, रणनीति और योजनाओं को कार्यान्वित करने की एनबीएफसी की योग्यता पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव ।

(iv) एनबीएफसी की कुल परिचालन लागत के अनुपात के रूप में आउटसोर्सिंग की लागत ।

(v) यदि एनबीएफसी एक ही सेवा प्रदाता को विभिन्न कार्यों की आउटसोर्सिंग करता है और उसका ग्राहक सेवा पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाग पड़ता है तो आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के प्रति कुल एक्सपोज़र तथा

(vi) ग्राहक सेवा और सुरक्षा के संबंध में आउटसोर्स की गई गतिविधियों का महत्त्व।

4. एनबीएफसी की भूमिका तथा विनियामक और पर्यवेक्षीय अपेक्षाएँ

4.1 एनबीएफसी द्वारा अपनी किसी गतिविधि की आउटसोर्सिंग करने से एनबीएफसी का, उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र का दयित्व कम नहीं होता, क्योंकि आउटसोर्स की गयी गतिविधि का अन्तिम दायित्व उन्हीं पर है । अतः, एनबीएफसी प्रत्यक्ष बिक्री एजेन्ट और एजेन्ट विपणन प्रत्यक्ष/ वसूली एजेन्टों सहित अपने सेवा प्रदाता के कार्यों तथा सेवा प्रदाता के पास ग्राहकों से संबंधित उपलब्ध सूचना की गोपनीयता के संबंध में उत्तरदायी होगा । एनबीएफसी के पास आउटसोर्स की गयी गतिविधि के संबंध में अंतिम नियंत्रण रहना चाहिए।

4.2 एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक है कि आउटसोर्सिंग के संबंध में उचित सावधानी बरतते /समुचित छानबीन करते समय सभी संबंधित कानून, विनियमावली, मार्ग निर्देश, अनुमोदन, लाइसेंसिंग और पंजीकरण की शर्तों पर विचार करें ।

4.3 आउटसोर्सिंग व्यवस्था से एनबीएफसी के विरुद्ध ग्राहक का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा संबंधित कानून के अंतर्गत समाधान प्राप्त करने की ग्राहक की क्षमता भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए । चूंकि ग्राहकों को एनबीएफसी से कारोबार करने के क्रम में सेवा प्रदाता से कारोबार करना पड़ता है, अतः ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को अपने उत्पाद साहित्य/पर्चे में इस प्रावधान को शामिल करना चाहिए कि एनबीएफसी अपने उत्पादों की बिक्री /विपणन आदि के लिए एजेंटों की सेवा लेगा । एजेन्टों की भूमिका मोटे तौर पर बतायी जानी चाहिए ।

4.4 सेवा प्रदाता आउटसोर्स की गयी गतिविधियों का प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण और प्रबंध करने की एनबीएफसी की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा न तो भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षीय कार्य और उद्देश्यों की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न होनी चाहिए ।

4.5 एनबीएफसी के पास शिकायत निवारण की सुदृढ़ प्रणाली होनी चाहिए,जिसमें आउटसोर्सिंग के कारण कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए ।

4.6 यदि सेवा प्रदाता एनबीएफसी की कोई समूह की कंपनी न हो तो वह एनबीएफसी के किसी निदेशक या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिए गए अर्थ के अनुसार उनके संबंधियों द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित नहीं होना चाहिए।

5. आउटसोर्स की गयी वित्तीय सेवाओं के संबंध में जोखिम प्रबंध पद्धतियाँ

5.1 आउटसोर्सिंग नीति

यदि कोई एनबीएफसी अपनी किसी वित्तीय गतिविधि की आउटसोर्सिंग करना चाहती है तो उसे एक समग्र आउटसोर्सिंग नीति बनानी चाहिए, जिसका अनुमोदन एनबीएफसी के बोर्ड ने किया हो तथा जिसमें अन्य बातों के साथसाथ-, ऐसी गतिविधियों और सेवा प्रदाता के चयन की कसौटी, जोखिम और महत्ता के आधार पर प्राधिकार का प्रत्यायोजन तथा इन गतिविधियों के परिचालन की समीक्षा और निगरानी की प्रणाली शामिल होनी चाहिए ।

5.2 बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका

5.2.1 बोर्ड की भूमिका

i. एनबीएफसी का बोर्ड या बोर्ड की ऐसी समिति जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी-
ii. वर्तमान और भावी सभी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता के मूल्यांकन तथा ऐसी व्यवस्थाओं पर लागू नीतियों के मूल्यांकन की एक प्रणाली का अनुमोदन करना;
iii. जोखिमों और महत्ता के आधार पर आउटसोर्सिंग के लिए उपयुक्त अनुमोदन करनेवाले प्राधिकरियों का निर्धारण करना;
iv. इन निदेशों के अनुपालन के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का एक उपयुक्त प्राशसनिक ढांचा गठित करना;
v. आउटसोर्सिंग जारी रखने की प्रासंगिकता तथा उनकी सुरक्षा और सुद्दढ़ता के लिए आउटसोर्सिंग कार्य नीतियों और व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करना;
vi. आउटसोर्स की जानेवाली महत्वपूर्ण स्वरूप की कारोबारी गतिविधि के संबंध में निर्णय लेना और ऐसी व्यवस्थाओं का अनुमोदन करना।

5.2.2 वरिष्ठ प्रबंधन के उत्तरदायित्व

i. बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रणाली के आधार पर सभी वर्तमान और भावी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता का मूल्यांकन करना;
ii. आउटसोर्सिंग गतिविधियों के स्वरूप, संभावना और जटिलता के अनुरूप सुद्दढ़ और विवेकपूर्ण आउटसोर्सिंग नीतियां और क्रियविधियां विकसित करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
iii. नीतियों और क्रियविधियों की कारगरता की आवधिक रूप से समीक्षा करना;
iv. महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों से संबंधित जानकारी बोर्ड को समय पर देना;
v. यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक और संभवित विघटनकारी स्थितियो पर आधरित आकस्मिकता योजनाएं बनायी जाती हैं और उनका परीक्षण किया जाता है;

vi. यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित नीतियों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाती है और

vii. आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं की आवधिक रूप से समीक्षा करना ताकि उत्पन्न होने वाले नये महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों का पता लगाया जा सके ।

5.3 जोखिमों का मूल्यांकन

एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग के निम्नलिखित मुख्य जोखिमों का मूल्यांकन और उससे निपटने की ज़रूरत है -

(i) कार्य नीतिगत जोखिम - सेवा प्रदाता अपनी ओर से कोई ऐसा कारोबार कर रहा है, जो एनबीएफसी के समग्र कार्य नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है ।

(ii) प्रतिष्ठा जोखिम - सेवा प्रदाता की खराब सेवा, ग्राहकों के साथ उसका परस्पर संपर्क एनबीएफसी के समग्र मानकों/स्तर के अनुरूप न हो ।

iii) अनुपालन जोखिम – गोपनीयता, उपभोक्ता और विवेकपूर्ण कानूनों का पर्याप्त रूप से अनुपालन न किया जाना ।

(iv) परिचालन जोखिम - टेक्नोलॉजी फेल होने, धोखाधड़ी, गलती, दयित्वों को पूरा करने तथा/या उनके उपायों के लिए अपर्याप्त वित्तीय क्षमता से होनेवाले जोखिम ।

(v) विधिक जोखिम - इसमें सेवा प्रदाता की गलती के कारण पर्यवेक्षी कार्रवाई तथा निजी निपटानों के फलस्वरूप लगनेवाले जुर्माने, दंड या दंडात्मक हानि शामिल है।

(vi) निर्गमन कार्य नीति जोखिम - यह जोखिम एक ही फर्म पर अत्यधिक निर्भरता तथा एनबीएफसी में संबंधित कौशल की हानि से हो सकती है, जिससे उस गतिविधि को वापस आंतरिक रूप से एनबीएफसी में नहीं लाया जा सकता । यह जोखिम तब भी उत्पन्न होती है जब ऐसी संविदाएं की गयी हों जिनसे जल्दी बाहर निकलना अत्यधिक खर्चीला सिद्ध हो ।

(vii) प्रतिपक्षी जोखिम – अनुपयुक्त हामीदारी या साख मूल्यांकन के कारण होनेवाला जोखिम ।

(viii) संविदागत जोखिम - यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संविदा लागू करने की एनबीएफसी की क्षमता है या नहीं ।

(ix) संकेंद्रण और सर्वागी जोखिम – जहां किसी सेवा प्रदाता पर समग्र उद्योग जगत अत्यधिक रूप से निर्भर हो और इस प्रकार एनबीएफसी इस सेवा प्रदाता पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता है। ।

(x) देश संबंधी जोखिम - राजनैतिक, सामाजिक या कानूनी वातावरण के कारण निर्मित होनेवाली अतिरिक्त जोखिम ।

5.4 सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करना

5.4.1 आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर विचार करते समय या समीक्षा करते समय आउटसोर्सिंग व्यवस्था में निहित दायित्वों की सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उचित सतर्कता बरती जानी चाहिए ।

उचित सतर्कता के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक, वित्तीय, परिचालन तथा प्रतिष्ठा संबंधी तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । एनबीएफसी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सेवा प्रदाताओं की प्रणाली उनकी अपनी प्रणाली के अनुरूप है तथा ग्राहक सेवा क्षेत्र सहित क्या उनके कार्य निष्पादन का स्तर उन्हें स्वीकार्य है । सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करते समय एनबीएफसी को एक ही सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के अनुचित संकेंद्रण से संबंधित मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए । जहां कहीं संभव हो, वहां एनबीएफसी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में सेवा प्रदाता के संबंध में स्वतंत्र समीक्षाएं और बाज़ार का फीडबैक प्राप्त करना चाहिए ।

5.4.2 उचित सतर्कता के अंतर्गत सेवा प्रदाता के बारे में उपलब्ध सभी सूचना का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए । उसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है -

i. संविदागत अवधि में प्रस्तावित गतिविधि के कार्यान्वयन और समर्थन हेतु पिछला अनुभव और क्षमता;
ii. विपरीत परिस्थितियों में भी वायदों को पूरा करने की वित्तीय सुद्दढ़ता और क्षमता;
iii. कारोबारी प्रतिष्ठा और संस्कृति, अनुपालन, शिकायतें और वर्तमान या संभावित मुकदमा;
iv. सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण, लेखा परीक्षा व्याप्ति, सूचना और निगरानी प्रणाली, कारोबार निरंतरता प्रबंधन और
v. अपने कर्मचारियों के संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा उचित सतर्कता सुनिश्चित करना।

5.5 आउटसोर्सिंग करार

एनबीएफसी और सेवा प्रदाता के बीच संविदा को नियंत्रित करनेवाली शर्तें लिखित करार में सावधानीपूर्वक परिभाषित की जानी चाहिए तथा एनबीएफसी के विधि परामर्शदाता द्वारा उनके कानूनी प्रभाव एवं प्रवर्तनीयता की जांच की जानी चाहिए । ऐसे प्रत्येक करार में जोखिमों और उन्हें कम करने की कार्य नीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । करार पर्याप्त रूप से लचीला हो जिससे एनबीएफसी आउटसोर्सिंग पर उचित नियंत्रण बनाये रख सके तथा कानूनी और विनियामक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उचित उपायों के साथ दखल देने का उसे अधिकार हो । करार में पक्षकारों के बीच कानूनी संबंध का स्वरूप भी बताया जाना चाहिए - अर्थात् यह संबंध एजेंट, प्रधान या अन्य प्रकार का है । संविदा के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नप्रकार होंगे -

i. संविदा में स्पष्ट रूप से यह परिभाषित किया जाए कि कौन सी गतिविधियां आउटसोर्स की जानेवालीहैं तथा उनकी उपयुक्त सेवा और कार्य निष्पादन मानक क्या होंगे;
ii. एनबीएफसी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि आउटसोर्स की जानेवाली गतिविधि के लिए प्रासंगिक सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध सभी बहियों, रिकॉर्डों और सूचना प्राप्त करने की उसकी क्षमता है;
iii. संविदा में एनबीएफसी द्वारा सेवा प्रदाता की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई भी आवश्यक सुधारात्मक उपाय तत्काल किया जा सके;

iv. समापन शर्त और समापन प्रावधान निष्पदित करने की न्यूनतम अवधियां, यदि आवश्यक समझा जाए तो, शामिल की जानी चाहिए;

v. ऐसे नियंत्रण जिनसे ग्राहक संबंधी आँकड़ों की गोपनीयता तथा सुरक्षा भंग करने और ग्राहक से संबंधित गोपनीय सूचना लीक होने के मामले में सेवा प्रदाताओं की देयता सुनिश्चित हो;

vi. कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजनाएं;

vii. सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्स की जानेवाली सभी गतिविधि या उसके किसी भाग के लिए उप कांट्रक्टर का उपयोग करने के लिए संविदा में एनबीएफसी द्वारा पूर्व अनुमोदनचाहिए होना प्रावधान का सहमति/;

viii. एनबीएफसी द्वारा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त एजेंटों द्वारा लेखा परीक्षा करने के तथा एनबीएफसी के लिए दी गयी सेवा के साथ सेवा प्रदाता के संबंध में की गयी लेखा परीक्षा या समीक्षा रिपोर्टों तथा निष्कर्षों की प्रतियां प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान हो;

ix. आउटसोर्सिंग करार में ऐसे खंड शामिल होने चाहिए जिनसे भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को सेवा प्रदाता को दी गयी या उसके पास रखी गयी अथवा उसके द्वारा प्रोसेस किये गये एनबीएफसी के दस्तावेज, लेनदेनों के रिकार्ड तथा अन्य आवश्यक सूचना उचित समय के भीतर प्राप्त की जा सके;

x. आउटसोर्सिंग करार में ऐसा खंड भी शामिल होना चाहिए जिसमें रिज़र्व बैंक के किसी एक या अधिक अधिकरियों या कर्मचरियां या अन्य व्यक्तियों द्वारा एनबीएफसी के सेवा प्रदाता और उसकी बहियों तथा खाते का निरीक्षण करने के अधिकार को स्वीकार किया गया हो;

xi. आउटसोर्सिंग करार में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि संविदा समाप्त होने या समाप्त किये जाने के बाद भी ग्राहक संबंधी सूचना की गोपनीयता बनाये रखी जाएगी; और

xii. आउटसोर्सिंग करार में सेवा काल की समाप्ति के पश्चात भी सेवा प्रदाता द्वारा एनबीएफसी के हित में दस्तावेज और डाटा परिरक्षण के लिए विधिक दायित्व के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

5.6 गोपनीयता तथा सुरक्षा

5.6.1 एनबीएफसी पर आम जनता का भरोसा तथा ग्राहक का विश्वास एनबीएफसी की स्थिरता तथा प्रतिष्ठा की पूर्वापेक्षा है । अतः एनबीएफसी को चाहिए कि वह अपनी अभिरक्षा में अथवा सेवा प्रदाता के पास जो भी ग्राहक संबंधी जानकारी है उसकी सुरक्षा तथा गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे ।

5.6.2 सेवा प्रदाता के स्टाफ की ग्राहक संबंधी जानकारी तक पहुंच अर्थात् चाहिए होनी पर आधार 'आवश्यक जानना' पहुंच उन क्षेत्रों तक सीमित रहनी चाहिए जहां आउटसोर्स किए गए कार्य के निष्पादन के लिए वह जानकारी आवश्यक है ।

5.6.3 एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनबीएफसी के ग्राहक से संबंधित जानकारी, दस्तावेज, अभिलेख तथा परिसंपत्ति को सेवा प्रदाता अलग तथा स्पष्टरूप से पहचान सकता है ताकि जानकारी की गोपनीयता

सुरक्षित रह सकती है । उस स्थिति में जहां सेवा प्रदाता अनेक एनबीएफसी के लिए आउटसोर्सिंग एजेंट का कार्य करता है, वहां प्रभावशाली सुरक्षा उपाय बनाने की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जानकारी दस्तावेज /, अभिलेख तथा परिसंपत्तियों का आपस में मिश्रण नहीं होगा ।

5.6.4 एनबीएफसी को सेवा प्रदाता की सुरक्षा पद्धतियों तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं की नियमित आधार पर समीक्षा तथा निगरानी करनी चाहिए तथा सेवा प्रदाता से सुरक्षा के उल्लंघनों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए ।

5.6.5 ग्राहक से संबंधित गोपनीय जानकारी के प्रकट होने तथा सुरक्षा में किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने की स्थिति में एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल सूचित करना चाहिए । इस तरह की घटनाओं में एनबीएफसी किसी भी क्षति के लिए अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होगा ।

5.7 [70]प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट /प्रत्यक्ष विपणन एजेंट/ वसूली एजेंट की जिम्मेदरियां

5.7.1 एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट /प्रत्यक्ष विपणन एजेंट /वसूली एजेंट को उनकी जिम्मेदरियों को, विशेषतः नये ग्राहक बनाना, फोन करने का समय, ग्राहक संबंधी जानकारी की गोपनीयता तथा प्रस्तावित उत्पादों की सही शर्तें बताने आदि से संबंधित पहलुओं को सावधानी तथा संवेदनशीलता से पूरा करने के लिए समूचित रीति से प्रशिक्षित किया गया है ।

5.7.2 एनबीएफसी डीएसए/डीएमए/वसूली एजेंट के लिए अपने बोर्ड से अनुमोदित उचित व्यवहार संहिता लागू करेंगे और उनसे इस संहिता का अनुपालन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त वसूली एजेंटों को एनबीएफसी संबंधी उचित व्यवहार संहिता में शामिल अनुदेश तथा बकाये की वसूली तथा प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण के संबंध में उनकी अपनी संहिता का भी पालन करना होगा । यह आवश्यक है कि वसूली एजेंट ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे एनबीएफसी की ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे और इसके साथ ही उन्हें ग्राहक गोपनीयता का कड़ाई से पालन करना चाहिए ।

5.7.3 एनबीएफसी या उनके प्रतिनिधि अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या देनदारों के परिवार के सदस्यों, निर्देशी और दोस्तों की गोपनीयता में दखल देने, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजने, धमकी देने और / या गुमनाम कॉल करने, लगातार[71] उधारकर्ता को कॉल करने और / या अतिदेय ऋणों की वसूली के उद्देश्य से उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल

[70] 12 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23

[71] बार-बार कॉल करना

करना, झूठे और भ्रामक अभ्यावेदन करना, आदि शामिल है। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

5.7.4 उक्त पैरा 5.7.3 परिपत्र 14 मार्च 2022 के 'मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामक ढांचा) निदेश, 2022' के तहत कवर किए गए सूक्ष्मवित्त ऋणों पर लागू नहीं होगा। सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए एनबीएफसी परिपत्र 14 मार्च 2022 के 'मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामक ढांचा) निदेश, 2022' (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों द्वारा निर्देशित होंगे।

5.8 कारोबार की निरंतरता तथा आपात्कालीन बहाली (डिज़ास्टर रिकवरी) योजना का प्रबंधन

5.8.1 एनबीएफसी को अपने सेवा प्रदाताओं से कारोबार की निरंतरता तथा बहाली क्रियाविधियों के प्रलेखन, उन्हें बनाए रखने तथा जांच के लिए एक संतुलित ढांचा विकसित तथा स्थापित करने की अपेक्षा करनी चाहिए । एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सेवा प्रदाता कारोबार निरंतरता तथा बहाली योजना की आवधिक रूप से जांच करता है तथा एनबीएफसी अपने सेवा प्रदाता के साथ सामयिक संयुक्त जांच तथा बहाली अभ्यास करने पर भी विचार करे ।

5.8.2 आउटसोर्सिंग करार की अप्रत्यशित समाप्ति अथवा सेवा प्रदाता के परिसमापन से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए एनबीएफसी को चाहिए कि वे अपने आउटसोर्सिंग पर उचित स्तर का नियंत्रण रखें तथा ऐसे मामलों में अत्यधिक व्यय किए बिना तथा एनबीएफसी के परिचालनों तथा उसके ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना अपने कारोबार परिचालनों को जारी रखने के लिए उचित उपायों के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार रखें ।

5.8.3 एक सक्षम आकस्मिकता योजना स्थापित करने के लिए, एनबीएफसी को वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता अथवा आपात स्थिति में आउटसोर्स किए गए काम को फिर से एनबीएफसी में करने के लिए वापस लाने की संभावना तथा ऐसा करने में जो लागत, समय व संसाधन खर्च होंगे उस पर विचार करना चाहिए ।

5.8.4 आउटसोर्सिंग से अक्सर सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता एनबीएफसी की जानकारी, दस्तावेज तथा अभिलेख तथा अन्य परिसंपत्तियों को अलग करने की क्षमता रखते हैं । इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुकूल परिस्थितियों में सेवा प्रदाता को दिए गए सभी दस्तावेज, लेनदेन के अभिलेख तथा जानकारी तथा एनबीएफसी की परिसंपत्तियों को एनबीएफसी के कारोबार के परिचालनों को जारी रखने के लिए सेवा प्रदाता के पास से निकाला जा सकता है अथवा मिटाया, नष्ट अथवा अप्रयोज्य बनाया जा सकता है ।

5.9 आउटसोर्स किए गए कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण

5.9.1 एनबीएफसी के पास अपने आउटसोर्सिंग कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण के लिए एक प्रबंधन संरचना तैयार होनी चाहिए । उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग करारों में आउटसोर्स किए गए कार्यों की उनके द्वारा निगरानी तथा नियंत्रण के प्रावधान होने चाहिए ।

5.9.2 सभी महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग का एक केंद्रीय अभिलेख रहना चाहिए जो एनबीएफसी के बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र की समीक्षा के लिए तत्काल उपलब्ध हो। इन अभिलेखों को तत्काल अद्यतन किया जाना चाहिए तथा बोर्ड अथवा जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष अर्धवार्षिक समीक्षाएं रखी जानी चाहिए ।

5.9.3 एनबीएफसी के आंतरिक लेखा परीक्षकों अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित लेखा परीक्षा से आउटसोर्सिंग व्यवस्था के निरीक्षण तथा प्रबंधन में अपनाई गयी जोखिम प्रबंध पद्धतियों की पर्याप्तता, अपने जोखिम प्रबंध ढांचे तथा इन निदेशों की अपेक्षाओं का एनबीएफसी द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जाए ।

5.9.4 एनबीएफसी को कम-से-कम वार्षिक आधार पर सेवा प्रदाता की वित्तीय तथा परिचालन स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए जिससे उसकी अपने आउटसोर्सिंग दयित्वों को पूरा करते रहने की क्षमता का मूल्यांकन होगा । ऐसी उचित सावधानी समीक्षाओं में जो सेवा प्रदाता से संबंधित समस्त उपलब्ध जानकारी पर आधरित होंगी, कार्यनिष्पादन मानकों, गोपनीयता तथा सुरक्षा और कारोबार की निरंतरता को बनाए रखने की तत्परता में किसी प्रकार की गिरावट अथवा उल्लंघन को विशिष्ट रूप से दर्शाया जाए ।

5.9.5 किसी भी कारण से ऑउटसोर्सिंग करार की समप्ति हो, जिसमें सेवा प्रदाता ग्राहकों से कोई कारोबार करता है, तो इसे प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कर, वेबसाइट पर अपलोड कर और ग्राहकों को सूचित करके प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक सेवा प्रदाता से सेवा लेना जारी नहीं रखें ।

5.9.6 कुछ मामलों में जैसे नकद प्रबंधन के आउटसोर्सिंग में एनबीएफसी, सेवा प्रदाता और उसके उप ठेकेदारों के बीच हुए लेनदेन का मिलान करना शामिल है। ऐसे मामलों में एनबीएफसी यह सूनिश्चित करेगा कि एनबीएफसी और सेवा प्रदाता (और/अथवा उप ठेकेदार) के बीच लेन-देन का समय पर मिलान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स किये गए वेंडर के साथ लंबित प्रविष्टियों का बाद में विश्लेषण कर लेखा परीक्षा समिति बोर्ड (एसीबी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और एनबीएफसी पूराने शेष बचे मामलों को अतिशीघ्र कम करने के लिए प्रयास करेगी।

5.9.7 आउटसोर्स की गई सभी गतिविधियों की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए एक सुद्दढ़ प्रणाली होगी और इसकी निगरानी एनबीएफसी के एसीबी द्वारा किया जाएगा।

5.10 आउटसोर्स की गयी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण

5.10.1 एनबीएफसी को शिकायत निवारण प्रक्रिया पर आरबीआई के दिनांक 18 फरवरी 2013, के परिपत्र संख्या DNBS.CC.PD.No.320/03.10.01/2012-13 दिनांक 18 फरवरी, 2013 में दिये अनुसार शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी । प्रचालन के स्तर पर सभी एनबीएफसी को अपने पदनामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम

तथा संपर्क (फोन नंबर/ मोबाईल नंबर और साथ ही ईमेल आईडी को शाखाओं अथवा जिस स्थान पर कारोबार है उसे प्रकाशित करना चाहिए) का व्यापक प्रचार करना चाहिए । पदनामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की प्रामाणिक शिकायतों का अविलंब तथा तत्परता से निवारण होता है। यह स्पष्टतः दर्शाया जाए कि एनबीएफसी का शिकायत निवारण तंत्र आउटसोर्स की गयी एजंसी द्वारा दी गयी सेवाओं से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करेगा ।

5.10.2 सामान्यतः, ग्राहकों को शिकायत प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा दी जाए । एनबीएफसी की शिकायत निवारण क्रियाविधि तथा शिकायतों का उत्तर देने के लिए निर्धारित की गयी समय-सीमा बैंक की वेबसाइट पर रखी जाए ।

6. समूह/संगुट के अंदर आउटसोर्सिंग

6.1 सामूहिक संरचना में, एनबीएफसी का बैक ऑफिस और समूह की संस्था के साथ सेवा व्यवस्था/करार हो सकता है, जैसे - परिसर को साझा करना, विधिक और अन्य व्यावसायिक सेवाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, केंद्रीयकृत बैक-ऑफिस गतिविधियां, कुछ वित्तीय सेवाओं को समूह के अन्य संस्था को आउटसोर्स करना आदि। समूह की संस्था के साथ इसप्रकार की व्यवस्था करने से पहले, एनबीएफसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और समूह के अन्य संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी करार/व्यवस्था भी हो, जिसमें संपदाओं यथा परिसर, कार्मिक इत्यादि को साझा करने के लिए निश्चित सीमा तय हो। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी अनेक सामूहिक कंपनियां शामिल हैं अथवा क्रोस सेलिंग होती है, तो ऐसे में ग्राहकों को विशेष रूप से यह सूचना दी जाए कि वास्तविक रूप से कौन सी कंपनी सेवा/उत्पाद दे रही है।

6.2 ऐसी व्यवस्था आरंभ करने से पहले एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि ये-

(i) करारों का विवरण जैसे कि सेवा का विस्तार, सेवा का प्रभार और ग्राहाकों के आंकड़े की गोपनीयता को बरकारर रखने सहित को उपयुक्त रूप से दस्तावेज में लिखा गया है;

(ii) एनबीएफसी और उनके समूह की अन्य कंपनियों की गतिविधियों के बीच स्थानों का भौतिक विभेद करके वे ग्राहकों के बीच यह भ्रम न रहने दें कि वे किनके उत्पाद/सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं;

(iii) स्वतंत्र रूप से एनबीएफसी की जोखिमों की पहचान करने और उसका प्रबंधन करने की क्षमता को पहचानने में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए;

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक को पर्यवेक्षण के लिए एनबीएफसी अथवा पूरे समूह से संबंधित वांछित जानकारी प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए;

(v) लिखित करार में एक खंड डाला जाए कि किसी भी सेवा प्रदाता के लिए एनबीएफसी गतिविधियों से संबंधित आरबीआई द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा

6.3 एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि समूह की कंपनी द्वारा प्रदत्त परिसर अथवा अन्य सेवाओं (जैसे कि आईटी प्रणाली, सहायक स्टाफ) की उपलब्धता बाधित होने पर सुचारू ढंग से उनके कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.4 यदि एनबीएफसी का परिसर समूह की कंपनियों द्वारा क्रोस सेलिंग के लिए साझा किया जाता है तो एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के लिए कंपनी की पहचान स्पष्ट रूप से पता चले और कोई भ्रम न हो। एनबीएफसी के परिसर में समूह की कंपनी द्वारा प्रयुक्त विपणन ब्रोशर और इसके कार्मिकों/एजेंटों द्वारा मौखिक संवाद में एनबीएफसी के साथ उस कंपनी की व्यवस्थाओं की प्रकृति बतानी होगी ताकि ग्राहकों को उत्पाद के बिक्रेता के बारे में स्पष्ट जानकारी हो।

6.5 एनबीएफसी ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं देगा अथवा कोई करार करेगा जिसमें यह कहा गया हो अथवा सुझाव दिया गया हो अथवा बिना कहे इस बात का प्रभाव डाला जाए कि वह अपने समूह की कंपनियों के दायित्वों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है।

6.6 किसी संबंधित पार्टी (अर्थात समूह /संगुट के भीतर की पार्टी) को आउटसोर्स करते समय एनबीएफसी द्वारा अपनाये जाने वाले जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि इस निर्देश के पैरा 5 में दिया गया है।

7. वित्तीय सेवाओं की विदेशी आउटसोर्सिंग

7.1 विदेश में सेवा प्रदाताओं को नियुक्त करने से एनबीएफसी को देश संबंधी जोखिम हो सकती है, जिसके अंतर्गत विदेश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियां तथा घटनाओं का एनबीएफसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । ऐसी स्थितियाँ तथा घटनाएं सेवा प्रदाता को एनबीएफसी के साथ किए गए करार की शर्तों को पूरा करने से रोक सकती हैं । ऐसे आउटसोर्सिंग कार्यों में होने वाले देश संबंधी जोखिम के प्रबंधन के लिए एनबीएफसी को चाहिए कि वह जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तथा निरंतर आधार पर भी जिन देशों में सेवा प्रदाता स्थित है उन देशों की सरकारी नीतियों तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक स्थितियों को ध्यान में ले तथा कड़ी निगरानी रखें और देश संबंधी जोखिम की समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए सुदृढ़ क्रियाविधियां स्थापित करें । इसमें संकटकालीन तथा बहिर्गमन संबंधी उचित नीतियां शामिल हैं । सिद्धान्ततः, ऐसी व्यवस्थाएं केवल उन पक्षकारों के साथ होनी चाहिए जो ऐसे क्षेत्राधिकार में कार्य करती हों जहाँ सामान्यतः गोपनीयता संबंधी शर्तों तथा करारों का पालन किया जाता है । व्यवस्था को लागू करने वाले कानून का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

7.2 भारत के बाहर आउटसोर्स किए गए कार्यो का संचालन इस तरह से किया जाए कि एनबीएफसी के भारत में किए जाने वाले कार्यों के समय पर पर्यवेक्षण करने अथवा पुनर्निर्माण करने के प्रयासों में रुकावट न आए ।

7.3 भारतीय प्रचालन से संबंधित वित्तीय सेवाओं के विदेशी आउटसोर्सिंग के संबंध में एनबीएफसी को उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना है कि

(i) जहां विदेशी सेवा प्रदाता एक निगमित कंपनी है, तो संबंधित विदेशी नियामक कभी भी व्यवस्था में रूकावट उत्पन्न नहीं करेगा और न ही आरबीआई निरीक्षण दौरा/एनबीएफसी के आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षक को रोकेगा।

(ii) प्रबंधन और आरबीआई के पास रिकॉर्ड की उपलब्धता तब तक रहेगी जब तक विदेशी संरक्षक अथवा भारत में एनबीएफसी दिवालिया नहीं हो जाते हैं।

(iii) विदेश स्थित विनियामक प्राधिकारी के पास, मात्र इस आधार पर कि प्रोसेसिंग वहां की जा रही है, (यदि ऑफसोर प्रोसेसिंग एनबीएफसी के देश में हो तो यह लागू नहीं है) एनबीएफसी के भारतीय गतिविधियों से संबंधित आंकड़े तक पहुंच नहीं होनी चाहिए।

(iv) विदेश स्थित स्थान जहां आंकड़े रखे जा रहे हों से संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इस आधार पर कि आंकड़े की प्रोसेसिंग वहां होती है, भले ही वास्तविक अंतरण भारत में हो, भारत में एनबीएफसी की गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे और

(v) सभी मूल रिकार्ड भारत में ही रखे जाएंगे।

अनुबंध XIV
ऋण चूक अदला-बदली के लिए दिशानिदेश - उपयोगकर्ता के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1. परिभाषा

इन दिशानिदेशों में निम्न परिभाषायें उपयोग में लायी गई है:

(i) **ऋण भुगतान घटना** – ऋण सुरक्षा बिक्रेता द्वारा ऋण सुरक्षा खरीददार को क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा के तहत शर्तों पर अनुगामि घटने वाली ऋण घटना पर देय राशि भुगतान का रूप केवल भौतिक निबटान का होगा। (प्रदेय दायित्व की भौतिक सुपुर्दगी के लिये लेनदेन में बराबर का भुगतान)

(ii) **आधारभूत परिसंपत्ति / दायित्व** – परिसंपत्ति जिसके लिए सुरक्षित खरीदकर्ता सुरक्षा की अपेक्षा करता है।

(iii) **प्रदेय परिसंपत्ति/ दायित्व –** यदि ऋण भुगतान की घटना हो तो, संदर्भित संस्था का कोई भी दायित्व[72], जिसे संविदा के शर्तों के तह सुपुर्द किया जा सकता है। उल्लिखित (iii) के तहत परिसंपत्ति, आधारभूत दायित्व के समान या उसे कनिष्ठ होगी)।

(iv) **संदर्भ दायित्व** – ऋण डेरिवेटिव संविदा के शर्तों के तहत जब ऋण घटना घटती है, देय राशि की गणना के लिए दायित्व[73] का उपयोग होता है. [(बराबर कम वसूली के आधार पर) नकद से निबटान किये जाने वाले दायित्वों में ही संदर्भ दायित्व प्रासंगिक होता हैं]

2. सीडीएस के लिए परिचालनात्मक आवश्यकताएं

2.1 सीडीएस संविदा द्वारा सुरक्षा बिक्रेता के प्रत्यक्ष दावों का और स्पष्ट रूप से संदर्भित विनिर्दिष्ट एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करना चाहिये, ताकि कवर की सीमा स्पष्ट और निर्विवाद हो जाये।

2.2 ऋण सुरक्षा संविदा के संबंध में सुरक्षा खरीददार द्वारा किस्त के अलावा अन्य भुगतान नहीं करने की स्थिति में, वह अविकल्पी होना चाहिये।

2.3 संविदा में ऐसी कोई धारा नहीं होनी चाहिये कि जो सुरक्षा बिक्रेता को ऋण कवर एकतरफ़ा रद्द करने का अधिकार देता हैं या वह एक्सपोजर बचाव में ऋण दर्जे की बिगड़ती स्थिति में कवर की असरदार लागत बढाता है।

2.4 सीडीएस संविदा शर्त रहित होनी चाहिये; सुरक्षा संविदा में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नियंत्रण के बाहर की कोई भी धारा नहीं होनी चाहिये जो सुरक्षा बिक्रेता को मूल प्रतिपक्ष द्वारा भुगतान[नों] में चूक करने की स्थिति में समय पर स्मयक रूप से भुगतान का अनुग्रह करने से रोकती है.

2.5 संविदा करने वाले पार्टियों द्वारा विनिर्दिष्ट ऋण घटना में न्यूनतम कवर पर होनी चाहिये:

(i) अंतर्निहित दायित्व के शर्तों तहत देय राशि के भुगतान में की गई चूक जो ऐसी चूक के समय प्रभावी हो (रियायत अवधि, अंतर्निहित दायित्व के रियायत अवधि के जैसा ही होगा)

---

[72] 10 फरवरी, 2022 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव) दिशानिदेश, 2022.

[73] 10 फरवरी, 2022 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव) दिशानिदेश, 2022.

(ii) अपने कर्ज का भुगतान करने हेतु बाध्यताधारी का दिवालियापन, दिवाला या असमर्थताया इसका विफल होना अथवा अपनी असमर्थता को लिखित रूप में स्वीकारना; समान्यत: अपने कर्ज के भुगतान के संबंध में अनुरूप घटना तथा देय के होते है; तथा

(iii) अंतरनिहित दायित्व का पुनर्गठन जिसमें क्षमा या मूलराशि, ब्याज या शुल्क का विलंबन [पोस्टपोनमेंट]शामिल हो, जिसके फलस्वरूप ऋण घाटे की घटना घटित होती है।

(iv) जब अंतर्निहित दायित्व की पुन: संरचना सीडीएस द्वारा कवर नहीं होता है, किंतु पैरा 2 की अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया गया हैं, तब सीडीएस को आंशिक मान्यता दी जा सकती है। यदि सीडीएस की राशि अंतर्निहित दायित्व के बराबर या उससे कम हो तो, बचाव [हेज] की राशि के 60% भाग को कवर के रूप पहचान किया जायेगा. यदि सीडीएस की राशि अंतर्निहित दायित्व से बड़ा है तो बचाव के लिए पात्र राशि अंतर्निहित दायित्व की राशि का 60% तक होगा।

2.6 यदि सीडीएस प्रदेय दायित्वों को विनिर्दिष्ट करता है जो कि अंतर्निहित दायित्व से अलग होने के फलस्वरूप असंतुलित परिसंपत्ति पैराग्राफ 2.10 के तहत विनियमित (गवर्न) होंगी।

2.7 भुगतान[74] में चूक के परिणामस्वरूप उतपन्न अंतर्निहित दायित्व पर चूक के लिए आवश्यक अनुग्रह अवधि की समाप्ति के पहले सीडीएस समाप्त नहीं होता हैं।

2.8 यदि सुरक्षा खरीददार का अंतर्निहित दायित्व सुरक्षा बिक्रेता को अंतरित करने का अधिकार/क्षमता निबटान के लिए आवश्यक है तो अंतर्निहित दायित्व की शर्तों में यह प्रावधान होना चाहिये कि ऐसे अंतरण के लिए आवश्यक अनुमति अनुचित रूप से नहीं रोकि जायेगी।

2.9 क्या ऋण की घटना घटित हुई है? इसके निर्धारण हेतु जिम्मेदार पार्टियों की पहचान स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए. इसका निर्धारण करना सुरक्षा बिक्रेता की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होगी. सुरक्षा खरीददार को सुरक्षा बिक्रेता को ऋण घटना घटने के संबंध में सूचित करने का अधिकार/क्षमता होनी चाहिये।

2.10 अंतर्निहित दायित्व और संदर्भित दायित्व या प्रदेय दायित्व में असंतुलन की अनुमति होगी यदि (1) संदर्भित दायित्व या प्रदेय दायित्व समरूप श्रेणी (पारीपासू) के हो है या अंतर्निहित दायित्व कनिष्ठ हो, और (2) अंतर्निहित दायित्व और संदर्भित दायित्व या प्रदेय दायित्व एक ही बाध्यताधारी में बांट लिया गया हो. (अर्थात् एकही कानूनी आस्तित्व) और क्रास चूक या क्रास-गतिवृद्धि की धारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय स्थान में हो।

2.11 अंतर्निहित दायित्व और क्या ऋण की घटना घटित हुई है इसका निर्धारण करने के बीच असंतुलन की अनुमति है यदि (1) परवर्ति प्रतिबद्धता उसके साथ समरूप हो या अंतर्निहित दायित्व से कनिष्ठ हो, और (2) अंतर्निहित दायित्व

[74] परिपक्वता की परिभाषा: - अंतर्निहित एक्सपोजर की परिपक्कता तथा बचाव की परिपक्कता की परिभाषा संतुलित रूप में दी जानी चाहिए. अंतर्निहित की प्रभावी परिपक्वता को प्रतिपक्ष के उसके नियत दायित्व को पूर्व करने के पूर्व ,किसी भी मामले में किसी अनुग्रही अवधि के लिए लागू, सबसे लम्बे समय तक शेष संभव के रूप में मापन चाहिए।

और संदर्भित दायित्व एकही बाध्यताधारी को शेयर करते हो (अर्थात् एकही कानूनी आस्तित्व) और क्रास चूक या क्रास-गतिवृद्धि की धारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय स्थान में हो।

3. महत्वपूर्ण अवसीमाओं के नीचे के एक्सपोजरों को हिसाब में लेना .

नीचे दिये गये अवसीमाओं पर भुगतान जिसमें सीडीएस संविदा के अनुसार घाटे के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है प्रथम हानी स्थिति के रूप में रखा जाएगा तथा खरीददार की सुरक्षा के उद्देश्य से पूंजी पर्याप्ता के लिए जोखिम भार 667% (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 15% सीआरएआर हेतु न्यूनतम 1/0.15*100 के रूप आवश्यक है) नियत किया जाना चाहिए।

4. ऋण घटना के पश्चात विवेकपूर्ण उपचार

ऋण घटना भुगतान सीडीएस निविदा में निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सीडीएस के ऋण सुरक्षा को नज़र अंदाज़ कर सकती है तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति और पूंजी स्तर का उचित रखरखाव और एक्सपोजर के लिए अभिष्ठ के रूप मे प्रावधानों को ऋण एक्सपोजर के रूप में गणना करेंगी। ऋण भुगतान की घटना के प्राप्ति पर (ए) अंतर्निहित परिसंपत्ति को बहियों से हटाया यदि इसे सुरक्षा बिक्रेता को सुपुर्द किया गया हो तो, या (बी) अंतर्निहित परिसंपत्ति का बही मूल्य प्राप्त ऋण घटना भुगतान की सीमा तक घटाया जाये यदि ऋण घटना भुगतान में अंतर्निहित परिसंपत्ति और उचित प्रावधानों को पूरी तरह से कवर नहीं किया जाता है तो घटे हुए मूल्य के लिए उचित प्रावधान किये जायेंगे।

5. पूंजी पर्याप्तता

इन निदेशों के संदर्भ में एनबीएफसी द्वारा धारण किये गये कंपनी बांडॉ के लिए ऋण जोखिम के लिए जोखिम भार 100% है. सीडीएस निविदा सुरक्षा बिक्रेता पर ऋण घटना भुगतान के कारण प्रतिपक्ष जोखिम निर्माण करती है। बशर्ते नकदी स्थिति का सीडीएस द्वारा बचाव, जोखिम की गणना सुरक्षा बिक्रेता पर नीचे पैरा 6 में उल्लेख किए गए शर्तों पर होगा. प्रतिपक्ष ऋण जोखिम भार का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लाये गये सभी सीडीएस स्थितियों की, करंट बाजार मूल्य को बही पर अंकित मूल्य, (अगर सकारात्मक और शून्य हो, यदि एमटीएम नकारात्मक हो) और संभावित भविष्य की जोखिम की राशि के रूप में गणना करेगी।

6. सुरक्षा बिक्रेता के एक्सपोजर का उपचार

6.1 अंतर्निहित परिसंपत्ति की एक्सपोजर के संबंध में एक्सपोजर बचाव को, सुरक्षा बिक्रेता के एक्सपोजर की एवजी माना जायेगा, अगर निम्न शर्तों की संतुष्टि की गई है तो:

i. पैरा 2 में उल्लेख की गई परिचालनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि की गई है।

ii. अंतर्निहित परिसंपत्ति और प्रदेय दायित्व के बीच परिपक्वता असंतुलन नहीं हो। यदि यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है तो ऋण सुरक्षा की राशि की पहचान की गणना नीचे पैरा 6.2 में उल्लेख किये अनुसार होगी।

अन्य सभी मामलों में अंतर्निहित परिसंपत्ति पर एक्सपोजर समझी जायेगी।

6.2 अंतर्निहित परिसंपत्ति पर जिस तरह जोखिम भार लागू होता है उसी तरह एक्सपोजर का गैर आरक्षित भाग के लिए होगा। परिसंपत्ति या परिपक्वता के संबंध में अंतर्निहित परिसंपत्ति / दायित्व और प्रदेय परिसंपत्ति / दायित्व के बीच असंतुलन होने पर ऋण सुरक्षा की राशि समायोजित की जायेगी। इनका निपटना निम्नलिखित पैराग्राफ में दिये गये विवरण के अनुसार किया जायेगा।

6.3 असंतुलन

परिसंपत्ति या परिपक्वता के संबंध में अंतर्निहित परिसंपत्ति / दायित्व और प्रदेय परिसंपत्ति / दायित्व के बीच असंतुलन होने पर ऋण सुरक्षा की राशि समायोजित की जायेगी।

(i) परिसंपत्ति असंतुलन

यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति प्रदेय दायित्व से भिन्न है तो परिसंपत्ति असंतुलन का निर्माण होगा। यदि उल्लिखित पैरा 2 (जे) में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओ को असंतुलित परिसंपत्ति पूरा करती है तो केवल एनबीएफसी के लिए उपलब्ध सुरक्षा के अनुसार गणना की जायेगी।

(ii) परिपक्वता असंतुलन

यदि ऋण डेरिवेटिव संविदा की परिपक्वता, अंतर्निहित परिसंपत्ति की परिपक्वता के समान होती है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सुरक्षा राशि की गणना के लिए पात्र होंगी। तथापि, यदि सीडीएस संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित परिसंपत्ति से कम होती है तब यह माना जायेगा कि परिपक्वता असंतुलित हैं। परिपक्वता असंतुलित होने की दशा में सुरक्षा राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेग:

(ए) यदि ऋण डेरिवेटिव उत्पाद की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन माह** से कम होती है तो कोई सुरक्षा की मान्यता नहीं दी जायेगी.

(बी) यदि ऋण डेरिवेटिव संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन माह** या जिस अवधि के लिए अधिक आनुपातिक सुरक्षा उपलब्ध होती है तो उसे मान्यता दी जायेगी. जहाँ परिपक्वता असंतुलन है वहां निम्न समायोजन लागू किया जायेगा.

पीए/Pa = पी/P x (टी/t- .25) ÷ (टी/T- .25)

जहाँ:

पीए/Pa= परिपक्वता असंतुलन के लिए ऋण सुरक्षा समायोजन मूल्य

पी/P= ऋण सुरक्षा

टी/t=न्यूनतम (टी/T, ऋण सुरक्षा संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में व्यक्त

टी/T= न्यूनतम(5, अंतर्निहित एक्सपोजर की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में व्यक्त

उदाहरण: मान लीजिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कारपोरेट बांड है जिनका अंकित मूल्य ` 100 है जहाँ अवशिष्ट परिपक्वता 5 वर्ष की है और सीडीएस की अवशिष्ट परिपक्वता 4 वर्ष है।ऋण सुरक्षा की राशि की गणना निम्ना नुसार है।

100 * {(4-.25) ÷ (5-.25)} = 100*(3.75÷ 4.75) = 78.95

(सी) सीडीएस संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता एक बार **तीन माह** तक पहुँचती है, सुरक्षा की मान्यता समाप्त हो जाती है.

6.4 एनबीएफसी उपयोगकर्ता के रूप में एक्सपोजर को सुरक्षा बिक्रेता के उल्लिखित पैरा 6.1 में दी गई शर्तों के अनुसार जारी रहने के आधार पर पूर्णत: अंतरित करने के लिए सभी आवश्यक मापदण्डो के अनुसरण की आवश्यकता है, तब अंतर्निहित परिसंपत्ति जोखिम से राहत के लिए पात्र होगी। यदि इनमें से किसी मापदण्ड को बाद में पूरा नहीं किया जाता है,तब एनबीएफसी अंतर्निहित परिसंपत्ति पर एक्सपोजर की गणना करेगी। अत: एनबीएफसी को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एकल /समुह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन नहीं करने के साथ बाध्यताधारी को कुल एक्सपोजर से प्रतिबंधित करना होगा, जो सीडीएस के माध्यम से आंतरिक एक्सपोजर सीमा सहित एनबीएफसी बोर्ड द्वारा उचित माना गया हो. यदि एकल /समुह उधार कर्ता द्वारा चूक की स्थिति में, सीमा के उपर संपूर्ण एक्सपोजर 667% तक भारित होगी। ऐसे उपचार की स्थिति में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को भंग नही करती है इसे सुनिश्चित करने के लिए, एनबीएफसी यह मानती है कि वह सामान्य एक्सपोजर सीमा से ज्यादा एक्सपोजर ले रही है तो उसे पूंजी में पर्याप्त कुशन रखना होगा।

6.5 एक्सपोजर मानदण्डों के अनुपालन के उद्देश्य से एक ही प्रतिपक्ष के साथ संविदा के बाजर मूल्य को बही पर अंकित मूल्य का सकारात्मक और नकारात्मक के नेटिंग की अनुमति नहीं होगी।

7. सामान्य प्रावधान आवश्कताएं

एनबीएफसी का सीडीएस की स्थिति के लिए, सीडीएस संविदा मार्क टू मार्केट मूल्य के सकारात्मक सकल के लिए उन्होंने सामान्य प्रावधान धारण करना चाहिए।

8. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

तिमाही आधार पर, एनबीएफसी को उनके द्वारा सीडीएस का ऋण सुरक्षा धारण करने या किसी अन्य ऋण जोखिम अन्तरण लिखत के अंतरण की अनुमति के कारण, सभी मामलों में जहां वे सामान्य एकल /समूह एक्सपोजर सीमा से अधिक एक्सपोजर मानते है,"कुल एक्सपोजर" की रिपोर्टिंग के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को करें जहां वे पंजीकृत है।

9. एनबीएफसी **परिशिष्ट XIV-A** में दिये गये तुलन पत्र संबंधी विवरण भी अपने नोट में प्रकट करेंगी ।

परिशिष्ट XIV-A

वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रकट किये जाने का फार्मेट

			(₹ करोड में)
1.	वर्ष के दौरान लिनेदेनो की संख्या		
2.	वर्ष के दौरान दी गयी सुरक्षा की राशि		
3.	वर्ष के दौरान ऋण घटना में भुगतानों के लेनदेनों की संख्या		
	ए)	चालू वर्ष के लेनदेनों के संबंध में	
	बी)	पिछले वर्ष के लेनदेनों के संबंध में	
4.	31 मार्च को बकाया लेनेदेन		
	ए)	लेनदेनों की संख्या	
	बी)	सुरक्षा की राशि	
5.	वर्ष के दौरान सीडीएस लेनदेनों के संबंध में शुद्ध आय/लाभ (व्यय / घाटा) - तारीख को		
	ए)	भुगतान किये गये किस्त	
	बी)	ऋण घटना में प्राप्त भुगतान (वितरण योग्य दायित्व का शुद्ध मूल्य)	

अनुबंध XV

एनबीएफसी द्वारा एनसीडी (1 वर्ष से अधिक समय पर परिपक्वता) का प्राइवेट प्लेसमेंट पर दिशानिदेश

1. एनबीएफसी को स्रोत योजना के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, योजना का दायरा तथा प्राइवेट प्लेसमेंट की आवधिकता कवर हो।

2. यह मामला निम्नलिखित निदेशों द्वारा विनियमित होगा:

(i) प्रत्येक निवेशक द्वारा न्यूनतम रू. 20,000(बीस हजार रूपए) का अभिदान होगा;

(ii) एनसीडी का प्राइवेट प्लेसमेंट का निर्गम दो श्रेणियों में होगा जैसे प्रत्येक निवेश द्वारा रू 1 करोड़ से कम अधिकतम अभिदान वाली तथा रू 1 करोड़ तथा उससे अधिक अभिदान वाली;

(iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम रू 1 करोड़ से कम एनसीडी जारी करने के लिए अभिदान की सीमा 200 होगी तथा इस प्रकार का अभिदान पूर्णत: प्रतिभूत होंगे;

(iv) रू 1 करोड़ तथा उससे अधिक एनसीडी जारी करने के संबंध में न्यूनतम अभिदान की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी तथा अभिदानकर्ता के पक्ष में प्रतिभूति बनाने का विकल्प जारीकर्ता के पास होगा। इन निर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुसार ऐसे प्रतिभूत रहित डिबेंचर को सार्वजनिक जमाराशि नहीं माना जाएगा।

(v) एनबीएफसी अपने तुलन पत्र में निधियों के विनियोजन हेतु डिबेंचर जारी कर सकती है तथा इसका प्रयोग ग्रूप कंपनी/पार्टनर कंपनी/ सहयोगी कंपनी के निधि स्रोत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता।

(vi) एनबीएफसी अपनी डिबेंचर (प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा सार्वजनिक निर्गम दोनों प्रकार के) को प्रतिभूत रख कर ऋण नहीं दे सकती है।

3. एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली कर छूट वाली बॉंड को इस परिपत्र की प्रयोजनियता से छूट प्राप्त है।

4. एक वर्ष की परिपक्वता वाली एनसीडी के लिए, रिजर्व बैंक के वित्तीय बाजार विनियमन विभाग द्वारा जारी, समय समय पर संसोधित, दिनांक 03 जनवरी 2024 के **मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) निदेश, 2024** का दिशानिदेश लागू होगा।

अनुबंध XVI
बीमा में एनबीएफसी के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

1. बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंक के अनुमोदन के बिना, शुल्क के आधार पर और जोखिम भागीदारी के बिना बीमा एजेंसी कारोबार शुरू करने के लिए अनुमति दी जाएगी:

(i) एनबीएफसी को आईआरडीए से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर और बीमा कंपनियों के साथ `समग्र कॉर्पोरेट एजेंट' के रूप में कार्य करने के लिए आईआरडीए के नियमों का पालन करना चाहिए।

(ii) एनबीएफसी के लिए अपने ग्राहकों को एनबीएफसी द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्तियों से संबंधित किसी विशिष्ट बीमा कंपनी को चुनने के लिए मजबूर करने वाली किसी भी प्रतिबंधात्मक गतिविधि को नहीं अपनाना चाहिए। ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनाव करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) चूंकि बीमा उत्पादों में एक एनबीएफसी के ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है, अतः इसे प्रचार के लिए एनबीएफसी द्वारा वितरित सामग्री में उल्लेख किया जाना चाहिए। एनबीएफसी द्वारा अपने ग्राहकों लिए के वित्तीय सेवाओं और बीमा उत्पादों का उपयोग करने के बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए।

(iv) प्रीमियम एनबीएफसी के माध्यम से न होकर बीमा कंपनी को सीधे बीमा धारक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

(v) बीमा एजेंसी में यदि कोई जोखिम शामिल है तो एनबीएफसी के व्यापार को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

2. किसी भी एनबीएफसी को ऐसा कारोबार विभागीय तौर पर करने की अनुमति नहीं होगी। एनबीएफसी की सहायक या उसी ग्रुप की कंपनी या किसी अन्य एनबीएफसी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार में लगी है या बैंकिंग कारोबार में लगी है को समान्यत: जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा कंपनी के साथ जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत, पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाली एनबीएफसी जोखिम सहित बीमा कारोबार करने के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित कर सकती हैं बशर्ते सुरक्षा उपायों के तहत ऐसा किया जाए। ऐसी एनबीएफसी सामान्यत: बीमा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 50% तक ज्वाइंट वेंचर कंपनी की इक्विटी को धारण (होल्ड) सकती है। रिज़र्व बैंक, चयनित आधार पर, प्रारंभ में किसी प्रवर्तक एनबीएफसी को, इक्विटी में अंशदान विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा होने तक की अवधि के लिए, उच्च अंशदान की अनुमति दे सकता है।(निम्नलिखित नोट 1 देखें)

यदि एक ही समूह की एनबीएफसी की एक से अधिक कंपनी (वित्तीय गतिविधि करती हो या नहीं) यदि बीमा कंपनी में हिस्सेदारी (स्टेक) लेना चाहती है तो एक ही समूह की सभी कंपनियों के योगदान को एनबीएफसी के लिए बीमा संयुक्त उपक्रम में 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा हेतु गिना जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां आईआरडीए द्वारा संयुक्त बीमा उपक्रम कंपनी से पूंजी अंत:प्रवाह के लिए कहा गया हो, ऐसी स्थिति में बैंक मामले दर मामले के आधार पर विनिर्दिष्ट 50% की सीमा में छूट पर विचार कर सकता है। छूट की अनुमति, यदि दी जाती है, यह इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट सभी विनियमाक शर्तों का एनबीएफसी द्वारा पालन के अधीन होगा तथा विशिष्ट मामलों में ऐसे अन्य शर्तों का अनुपालन भी करना होगा। ऐसी छूट के लिए एनबीएफसी संबंधित दस्तावेज सहित अपना आवेदन रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को करें जहां वे पंजीकृत है।

संयुक्त उद्यम भागीदार के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है:

(i) एनबीएफसी के स्वामित्व वाली निधि ₹500 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए,

(ii) ऋण और निवेश गतिविधियों में संलग्न सार्वजनिक जमा धारक एनबीएफसी का सीआरएआर 15% से कम नहीं होना चाहिए,

(iii) शुद्ध अनर्जक आस्तियों का स्तर कुल बकाया पट्टे / किराया खरीद की संपत्ति और एक साथ लिया अग्रिमों के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए,

(iv) एनबीएफसी द्वारा पिछले लगातार तीन साल के लिए शुद्ध लाभ अर्जित किया गया होना चाहिए,

(v) संबंधित एनबीएफसी की सहायक कंपनियों, यदि कोई हो, के प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड, संतोषजनक होना चाहिए,

(vi) विनियामक अनुपालन और सार्वजनिक जमा सर्विसिंग, अगर हो, की गई हो।

इस तरह के निवेश के लिए एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा ।

4. ऐसे मामले में जहां एक विदेशी भागीदार को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुमोदन / विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन से इक्विटी का 26 प्रतिशत अंशदान करता है तो एक से अधिक एनबीएफसी को बीमा संयुक्त उद्यम की इक्विटी में भाग लेने के लिए अनुमति दी जा सकती। ऐसे प्रतिभागियों को भी बीमा जोखिम ग्रहण करना होगा । केवल वह एनबीएफसी जो ऊपर पैरा 3 में दिए मानदंडों को पूरा करती है, पात्र होगी।

5. रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी जो उपरोक्त प्रकार के संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में पात्र नहीं हैं, वे एनबीएफसी बीमा कंपनी में स्वामित्व वाली निधि का 10% या `50 करोड़, जो भी कम हो तक निवेश कर सकते हैं। इस तरह की भागीदारी एक निवेश के रूप में माना जाएगा और एनबीएफसी के लिए किसी भी आकस्मिक देयता के बिना होना चाहिए। इन एनबीएफसी के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा:

(i) एनबीएफसी का सीआरएआर 15 फीसदी कम नहीं होना चाहिए

(ii) शुद्ध एनपीए का स्तर कुल बकाया पट्टे / किराया खरीद की संपत्ति और अग्रिमों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iii) एनबीएफसी का पिछले लगातार तीन साल के लिए शुद्ध लाभ होना चाहिए।

टिप्पणियाँ :

(1) एक प्रमोटर एनबीएफसी द्वारा बीमा कारोबार में इक्विटी की होल्डिंग या किसी भी रूप में एक बीमा कंपनी में भागीदारी किसी भी नियम और आईआरडीए / केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन के अधीन किया जाएगा। इसमे निर्धारित अवधि के भीतर 26 चुकता पूंजी के प्रतिशत से अधिक इक्विटी के विनिवेश के लिए आईआरडीए अधिनियम, 1999 द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम की धारा 6एए के साथ अनुपालन शामिल होंगे।

(2) पात्रता मानदंड पिछले वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस शीट के संदर्भ में गिनी जाएगी।

अनुबंध XVII
हटाए गए[75]

[75] 07 मार्च 2024 के परिपत्र विवि.आरएयूजी.एयूटी.आरईसी.सं.81/24.01.041/2023-24

अनुबंध XVIII
एनबीएफसी द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण पर दिशा-निर्देश

1. एनबीएफसी, जिन्हें म्यूचुअल फंडों को वितरित करने की इच्छा है, को निम्न शर्तों का पालन करने की आवश्यकता होगी:

(i) **संचालन पहलु**

(क) एनबीएफसी म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए सेबी के दिशानिर्देशों / नियमों और आचरण संहिता का पालन करना चाहिए;

(ख) एनबीएफसी अपने ग्राहकों को इसके द्वारा प्रायोजित एक विशेष म्यूचुअल फंड उत्पाद लेने के लिए मजबूर कर किसी भी प्रतिबंधात्मक अभ्यास को नहीं अपनाना चाहिए।अपने ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ग) म्यूचुअल फंड उत्पादों में एक एनबीएफसी के ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है, अतः इसे प्रचार के लिए एनबीएफसी द्वारा वितरित सामग्री में उल्लेख किया जाना चाहिए। एनबीएफसी द्वारा अपने ग्राहकों लिए के म्यूचुअल फंड उत्पादों का उपयोग करने के बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए।

(घ) एनबीएफसी को केवल अपने ग्राहकों के लिए, म्यूचुअल फंड यूनिटों की खरीद / बिक्री के भुगतान उपकरणों के साथ उनके आवेदन पत्र अग्रेषण, म्यूचुअल फंड / रजिस्ट्रार / स्थानांतरण एजेंटों के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए । इकाइयों की खरीद ग्राहकों के जोखिम पर और एनबीएफसी द्वारा किसी भी निश्चित रिटर्न की गारंटी के बिना होना चाहिए;

(ई) एनबीएफसी के न तो अपने ग्राहकों को बिक्री के लिए द्वितीयक बाजार से म्यूचुअल फंडों की इकाइयों का अधिग्रहण करना चाहिए, और न ही इसे वापस अपने ग्राहकों से म्युचुअल फंड के यूनिट खरीदने चाहिए;

(च) यदि एनबीएफसी अपने ग्राहकों की ओर से म्यूचुअल फंड यूनिटों की अभिरक्षा कर रहा है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने स्वयं के निवेश और अपने ग्राहकों से संबंधित निवेशों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है।

(ii) अन्य पहलु

(क) एनबीएफसी को म्यूचुअल फंडों के वितरण के संबंध में बोर्ड से मंजूर नीति तैयार करनी चाहिए। अपने ग्राहकों के लिए संबंधित सेवाओं के लिए इस नीति के अनुसार पेशकश की जानी चाहिए। नीति में ग्राहक उपयुक्तता तथा औचित्य और शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए । सेबी द्वारा समय-समय पर लागू और संशोधित निर्धारित आचार संहिता, का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए;

(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

2. एनबीएफसी को रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट अन्य नियम और शर्तों का पालन करना चाहिए।

अनुबंध XIX

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियों के बारे में जानकारी

क्र.सं.	शाखा का नाम	राज्य	उधारकर्ता का नाम	गारंटर का नाम (जहां कहीं लागू है)	उधारकर्ता का पंजीकृत पता	गारंटर का पंजीकृत पता (जहां कहीं लागू है)	बकाया राशि (रु. में)	आस्ति वर्गीकरण	आस्ति वर्गीकरण की तारीख	कब्जा की गई प्रतिभूति का ब्योरा	कब्जा की गई प्रतिभूति के धारक का नाम

अनुबंध XX
टि यर I पूंजी में शामि ल कि ए जाने की पात्रता हेतु बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) पर लागू नियम व शर्तें

जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टि यर I एवं टि यर II पूंजी में शामि ल कि ए जाने के लि ए बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) बांड या डि बेंचर के रूप में नि म्नलि खि त शर्तों के तहत जारी कर सकती हैं।

1. **बेमि यादी ऋण लि खत** (PDI) **जारी करने की शर्तें**

1.1 कि स मुद्रा में जारी होंगे

बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) केवल भारतीय ₹ में जारी होंगे।

1.2 राशि

जैसाकि नि म्नलि खि त पैराग्राफ 1.3 में स्पष्ट कि या गया है, ऐसे लि खत जारी करके उगाही जाने वाली समग्र राशि टि यर I एवं टि यर II पूंजी की समग्र सीमा के भीतर होगी। इसे श्रृंखलाओं में उगाहा जा सकेगा। हालांकि, ऐसे प्रत्येक नि र्गम/श्रृंखला में कि सी एक नि वेशक द्वारा नि वेश की न्यूनतम सीमा ₹ 5 लाख होगी।

1.3 सीमाएं

बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) की राशि कुल टि यर I पूंजी के 15% तक, टि यर I पूंजी में शामि ल होने की पात्र मानी जाएगी। ऐसी राशि पि छले लेखा वर्ष के 31 मार्च को टि यर I पूंजी की राशि जि समें से साख (goodwill) एवं अन्य अमूर्त परि संपत्ति यों को घटाया गया हो एवं नि वेश को घटाने से पूर्व रही राशि पर आधारि त होगी। बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) की राशि में से टि यर I पूंजी के लि ए पात्र मानी गयी राशि से जो रकम अधिक होगी उसे टि यर II के लि ए पात्र माना जाएगा, बशर्ते वह इन निदेशों में अंतर्वि ष्ट प्रावधानों के अनुसार हो।

1.4 परि पक्वता अवधि

PDI बेमि यादी परि पक्वता वाले होंगे।

1.5 ब्याज दर

नि वेशकों को देय ब्याज दर नि श्चि त या चल ब्याज दर हो सकती है और इसके लि ए रुपए की बाजार द्वारा नि र्धारि त बेंचमार्क दर संदर्भ दर होगी।

1.6 वि कल्प

जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि याँ बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) बि ल्कुल सादे लि खत (Plain Vanilla Instruments) के रूप में ही जारी करेंगी। हालांकि, बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) कॉल वि कल्प के साथ जारी कर सकती हैं बशर्ते नि म्नलि खि त में से प्रत्येक शर्त का कड़ाई से पालन कि या गया हो:
(क) जारी होने की तारीख से लि खत ने न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो; तथा

(ख) कॉल वि कल्प का प्रयोग भारतीय रि ज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से ही होगा। ऐसे एनबीएफसी से प्राप्त प्रस्ताव पर वि चार करते समय रि ज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल वि कल्प का प्रयोग कि ए जाने एवं उसके बाद दोनों ही समयों पर कंपनी की जोखि म भारि त परि संपत्ति यों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) की स्थि ति को देखेगा।

1.7 उच्चीकरण (स्टेप-अप) वि कल्प

जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी बेमि यादी लि खतों पर ब्याज दर बढ़ाने के लि ए उच्चीकरण वि कल्प रख सकती हैं। ऐसे वि क्ल्प का प्रयोग लि खत द्वारा 10 वर्ष पूरे करने के पश्चात, लि खत के पूरे जीवन में केवल एक बार कि या जा सकेगा। उच्चीकरण दर उक्त पैरा 1.5 के तहत जारी मांग (आफर) दस्तावेज में वि ज्ञापि त दर से 100 आधारभूत अंकों से अधि क नहीं होगी। जारीकर्ता गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनि यों के लि ए उच्चीकरण सीमा ऋण लि खत की समग्र अर्जन लागत (all in cost) पर लागू होगी।

1.8 अवरुद्धता संबंधी उपबंध

1.8.1 बेमि यादी लि खतों पर अवरुद्धता उपबंध की शर्त रहेगी जि सके अनुसार ₹ जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी नि म्नलि खि त परि स्थि ति यों में ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान को आस्थगति कर सकेगी:

(i) एनबीएफसी का CRAR भारतीय रि ज़र्व बैंक द्वारा वि नि र्दि ष्ट न्यूनतम वि नि यामक अपेक्षा से कम हो; या

(ii) ऐसे भुगतान/अदायगी के परि णामस्वरूप गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी का CRAR भारतीय रि ज़र्व बैंक द्वारा वि नि र्दि ष्ट न्यूनतम वि नि यामक अपेक्षा से नीचे हो जाता हो या उससे कम बना रहता हो;

1.8.2 तथापि, जमाराशि स्वीकार न करने वाली कोई एनबीएफसी भारतीय रि ज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से ब्याज की अदायगी कर सकती है जब अदायगी के प्रभाव से नि वल हानि होती हो या नि वल हानि में वृद्धि होती हो परन्तु CRAR के लि ए कि या गया प्रावधान वि नि यामक मानदण्ड से ऊंचा रहे।

1.8.3 पैराग्राफ1.8.1 से भि न्न स्थि ति/मामलों में ब्याज संचि त नहीं होगा।

1.8.4 एनबीएफसी अवरुद्धता संबंधी शर्त का उपयोग करने के सभी मामले रि ज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण वि भाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को रि पोर्ट करेगी जि सके अधि कार-क्षेत्र में वह पंजीकृत है।

1.9 दावों में वरि ष्ठता (सीनि यारि टी)

बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) में नि वेशकों के दावे -

(i) ईक्वि टी शेयरों में नि वेशकों के दावों पर वरि ष्ठ/वरीय होंगे; और

(ii) सभी अन्य लेनदारों के दावों की तुलना में गौण/कनि ष्ठ होंगे।

1.10 बट्टा

चूंकि ये लि खत बेमि यादी हैं, अतः पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से ये क्रमि क बट्टे के अधीन नहीं होंगे।

1.11 अन्य शर्तें

1.11.1 बेमि यादी ऋण लि खत पूर्णत: प्रदत्त, बेजमानती और प्रति बंधक शर्तों से मुक्त होंगे तथा इन्हें जारी करना एवं उन पर लागू शर्तें कंपनी अधि नि यम, 2013 के उपबंधों तथा लागू अन्य वि धि यों, जि नमें संबंधि त वि नि यामक प्राधि कारि यों द्वारा जारी नि यम, वि नि यम, नि देश तथा मार्गदर्शी सि द्धांत शामि ल हैं, के अधीन होंगी।

1.11.2 वर्तमान वि देशी मुद्रा प्रबंध अधि नि यम-वि नि यमावली के अनुपालन के अधीन, एनबीएफसी मामले-दर-मामले के आधार पर जमाराशि स्वीकार न करने वाली किसी एनबीएफसी द्वारा उगाहे जाने वाले बेमि यादी ऋण लि खतों में वि देशी संस्थागत नि वेशकों/अनि वासी भारतीयों द्वारा भारतीय रुपए में कि ए जाने वाले नि वेश के संबंध में रि ज़र्व बैंक से पूर्व मंजूरी प्राप्त करेंगी।

1.11.3 लि खत जारी करने के संबंध में सेबी या अन्य वि नि यामक प्राधि कारी द्वारा यदि कोई शर्त वि नि र्दि ष्ट हो तो जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी उसका पालन करेंगी।

1.11.4 जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी द्वारा जारी ऐसे लि खतों में यदि कोई अन्य एनबीएफसी नि वेश करती है तो वह राशि भारतीय रि ज़र्व बैंक अधि नि यम की धारा 45-आईए के स्पष्टीकरण में यथा परि भाषि त नि वल स्वाधि कृत नि धि यों की परि भाषा में दि ए गए प्रावधानों से वि नि यमि त होगी। इस प्रकार एनबीएफसी की स्वाधि कृत नि धि यों में कि ये गये नि वेश के 10% से अधिक राशि को नि वल स्वाधि कृत नि धि यों की गणना के लि ए घटाया जाएगा।

2. रि पोर्टिंग अपेक्षाएं

ऐसे लि खत जारी करने वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी पर्यवेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय, जि सके अधि कार-क्षेत्र में कंपनी पंजीकृत हैं, उगाहे गए ऋण का ब्योरा, जि समें ऊपर दी गई पैराग्राफ 1 में वि नि र्दि ष्ट नि र्गम-शर्तें शामि ल हों सहि त रि पोर्ट नि र्गम पूरा होते ही आफर दस्तावेज की प्रति अनुलग्न करते हुए प्रस्तुत करेंगी ।

3. अन्य एनबीएफसी-एमएल द्वारा जारी बेमि यादी ऋण लि खत (PDI) **में नि वेश**

कि सी अन्य एनबीएफसी या अन्य वि त्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) में जमाराशि स्वीकार न करने वाली किसी एनबीएफसी द्वारा कि ए गए नि वेश भारतीय रि ज़र्व बैंक अधि नि यम, 1934 की धारा 45-आईए में यथापरि भाषि त नि वल स्वाधि कृत नि धि यों की परि भाषा के अधीन होंगे और उन पर रि ज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखि म भार लागू होंगे।

4. **बेमि यादी ऋण लि खतों** (PDI) **पर अग्रि म देना**

जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी अपने द्वारा जारी बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) की प्रति भूति पर अग्रि म नहीं देंगी।

5. प्रकटीकरण अपेक्षाएं

5.1 जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी अपनी वार्षि क रि पोर्ट में नि म्नलि खि त के संबंध में समुचि त प्रकटीकरण करेंगी:

(i) बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) के द्वारा वर्ष के दौरान उगाही गई नि धि याँ तथा वि त्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेष;

(ii) कंपनी की टि यर I पूंजी से बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) की राशि यों का प्रति शत;

(iii) उस वर्ष का उल्लेख करें जि समें बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) पर ब्याज की अदायगी उल्लि खि त मद 1(viii) के अनुसार नहीं की गयी।

5.2 बेमि यादी ऋण लि खतों (PDI) की नीति नि र्धारि त करते समय जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वि त्तीय कंपनी का नि देशक बोर्ड यह सुनि श्चत करेगा कि लि खत के स्वरूप, उससे जुड़े जोखि म तथा उनके गैर बीमि त स्वरूप सहि त उचि त प्रकटीकरण नि वेशकों के लि ए कि ए जाएं ताकि नि वेशक समझ-बूझकर नि वेश का नि र्णय ले सकें। आफर दस्तावेज में एक यह उपबंध भी रहेगा कि नि वेशक नि वेश करने का नि र्णय अपने वि श्लेषण (वि वेक) के आधार पर करें और भारतीय रि ज़र्व बैंक ऐसे नि वेश की अदायगी के लि ए उत्तरदायि त्व नहीं लेता है। ऐसी एनबीएफ़सी अपने द्वारा नि र्धारि त नीति में यह उपबंध भी रखेगी कि यदि कंपनी उक्त पैराग्राफ 1.7 के अनुसार उच्चीकृत ब्याज देने का नि र्णय लेगी तो वह उसका भार वहन कर सकने की स्थि ति में रहेगी। नि देशक बोर्ड उल्लि खि त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनि श्चि त करेगा।

अनुबंध XXI
चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशानिर्देश

1. प्रयोज्यता

इन दिशानिर्देशों के अनुबंध VI में दिये गए दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, ₹5000 करोड़ और उससे अधिक (सकल निवेश कंपनियों, टाइप -1 एनबीएफ़सी-एनडी[76], गैर परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनियों और एकल प्राथमिक डीलरों को छोड़कर) आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण सभी एनबीएफसी और कोई भी आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का भी पालन करेंगे।

2) परिभाषाएं

2.1 इन निदेश के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शर्तों का अर्थ निम्नलिखित अनुसार होगा –

2.1.1 **"उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (एचक्युएलए)"** का तात्पर्य ऐसे चल आस्तियों से है, जिसे तत्काल बेचा जा सकता है अथवा जिसे बहुत कम अथवा मूल्य कम किये बिना नकदी में परिणत किया जा सकता है अथवा दबाव की स्थिति में निधि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 2.1.2 **चलनिधि कवरेज़ अनुपात (एलसीआर)** को निम्नलिखित अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता हैः

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता चलआस्तियां (एचक्युएलए)का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

2.1.3 **"भार-रहित"** का तात्पर्य है, आस्तियों के परिसमापन, विक्री, हस्तांतरण अथवा प्रदान करने के संबंध में एनबीएफसी की क्षमता पर किसी विधिक, विनियामकीय, अनुबंधकीय अथवा अन्य कोई प्रतिबंध नहीं हो।

2.1.4 प्रयुक्त उन सभी उक्तियों के अर्थ, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की परिभाषा के अनुरूप, अथवा उस अधिनियम में उक्त संबंधित परिभाषा में आए हुए वैधानिक संशोधन के अनुरूप, अथवा वाणिज्यिक बोलचाल के अनुरूप होंगे।

3. सामान्य दिशानिर्देश

3.1 इन निदेशों के अनुरूप एनबीएफसी अपने पास पर्याप्त भाररहित उच्च गुणवत्ता आस्ति (एचक्युएलए) की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे जिससे 30 कैलेंडर दिवसों के लिए किसी भी विकट चलनिधि दबाव की स्थिति में चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता है।

---

[76] टाइप -1 एनबीएफ़सीएनडी- की परिभाषा 17 जून 2016 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

3.2 चलनिधि जोखिम की निगरानी और नियंत्रण के लिए एलसीआर को नीचे पैराग्राफ 3.3 में दिये अनुसार सतत रूप से बनाए रखना होगा|

3.3 (i) यह एलसीआर आवश्यकता ₹10,000 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी और किसी भी आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी पर 01 दिसंबर 2020 से बाध्यकारी होगी, शुरुआत में एलसीआर 50% होगा और नीचे दर्शाये समय-सीमा के अनुसार 01 दिसंबर 2024 तक 100% के अपेक्षित स्तर तक पहुंचेगा:

से	**01 दिसंबर 2020**	**01 दिसंबर 2021**	**01 दिसंबर 2022**	**01 दिसंबर 2023**	**01 दिसंबर 2024**
न्यूनतम एलसीआर	**50%**	**60%**	**70%**	**85%**	**100%**

(ii) 5,000 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक किन्तु 10,000 करोड़ रुपए से कम आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने सभी एनबीएफसी भी 01 दिसंबर 2020 से निम्नलिखित समय-सीमा के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखेगी:

से	**01 दिसंबर 2020**	**01 दिसंबर 2021**	**01 दिसंबर 2022**	**01 दिसंबर 2023**	**01 दिसंबर 2024**
न्यूनतम एलसीआर	**30%**	**50%**	**60%**	**85%**	**100%**

3.4 यह एलसीआर 1 दिसंबर 2024 अर्थात फेज-इन अवधि के अंत तक न्यूनतम 100% (अर्थात एचक्युएलए का स्टॉक कम से कम कुल नकद बहिर्गमन के समान होगा) बना रहेगा।

बशर्ते वित्तीय दबाव की अवधि के दौरान एनबीएफसी को अपने एचक्युएलए के स्टॉक का उपयोग करने की अनुमति है, जिससे उस दौरान उनका एलसीआर 100% से कम होगा।

बशर्ते इसके पश्चात एनबीएफसी वित्तीय दबाव की अवधि के दौरान एचक्युएलए के स्टॉक के इस प्रकार के उपयोग तथा इसके कारणों और इस स्थिति को ठीक करने के लिए किये जाने वाले सुधारात्मक कार्रवाई का ब्योरा, आरबीआई (विनियमन विभाग और पर्यवेक्षण विभाग) को रिपोर्ट करेगी।

3.5 एलसीआर के लिए, दबाव वाली स्थिति के तौर पर, एक संयुक्त सनकपूर्ण और बाजार-व्याप्त आघात शामिल किया गया है, जिसके परिणाम के रूप में:

i. जमाराशि का भाग की माँग होना (जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी के मामले में);
ii. गैर-जमानती थोक निधीयन क्षमता में आंशिक हानि;
iii. कुछ संपार्श्विक और प्रतिपक्षकारों के साथ जमानती अल्पकालीन निधीयन में आंशिक हानि;

iv. एनबीएफसी की सार्वजनिक क्रेडिट रेटिंग में गिरावट के कारण उत्पन्न अतिरिक्त संविदागत बहिर्प्रवाह, जैसे संपार्श्विक रक्कम बढ़ाने की अपेक्षा;

v. बाजार के उतार-चढ़ावों में वृद्धि, जो संपार्श्विक या व्युत्पन्नी स्थितियों के संभाव्य भावी एक्सपोजर की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे और इसलिए अधिक बड़े संपार्श्विक हेअरकट या अतिरिक्त संपार्श्विक की आवश्यकता तैयार होना या अन्य चलनिधि आवश्यकता उत्पन्न होना;

vi. एनबीएफसी द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई प्रतिबद्ध किंतु अप्रयुक्त ऋण और चलनिधि सुविधाओं का अनियत आहरण; तथा

vii. एनबीएफसी के लिए प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम कम करने की दृष्टि से ऋण की वापसी खरीद या गैर-संविदागत दायित्वों को निभाने की संभाव्य आवश्यकता।

4. उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां

4.1 चल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां समाविष्ट हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के दबाव परिदृश्यों में निधि प्राप्त करने के लिए आसानी से बेचा या संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें भारमुक्त होना चाहिए। यदि आस्तियों को मूल्य की कम या बिल्कुल हानि के बिना आसानी से और तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सके, तो आस्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां माना जाता है। किसी आस्ति की तरलता अंतर्निहित दबाव परिदृश्य, मुद्रीकरण की जाने वाली राशि तथा सुविचारित समयावधिपर निर्भर करेगी। फिर भी, ऐसी कुछ आस्तियां हैं, जिनके द्वारा दबाव के समय में फायर-सेल के कारण भारी छूट के बिना भी निधि जुटाने की संभावना है।

4.2 एचक्युएलए की मूलभूत विशेषताओं में कम ऋण या बाजार जोखिम; मूल्यांकन में आसानी और निश्चितता; जोखिमपूर्ण आस्तियों के साथ कम सहसंबंध तथा विकसित और मान्यता प्राप्त विनिमय बाजार में सूचीबद्ध होना अंतर्भूत है। एचक्युएलए की बाजार संबंधी विशेषताओं में सक्रिय और काफी बड़ा बाजार; प्रतिबद्ध बाजार निर्माताओं की उपस्थिति; कम बाजार संकेंद्रीकरण तथा गुणवत्ता की ओर उड़ान (प्रणालीगत संकट में इस प्रकार की आस्तियों की ओर रुझान) अंतर्भूत है।

4.3 एचक्यूएलए की गणना में जिन्हें शामिल किया जाना है वे ऐसी आस्तियां हैं, जिन्हें एनबीएफसी दबाव अवधि के पहले दिन धारण किया हुआ है। एलसीआर की गणना के लिए ऐसी आस्तियों का मूल्य निर्धारण उनके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक राशि पर नहीं किया जाएगा। आस्तियों की प्रकृति के अनुसार, उन्हें निम्नानुसार भिन्न-भिन्न हेयरकट प्रदान किया गया है; जिनका उपयोग एलसीआर की गणना करने के लिए एचक्यूएलए की गणना के समय किया जाना है। आस्तियां और हेयरकट निम्नानुसार हैं:

4.3.1 बिना किसी हेयरकट के एचक्यूएलए के रूप में शामिल की जाने वाली आस्तियां:

i. नकदी[77]

ii. सरकारी प्रतिभूतियां

iii. विदेशी सरकारों द्वारा जारी या प्रत्याभूत बाजारयोग्य प्रतिभूतियां, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती हैं:

(ए) ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अप्रोच के तहत बैंकों द्वारा प्रदत जोखिम भार 0% वाली;

(बी) कम संकेंद्रीकरण वाले बड़े, गहरे और सक्रिय रेपो अथवा नकद बाजारों में सौदा किया गया हो; तथा दबावपूर्ण बाजार परिस्थितियों के दौरान भी बाजार (रिपो अथवा बिक्रय) में चलनिधि के भरोसेमंद स्रोत के रूप में रिकॉर्ड सिद्ध हुआ हो।

(सी) किसी बैंक/वित्तीय संस्था/गैर-बैकिंग वित्तीय संस्था अथवा उसकी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किया गया हो।

4.3.2 15% न्यूनतम हेअरकट के साथ एचक्यूएलए के लिए योग्य आस्तियां:

(i) सरकारों, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई) या मल्टीलैटरल विकास बैंकों द्वारा गारंटीकृत दावे वाली बाजार योग्य प्रतिभूतियां, जिन पर मानकीकृत विधि के अंतर्गत ऋण जोखिम पर 20% जोखिम भार लगाया गया हो और इस शर्त पर कि उन्हें किसी बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा इनकी किसी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किया गया हो।

(ii) किसी बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा इनकी किसी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किए गए कॉर्पोरेट बॉन्डस, जिन्हें पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा AA- या उससे ऊपर की रेटिंग दी गई है।

(iii) किसी बैंक/वित्तीय संस्था/पीडी अथवा इनकी किसी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किए गए कमर्शियल पेपर, जिन्हें पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा लघु-अवधि के लिए AA- या उससे ऊपर की रेटिंग दी गई है।

4.3.3 50% न्यूनतम हेअरकट के साथ एचक्यूएलए के लिए योग्य आस्तियां:

(i) सरकारों पर या सरकारों द्वारा गारंटीकृत दावे वाली बाजारयोग्य प्रतिभूतियां, जिनका जोखिम भार 20% से अधिक किन्तु 50% से कम लगाया गया हो अर्थात जिन्हें भारत में बैंकों के लिए निर्धारित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा BBB- से कम की रेटिंग नहीं दी गई हो।

(ii) सामान्य इक्विटी शेअर जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हों:

(ए) किसी बैंक/वित्तीय संस्था/गैर-बैकिंग वित्तीय संस्था अथवा उसकी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किया गया हो;

(बी) एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/अथवा एस&पी बीएसई सूचकांक इंडेक्स में शामिल किया गया हो।

[77] नकदी से तात्पर्य है हाथ में नकदी तथा शैडयूल्ड वाणिज्यिक बैंक में उपलब्ध मांग जमा।

(iii) कारपोरेट कर्ज़ प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक लिखत सहित) और एचक्यूएलए के लिए सामान्य मूलभूत और बाजार से जुड़ी सामान्य विषेशताओं से युक्त तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो:

(ए) किसी बैंक, वित्तीय संस्था/, पीडी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था अथवा उसकी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किया गया हो;

(बी) किसी पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दीर्घावधि के लिए A+ से BBB- के बीच और दीर्घावधि रेटिंग न होने की स्थिति में दीर्घावधि रेटिंग के समतुल्य लघु अवधि की रेटिंग हो;

(सी) कम संकेंद्रीकरण वाले बड़े, गहरे और सक्रिय रेपो अथवा नकद बाजारों में सौदा किया गया हो; तथा

(डी) दबावपूर्ण बाजार परिस्थितियों में बाजारमूल्य में अधिकतम गिरावट 20% से कम हो या विकट चलनिधि दबाव के दौरान 30 दिनों की अवधि में हेअरकट में 20 प्रतिशत पोईंट से कम वृद्धि हो, जिससे बाजार (रिपो अथवा बिक्रय) में चलनिधि के भरोसेमंद स्रोत के रूप में रिकॉर्ड सिद्ध हुआ हो।

4.4 जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी के लिए एलसीआर की गणना के उद्देश्य से आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईबी के प्रावधानों के तहत रखी हुई भाररहित स्वीकृत प्रतिभूतियां अपेक्षित होल्डिंग के केवल 80% तक एचक्यूएलए प्रयोजनों के लिए गणना हेतु मानी जाएंगी।

4.5 एनबीएफसी द्वारा चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सभी आस्तियों का प्रबंध उस समूह के एक भाग के रूप में किया जाना चाहिए तथा यह निम्नलिखित परिचालनगत अपेक्षाओं के अधीन होगा:

(i) नकद में परिवर्तन के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए,

(ii) भारमुक्त होना चाहिए,

(iii) ट्रेडिंग पोजीशन में साथ नहीं मिलाये जाएँ /हेजेज के रूप में प्रयोग नहीं किए जाएँ; संरचित लेनदेनों में संपार्श्विक या ऋण में वृद्धि के लिए निर्दिष्ट नहीं किए जाएँ; या परिचालनगत लागत की पूर्ति के लिए निर्दिष्ट नहीं किए जाएँ,

(iv) आकस्मिक निधियों के स्रोत के रूप में प्रयोग के एकमात्र उद्देश्य से प्रबंध किया जाना चाहिए, और

(v) बैंक की चलनिधि जोखिम प्रबंधन से प्रभारित किए हुए विनिर्दिष्ट कार्यों के नियंत्रणाधीन होना चाहिए, जैसे: अल्को।

4.6 एनबीएफसी को आवधिक रूप से रेपो अथवा तुरंत बिक्री द्वारा आस्तियों के समानुपाती भाग का मुद्रीकरण करना चाहिए, ताकि इन आस्तियों की बिक्री योग्यता की समय समय पर जांच हो सके तथा दबाव की अवधि के दौरान नकारात्मक संकेतों के जोखिम को कम किया जा सके। एनबीएफसी से यह भी अपेक्षित है कि वे अपनी चलनिधि आवश्यकताओं के वितरण के अनुरूप अपनी चलनिधि आस्तियों का नकद द्वारा रखरखाव करें।

4.7 यदि पात्र चलनिधि आस्तियां अपात्र (अर्थात ग्रेड में गिरावट के कारण) होने की स्थिति में एनबीएफसी को अतिरिक्त 30 दिनों के लिए चलनिधि आस्तियों के अपने स्टॉक में रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि उन्हें स्टॉक को समायोजित करने/आस्तियों को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हो सके।

5. कुल निवल नकद बहिर्वाह

5.1 कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकद बहिर्वाह में से कुल अपेक्षित नकद अंतर्वाह को घटाए जाने के रूप में परिभाषित किया गया है। एनबीएफसी के तुलन पत्र की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दबावपूर्ण नकदी प्रवाहों की गणना सकल नकदी अंतर्वाहों और नकदी बहिर्वाहों को पूर्वपरिभाषित दबाव प्रतिशतता प्रदान करके की जाती है। कुल अपेक्षित नकद बहिर्वाहों (दबावपूर्ण बहिर्वाह) की गणना विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेषों अथवा देयताओं तथा तुलन पत्र से इतर प्रतिबद्धताओं को 115% (15% वह दर है जिस दर से उनमें उछाल आना अपेक्षित है) से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। कुल अपेक्षित नकद अंतर्वाहों (दबावपूर्ण अंतर्वाह) की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेषों को 75%(25% वह दर है जिस दर से गिरावट आना अपेक्षित है) से गुणा करके की जाती है। तथापि, कुल नकदी अंतर्वाह कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाहों के 75% की अधिकतम सकल सीमा के अधीन होगी। दूसरे शब्दों में, अगले 30 दिन में कुल निवल नकद बहिर्वाह = दबावपूर्ण बहिर्वाह – न्यूनतम (दबावपूर्ण अंतर्वाह; दबावपूर्ण बहिर्वाह का 75%)।

नकदी अंतर्वाहों के मद	**नकदी बहिर्वाहों के मद**
a. एचक्यूएलए द्वारा समर्थित परिपक्व हो रही सुरक्षित ऋण लेनदेन b. अन्य सभी संपार्श्विक द्वारा समर्थित सीमांत ऋण c. अन्य सभी आस्तियां d. क्रेडिट लाइन्स –क्रेडिट अथवा चलनिधि सुविधाएं अथवा एनबीएफसी द्वारा अपने प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में रखी जाने वाली अन्य आकस्मिक निधियन सुविधाएं। e. काउंटरपार्टी द्वारा अन्य अंतर्वाह f. निवल व्युत्पन्नी नकदी अंतर्वाह g. अन्य संविदागत नकदी अंतर्वाह (कृपया फुटनोट के रूप में विनिर्दिष्ट करें)	a. जमा b. असुरक्षित थोक निधियन c. सुरक्षित निधियन d. अतिरिक्त अपेक्षाएं [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)]: (i) निवल व्युत्पन्नी नकदी बहिर्वाह (ii) 3 नॉच डॉउनग्रेड अथवा इतने तक 'डॉउनग्रेड ट्रिगर' होने की स्थिति में वित्तपोषण लेनदेन, व्युत्पन्नी तथा अन्य समझौतों से संबंधित चलनिधि आवश्यकताएं (जैसे संपार्श्विक रक्कम की मांग/क्रय) (iii) लूक बॅक अप्रोच पर आधारित व्युत्पन्नी लेनदेन (पिछले 24 महीनों के दौरान वसूल किये गए सबसे बड़े निरपेक्ष निवल 30 दिनों के संपार्श्विक प्रवाह) के बाजार-मूल्यों में परिवर्तन (iv) संपार्श्विक सुरक्षक व्युत्पन्नियों के मूल्यों में परिवर्तन की संभावना से चलनिधि की बढ़ी हुई आवश्यकताएं (v) प्रतिपक्षकार द्वारा संविदागत तरीके से किसी भी समय मांग किये जाने वाले, अलग नहीं किये गए अतिरिक्त संपार्श्विक से संबंधित चलनिधि की बढ़ी हुई आवश्यकताएं।

	(vi) प्रतिपक्षकार द्वारा अभी तक मांग नहीं किये गए संपार्श्विक अपेक्षित लेनदेन से संबंधित चलनिधि की बढ़ी हुई आवश्यकताएं। (vii) संपार्श्वक को गैर-एचक्यूएलए आस्तियों से प्रतिस्थापित करने की अनुमति देने वाले व्युत्पन्नी लेनदेन से संबंधित चलनिधि की बढ़ी हुई आवश्यकताएं। (viii) वर्तमान में अनाहरित वचनबद्ध क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं (e) अन्य आकस्मिक निधियन देयताएं (f) टेम्पलेट में अन्य किसी स्थान पर शामिल नहीं किये गए कोई अन्य संविदात्मक बहिर्वाह

<u>**निवल नकदी बहिर्प्रवाह की गणना**</u>

क्र. सं.	30 दिनों का निवल नकदी बहिर्प्रवाह	राशि
A	कुल नकदी बहिर्वाह	
B	दबावपूर्ण नकदी बहिर्वाह (A*115%)	
C	कुल नकदी अंतर्वाह	
D	दबावपूर्ण नकदी अंतर्वाह (C*75%)	
E	अगले 30 दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह=दबावपूर्ण बहिर्वाह (बी)- न्यूनतम (दबावपूर्ण अंतर्वाह (डी); दबावपूर्ण बहिर्वाह के 75% (बी)	

5.2 एनबीएफसी को मदों के एक बार से अधिक गिनती की अनुमति नहीं होगी, अर्थात, यदि कोई संपत्ति "एचक्यूएलए के स्टॉक" (यथा अंश) के भाग के रूप में शामिल है, तो उससे संबंधित नकदी अंतर्वाह को भी नकदी अंतर्वाह (यथा भाजक का अंश) के रूप में नहीं गिना जा सकता। जहां किसी मद के एक से अधिक बहिर्वाह श्रेणियों में गिने जाने की संभावना है (जैसे 30 दिन की अवधि के अंदर परिपक्व हो रही ऋण को कवर करने के लिए दी गई प्रतिबद्ध नकदी सुविधाएं), वहाँ एनबीएफसी को उस उत्पाद के लिए केवल अधिकतम संविदात्मक बहिर्वाह को ही विचार में लेना होगा।

6. एलसीआर प्रकटीकरण मानक

6.1 एनबीएफसी के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक तिमाही में एलसीआर संबंधी सूचना प्रस्तुत करे। इसके साथ ही एनबीएफ़सी 31 मार्च 2021 से आरंभ करते हुए अपने वार्षिक वित्तीय कथन के वित्तीय विवरणों के नोट्स के तहत

संबंधित वित्तीय वर्ष के सभी चारों तिमाहियों में अपने एल.सी.आर की सूचना का खुलासा करें। प्रकटीकरण प्रारूप **परिशिष्ट XXI-A** में दिया गया है।

6.2 डेटा को पिछली तिमाही के मासिक अवलोकन के सरल औसत के रूप में प्रस्तुत करना होगा (यानी, औसत की गणना 90 दिनों की अवधि में की जाती है)। हालांकि, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से, साधारण औसत की गणना दैनिक अवलोकन पर की जानी चाहिए।

6.3 **परिशिष्ट XXI-A** में दिए गए प्रारूप में आवश्यक प्रकटीकरण के अलावा, एनबीएफसी एलसीआर के आसपास पर्याप्त गुणात्मक चर्चा (अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में खातों के लिए नोट्स के तहत) उपलब्ध करानी चाहिए ताकि प्रदान किए गए परिणामों और आंकड़ों को समझने में सुविधा हो। उदाहरण के लिए, जहाँ एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण है, एनबीएफसी चर्चा कर सकता है: (ए) उनके एलसीआर परिणामों के मुख्य कारण और समय के साथ एलसीआर की गणना में इनपुट के योगदान का विकास; (बी) समय के साथ परिवर्तन और साथ-साथ अंतर-अवधि में परिवर्तन; (सी) एचक्यूएलए की संरचना; (डी) वित्त पोषण के केन्द्रीकरण की स्थिति (ई) व्युत्पन्न जोखिम और संभावित संपार्श्विक मांग; (फ) एलसीआर में मुद्रा असंतुलन; (जी) एलसीआर गणना में अन्तर्वाह और बहिर्प्रवाह जो एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में कैप्चर नहीं किए जाते हैं, लेकिन जिसे संस्थान अपनी चलनिधि प्रोफ़ाइल के लिए प्रासंगिक मानता है।

			परिशिष्ट XXI-A
एल.सी.आर प्रकटीकरण टेम्पलेट नमूना			
(राशि ₹ करोड़ में)		**कुल अ-भारित मूल्य[78] (औसत)**	**कुल भारित मूल्य[79] (औसत)**
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (HQLA)		
नकद बहिर्प्रवाह			
2	जमा (जमा लेने वाली कंपनियों के लिए)		
3	असुरक्षित थोक वित्त पोषण		
4	सुरक्षित थोक वित्त पोषण		
5	अतिरिक्त आवश्यकता, जिसमें		
(i)	व्युत्पन्न जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह		
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण की हानि से संबंधित बहिर्वाह		
(iii)	ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं		
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व		

[78] अ-भारित मानों की गणना के लिए 30 दिनों के भीतर बकाया या कॉल करने योग्य बकाया राशि विचार में लेनी होगी (अंतर्वाह और बहिर्प्रवाह के लिए)
[79] अंतर्वाह और बहिर्वाह पर दबाव कारकों तथा संबंधित हेअरकट (एचक्यूएलए के लिए) को लागू करने के बाद भारित मूल्यों की गणना की जानी चाहिए।

7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व		
8	**कुल नकदी बहिर्प्रवाह**		
नकदी बहिर्प्रवाह			
9	सुरक्षित ऋण		
10	पूर्ण रूप से प्रदर्शन करने वाले ऋण जोखिम से अन्तर्वाह		
11	अन्य नकदी अन्तर्वाह		
12	**कुल नकदी अन्तर्वाह**		
			कुल समायोजित मूल्य
13	**कुल HQLA**		
14	**कुल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह**		
15	**नकदी कवरेज अनुपात (%)**		

*** एचक्यूएलए के घटकों को प्रकट करना आवश्यक है।

अनुबंध XXII
हटाए गए

अनुबंध XXIII
एनबीएफसी के निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड

1. निदेशकों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा की उचित जांच के महत्व को किसी भी वित्तीय संस्था के लिए नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक एनबीएफसी को पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने से पहले निदेशकों की उचित जांच करता है, किन्तु इसे एनबीएफसी द्वारा एक सतत आधार पर आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के रूप में रखना आवश्यक है। इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने और उचित जांच मे एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि वे बोर्डों पर नियुक्त करने से पहले निम्नांकित प्रक्रियाओं और व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले न्यूनतम मापदंड का पालन करें:

(i) एनबीएफसी को एक निदेशक के रूप में बोर्ड पर नियुक्ति के पहले व्यक्ति की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा और अन्य 'सक्षम और उचित' मापदंड के आधार पर उचित जांच प्रक्रिया करनी चाहिए । एनबीएफसी को **परिशिष्ट XXIII-ए** में दिए गए प्रारूप में इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित / मौजूदा निदेशकों से आवश्यक जानकारी और घोषणा प्राप्त करना चाहिए।

(ii) उचित जांच प्रक्रिया नियुक्ति के समय / नियुक्ति नवीकरण के समय एनबीएफसी द्वारा की जानी चाहिए।

(iii) एनबीएफसी के बोर्ड द्वारा घोषणाओं की जांच के लिए नामांकन और प्रतिफल [80]समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

(iv) हस्ताक्षर किए घोषणा में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, नामांकन और प्रतिफल [81]समितियों को निदेशकों के बारे में जहां भी आवश्यक हो, स्वीकृति पर या अन्य फैसला करना चाहिए।

(v) एनबीएफसी को प्रतिवर्ष 31 मार्च को निदेशकों से एक साधारण घोषणा प्राप्त करना चाहिए जिसमे उल्लेख हो कि पहले उपलब्ध कराई गई जानकारी में परिवर्तन नहीं आया है और जहां भी बदलाव आया है, वहां अपेक्षित विवरण तत्काल उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

(vi) एनबीएफसी को जनता के हित में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड में मनोनीत/ निर्वाचित निदेशक **परिशिष्ट XXIII-बी.** में दिए गए प्रारूप में सहमति की डीड निष्पादित करें।

---

80 सरकारी एनबीएफसी के लिए नामांकन समितियां।

81 सरकारी एनबीएफसी के लिए नामांकन समितियां।

परिशिष्ट XXIII-ए

निदेशक के द्वारा घोषणा और वचनबद्धता

एनबीएफसी का नाम :

निदेशक के द्वारा घोषणा और वचनपत्र (-----को उचित अनुलग्नकों के साथ)			
I.	**निदेशक की व्यक्तिगत जानकारी**		
	ए.	पूरा नाम	
	बी.	जन्मतिथि	
	सी.	शैक्षिक योग्यता	
	डी.	प्रासंगिक पृष्ठभूमि और अनुभव	
	ई.	स्थायी पता	
	एफ.	वर्तमान पता	
	जी.	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
	एच.	आयकर अधिनियम, 1961 तहत स्थायी खाता संख्या और आयकर सर्किल का नाम और पता	
	आई.	प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव	
	जे .	एनबीएफसी की निदेशकता से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी	
II.	**निदेशक के प्रासंगिक रिश्ते**		
	ए.	रिश्तेदारों की सूची अगर एनबीएफसी के साथ जुड़े हुए हैं, (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 ए और नए कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधानों को देखें)	

	बी.	संस्थाओं की सूची में जिसमें उनकी रुचि दिखाई गई है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(ए) और धारा 300 और नए कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधानों को देखें)	
	सी.	उन संस्थाओं की सूची जिनमें उसे इन निर्देशों के पैराग्राफ 5.1.33 के अर्थ में पर्याप्त हित रखने वाला माना जाता है	
	डी.	उन एनबीएफसी का नाम जिसमें वह बोर्ड का एक सदस्य है या रहा/रही है। (उस अवधि का ब्यौरा दे, जिसमें पद धारण किया है)	
	ई.	एनबीएफसी से या उपरोक्त II(बी) या (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं से ली गई निधि या गैर निधि सुविधाएं	
	एफ.	वे मामले, यदि कोई है, जहां निदेशक या उपरोक्त II(बी) या (सी) में सूचीबद्ध संस्थाए एनबीएफ़सी या कोई अन्य एनबीएफ़सी/बैंक के प्राप्त ऋण सुविधाओ की चूककर्ता हैं या अतीत में चूककर्ता थी ।	
III	**पेशेवर उपलब्धियों का रिकार्ड**		
	ए.	प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धियां	
IV	**निदेशक के खिलाफ कार्रवाई, यदि कोई हो,**		
	ए.	यदि निदेशक, एक व्यावसायिक संघ / संस्था के सदस्य, तो उसके खिलाफ अतीत में अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है या शुरू है या पूरी की जा चुकी है, उसका विवरण, यदि कोई है, या क्या किसी भी समय किसी भी पेशे / काम में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है?	
	बी.	निदेशक और/या II(ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध लंबित, शुरू हुई या पूर्व में दोषसिद्धि हुई आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो।	

	सी.	पिछले पांच वर्षों में निदेशक के विरुद्ध लंबित या शुरू किए गए या दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
	डी.	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 और नए कंपनी अधिनियम, 2013 के इसके समांतर प्रासंगिक प्रावधानों में शामिल किसी भी अयोग्यता को पूरा करता है?	
	ई.	निदेशक के या उपरोक्त II(बी) और (सी) में सूचीबद्ध कंपनियों में से किसी के खिलाफ किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी के द्वारा जांच की गई है?	
	एफ.	क्या किसी भी समय निदेशक को सीमा शुल्क/उत्पाद/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है, तो विवरण दें।	
	जी.	क्या निदेशक कभी नियामक जैसे सेबी, इरडा, एमसीए में से एक के प्रतिकूल संज्ञान में आए है ?	
		(हालांकि किसी भी उम्मीदवार को नियामकों द्वारा किए गए ऐसे आदेशों और निष्कर्षों का जो बाद में उलट दिए है, कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा। हालांकि ऐसे मामले में उल्लेख करना आवश्यक होगा जबकि उलटना /निरस्त करना निवारक सीमा या क्षेत्राधिकार की कमी, आदि जैसे तकनीकी कारणों से है और नियामक के आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है और अपीलीय / अदालत की कार्यवाही लंबित हैं।)	
V.		**उपरोक्त मद I से III के संबंध में किसी भी अन्य विवरण / जानकारी और सक्षम और उचित पहचानने के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली अन्य जानकारी**	
	घोषणा		

	मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं मेरी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं, जो उपरोक्त सूचनाओ के संदर्भ मे प्रासंगिक हैं, के बारे में , जितनी जल्दी हो सके एनबीएफसी को सूचित करूंगा।	
	मैं एनबीएफसी के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले आवश्यक सहमति के विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ ।	
	स्थान :	हस्ताक्षर:
	दिनांक:	
VI.	**एनबीएफसी के निदेशक मण्डल / नामांकन और प्रतिफल [82]समिति के अध्यक्ष की टिप्पणियां**	
	स्थान :	हस्ताक्षर:
	दिनांक:	

[82] सरकारी एनबीएफसी के लिए नामांकन समितियां।

परिशिष्ट XXIII-बी

एक निदेशक के साथ सहमति की डीड का फार्म

सहमति की डीड आज दिनांक ______दो हजार_______को ____________________________ में अपने पंजीकृत कार्यालय वाली (इसके बाद 'एनबीएफसी' कहा जाता है) के एक भाग और अन्य भाग के ______________के श्री / सुश्री_____________(बाद में 'निदेशक" चलकर कहा जाता है) **बीच** किया जाता है । **जहां**

ए. निदेशक को एनबीएफसी के निदेशक मंडल (बाद में "बोर्ड" कहा जाता है) पर एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उसका / उसकी नियुक्ति की शर्त के रूप में एनबीएफसी के साथ सहमति के एक डीड में प्रवेश करना आवश्यक है।

बी. निदेशक नियुक्ति के बारे में उनकी शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित इस सहमति की डीड में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गया है।

अब इस बात पर सहमति है और सहमति की डीड इस प्रकार साक्ष्यांकित है:

1 निदेशक मानता है कि एनबीएफसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में उसका / उसकी नियुक्ति संगम लेख और ज्ञापन, एनबीएफसी के लागू कानूनों और नियमों और इस डीड के प्रावधानों के अधीन है।

2 निदेशक एनबीएफसी के साथ पारस्परिक संविदा करता है कि :

(i) निदेशक बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके संबंध के प्रकार का प्रकटीकरण करेगा, यदि एनबीएफ़सी और किसी भी अन्य संस्था के बीच एक अनुबंध या व्यवस्था या किसी भी प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में उसका संबंध है या होना है । यह प्रकटीकरण तुरंत जानकारी होने पर ही या बोर्ड की उस बैठक में जिसमे पर इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था से जुड़ जाने पर विचार हो रहा है या निदेशक बैठक की तारीख पर प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित नहीं थे तो उससे जुड़ जाने के बाद आयोजित पहली बैठक में आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।

(ii) निदेशक बोर्ड को सामान्य नोटिस द्वारा उसकी / उसके अन्य निदेशकता, कॉर्पोरेट निकायों के लिए उसका / उसकी सदस्यता, अन्य संस्थाओं में उसकी / उसके हित और कंपनियों के एक भागीदार या मालिक के रूप में उसकी / उसके हित का खुलासा करेगा और बोर्ड को उसमें सभी परिवर्तनों के बारे में अवगत कराता रहेगा।

(iii) निदेशक एनबीएफसी को कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 में परिभाषित अनुसार उसकी / उसके रिश्तेदारों की एक सूची प्रदान करेगा जिनकी निदेशक के ज्ञान में इस तरह के रिश्तेदारों के कॉर्पोरेट, कंपनियों और अन्य निकायों में निदेशकता और हितों के बारे में जानकारी है।

(iv) निदेशक एनबीएफसी के निदेशक के रूप में उसकी / उसके कर्तव्यों के निर्वहन करते समय:

(ए) उसकी / उसके ज्ञान या अनुभव के एक व्यक्ति से अपेक्षित उचित कौशल का उपयोग करें;

(बी) उसकी / उसके कर्तव्यों के निष्पादन में उससे यथोचित सदविश्वास में और एनबीएफसी के हित में स्वयं में निहित किसी भी शक्ति अपने / अपनी ओर से उपयोग करने की उम्मीद की जाती है;

(सी) एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति, व्यापार, गतिविधियों के बारे में उसे किए गए प्रकटीकरण की हद तक खुद को जागरूक रखना होगा;

(डी) बोर्ड और उसके समितियों (सामूहिक संक्षिप्तता की खातिर आगे चलकर "बोर्ड" कहा गया है) की बैठकों में उचित नियमितता के साथ भाग लेगा और उचित रूप से एनबीएफसी के निदेशक के रूप में उसकी / उसके दायित्वों को पूरा करना;

(ई) एनबीएफसी के हित के अलावा अन्य किसी भी विचार के लिए बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा;

(एफ़) एनबीएफसी को प्रभावित करने वाले बोर्ड के समक्ष लाया सभी मामलों पर जिसमे वैधानिक अनुपालन, प्रदर्शन की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तियों और आचरण के मानक सहित शामिल है किन्तु सीमित नहीं है, के लिए स्वतंत्र निर्णय लेगा;

(जी) बोर्ड के समक्ष लाया या बोर्ड द्वारा सौंपे गए मामलों में उसकी / उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग के साथ हस्तक्षेप करने वाले व्यवसाय या अन्य रिश्ते से मुक्त रहेगा; और

(एच) किसी डर या पक्षपात के बिना और उसकी / उसके स्वतंत्र निर्णय के लेने पर कोई प्रभाव के बिना बोर्ड की बैठकों में उसकी / उसके विचार और राय व्यक्त करेगा;

(v) निदेशक का कर्तव्य होगा:

(ए) एनबीएफसी के हित में सदविश्वास में और किसी भी समपार्श्विक उद्देश्य के लिए कार्य नहीं करने के लिए प्रत्ययी कर्तव्य;

(बी) केवल एनबीएफसी के संगम ज्ञापन और लेख और लागू कानूनों और नियमों द्वारा निर्धारित सीमा में शक्तियों का उपयोग कर कार्रवाई करने का कर्तव्य; और

(सी) एनबीएफसी के कारोबार की उचित समझ प्राप्त करने का कर्तव्य।

(vi) निदेशक:

(ए) उसे बोर्ड द्वारा करने के लिए सौंपे मामलों के संबंध में जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगा;

(बी) पूर्णकालिक निदेशकों और एनबीएफसी और अन्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जहाँ अन्यथा विश्वास करने के लिए कारण है, वह तत्काल बोर्ड को उसकी / उसके चिंताओं का खुलासा करेगा; और

(सी) बोर्ड के एक सदस्य के रूप में उसे खुलासा की गई जानकारी का किसी और का लाभ करने के लिए अनुचित प्रयोग नहीं करेगा और निदेशक के रूप में उनकी / उसकी क्षमता में एनबीएफसी द्वारा उसे / उसे खुलासा की गई

जानकारी का उपयोग एनबीएफसी के एक निदेशक के रूप में केवल उसकी / उसके कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए और न किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगा।

3 एनबीएफसी निदेशक के साथ संविदा करती है कि:

(i) एनबीएफसी निम्न के बारे में निदेशक को अवगत कराएगी:

(ए) निदेशक के कानूनी और अन्य दायित्वों की पहचान सहित बोर्ड प्रक्रियाओं और वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन;

(बी) नियंत्रण प्रणालिया और प्रक्रिया;

(सी) बोर्ड बैठकों में मतदान के अधिकार और वे मामले जिनमे निदेशक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें उसकी / उसके हित होने से हिस्सा नहीं लेना है;

(डी) योग्यता की शर्तों और संगम ज्ञापन और लेख की प्रतियां प्रदान करेगी;

(ई) कंपनी की नीतिया और प्रक्रियाए;

(एफ़) इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध;

(जी) बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, विचारार्थ विषय और अधिकार के हस्तांतरण,

(एच) वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार;

(आई) पारिश्रमिक नीति,

(जे) बोर्ड की समितियों में विचार-विमर्श, और

(के) नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणाली, एनबीएफ़सी के संगम ज्ञापन और लेख सहित लागू नियमों, अधिकार के हस्तांतरण, वरिष्ठ कार्यकारी आदि में किसी भी बदलाव के लिए संवाद और सभी वैधानिक और कानूनी अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति।

(ii) एनबीएफसी बोर्ड और निदेशक को बोर्ड के समक्ष लाया मामलों के संबंध में जो बोर्ड या उसके किसी समिति द्वारा अपने विचार के लिए लाया गया हो या एक निदेशक के रूप में अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निदेशक को बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा सौंपा गया हो, की सभी जानकारी का खुलासा करेगी जो उन्हे सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है;

(iii) निदेशकों को एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण में निम्नांकित शामिल होगा किन्तु इसी तक सीमित नहीं होगा:

(ए) बोर्ड के समक्ष लाया मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी;

(बी) एनबीएफसी की रणनीतिक और व्यापार की योजना और पूर्वानुमान;

(सी) एनबीएफसी का संगठनात्मक संरचना और अधिकार का हस्तांतरण;

(डी) कॉर्पोरेट और प्रबंधन नियंत्रण और प्रक्रियाओं सहित प्रणाली;

(ई) आर्थिक लक्षण और विपणन वातावरण;

(एफ़) एनबीएफसी के उत्पादों पर उचित रूप में सूचना और अद्यतन जानकारी;

(जी) प्रमुख व्यय पर अद्यतन जानकारी;

(एच) एनबीएफसी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा; और

(आई) रणनीतिक पहल और योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट;

(iv) एनबीएफसी निदेशकों और संबंधित कर्मियों को बोर्ड विचार-विमर्श के परिणाम संवाद सूचित करेगी और समय पर बोर्ड की बैठक के समापन की तिथि से दो व्यावसायिक दिनों के भीतर संभव हद तक निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त तैयार कर प्रसारित करेगी; और

(v) बोर्ड के समक्ष रखे मामलों में प्रत्यायोजित प्राधिकार के स्तर के बारे में निदेशक को सूचना देगी।

4. एनबीएफसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज और उसकी प्रभावशीलता पर निदेशक को आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगी।

5. एनबीएफसी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगी जो बोर्ड को रिपोर्टिंग करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी हो और नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा रिजर्व बैंक अन्य संबंधित सांविधिक और सरकारी अधिकारियों के दिशा-निर्देशों तक ही सीमित न होकर लागू कानूनों, नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के पालन की निगरानी करेगा।

6. निदेशक एनबीएफसी के निदेशक के रूप में अपने किसी भी अधिकार और दायित्वों को आवंटित, स्थानांतरण, प्रत्यायोजित या भारित नहीं करेगा या किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं सौपेगा हालाकि इसे एनबीएफसी के संगम ज्ञापन और लेख सहित लागू कानूनों और नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा या उसकी किसी भी समिति द्वारा किसी प्राधिकार, शक्ति कार्य या प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करने के हेतु न समझा जाए।

7. किसी दायित्व या कर्तव्य का निर्वहन, पालन या अनुपालन करने में किसी भी की ओर से विफलता से न तो छूट प्राप्त होगी नहीं और न ही इसे उस समय या उसके बाद किसी निर्वहन, पालन या अनुपालन के लिए एक आदर्श के रूप में माना जाएगा।

8. इस सहमति के डीड मे कोई भी या सभी संशोधन और / या पूर्ति और / या परिवर्तन निदेशक और एनबीएफसी की विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और केवल लिखित में होने पर ही मान्य होगा।

9. यह सहमति की डीड दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियां मूल मानी जाएगी।

गवाह की उपस्थिती में पक्षों ने विधिवत पहले ऊपर लिखा दिन, महीने और साल पर इस समझौते को किया।

एनबीएफसी के लिए	निदेशक	
द्वारा		

नाम:	नाम:	
पदनाम:		
की उपस्थिति में:		
1.		2 ....

अनुबंध XXIV
एनबीएफसी में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र के पारिश्रमिक पर दिशानिर्देश: न्यूनतम दायरा और कवरेज

1. **नामांकन और प्रतिफल समिति (एनआरसी)**

एनबीएफसी के बोर्ड एक नामांकन और प्रतिफल समिति (एनआरसी) का गठन करेंगे। एनआरसी का संघटन, उसकी शक्तियां, कार्य और कर्तव्य वैसे ही होंगे जैसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में निर्धारित किए गए हैं। एनआरसी को, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी की पारिश्रमिक नीति के निर्धारण, समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी करने का भी अधिदेश होगा । पारिश्रमिक नीति को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। पारिश्रमिक और जोखिमों के बीच प्रभावी संरेखण प्राप्त करने के लिए एनआरसी कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के साथ निकट समन्वय में काम करेगी। इसके अलावा, एनआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि पारिश्रमिक का स्तर कंपनी आय को प्रतिधारित करने की आवश्यकता और आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आंकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के आधार पर पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता द्वारा समर्थित है। एनआरसी प्रस्तावित/मौजूदा निदेशकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति भी सुनिश्चित करेगी और यह भी कि कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों, केएमपी और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र की नियुक्ति में हितों का कोई टकराव नहीं है।

2. **पारिश्रमिक के लिए सिद्धांत**

2.1 घटक और जोखिम संरेखण: मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र का पारिश्रमिक उचित होना चाहिए, जो सांविधिक आवश्यकताओं और उद्योग प्रथाओं के अनुपालन सहित सभी प्रासंगिक कारकों की पहचान कराता हो। पारिश्रमिक पैकेज नियत और परिवर्तनशील वेतन घटक से युक्त और विवेकपूर्ण जोखिम लेने के साथ प्रभावी ढंग से संरेखित होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पारिश्रमिक को सभी प्रकार के जोखिमों के लिए समायोजित किया गया है, पारिश्रमिक के परिणाम जोखिम परिणामों के साथ सममित हैं, पारिश्रमिक का भुगतान जोखिम के समय क्षितिज के प्रति संवेदनशील हैं, और नकद, इक्विटी और पारिश्रमिक के अन्य रूपों का मिश्रण जोखिम संरेखण के अनुरूप है।

2.2 नियत वेतन की संरचना: अनुलाभ और पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान सहित पारिश्रमिक की सभी निश्चित मदों को नियत वेतन के हिस्से के रूप में माना जाएगा। प्रतिपूर्ति योग्य सभी अनुलाभों को भी नियत वेतन में शामिल किया जाएगा, जब तक कि इन प्रतिपूर्तियों पर मौद्रिक सीमाएं हैं। गैर-मौद्रिक प्रकृति के लाभों (जैसे निःशुल्क सुसज्जित घर, कंपनी की कार का उपयोग, आदि) के मौद्रिक समकक्ष भी नियत वेतन का हिस्सा होंगे।

2.3 **परिवर्तनशील वेतन के सिद्धांत**

2.3.1 परिवर्तनशील वेतन की संरचना: परिवर्तनशील वेतन शेयर-लिंक्ड लिखत, या नकद और शेयर-लिंक्ड लिखत के मिश्रण के रूप में हो सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि शेयर-लिंक्ड लिखत प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

2.3.2 अनुपात: कुल पारिश्रमिक[83] में परिवर्तनशील वेतन का अनुपात केएमपी/ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र की भूमिका और विवेकपूर्ण जोखिम लेने वाले प्रोफाइल के अनुरूप होना चाहिए। जिम्मेदारी के उच्च स्तर पर, परिवर्तनशील वेतन का अनुपात अधिक होना चाहिए। यदि परिवर्तनशील वेतन में शेयर लिंक्ड लिखत शामिल हैं, तो परिवर्तनशील वेतन में नकद और शेयर-लिंक्ड लिखतों के बीच उचित संतुलन होना चाहिए। परिवर्तनशील वेतन वास्तव में और प्रभावी रूप से परिवर्तनशील होना चाहिए और व्यक्तिगत, व्यवसाय-इकाई और कंपनी-व्यापी स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर शून्य तक घटाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, निष्पादन मानकों और पारिश्रमिक पैकेज के साथ उनके संबंध को निष्पादन माप अवधि की शुरुआत में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कर्मचारी प्रोत्साहन तंत्र को समझते हैं।

2.3.3 परिवर्तनशील वेतन का आस्थगन: निष्पादन आंकलन के बाद दिए गए पूरे परिवर्तनशील वेतन का भुगतान तुरंत नहीं किया जा सकता है। परिवर्तनशील वेतन के कुछ हिस्से को, जैसा की कंपनी के बोर्ड द्वारा तय किया जाए, जोखिम के समय परिधि के अनुरूप आस्थगित किया जा सकता है। आस्थगन व्यवस्था के हिस्से को परिवर्तनीय वेतन के नकद और गैर-नकद दोनों घटकों के लिए लागू किया जाना चाहिए । ऐसी व्यवस्था के लिए आस्थगन अवधि कंपनी के बोर्ड द्वारा तय की जा सकती है।

2.3.4 निगरानी और आश्वासन कार्य कार्मिक: वित्तीय नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा में शामिल केएमपी और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र को इस तरह से पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जो उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाले व्यावसायिक क्षेत्रों से स्वतंत्र हो, और कंपनी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के अनुरूप हो। तदनुसार, ऐसे कार्मिकों के लिए नियत पारिश्रमिक का अनुपात उच्चतर हो सकता है। तथापि, पारिश्रमिक का एक उचित अनुपात परिवर्तनशील वेतन के रूप में होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मालस और/या क्लॉबैक के विकल्पों का प्रयोग औचित्यहीन न हो।

---

[83] कुल पारिश्रमिक में नियत और परिवर्तशील वेतन शामिल हैं।

3. गारंटीकृत बोनस

केएमपी और ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र को गारंटीकृत बोनस का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, नए हायरिंग के संदर्भ में जॉइनिंग/साइन-ऑन बोनस पर विचार किया जा सकता है। इस तरह के बोनस को न तो नियत वेतन का हिस्सा माना जाएगा और न ही परिवर्तनशील वेतन का।

4. **मालस / क्लॉबैक**

किसी भी वर्ष में कंपनी और/या प्रासंगिक व्यवसाय के क्षेत्र के कमजोर या नकारात्मक वित्तीय प्रदर्शन या कर्मचारी कदाचार की स्थिति में आस्थगित मालस[84] / क्लॉबैक[85] व्यवस्था के अधीन हो सकती है। एनबीएफसी द्वारा स्थितियों के एक द्योतक सेट की पहचान की जानी चाहिए, जिसके लिए उन्हें मालस और क्लॉबैक नियम, जो पूरे परिवर्तनशील वेतन पर लागू हो सकते हैं, लागू करने की आवश्यकता पड़ सकती है । मालस और क्लॉबैक के अनुप्रयोग के लिए मानदंड निर्धारित करते समय, एनबीएफसी एक ऐसी अवधि भी विनिर्दिष्ट करेगी जिसके दौरान मालस और/या क्लॉबैक लागू किया जा सकता है। यह अवधि कम से कम आस्थगन और प्रतिधारण अवधि[86] को कवर करनी चाहिए।

[84] **मालस** व्यवस्था एनबीएफसी को आस्थगित पारिश्रमिक की राशि के सभी या कुछ हिस्से को निहित होने से रोकने की अनुमति देती है। मालस व्यवस्था में पहले निहित हो चुके अंश की वापसी की व्यवस्था नहीं है ।

[85] **क्लॉबैक** कर्मचारी और एनबीएफसी के बीच एक संविदात्मक करार है जिसमें कर्मचारी कुछ परिस्थितियों में एनबीएफसी को पूर्व भुगतान या निहित पारिश्रमिक वापस करने के लिए सहमत होते है।

[86] **प्रतिधारण अवधि:** परिवर्तनशील वेतन के रूप में प्रदान किये गये लिखतों के निहित होने के बाद की अवधि जिसके दौरान उन्हें बेचा या एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

अनुबंध XXV
बड़े एक्सपोजर पर प्रतिलाभ

एनबीएफ़सी का नाम	
माह के लिए प्रतिलाभ	
पात्र पूंजी आधार (टियर I)	(रु. करोड़)

क. एनबीएफ़सी के 10 सबसे बड़े एक्सपोजर प्रतिपक्षकार (एकल सहत प्रतिपक्षकार के समहू) उनके मल्यू से निरपेक्ष एनबीएफ़सी के पात्र पूंजी सापेक्ष

क्र.सं	प्रतिपक्षकार का नाम	संब प्रतिपक्षकार के एकल (एस) या समहू (जी)	एक्सपोजर राशि	टियर I पूंजी के % के रूप में एक्सपोजर
1.				
2.				
3.				
--				
--				
10.				

ख. टियर I पूंजी के 10% या उससे अधिक मूल्यों के साथ एनबीएफ़सी के बड़े एक्सपोज़र

क्र.सं	प्रतिपक्षकार का नाम	संब प्रतिपक्षकार के एकल (एस) या समहू (जी)	एक्सपोजर राशि	टियर I पूंजी के % के रूप में एक्सपोजर
1.				
2.				
--				
n				

ग. एनबीएफसी के अन्य एक्सपोजर (क्रेडिट ट्रांसफर लिखत को ऑफसटे किए बिना परिगणित)
टियर I पूंजी के 10% के बराबर या उससे अधिक मूल्यों के साथ (पहले से ही ख मे रिपोर्ट किए गए एक्सपोजर को शामिल नहीं करते हुए)

क्र.सं	प्रतिपक्षकार का नाम	संब प्रतिपक्षकार के एकल (एस) या समहू (जी)	एक्सपोजर राशि	टियर I पूंजी के % के रूप में एक्सपोजर
1.				
2.				
--				
n.				

घ. टियर I कैपिटल के 10% या उससे अधिक मूल्यों के साथ एनबीएफसी के छूट वाले एक्सपोज़र				
क्र.सं	प्रतिपक्षकार का नाम	संब प्रतिपक्षकार के एकल (एस) या समहू (जी)	एक्सपोजर राशि	टियर I पूंजी के % के रूप में एक्सपोजर
1.				
2.				
--				
n.				

अनुबंध XXVI

एनबीएफसी-एमएफआई के लिए स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) - मान्यता के लिए मानदंड

1. मान्यता के समय एसआरओ में कम से कम 1/3 एनबीएफसी-एमएफआई सदस्य के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए।
2. इसके पास सदस्यों के अंशदान पर निर्भर हुए बिना अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।
3. स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) को अपने ज्ञापन / उपविधियों में मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में, सदस्यों के प्रवेश और कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड निर्दिष्ट करना चाहिए;
4. एसआरओ के ज्ञापन / उपनियमों में, किस तरीके से गवर्निंग बॉडी / एसआरओ के निदेशक मंडल कार्य करेंगे, इस का प्रावधान होना चाहिए।
5. बोर्ड में बड़े और छोटे एनबीएफसी-एमएफआई दोनों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
6. निदेशक मंडल का एक तिहाई स्वतंत्र और सदस्य संस्थाओं के साथ न जुड़ा हुआ होना चाहिए।
7. निदेशक और प्रबंधन के व्यक्ति को रिज़र्व बैंक द्वारा सक्षम और उचित माना जाना चाहिए।
8. इसमे पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए।
9. एसआरओ को सभी हितधारकों के हित में कार्य करना चाहिए और केवल एक उद्योग संगठन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
10. एसआरओ को अपने सदस्यों के द्वारा अनुपालन हेतु आचार संहिता तैयार करनी चाहिए।
11. इसमें विशेष रूप से नियुक्त शिकायत निवारण नोडल अधिकारी के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र और एक विवाद समाधान तंत्र होना चाहिए।
12. इसे एक प्रवर्तन समिति के माध्यम से अपने सदस्यों पर आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए और बैंक की नियामक निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने की स्थिति में होना चाहिए।
13. इसके पास अपने सदस्यों और स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का विकासात्मक कार्य होना चाहिए और एमएफआई क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान और विकास का संचालन करना चाहिए।

रिज़र्व बैंक के प्रति एसआरओ के दायित्व

1. एक बार मान्यता प्राप्त होने पर एसआरओ को एक अनुपालन अधिकारी मनोनीत करना आवश्यकता होगा,जो सीधे रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेंगे और जो रिज़र्व बैंक को नियमित रूप से क्षेत्र में होने वाले नए घटनाओं से सूचित करते रहेंगे ।
2. एसआरओ को रिज़र्व बैंक को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

3. इसे रिज़र्व बैंक द्वारा बताए गए चिंता के क्षेत्रों में जांच का संचालन करना होगा।
4. एसआरओ उसके सदस्यों में से किसी के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश, परिपत्रों या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन रिज़र्व बैंक को सूचित करेगा।
5. यह समय समय पर या रिज़र्व बैंक द्वारा लिए अनुरोध किए जाने पर डेटा सहित जानकारी प्रदान करेगा।
6. रिज़र्व बैंक, अगर जरूरत पड़ी तो, एसआरओ की बहियों का निरीक्षण करेगा या एक लेखा-परीक्षा फर्म द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

अनुबंध XXVII
मुख्य तथ्य विवरण
भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

1	**ऋण प्रस्ताव /खाता संख्या**		**ऋण का प्रकार**	
2	**स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)**			
3	**सवितरण अनुसूची** (i) 100% अग्रिम या चरणों सवितरण (ii) यदि यह चरणवार है तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण करार के खंड का उल्लेख करे			
4	**ऋण अवधि (वर्ष/ माह/ दिन)**			
5	**किश्त विवरण**			

किश्तों का प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई(₹)	पुनर्भुगतान की शुरूआत, मंजूरी के बाद

6	**ब्याज दर (%) और प्रकार (स्थायी या अस्थायी या हाइब्रिड)**	
7	**अस्थायी ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी**	

संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (बी)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) आर = (बी)+ (एस)	रीसेट आवधिकता [87](महीने)		संदर्भ बेंचमार्क मे परिवर्तन का प्रभाव ('आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए निम्न मे परिवर्तन[88])	
				बी	एस	ईपीआई(₹)	ईपीआई की संख्या

8	**शुल्क/प्रभार**[89]				
		एनबीएफ़सी को देय		एनबीएफ़सी के माध्यम से तृतीय पक्ष को देय	
		एक बार/ आवर्ती	राशी (₹ में) या प्रतिशत (%) जो लागू हो[90]	एक बार/ आवर्ती	राशी (₹ में) या प्रतिशत (%) जो लागू हो[4]
(i)	प्रसंस्करण शुल्क				
(ii)	बीमा शुल्क				
(iii)	मूल्यांकन शुल्क				
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करे)				
9	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)**[91]				
10	**आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)**				
(i)	विलिंवबत भुगतान के मामले में दंडात्मक शुल्क, यवि कोई हो				
(ii)	अन्य दंडात्मक प्रभार, यदि कोई हो				

---

[87] क्रेडिट प्रोफ़ाइल में परिवर्तन के अलावा, स्थायी रीसेट

[88] कृपया 18 अगस्त 2023 के परिपत्र 'समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण' का संदर्भ ले।

[89]एनबीएफ़सी निवल राशि का खुलासा जीएसटी जैसे किसी भी कर को शामिल किए बिना कर सकते है।

[90] आवर्ती का उल्लेख करें ,जहां आवर्ती हो।

[91] कृपया अनुबंध बी में दिये गए विवरण का संदर्भ ले।

(iii)	पुरोबंधात्मक शुल्क, यदि लागू हो	
(iv)	ऋणों को अस्थायी से स्थायी दर में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए शुल्क	
(v)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)	

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="2">वसूली एजेंट कि नियुक्ति से संबन्धित ऋण करार का खंड</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">शिकायत निवारण तंत्र का विवरण संबन्धित ऋण करार का खंड</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी[92]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">क्या ऋण अन्य आरई को अंतरित करने या प्रतिभूतिकरण के अधीन या भविष्य मे हो सकता है (हां/नहीं)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (उदाहरण के लिए, सह-उधार/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जाए:</td></tr>
<tr><td colspan="2">मूल आरई का नाम और उसका वित्तपोषण अनुपात</td><td colspan="2">भागीदार आरई का नाम तथा उसके वित्तपोषण का अनुपात</td><td>मिश्रित ब्याज दर</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जाये:</td></tr>
<tr><td colspan="3">(i) आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई दंड नहीं लिया जाएगा।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">(ii) वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

[92] एनबीएफसी सामान्य ईमेल आईडी प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रतिक्रिया 1 कार्य दिवस के भीतर दी जाए